वार्षिक रिपोर्ट
Annual Report
2009 - 2010

देना बैंक
DENA BANK
(भारत सरकार का उद्यम)
(A Government of India Enterprise)
विश्वस्त पारिवारिक बैंक
Trusted Family Bank

आप चाहे कहीं पर भी हों
हमारे गेटवे में आपका स्वागत है

No matter where you are
our gateway welcomes you

स्मरणीय पल

MEMORABLE MOMENTS

स्मरणीय पल - MEMORABLE MOMENTS

श्री डी. एल. रावल, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, श्री प्रणव मुखर्जी, माननीय केंद्रीय वित्त मंत्री, को वर्ष 2008-09 के लिये रु. 17.62 करोड़ का डिविडेंड वारण्ट प्रदान करते हुए. साथ में हैं श्री भास्कर सेन, तत्कालीन कार्यपालक निदेशक.

Shri D.L. Rawal, CMD, handing over the dividend warrant of Rs. 17.62 Crores for the year 2008-09. to Shri Pranab Mukherjee, Hon'ble Union Finance Minister, Seen alongside is Shri Bhaskar Sen, the then E.D.

श्री प्रणव मुखर्जी, माननीय केंद्रीय वित्त मंत्री, रघुनाथगंज में देना बैंक की नई शाखा का उद्घाटन करते हुए. साथ में हैं श्री डी.एल. रावल, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक और श्री ए.के. दत्त, कार्यपालक निदेशक.

Shri Pranab Mukherjee, Hon'ble Union Finance Minister, inaugurating Dena Bank's New Branch at Raghunathganj. Also seen alongside is Shri D.L. Rawal, CMD & Shri A.K. Dutt, E.D

देना बैंक की रघुनाथगंज शाखा के उद्घाटन के अवसर पर, श्री प्रणव मुखर्जी, माननीय केंद्रीय वित्त मंत्री, एक शारीरिक रुप से अक्षम व्यक्ती को ट्रायसाइकिल प्रदान करते हुए.

Shri Pranab Mukherjee, Hon'ble Union Finance Minister, handing over a Tricycle to a physically challenged person during the inauguration of Dena Bank's Raghunathganj Branch.

देना बैंक की रघुनाथगंज शाखा के उद्घाटन समारोह में आमंत्रित अतिथियों की उपस्थिति.

Invitees present at the inauguration of Dena Bank Raghunathganj Branch.

निदेशक मण्डल BOARD OF DIRECTORS

निदेशक मण्डल BOARD OF DIRECTORS

श्री डी. एल. रावल
Shri D. L. Rawal

श्री ए. के. दत्त
Shri A. K. Dutt

डॉ. तरसेम चंद
Dr. Tarsem Chand

श्री चंद्र किशोर
Shri Chandra Kishore

श्री आई. एम. अल्मेडा
Shri I.M. Almeida

डॉ. कमलेश कुमार गोयल
Dr. Kamlesh Kumar Goel

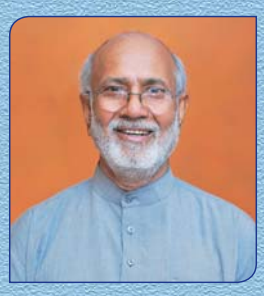

डॉ. प्रीतम सिंह
Dr. Pritam Singh

डॉ. सुनील गुप्ता
Dr. Sunil Gupta

श्री रोहित खन्ना
Shri Rohit Khanna

वर्ष 2009-10, के दौरान निम्नलिखित निदेशक भी बैंक के निदेशक मण्डल में शामिल रहे :
During the year 2009-10, the following Directors also served on the Board of Directors of the Bank

श्री. भास्कर सेन (कार्यपालक निदेशक)
Shri Bhaskar Sen (Executive Director)
(Up to 28.02.2010)

श्री.एम. जी. शिंदे
Shri. M. G.Shinde
(Up to 28.02.2010)

श्री. ए. गोपालकृष्णन
Shri. A. Gopalakrishnan
(Up to 13.12.2009)

श्री. वी. एस. शिवकुमार
Shri V. S. Sivakumar
(Up to 27.10.2009)

श्री. एम. सूर्या नायक
Shri. M. Surya Naik
(Up to 30.12.2009)

शीर्ष प्रबंधन वर्ग

TOP MANAGEMENT TEAM

शीर्ष प्रबंधन वर्ग - TOP MANAGEMENT TEAM

महाप्रबंधकगण GENERAL MANAGERS

(9 अप्रैल 2010 को As on 9th April, 2010)

श्री टी. आर. चावला
Shri T. R. Chawla

श्री आर. श्रीधरन
Shri R. Sridharan

श्री आनंदी लाल
Shri Anandi Lal

श्री जे. पि. कुरियस
Shri J. P. Kurias

श्री मुकेश कुमार जैन
Shri Mukesh Kumar Jain

श्री सुधीर कुमार जैन
Shri Sudhir Kumar Jain

श्री आर. के. गुप्ता
Shri R. K. Gupta

श्री एस. आर. बंसल
Shri S. R. Bansal

श्री एम. के. शर्मा
Shri M. K. Sharma

श्री रमेश सिंह बोरा
Shri Ramesh Singh Bora

श्री अनिल कामत
Shri Anil Kamat

श्री आर. पी. आचरेकर
Shri R. P. Acharekar

वर्ष 2009-10, के दौरान निम्नलिखित महाप्रबंधक भी बैंक की सेवा में थे :
During the year 2009-10, the following General Managers also served with the Bank

श्री. पी. परेश कुमार
Shri. P. Paresh Kumar
(Up to 28.02.2010)

श्री. यू. एस. पुजारी
Shri. U. S. Poojary
(Up to 30.04.2009)

विषय सूची CONTENTS

पृष्ठ Page

वर्षवार तुलनात्मक कार्यनिष्पादन
Year wise Comparative Performance 05

सूचना
Notice 07

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक का वक्तव्य
Chairman & Managing Director's Statement 10

वर्ष 2009-10 के लिए निदेशकों की रिपोर्ट
Directors' Report 2009-10 15

प्रबंधन विचार विमर्श एवं विश्लेषण
Management Discussion And Analysis 20

कार्पोरेट अभिशासन
Corporate Governance 51

निदेशको के विवरण
Particulars of Directors 67

बासेल-II प्रकटीकरण
Basel-II Disclosers 77

तुलन पत्र
Balance Sheet 90

लाभ एवं हानि लेखे
Profit & Loss Account 91

लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट
Report of the Auditors 119

नकदी प्रवाह विवरण
Cash Flow Statement 121

मुख्तारी फार्म (संलग्न)
Proxy Form (Enclosed) 123

उपस्थिति सह-प्रवेश-पर्ची (संलग्न)
Attendance-cum-Entry Slip (Enclosed) 125

डिपॉजिटरी सेवायें
Depository Services 127

लेखा परीक्षकगण Auditors

कृते आर के दीपक एण्ड कं सनदी लेखाकार	**कृते बी. गुप्ता एण्ड कं.** सनदी लेखाकार	**कृते पी. पारिख एण्ड एसोसिएट्स** सनदी लेखाकार	**कृते जैन चौधरी एण्ड कं.** सनदी लेखाकार	**मे. गोखले एण्ड साठे** सनदी लेखाकार
For R. K. Deepak & Co. Chartered Accountants	**For B. Gupta & Co.** Chartered Accountants	**For P. Parikh & Associates** Chartered Accountants	**For Jain Chowdhary & Co.** Chartered Accountants	**M/s. Gokhale & Sathe** Chartered Accountants

प्रधान कार्यालय: देना कॉर्पोरेट सेंटर, सी-10, जी ब्लॉक, बांद्रा-कुर्ला कॉम्प्लेक्स, बांद्रा (पूर्व), मुंबई - 400 051.
Head Office: Dena Corporate Centre, C-10, G Block, Bandra-Kurla Complex, Bandra (East), Mumbai - 400 051.

निवेशक संपर्क केन्द्र: देना कार्पोरेट सेंटर, सी-10, जी ब्लॉक, बांद्रा-कुर्ला काम्प्लेक्स, बांद्रा (पूर्व), मुंबई - 400 051.
Investor Relations Centre: Dena Corporate Centre, C-10, G Block, Bandra Kurla Complex, Bandra (E), Mumbai - 400 051.

रजिस्ट्रार एवं शेयर अंतरण एजेंट : शेयरप्रो सर्विसेज (इंडिया) प्रा.लि. यूनिट : देना बैंक, सम्हिता काम्प्लेक्स, दुकान सं. 52 से 56, बिल्डिंग सं. - 13-ए-बी, साकीनाका टेलीफोन एक्सचेंज के पास, अंधेरी-कुर्ला रोड, साकीनाका, मुंबई - 400 072.
Registrars & Share Transfer Agents: Sharepro Services (India) Private Limited Unit: Dena Bank, Samhita Complex, Gala No.-52 to 56, Bldg. No. 13 A-B, Near Sakinaka Telephone Exchange, Andheri-Kurla Road, Sakinaka, Mumbai - 400 072.

स्मरणीय पल

MEMORABLE MOMENTS

स्मरणीय पल - MEMORABLE MOMENTS

श्री डी. एल. रावल, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, श्री प्रणव मुखर्जी, माननीय केंद्रीय वित्त मंत्री, को वर्ष 2008-09 के लिये रु. 17.62 करोड़ का डिविडेंड वारण्ट प्रदान करते हुए. साथ में हैं श्री भास्कर सेन, तत्कालीन कार्यपालक निदेशक.

Shri D.L. Rawal, CMD, handing over the dividend warrant of Rs. 17.62 Crores for the year 2008-09. to Shri Pranab Mukherjee, Hon'ble Union Finance Minister, Seen alongside is Shri Bhaskar Sen, the then E.D.

श्री प्रणव मुखर्जी, माननीय केंद्रीय वित्त मंत्री, रघुनाथगंज में देना बैंक की नई शाखा का उद्घाटन करते हुए. साथ में हैं श्री डी.एल. रावल, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक और श्री ए.के. दत्त, कार्यपालक निदेशक.

Shri Pranab Mukherjee, Hon'ble Union Finance Minister, inaugurating Dena Bank's New Branch at Raghunathganj. Also seen alongside is Shri D.L. Rawal, CMD & Shri A.K. Dutt, E.D

देना बैंक की रघुनाथगंज शाखा के उद्घाटन के अवसर पर, श्री प्रणव मुखर्जी, माननीय केंद्रीय वित्त मंत्री, एक शारीरिक रुप से अक्षम व्यक्ती को ट्रायसाइकिल प्रदान करते हुए.

Shri Pranab Mukherjee, Hon'ble Union Finance Minister, handing over a Tricycle to a physically challenged person during the inauguration of Dena Bank's Raghunathganj Branch.

देना बैंक की रघुनाथगंज शाखा के उद्घाटन समारोह में आमंत्रित अतिथियों की उपस्थिति.

Invitees present at the inauguration of Dena Bank Raghunathganj Branch.

21000512_1_Dena Bank_Ord_AR_2k9-2k10_Cover2-3.indd 2-3
6/11/2010 6:55:59 PM

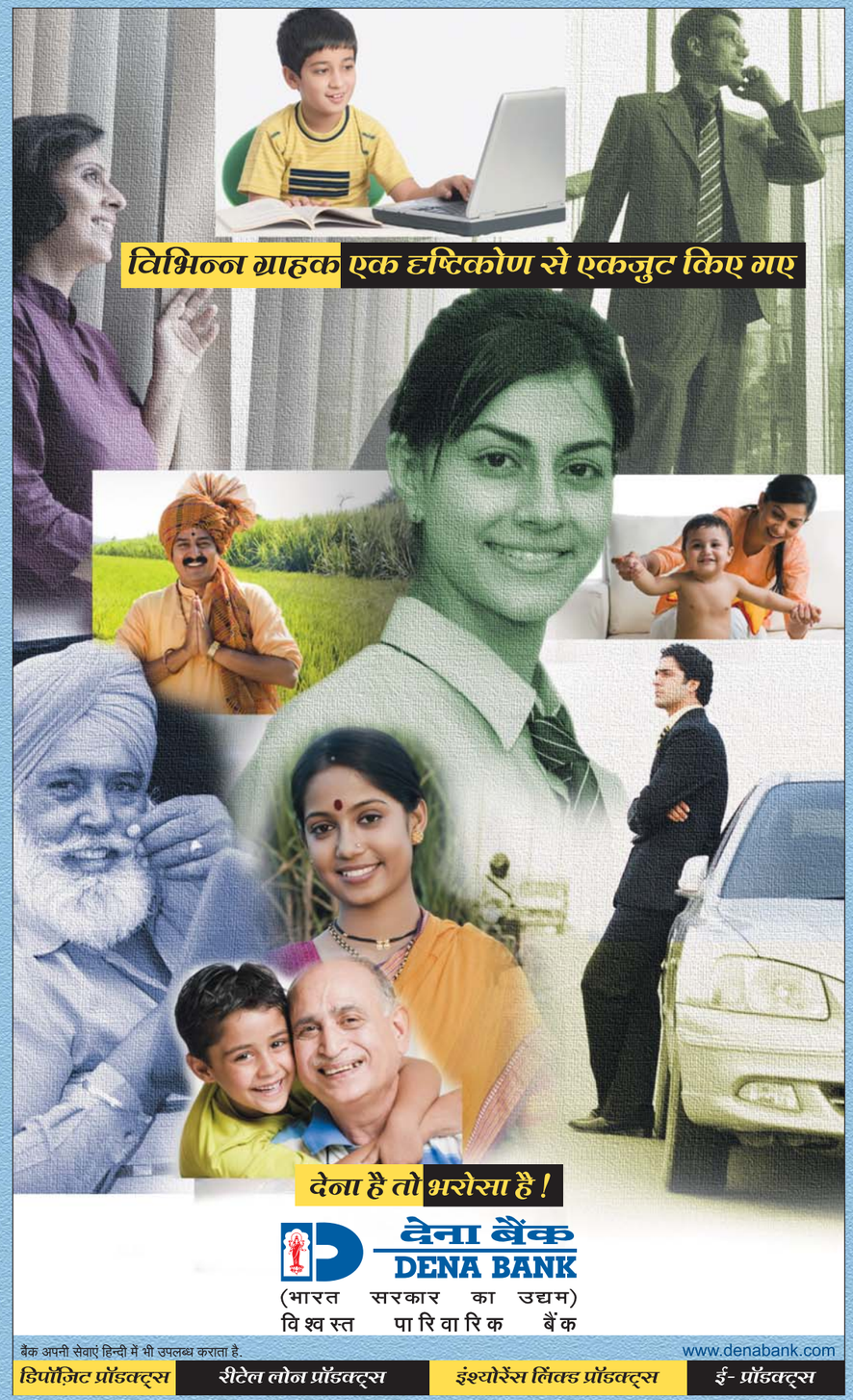

वर्षवार तुलनात्मक कार्य-निष्पादन YEAR WISE COMPARATIVE PERFORMANCE

(रु. करोड़ में) (Rs. in Crores)

कार्य-निष्पादन मानदंड	Performance Parameters	2005-06	2006-07	2007-08	2008-09	**2009-10**
कारोबार माध्यम एवं संसाधन:	***Delivery Channels & Resources:***					
शाखाओं की संख्या	No. of Branches	1122	1135	1160	1184	**1223**
उनमें से कंप्यूटरीकृत शाखाएं	Of Which Computerised Branches	1122	1135	1160	1184	**1223**
उनमें से कोर बैंकिंग सोल्यूशन (सीबीएस) शाखाएँ	Out of Which, Branches with Core Bank.Solu (CBS)	0	13	108	606	**1223**
एटीएम की संख्या	No. of ATMs	240	269	316	387	**396**
कर्मचारियों की संख्या	No. of Employees	10156	10120	9957	9883	**10525**
पूंजी:	***Capital:***					
पूंजी	Capital	286.82	286.82	286.82	286.82	**286.82**
आरक्षितियां (पुनर्मूल्यांकन आरक्षितियों को छोडकर)	Reserves (Excluding Revaluation Reserves)	779	953	1280	1662	**2106.23**
पूंजी पर्याप्तता अनुपात (%)	Capital Adequacy Ratio (%)	10.62	11.52	11.09	12.07	**12.77**
कारोबार मानदंड :	***Business Parameters:***					
कारोबार संमिश्र	Business Mix	38371	46373	57324	72235	**87066**
% वृद्धि	Increase in %	20.05	20.85	23.61	26.01	**20.53**
कुल जमाराशियां	Total Deposit	23623	27689	33943	43051	**51345**
% वृद्धि	Increase in %	13.05	17.22	22.58	26.83	**19.26**
कुल अग्रिम (सकल)	Total Advances (Gross)	14748	18683	23381	29185	**35721**
% वृद्धि	Increase in %	24.3	26.68	25.15	24.82	**22.40**
ऋण एवं अग्रिम (निवल)	Loans & Advances (Net)	14231	18303	23024	28878	**35462**
% वृद्धि	Increase in %	25.84	28.61	25.79	25.42	**22.80**
विनिधान (निवल)	Investments (Net)	8571	9325	10335	12473	**15694**
% वृद्धि	Increase in %	-11.61	8.80	10.83	21.29	**25.82**
प्राथमिकता क्षेटत्र को अग्रिम	Advances to Priority Sector	6074	7629	8096	9715	**11718**
% के रुप में प्राथमिकता क्षेत्र अग्रिम	Priority Sector Advances in % terms	42.20	42.03	43.32	41.55	**40.15**
कृषि	Agriculture	2363	3344	2794	3851	**4826**
% वृद्धि	Increase in %	35.10	41.51	-16.45	37.83	**25.32**
रिटेल	Retail	2249	3419	4294	4424	**5380**
% वृद्धि	Increase in %	52.27	52.02	25.59	3.03	**21.61**
सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम (एमएसएमई)	Micro, Small and Medium Enterprises (MSME)	1321	3158	3885	4775	**5647**

वर्षवार तुलनात्मक कार्य-निष्पादन YEAR WISE COMPARATIVE PERFORMANCE

(रु. करोड़ में) (Rs. in Crores)

कार्य-निष्पादन मानदंड	Performance Parameters	2005-06	2006-07	2007-08	2008-09	**2009-10**
% वृद्धि	Increase in %	5.09	139	23.02	22.90	**18.26**
वित्तीय स्थिति:	***Financials:***					
परिचालनगत लाभ	Operating Profit	620.32	635.37	656.44	726.36	**840.58**
निवल लाभ	Net Profit	72.99	201.56	359.79	422.66	**511.25**
ब्याज आय	Interest Income	1760	2088	2676	3447	**4010**
ब्याज व्यय	Interest Expense	1037	1263	1817	2383	**2910**
ब्याजितर आय	Non Interest Income	459	422	478	430	**589**
कुल आय	Total Income	2219	2510	3154	3878	**4599**
कुल व्यय	Total Expenses	1599	1875	2468	3151	**3758**
निवल ब्याज मार्जिन	Net Interest Margin	2.95	3.00	2.67	2.91	**2.61**
जमाराशि लागत	Cost of Deposit	4.58	4.89	5.90	6.36	**6.21**
निधि लागत	Cost of Fund	4.66	5.19	5.95	6.47	**6.31**
अग्रिमों पर आय	Yield on Advances	7.80	8.66	10.11	10.71	**10.32**
निधियों पर आय	Yield on Funds	7.46	7.84	8.22	8.76	**8.52**
आस्तियों पर प्रतिफल	Return on Assets	0.29	0.71	1.06	1.02	**1.01**
ईक्विटी पर प्रतिफल	Return on Equity	9.02	20.83	27.12	24.05	**23.55**
प्रति शेयर अर्जन	Earning per share	2.54	7.03	12.54	14.74	**17.83**
आस्ति गुणवत्ता अनुपात:	***Asset Quality Ratios:***					
सकल एन.पी.ए.	Gross NPA	949.40	744.48	572.60	620.77	**641.99**
सकल अग्रिमों की तुलना में सकल एन.पी.ए. अनुपात %	Gross NPA to Gross Advances Ratio %	6.44	3.98	2.45	2.13	**1.80**
निवल एन.पी.ए.	Net NPA	432.85	364.8	215.43	313.38	**427.53**
निवल अग्रिमों की तुलना में निवल एन.पी.ए. अनुपात %	Net NPA to Net Advances Ratio %	3.04	1.99	0.94	1.09	**1.21**
एन.पी.ए. प्रावधान कवरेज	NPA Provision Coverage	52.61	50.05	60.70	48.27	**78.61**
उत्पादकता अनुपात:	***Productivity Ratios:***					
प्रति कर्मचारी कारोबार	Per Employee Business	3.64	4.58	5.76	7.31	**8.27**
प्रति शाखा कारोबार	Per Branch Business	36.11	44.76	54.03	66.45	**71.21**

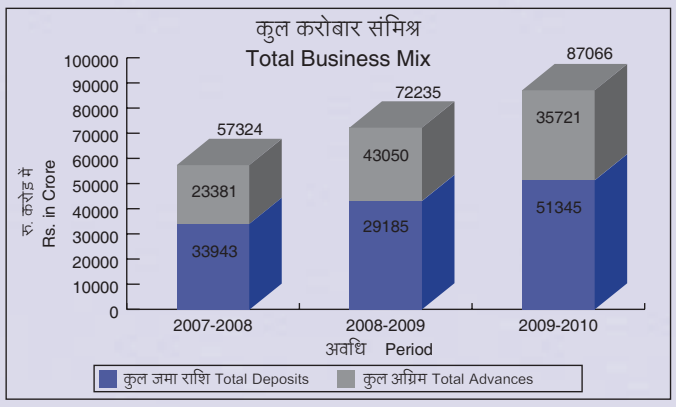
कुल करोबार संमिश्र
Total Business Mix
रु. करोड में
Rs. in Crore
100000
90000
80000
70000
60000
50000
40000
30000
20000
10000
0
57324
23381
33943
72235
43050
29185
87066
35721
51345
2007-2008
2008-2009
2009-2010
अवधि Period
कुल जमा राशि Total Deposits
कुल अग्रिम Total Advances

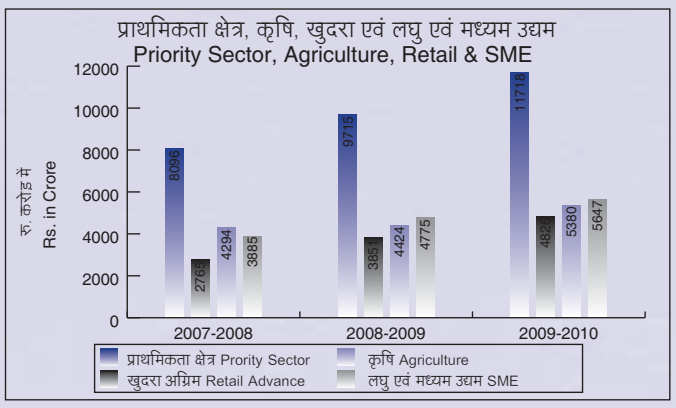
प्राथमिकता क्षेत्र, कृषि, खुदरा एवं लघु एवं मध्यम उद्यम
Priority Sector, Agriculture, Retail & SME
रु. करोड में
Rs. in Crore
12000
10000
8000
6000
4000
2000
0
8096
2768
4294
3885
9715
3851
4424
4775
11718
4823
5380
5647
2007-2008
2008-2009
2009-2010
प्राथमिकता क्षेत्र Prority Sector
कृषि Agriculture
खुदरा अग्रिम Retail Advance
लघु एवं मध्यम उद्यम SME

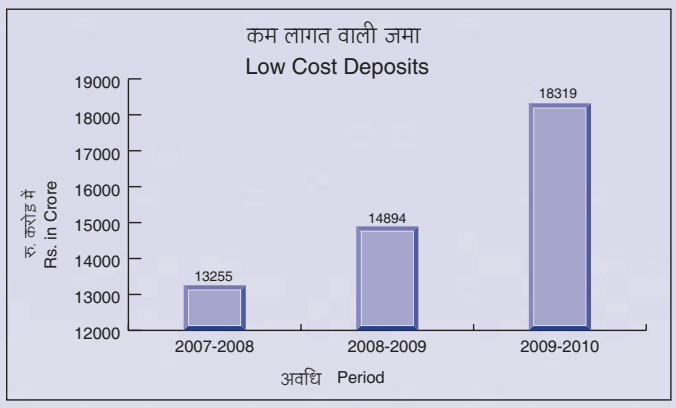
कम लागत वाली जमा
Low Cost Deposits
रु. करोड में
Rs. in Crore
19000
18000
17000
16000
15000
14000
13000
12000
13255
14894
18319
2007-2008
2008-2009
2009-2010
अवधि Period

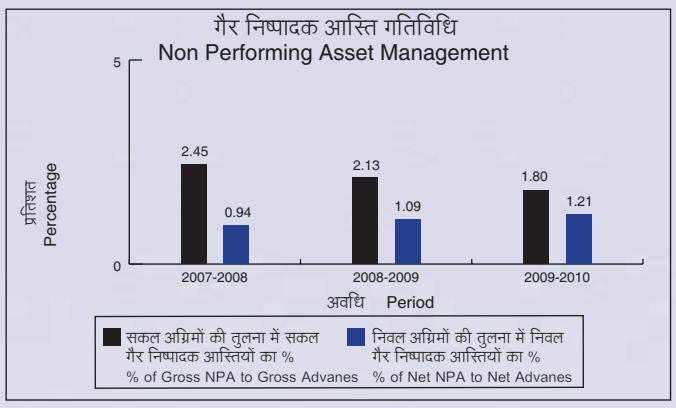
गैर निष्पादक आस्ति गतिविधि
Non Performing Asset Management
प्रतिशत
Percentage
5
0
2.45
0.94
2.13
1.09
1.80
1.21
2007-2008
2008-2009
2009-2010
अवधि Period
सकल अग्रिमों की तुलना में सकल गैर निष्पादक आस्तियों का %
% of Gross NPA to Gross Advanes
निवल अग्रिमों की तुलना में निवल गैर निष्पादक आस्तियों का %
% of Net NPA to Net Advanes

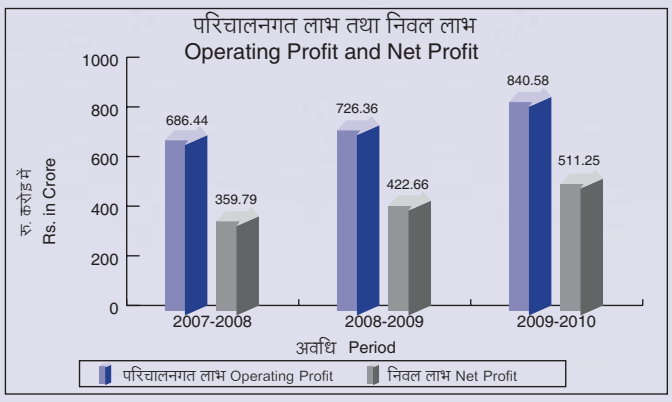
परिचालनगत लाभ तथा निवल लाभ
Operating Profit and Net Profit
रु. करोड में
Rs. in Crore
1000
800
600
400
200
0
686.44
359.79
726.36
422.66
840.58
511.25
2007-2008
2008-2009
2009-2010
अवधि Period
परिचालनगत लाभ Operating Profit
निवल लाभ Net Profit

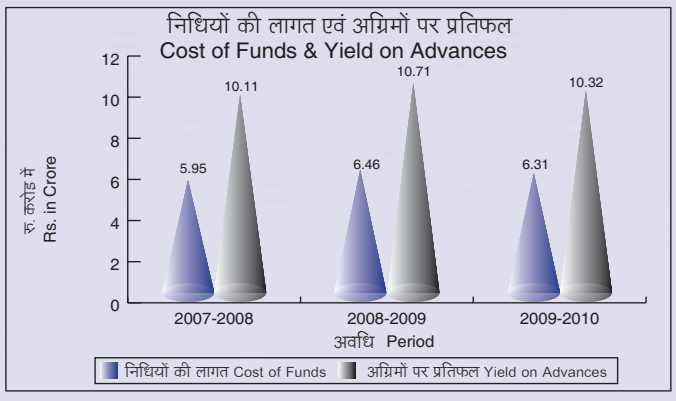
निधियों की लागत एवं अग्रिमों पर प्रतिफल
Cost of Funds & Yield on Advances
रु. करोड में
Rs. in Crore
12
10
8
6
4
2
0
5.95
10.11
6.46
10.71
6.31
10.32
2007-2008
2008-2009
2009-2010
अवधि Period
निधियों की लागत Cost of Funds
अग्रिमों पर प्रतिफल Yield on Advances

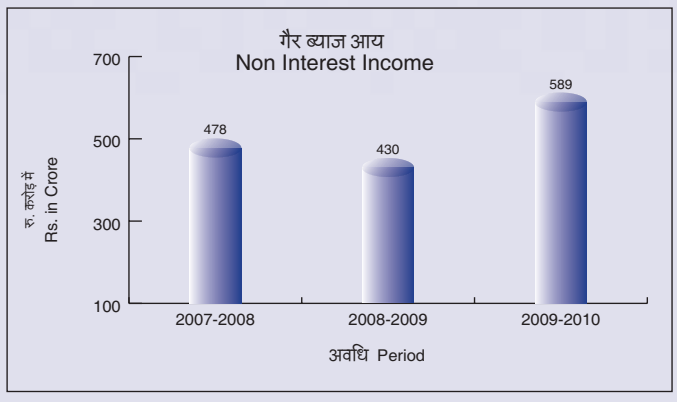
गैर ब्याज आय
Non Interest Income
रु. करोड में
Rs. in Crore
700
500
300
100
478
430
589
2007-2008
2008-2009
2009-2010
अवधि Period

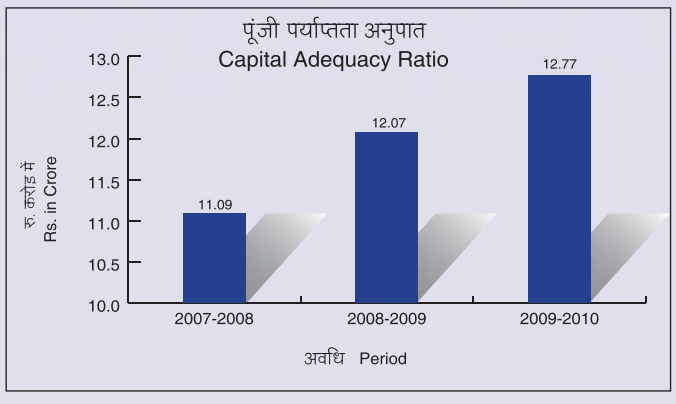
पूंजी पर्याप्तता अनुपात
Capital Adequacy Ratio
रु. करोड में
Rs. in Crore
13.0
12.5
12.0
11.5
11.0
10.5
10.0
11.09
12.07
12.77
2007-2008
2008-2009
2009-2010
अवधि Period

सूचना NOTICE

प्रधान कार्यालय : देना कार्पोरेट सेंटर, सी-10, जी ब्लॉक, बांद्रा-कुर्ला कॉम्प्लेक्स, बांद्रा (पूर्व), मुंबई - 400 051.

Head Office: Dena Corporate Centre, C-10, G Block, Bandra-Kurla Complex, Bandra (East), Mumbai - 400 051.

सूचना

एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि देना बैंक के शेयर धारकों की **चौदहवीं वार्षिक** सामान्य सभा शुक्रवार, 16 जुलाई, 2010 को अपराहन 3.00 बजे सभागृह सर सोराबजी पोचखानावाला, बैंकर्स प्रशिक्षण महाविद्यालय, जे.वी.पी.डी. स्कीम, विले पार्ले (पश्चिम) मुंबई - 400 056. में निम्नांकित कार्यो को संपादित करने हेतु आयोजित होगी.

मद सं. 1

31 मार्च, 2010 के तुलन पत्र और उसी तारीख को समाप्त वर्ष के लाभ एवं हानि लेखों, बैंक के काम काज एवं गतिविधियों पर निदेशक मण्डल की रिपोर्ट तथा तुलन पत्र और लेखा पर लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट पर विचार-विमर्श, अनुमोदन एवं अंगीकार करना.

मद सं. 2

वित्तीय वर्ष 2009-10 के लिए ईक्विटी शेयरों पर लाभांश घोषित करना.

निदेशक मण्डल के आदेशानुसार

(डी.एल.रावल)
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

स्थान: मुंबई
दिनांक: 5 जून, 2010

टिप्पणियाँ :

1. मुख्तारी की नियुक्ति

सभा में उपस्थित रहने और मतदान करने का / के पात्र शेयरधारक अपने स्थान पर सभा में किसी अन्य को उपस्थित रहने तथा मतदान करने के लिए प्रतिनिधि नियुक्त करने का पात्र होगा / होगी. प्रतिनिधत्व प्रभावी हो, इस दृष्टि से प्रतिनिधि नियुक्त करने के पात्र अर्थात मुख्तारी फार्म में सूचना चौदहवीं वार्षिक सामान्य सभा की तारीख से कम से कम चार दिन पूर्व अर्थात शनिवार 10 जुलाई, 2010 को काम-काज का समय समाप्त होने के समय या उससे पूर्व बैंक को विनिर्दिष्ट स्थल पर अवश्य प्राप्त हो जानी चाहिए.

2. प्राधिकृत प्रतिनिधि की नियुक्ति

ऐसी कोई कम्पनी निगमित निकाय, जो बैंक की शेयरधारक हो, के विधिवत प्राधिकृत प्रतिनिधि के रूप में कोई भी ऐसा व्यक्ति सभा में उपस्थित रहने या मतदान करने का तब तक पात्र नहीं होगा जब तक कि उसे विधिवत प्राधिकृत प्रतिनिधि के रूप में नियुक्ति विषयक संकल्प, जिस सभा में वह पारित हुआ था, उसके सभापति द्वारा सत्यापित किया हुआ, की प्रतिलिपि चौदहवी वार्षिक सामान्य सभा की तिथि से कम से चार दिन पहले अर्थात शनिवार 10 जुलाई, 2010 को कामकाज का समय समाप्त होने से पूर्व कम्पनी सचिव, देना बैंक, प्रधान कार्यालय, देना कार्पोरेट सेंटर, तीसरी मंजिल, सी-10, जी ब्लॉक, बांद्रा-कुर्ला कॉम्प्लेक्स, बांद्रा (पूर्व), मुंबई 400 051 के पास जमा करा दी जाए.

3. उपस्थिति-सह-प्रवेश पर्ची

शेयरधारकों की सुविधा के लिए उपस्थिति-सह-प्रवेश पर्ची इस रिपोर्ट के साथ संलग्न हैं. शेयरधारकों/मुख्तारनामा धारकों/प्राधिकृत प्रतिनिधियों से

NOTICE

NOTICE is hereby given that the **Fourteenth Annual** General Meeting of the Shareholders of Dena Bank will be held on Friday, 16th July, 2010 at 3.00 p.m. at Auditorium, Sir Sorabji Pochkhanawala Bankers' Training College, J.V.P.D. Scheme, Vile Parle (West), Mumbai - 400 056 to transact the following business:

Item No. 1

"To discuss, approve and adopt the Balance Sheet as at 31st March, 2010 and the Profit and Loss Account for the year ended on that date, the report of the Board of Directors on the working and activities of the Bank for the period covered by the Accounts and the Auditors' Report on the Balance Sheet and Accounts."

Item No. 2

"To declare dividend on Equity Shares for the financial year 2009-2010."

By Order of the Board of Directors

(D. L. Rawal)
Chairman & Managing Director

Place: Mumbai
Date : 5th June, 2010

NOTES :

1. APPOINTMENT OF PROXY

A SHAREHOLDER ENTITLED TO ATTEND AND VOTE AT THE MEETING IS ENTITLED TO APPOINT A PROXY TO ATTEND AND VOTE INSTEAD OF HIMSELF/ HERSELF. The proxy, in order to be effective must be received by the Bank at the place specified in the proxy form, not later than FOUR DAYS before the date of the Fourteenth Annual General Meeting i.e. on or before the close of office hours on Saturday, 10th July, 2010.

2. APPOINTMENT OF AN AUTHORISED REPRESENTATIVE

No person shall be entitled to attend or vote at the meeting as a duly authorised representative of a company or any body corporate which is a shareholder of the Bank, unless a copy of the resolution appointing him/her as a duly authorised representative, certified to be true copy by the Chairman of the meeting at which it was passed shall have been deposited with the Company Secretary, Dena Bank & Investor Relation Centre, Dena Corporate Centre, 3rd Floor, C-10, G-Block, Bandra-Kurla Complex, Bandra (East), Mumbai 400 051 not later than FOUR days before the date of the Fourteenth Annual General Meeting i.e. on or before the close of office hours on Saturday, 10th July, 2010.

3. ATTENDANCE SLIP-CUM-ENTRY PASS

For the convenience of the shareholders, Attendance Slip-cum-Entry-Pass is annexed to this report. Shareholders / Proxy

सूचना NOTICE

अनुरोध है कि वे उसमें दिए गए स्थान पर अपने हस्ताक्षर करके उसे सभा स्थल पर प्रस्तुत करें. शेयरधारक के प्राधिकृत प्रतिनिधि/मुख्तारी उपस्थिति-सह-प्रवेश पर्ची में मुख्तारी या प्राधिकृत प्रतिनिधि, जैसी भी स्थिति हो, का उल्लेख करें.

4. बही बन्द रखना

बैंक का शेयरधारकों का रजिस्टर और शेयर अन्तरण रजिस्टर वार्षिक सामान्य सभा और लाभांश की पात्रता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से शुक्रवार, 9 जुलाई, 2010 से शुक्रवार, 16 जुलाई, 2010 (दोनों दिन शामिल) तक बन्द रहेगें.

5. लाभांश का भुगतान

निदेशक मंडल द्वारा प्रस्तावित लाभांश का भुगतान उन शेयरधारकों को किया जाएगा जिनके पास शेयर कागजी रूप में मौजूद हैं और जिनका नाम 16 जुलाई, 2010 को बैंक के शेयरधारकों के रजिस्टर में दर्ज है, तथा ऐसे शेयरधारक जिनके पास शेयर बेकागजीकृत रूप में हैं उन्हें लाभांश का भुगतान, डिपॉजिटरी द्वारा 8 जुलाई, 2010 को कामकाज समाप्ति के समय उपलब्ध लाभार्थ स्वामित्व के विवरणों यथा बैंक खाते एवं पते के विवरण के आधार पर किया जाएगा तथा लाभांश वारंट वार्षिक साधारण सभा की तारीख के 30 दिनों के भीतर प्रेषित/जमा कर दिए जाएंगे.

6. अंतरण

कागजी रूप में धारित शेयर प्रमाण पत्रों को अंतरण विलेख सहित बैंक के पंजीयक एवं अंतरण एजेन्ट को भेजा जाना चाहिए.

7. राष्ट्रीय इलेक्ट्रानिक समाशोधन सेवा (एन ई सी एस) तथा लाभांश भुगतान के लिए बैंक का अधिदेश

क) भा.रि.बैं. की अधिसूचना के अनुसार, 1 अक्तूबर, 2009 से ईसीएस के माध्यम से धन प्रेषण को राष्ट्रीय इलेक्ट्रानिक समाशोधन सेवा (एन ई सी एस) ने प्रतिस्थापित किया है तथा बैंकों को अनुदेश दिये गये हैं कि वे तुरंत प्रभाव से एनईसीएस प्लेटफार्म पर चलें. एनईसीएस मूल रूप से कोर बैंकिंग समाधान (सी बी एस) कार्यान्वयन के बाद बैंकों द्वारा आबंटित नये एवं पृथक् बैंक खाता संख्या पर कार्य करता है. बैंक भौतिक रूप एवं इलेक्ट्रानिक रूप में शेयर रखनेवाले शेयरधारकों को लाभांश भुगतान हेतु एनईसीएस सुविधा प्रदान कर रहा है. भौतिक रूप में शेयर रखनेवाले शेयरधारक 9.07.2010 से पहले फोलियो संख्या देते हुए नीचे दिये गये पते पर पंजीकार एवं अंतरण एजेंटों को संबंधित खाते से संबंधित चेक की फोटो प्रतिलिपि के साथ उनके बैंक द्वारा प्रदान की गयी खाता संख्या सूचित कर सकते हैं. इलेक्ट्रानिक रूप में शेयर रखनेवाले शेयरधारक 9 जुलाई, 2010 से पहले संबंधित खाते से संबंधित चेक की फोटो प्रतिलिपि के साथ नयी बैंक खाता संख्या उनके डिपॉजिटरी सहभागी (डी पी) को सूचित करें जहां उनका डीमेट खाता है.

ख) शेयरधारक जिनके बैंक खाते गैर सीबीएस बैंक शाखाओं में हैं, एनईसीएस के अंतर्गत नहीं आयेंगे तथा लाभांश वारंटों के माध्यम से उनको लाभांश का भुगतान किया जाएगा. इन शेयरधारकों को अपनी बैंक खाता संख्या, बैंक एवं शाखा का नाम सूचित करना होगा जहां वे नकदीकरण हेतु लाभांश वारंट जमा करना चाहते हैं. लाभांश वारंट के चेक भाग पर शेयरधारकों के नाम के अलावा ये विवरण मुद्रित रहेंगे ताकि वारंटों का कपटपूर्ण नकदीकरण से बच सकें. उपर्युक्त विवरण प्रथम/एकल शेयरधारक द्वारा निम्नलिखित पते पर 09.07.2010 से पहले फोलियो संख्या सूचित करते हुए पंजीकार एवं अंतरण एजेंट को प्रस्तुत करना चाहिए.

holders/ Authorised Representatives are requested to affix their signatures at the space provided therein and surrender the same at the venue. Proxy/Authorised Representative of the shareholder should state on the Attendance slip-cum-entry pass as 'Proxy' or 'Authorised Representative' as the case may be.

4. BOOK CLOSURE

The Register of the Shareholders and the Share Transfer Register of the Bank will remain closed from Friday, July 9, 2010 to Friday, July 16, 2010 (both days inclusive), for the purpose of Annual General Meeting and for ascertaining the entitlement of dividend.

5. PAYMENT OF DIVIDEND

Payment of dividend to shareholders as proposed by the Board of Directors shall be paid to those shareholders holding shares in physical form, whose names appear on the Register of Shareholders of the Bank as on 16th July, 2010 and in respect of shares held in dematerialised form, the dividend will be paid on the basis of beneficial ownership details and address, Bank Account etc. as per details to be furnished by the depositories as at the end of business on 8th July, 2010 and the dividend warrants shall be mailed / credited within 30 days from the date of Annual General Meeting.

6. TRANSFERS

Share Certificates in case of physical holding along with transfer deeds should be forwarded to the Registrar & Transfer Agent of the Bank.

7. BANK MANDATE FOR DIVIDEND OR NATIONAL ELECTRONIC CLEARING SERVICE (NECS)

a) As per RBI notification, with effect from October 1, 2009, the remittance of money through ECS is replaced by National Electronic Clearing Service (NECS) and banks have been instructed to move to the NECS platform with immediate effect. NECS essentially operates on the new and unique bank account number allotted by banks post implementation of Core Banking Solutions (CBS). The Bank is offering the facility of NECS for shareholders holding shares in physical form as well as electronic form. Shareholders holding the shares in Physical form can furnish the unique account no. provided by their Bank's along with a photo copy of a cheque pertaining to the concerned account, to the Registrar & Transfer Agents quoting the folio number before 09.07.2010. The shareholders holding shares in electronic form are requested to furnish the new Bank Account Number,along with a photo copy of a cheque pertaining to the concerned account, to your Depository Participant (DP) where they are holding Demat Account well before 9th July, 2010.

b) The shareholders having Bank Accounts in non CBS Bank Branches will not be covered under NECS and will be paid Dividend by way of Dividend warrants. These shareholders are required to furnish their Bank Account number, the name of the Bank and the Branch where they would like to deposit the Dividend warrants for encashment. These particulars will be printed on the cheque portion of Dividend warrants, besides the name of the shareholders so as to avoid fraudulent encashment of warrants. The above-mentioned details should be furnished by the first/sole shareholder directly to the Registrar & Transfer Agent, quoting the folio number before 09.07.2010.

सूचना NOTICE

8. दावा न किए गए लाभांश, यदि कोई हो तो

ऐसे शेयरधारकों जिन्होंने वित्तीय वर्ष 1996-97, 1997-98, 1998-99, 1999-2000, 2006-07, 2007-08 तथा 2008-09 हेतु लाभांश वारंट का नकदीकरण नही किया है / लाभांश प्राप्त नहीं किया है, उनसे निवेदन है कि वे डुप्लीकेट लाभांश वारंट जारी करने हेतु बैंक के रजिस्ट्रार एवं शेयर अंतरण एजेन्ट से संपर्क करें.

बैंकिंग कम्पनी (उपक्रमों का अधिग्रहण एवं अंतरण) अधिनियम 1970 में जोड़ी गई नई धारा 10बी के अनुसार यदि अदत्त लाभांश खाते में अंतरण के सात वर्षों तक लाभांश की राशि अदत्त रहती है या उसके लिए कोई दावा नहीं किया जाता तो उसे कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 205 सी के तहत भारत सरकार द्वारा स्थापित निवेशक शिक्षण एवं सुरक्षा फंड (आई ई पी एफ) में अंतरित कर दिया जाएगा, और उसके संबंध में बैंक या आई ई पी एफ के समक्ष किसी दावे को स्वीकार नहीं किया जाएगा.

9. पते में परिवर्तन

ऐसे शेयरधारक जिनकी शेयर धारिता इलेक्ट्रानिक रूप में हैं उनसे अनुरोध है कि उनके पंजीकृत पते में, यदि कोई परिवर्तन हुआ है तो उसकी सूचना अपने डिपाजिटरी को दें न कि रजिस्ट्रार तथा बैंक के शेयर हस्तांतरण एजेण्टों को और ऐसे शेयर धारक, जिनकी शेयर धारिता भौतिक रूप में है, से अनुरोध है कि वे उनके पंजीकृत पते में यदि कोई परिवर्तन हो तो उसकी सूचना निम्नलिखित पते पर रजिस्ट्रार तथा बैंक के शेयर हस्तांतरण एजेण्टों को दें.

शेयरप्रो सर्विसेज (इंडिया) प्रा. लि.

यूनिट : देना बैंक

13 ए/बी सम्हिता कॉम्प्लेक्स, गाला सं. 52 से 56

साकीनाका टेलिफोन एक्सचेंज, अंधेरी-कुर्ला रोड,

साकी नाका, मुंबई - 400 072.

निदेशक मंडल के आदेशानुसार

स्थान: मुंबई
दिनांक: 5 जून, 2010

(डी.एल. रावल)
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

8. UNCLAIMED DIVIDEND, IF ANY

The shareholders who have not encashed their Dividend Warrants / received dividend for the financial year 1996-97, 1997-98, 1998-99, 1999-2000, 2006-07, 2007-08 and 2008-09 are requested to contact the Registrar and Share Transfer Agent of the Bank for issue of the duplicate dividend warrant.

As per the newly inserted Section 10B of the Banking Companies (Acquisitions and Transfer of Undertakings) Act, 1970, the amount of dividend remaining unpaid or unclaimed for a period of seven years from the date of transfer to the Unpaid Dividend Account is required to be transferred to the Investor Education and Protection Fund (IEPF) established by the Central Govt. under Section 205C of the Companies Act, 1956 and thereafter no claim for payment shall lie in respect thereof either to the Bank or to the IEPF.

9. CHANGE OF ADDRESS

Shareholders whose holding are in Electronic form are requested to intimate changes, if any, in their registered address to their Depository and not to the Registrar & Share Transfer Agents and Shareholders who are holding the shares in Physical form are requested to intimate changes, if any, in their registered address, to the Registrar and Share Transfer Agents of the Bank at the following address:

Sharepro Services (India) Private Limited

Unit: Dena Bank,

13 A/B Samhita Complex, Gala No. 52 to 56,

Near Saki Naka Telephone Exchange, Andheri-Kurla Road,

Saki Naka, Mumbai - 400 072.

By Order of the Board of Directors

Place: Mumbai
Date: 5th June, 2010

(D. L. Rawal)
Chairman & Managing Director

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक का वक्तव्य CHAIRMAN & MANAGING DIRECTOR'S STATEMENT

प्रिय शेयरधारको,

मुझे 31 मार्च, 2010 का तुलन-पत्र तथा 31 मार्च, 2010 को समाप्त वर्ष के लिए लाभ एवं हानि लेखों के साथ बैंक की वार्षिक रिपोर्ट आपको प्रस्तुत करते हुए प्रसन्न्ता हो रही है.

पृष्ठभूमि

वर्ष 2009-10 भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए सामान्यत: पुनरुत्थान का वर्ष रहा. उच्च स्तरीय लोच दर्शाते हुए, भारतीय अर्थव्यवस्था पिछले वित्त वर्ष की मंदी से उभरी और अभी भी मंदी की स्थिति में रहनेवाली अंतर्राष्ट्रीय प्रवृत्ति के विरुद्ध आगे बढी. वित्तीय एवं मौद्रिक दोनों ही नियामकों ने सकारात्मक रवैया अपनाया और अर्थव्यवस्था की मंदी समाप्त हुई तथा अर्थव्यवस्था पुन: विकास के पथ पर अग्रसर हो गयी. यद्यपि वर्ष 2009-10 में मानसून कम हुआ और कृषि क्षेत्र पर उसका विपरीत प्रभाव पडा, फिर भी भारतीय अर्थव्यवस्था ने प्रगति की गति पकड़ी जिससे 2009-10 के दौरान 7.2% वृद्धि दर का आकलन किया गया जबकि 2008-09 में वह वृद्धि दर 6.7% थी. वर्ष के दौरान प्राप्त वृद्धि दर से, मंदी की अवधि के दौरान सरकार द्वारा घोषित राहत पैकेज समाप्त करने के बारे में चर्चा हुई.

अर्थव्यवस्था में विकास की पुन:प्राप्ति से मुद्रास्फीति बढी. मुद्रास्फीति आरंभ में खाद्यान्नों तथा अन्य कृषि उत्पादों में आपूर्ति में विलंब के कारण आरंभ हुई और धीरे-धीरे अन्य क्षेत्रों में भी फैल गयी. अंतर्राष्ट्रीय तेल की कीमतों में निरंतर घटबढ़ मुद्रास्फीति के लिए अनुकूल नहीं है.

बैंकिंग क्षेत्र

वर्ष के दौरान बैंकिंग उद्योग सहित देश की वित्तीय प्रणाली ने अनुशासित रूप में कार्य किया. सरकारी क्षेत्र के बैंकों के लिए मध्यम अवधि की संभावित आस्तियों के वित्तीयन के लिए पूंजी आधार मजबूत करना प्रमुख विषय बना रहा. वर्ष के दौरान सरकारी क्षेत्र के तीन बैंकों ने पूंजी सहायता प्राप्त की और 2010-11 के दौरान कई बैंक ऐसी सहायता प्राप्त करने की अपेक्षा रखते हैं. आपके बैंक ने भी अगले तीन वर्ष के दौरान चरणबद्ध रूप में पूंजी के द्वारा रुपये 1300 करोड़ की मांग के लिए भारत सरकार, वित्त मंत्रालय से अनुरोध किया है और वह भारत सरकार के सक्रिय विचाराधीन है.

मार्च 2010 के अंत में अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों की कुल जमा राशियों में 17% की वृद्धि हुई जबकि मार्च 2009 के अंत में वह वृद्धि 18.8% थी. अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के गैर खाद्य ऋण मार्च 2009 के अंत में 17.5% की तुलना में मार्च 2010 के अंत में 16.7% थे. पिछले वर्ष के दौरान बैंकिंग उद्योग के पास अतिरिक्त तरलता बनी रही जो कि एक चिंता का विषय था और उससे संपूर्ण बैंकिंग प्रणाली का लाभ प्रभावित हुआ.

आपके बैंक का निष्पादन

पूरे वर्ष के दौरान बैंक के पास अतिरिक्त तरलता बने रहने के कारण आपके बैंक ने भी निवल ब्याज आय पर दबाव का अनुभव किया. मुझे यह सूचित करते हुए खुशी होती है कि दबाव के बावजूद, बैंक ने अपनी ब्याज दरों और तरलता की स्थिति की निरंतर समीक्षा करके इस चुनौती का सामना किया. बैंक की बेंचमार्क प्रमुख उधार दर (बी.पी.एल.आर.) 12.5% थी, जो कि पूरे वर्ष के दौरान बनी रही और निवल ब्याज आय को प्रभावित होने से रोका जा सका.

मैं कुछ ऐसे क्षेत्रों के बारे में बताना चाहूंगा जिनमें 2009-10 के दौरान आपके बैंक ने अच्छा निष्पादन दर्शाया है.

Dear Shareholders,

I have great pleasure in presenting to you the Annual Report of the Bank along with the Balance Sheet as at 31st March, 2010 and Profit and Loss Account for the year ended 31st March, 2010.

The Backdrop

The year 2009-10 was by and large a year of revival of the Indian economy. Exhibiting a high degree of resilience, the economy overcame the recessionary trends that had characterized the previous fiscal and also swam against the international trends that continued to be recessionary. Both the fiscal and monetary regulators showed optimism that the worst was over and the economy had started its journey back towards growth. Though the year 2009-10 also witnessed deficient monsoon and its adverse impact on agricultural sector, the Indian economy still managed clear momentum in recovery, with the GDP growth for 2009-10 estimated at 7.2%, up from 6.7% recorded in 2008-09. The momentum achieved during the year has led to discussions on 'Exit Policy', the reference to exit being from the financial stimulus packages announced by the Government of India during the period of recession.

Alongside the recovery has risen the specter of inflation. Inflation initially started as a supply side issue mainly in the food grains and other agricultural segments has gradually spread to other sectors as well. Continuing volatility in international oil prices does not augur well for the future in the context of inflation.

Banking Sector

The financial systems in the country including the banking industry have behaved in an orderly manner during the year. As for public sector banks, strengthening the capital base was a major issue to support the anticipated asset growth in the medium term. Three public sector banks received capital support during the year with many more in line to receive such support during 2010-11. Your Bank has also submitted proposal to Government of India , Ministry of Finance requesting for infusion of Rs. 1300 crores by way of Capital in phased manner in next three years, and the same is under active consideration with Government of India .

The growth in aggregate deposits of SCBs was 17% at end-March 2010 as compared to 18.8% as at end-March 2009. Non-food credit by SCBs was moderated to 16.7%, at end-March 2010 in comparison with 17.5% at end March 2009. During the last year, the Banking Industry was having access liquidity, which was a concern and impacted the margins for the banking system as a whole.

Your Bank's Performance

Your Bank also continued to experience pressure on its Net Interest Income, mainly on account of excess liquidity with the Bank through out the year. Despite the pressures, I am happy to inform that the Bank has overcome this challenge by constantly reviewing its interest rates and liquidity position. The Bank's benchmark prime lending rate (BPLR) stood at 12.50% which continued at same level throughout the year and thus contain the impact on NIM.

I would like to touch upon some areas where your Bank has performed well during 2009-10.

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक का वक्तव्य CHAIRMAN & MANAGING DIRECTOR'S STATEMENT

कारोबार वृद्धि और आय अर्जन

बैंक का कुल कारोबार अर्थात् कुल जमाराशियां एवं कुल अग्रिम मार्च 2009 में रु.72236 करोड़ से बढकर मार्च 2010 में 20.52% की वृद्धि दर्ज करते हुए, क्र. 87066 करोड तक पहुंच गये. वर्ष के दौरान कुल जमा राशियां 19.26% की वृद्धि के साथ रु.43051 करोड़ से बढकर, पहली बार रु.50000 करोड की सीमा पार करते हुए, रु.51344 करोड तक पहुंच गईं. वर्ष के दौरान कुल अग्रिम 22.39% वृद्धि के साथ रु.29185 करोड़ से बढकर रु.35721 करोड़ तक पहुंच गये.

2009-10 के दौरान कुल जमाराशियों में कासा जमाराशियों का अंश बढकर 36.89% हो गया जबकि पिछले वर्ष की इसी अवधि में वह 35.97% था. वित्त वर्ष 2009-10 के दौरान कासा जमाराशियों में 23% की वृद्धि हुई.

वर्ष के दौरान लघु मध्यम उद्यम, रिटेल तथा कृषि क्षेत्रों में जोखिम विभाजन पर बल देते हुए महत्वपूर्ण क्षेत्रों को ऋण विस्तार जारी रहा. मार्च 2010 को रिटेल ऋण 21.61% वृद्धि के साथ रु.5380 करोड़ रहे, एम.एस.एम.ई. ऋण 18 .26% की वृद्धि के साथ रु.5647 करोड़ रहे जबकि कृषि क्षेत्र के ऋण 25.32% की वृद्धि के साथ रु.4826 करोड़ तक पहुंच गये.

वर्ष 2009-10 के लिए बैंक की कुल आय 18.60% वृद्धि के साथ रु.4599 करोड़ तक पहुंच गयी जिसमें रु.4010 करोड़ ब्याज आय तथा रु.589 करोड़ ब्याजेतर आय शामिल है. ब्याज आय में 16.33% की वृद्धि दर्ज हुई.

बट्टे खाते डाले गये खातों में वसूली, सरकारी कारोबार से कमीशन आय तथा तीसरे पक्ष के उत्पादों के वितरण से आय पर ध्यान देने की बैंक की योजना के अच्छे परिणाम रहे, जिससे ब्याजेतर आय में 36.85% वृद्धि हुई. बैंक ने बट्टे खाते डाले गये खातों में वसूली में 25.24% की शानदार वृद्धि दर्ज की है.

मुझे यह घोषणा करते हुए खुशी होती है कि इन प्रयासों से तथा बैंक के सभी कर्मचारियों द्वारा किये गये कठोर प्रयासों से बैंक का निवल लाभ रु.422.66 करोड़ से बढकर वर्ष 2009-10 के दौरान रु.511.25 करोड़ हो गया. वर्ष 2008-09 के दौरान हुई वृद्धि 17.47% की तुलना में इस वर्ष के दौरान यह वृद्धि 20.96% रही. मुझे यह घोषणा करते हुए खुशी होती है कि बैंक के निदेशक मंडल ने पिछले वर्ष के 12% लाभांश के समक्ष 20% के बेहतर लाभांश की संस्तुति की है.

आस्ति गुणवत्ता

ऋणों में जोखिमों के वितरण को ध्यान में रखते हुए बैंक के ऋण और निवेश संविभाग अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों और उद्योगों में विभाजित हैं. आस्तियों के अनर्जक होने की शीघ्र जानकारी प्राप्त करने तथा अपेक्षा के अनुसार सुधार के उपाय करने के लिए एक प्रभावी साख निगरानी प्रणाली कार्यरत है. तथापि, वर्ष के दौरान समग्र आर्थिक वातावरण से अनेक उद्योगों के निष्पादन तथा आर्थिक गतिविधियों पर प्रभाव पड़ा, जिसके फलस्वरूप बैंक की सकल गैर निष्पादक आस्तियां सीमांत वृद्धि के साथ रु.621 करोड़ से बढ़कर रु.642 करोड़ हो गयीं. निवल अग्रिमों के प्रतिशत में बैंक का निवल एन.पी.ए. सीमांत वृद्धि के साथ 1.09% से बढ़कर 1.23% हो गया. भारतीय रिज़र्व बैंक के संशोधित दिशानिर्देशों के अनुसार प्रावधान कवरेज अनुपात 31 मार्च, 2010 को 78.61% था.

नये पूंजी पर्याप्तता मानदंड

आपके बैंक ने 31.03.2009 को नए पूंजी पर्याप्तता मानदंड, जिसे "बेसल II मानदंड"

Business Growth and Earnings

The total business of the Bank i.e. total deposits plus gross advances increased from Rs. 72236 crore in March 2009 to Rs. 87066 crore in March 2010, registering a growth of 20.52%. The total deposits had increased by 19.26% from Rs. 43051 crore to Rs. 51344 crore during the year, crossing the milestone of Rs. 50000 crore for the first time. The total advances increased by 22.39% during the year, up from Rs. 29185 crore to Rs. 35721 crore.

The share of CASA deposits to Aggregate Deposits during 2009-10 increased to 36.89% from 35.97% in the corresponding previous year. CASA Deposits increased by 23% during the Financial Year 2009-10.

The thrust areas for credit expansion, with emphasis on risk dispersal continued to be on SME, retail and agriculture sectors. Retail loans stood at Rs. 5380 crores, up by 21.61%, MSME loans stood at Rs. 5647 crores showing an increase of 18.26% while loans to agriculture sector grew by 25.32% and stood at Rs. 4826 crores as at March 2010.

The total income of the Bank for the year 2009-10 grew by 18.60% to Rs. 4599 crores comprising of Rs. 4010 crores as interest income and Rs. 589 crores as non interest income. Interest income recorded a growth of 16.33%.

The Bank's strategy of concentrating on recoveries in written off accounts, commission income from government business and referral income from distribution of third party products etc. had yielded good results, leading to a growth of 36.85% by way of non interest income. The Bank has registered an impressive growth of 25.24% in recoveries in written-off accounts.

I am privileged to announce that as a result of the above and the strenuous efforts put by all employees of the Bank, the Net Profit of the Bank has increased from Rs. 422.66 crores to Rs. 511.25 crores during the year 2009-10. This represents an increase of 20.96% during the year in comparison to an increase of 17.47% during 2008-09. I am happy to announce that the Board of Directors of the Bank have recommended an enhanced dividend of 20% as against 12% for the previous year.

Asset Quality

Your Bank's credit and investments portfolios are well diversified with a view to scatter the inherent risks involved by spreading the risk over various sectors and industries of the economy. An effective Credit Monitoring System is also in place to identify and track borderline assets early and initiate corrective steps as required. However, the overall economic scenario had affected performance of many industries and economic activities during the year and as result, the Gross Non-performing Assets of the Bank marginally increased from Rs. 621 crore to Rs. 642 crore. Despite this increase, Gross NPA of the Bank as a per cent of Gross Advances came down from 2.13% to 1.80%. Net NPA of the Bank as a per cent of Net Advances marginally increased from 1.09% to 1.23%. The Provision Coverage Ratio as per revised RBI guidelines stood at 78.61% as at 31st March, 2010.

New Capital Adequacy Norms

Your Bank had embraced the New Capital Adequacy frame work

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक का वक्तव्य CHAIRMAN & MANAGING DIRECTOR'S STATEMENT

कहा जाता है, अपना लिए हैं. बेसल II के अंतर्गत बैंक की पूंजी पर्याप्तता 31.03.2009 को 12.07% की तुलना में 31.03.2010 को 12.77% थी.

सतत बढ़ता दायरा

बैंकिंग जैसे सेवा उद्योग में शाखाओं की संख्या विकास निर्धारण का एक प्रमुख मानदंड है. वर्ष के दौरान 39 नयी शाखाओं के खुलने के साथ ही 2009-10 के अंत में बैंक की पारंपरिक शाखाओं की संख्या 1223 थी. समग्र रूप में बैंक ने 24 राज्यों और 4 केंद्र शासित प्रदेशों में अपनी उपस्थिति दर्ज कर दी है. बैंक को 104 शाखाएं खोलने के लाइसेंस प्राप्त हुए, जिनमें से मई 2010 तक बैंक ने 39 शाखाएं खोल दी हैं और शेष शाखाएं जुलाई 2010 के अंत तक खोल दी जाएंगी. बैंक के एटीएमों में 2 बायोमेट्रीक एटीएम भी शामिल हैं, जो कि बैंक की वित्तीय समावेशन योजना का भाग है. 31.03.2010 को बैंक ने 396 एटीएम स्थापित कर दिए थे जिसमें से 295 एटीएम शाखा स्थल पर हैं और 101 एटीएम ग्राहकों की सुविधा के लिए अन्य स्थानों पर स्थित हैं.

मानव संसाधन

मानव संसाधन के माध्यम से ही बैंक ग्राहकों के साथ संपर्क कर सकता है और उद्योग में कठोर प्रतियोगिता के समक्ष, काउंटरों पर कुशल ग्राहक सेवा ही सफलता की कुंजी है. बैंक ने सभी स्तर के कर्मचारियों की क्षमता के उन्नयन पर अपने प्रशिक्षण संस्थानों तथा प्रतिष्ठित बाहरी संस्थानों के माध्यम से प्रशिक्षण कार्यक्रमों, कार्यशालाओं, सेमिनारों आदि के माध्यम से विशेष ध्यान देना जारी रखा. 2009-10 के दौरान बैंक ने 103 नए अधिकारी भर्ती किए, जिनमें विभिन्न विशेषज्ञ श्रेणी के अधिकारी जैसे साख, विदेशी मुद्रा, सूचना तकनीक, विपणन, कार्मिक आदि शामिल हैं. अधिकारियों की गुणात्मक ऋण प्रदान करने की क्षमता में वृद्धि के लिए दो माह का विशेषज्ञ गहन साख प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है और इस क्षेत्र में 133 अधिकारियों को विशेष रूप से प्रशिक्षित किया गया.

वर्ष के दौरान 177 कार्यपालकों / अधिकारियों को विभिन्न कार्यात्मक, प्रबंधकीय, नेतृत्व और मानव संबंध क्षेत्रों में बाहरी प्रशिक्षण के लिए नामित किया गया.

प्रौद्योगिकी द्वारा रूपांतरण

मानव संसाधन के साथ प्रौद्योगिकी कारोबार वृद्धि की प्रमुख अभिप्रेरक है. सभी शाखाओं को कोर बैंकिंग प्लेटफार्म के अंतर्गत लाने के लिए बैंक ने अपनी देना गरिमा परियोजना को सफलता पूर्वक पूर्ण किया है. इसके अतिरिक्त कोर बैंकिंग का पूर्ण उपयोग करने के लिए जनशक्ति का उपयुक्त उपयोग तथा परिचालन लागत को कम करने के लिए कारोबार प्रक्रिया का पुनर्गठन आरंभ किया है.

ग्रामीण पहल तथा वित्तीय समावेशन

2009-10 के दौरान कमजोर वर्गों तथा अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जन जाति को बैंक के ऋण प्रवाह में क्रमश: 40.19% तथा 24.99% की वृद्धि दर्ज हुई. बैंक ने वित्तीय समावेशन तथा अब तक बैंकिंग सुविधाओं से वंचित परिवारों को बैंकिंग सुविधाएं प्रदान करने की प्रक्रिया तेज की है. वर्ष 2009-10 के दौरान बैंक ने 2.06 लाख सादे खाते (देना अल्प बचत खाते) खोले हैं और इसके साथ ही 31.03.2010 को इन खातों की कुल संख्या बढ़कर 5.73 लाख हो गई है. आगे बैंक ने वर्ष के दौरान 2736 भूमिहीन किसान क्रेडिट कार्ड तथा 2542 देना सामान्य क्रेडिट कार्ड जारी किए. वर्ष के दौरान बैंक ने पालनपुर, मेहसाणा, भुज तथा सिलवासा में साख परामर्श केंद्र भी खोले. इन केंद्रों को "देना मित्र" नाम दिया गया है.

more popularly called “Basel – II Norms” as at 31st March, 2009. The Capital Adequacy of the Bank as at 31st March, 2010 stood at 12.77% under Basel – II in comparison to 12.07% as at 31st March, 2009.

Ever expanding Outreach

In a service industry like banking, the number of service outlets is a key parameter that determines growth. The traditional distribution channels of the Bank stood at 1223 as at the end of 2009-10 with the opening of 39 more Branches during the year. In all, the Bank has set its footprint in 24 States and 4 Union territories. The Bank got licenses to open 104 branches out of which till May 2010 Bank has opened 39 Branches and the remaining Branches will be opened by end of July 2010. The Bank’s ATMs include two Bio metric ATMs that form part of the Bank’s strategy for financial inclusion. As at 31st March, 2010, the Bank had an installation base of 396 ATMs comprising of 295 on-site ATMs and 101 Off-site ATMs for the convenience of customers.

Human Resources

Human resources forms your Bank’s interface with its customers and efficient customer service across the counters is the key to succeed against tough competition in the industry. The Bank continued to focus on skill upgradation of employees at all levels through training programmes, workshops, seminars etc., both through the Bank’s training set up and reputed external training set-ups. The Bank also recruited 103 new officers during 2009-10 including various areas of specialization like Credit, Forex, IT, Marketing, Personal etc. For enhancing the lending skills of the officers, a specialized intensive credit training of two months duration is being conducted and 133 officers are specially groomed in this area.

During the year 177 Executives / Officers were deputed for external training program in different functional, managerial, leadership and behavioural areas.

Transformation through Technology

Technology along with Human Resources is the main catalyst for growth. The Bank successfully completed its Dena Garima project for bringing all branches under Core Banking platform. Besides, to harvest the full benefits of core banking, the Bank has also implemented many initiatives for Business Process Reengineering aimed both at optimal utilization of man-power and reducing operational costs.

Rural Initiatives and Financial Inclusion

The Bank’s credit flow to weaker sections and SC/STs had registered growth of 40.19% and 24.99% respectively during 2009-10. The Bank has taken various steps to gear up for financial inclusion and to hasten the process of bringing families into the banking fold, which were hitherto, not availing of banking facilities. During the year 2009-10, the Bank opened 2.06 lacs no frill accounts (Dena Alpa Bachat Khata) and the total number of these accounts stood at 5.73 lacs as on 31st March, 2010. Further, the Bank also issued 2736 Bhoomiheen Kisan Credit Cards and 2542 Dena General Credit Cards during the year. During the year, the Bank has also opened Credit Counseling centers at Palanpur, Mehsana, Bhuj and Silvassa. These centers are christened as Dena Mitras.

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक का वक्तव्य CHAIRMAN & MANAGING DIRECTOR'S STATEMENT

कार्पोरेट सामाजिक जिम्मेदारी

ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान (आरसेटी)

देना बैंक ने ग्रामीण विकास में विभिन्न क्रियाकलापों के लिए रू.50 लाख की आरंभिक पूंजी के साथ एक सोसायटी की स्थापना की है जिसका नाम है देना ग्रामीण विकास संस्थान (डीआरडीएफ). उसके पश्चात् डीआरडीएफ ने गुजरात तथा छत्तीसगढ़ में अपने अग्रणी जिलों में 11 ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान आरसेटी स्थापित किए हैं. इन 11 आरसेटी में से वित्त वर्ष 2009-10 के दौरान 8 आरसेटी ने कार्य करना आरंभ कर दिया है. इन आरसेटी ने 231 प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए और इन कार्यक्रमों में विभिन्न क्रियाकलापों के लिए 6063 युवकों को प्रशिक्षण प्रदान किया गया.

बैंक ने गुजरात तथा छत्तीसगढ़ राज्य में अपने अग्रणी जिलों में देना आरसेटी के परिचालन तथा रख-रखाव के लिए वर्ष के दौरान रू.100 लाख की पूंजी का और अंशदान किया है.

बालिकाओं की शिक्षा का प्रायोजन

कार्पोरेट सामाजिक जिम्मेदारी के भाग के रूप में बैंक ने देना लक्ष्मी शिक्षा प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत बैंक के सेवा क्षेत्र के गांवों में बालिकाओं की शिक्षा का प्रायोजन किया है. इस योजना के अंतर्गत बैंक के कमान क्षेत्र के गांवों में प्रत्येक स्कूल से 7वीं कक्षा में प्रथम एवं द्वितीय स्थान प्राप्त करनेवाली गरीबी रेखा से नीचे की छात्राओं को बैंक प्रतिवर्ष क्रमश: रू.2000/- और रू.1500/- की छात्रवृत्ति प्रदान करता है. बैंक ने अब तक इस योजना के अंतर्गत 1856 बालिकाओं को छात्रवृत्ति प्रदान की है.

भावी योजनाएं

2010-11 के दौरान अर्थव्यवस्था में तेजी बनी रहेगी जिसके साथ ऋणों में वृद्धि होगी. वित्तीय समावेशन मुख्य कार्यक्रम रहेगा, जिस पर सरकार की वरीयताओं के अनुसार कार्य करना होगा. बुनियादी सुविधा वाले क्षेत्र से बढ़ती ऋण की मांग के कारण आस्ति देयता विसंगति पर ध्यान देना होगा. 01.07.2010 से बी पी एल आर प्रणाली से आधार दर प्रणाली में परिवर्तन करना एक प्रमुख चुनौती रहेगी और इन सबसे बढ़कर, उद्योग में बढ़ती प्रतियोगिता के कारण नए ग्राहक प्राप्त करना और पुराने ग्राहकों को अपने साथ बनाए रखना एक बड़ी चुनौती वाला कार्य रहेगा. यह चुनौतियां 2010-11 के दौरान और उसके आगे का रास्ता तय करेंगी.

बैंक ने स्वयं को इन चुनौतियों के लिए तैयार किया है और पिछले वर्ष की तरह ही सुनियोजित दृष्टिकोण अपनाएगा. आप इस बात से सहमत होंगे की पिछले वर्ष बैंक की कार्यप्रणाली के अच्छे परिणाम मिले हैं और मुझे विश्वास है कि हम नई चुनौतियों का भी सामना कर पाएंगे.

समग्र रूप में वर्तमान वर्ष के दौरान भी लघु मध्यम उद्यम, रिटेल तथा कृषि क्षेत्रों पर विशेष ध्यान दिया जाएगा. कासा जमाओं के स्तर में वृद्धि ब्याजेतर आय में वृद्धि, बट्टे खाते डाले गए खातों में आक्रामक वसूली प्रयास, किसी एक क्षेत्र में जोखिम एकत्र होने से रोकने पर विशेष ध्यान देते हुए आस्ति गुणवत्ता में सुधार आदि बैंक की कार्ययोजना के महत्त्वपूर्ण भाग हैं. एक क्षेत्र जिसमें बैंक विशेष ध्यान देना चाहेगा, वह है शुल्क आधारित आय, कमीशन आदि उत्पन्न करनेवाले बैंक के अपने उत्पादों तथा अन्य पक्ष के उत्पादों के बेहतर विपणन से शुल्क आधारित आय में वृद्धि करना.

Corporate Social Responsibilities

Rural Self Employment Training Institute (RSETIs)

Dena Bank has set up a society known as Dena Rural Develoment Foundation (DRDF) with a initial corpus of Rs. 50 lacs to take up various initiatives in rural development. DRDF in turn has established 11 Rural Self Employment Training Institutes (RSETIs) in its lead districts of Gujarat and Chhattisgarh, where bank is shouldering the responsibility of lead bank. Out of these 11 RSETIs, 8 RSETIs were operationalised during the financial year 2009-10 . These RSETIs have organised 231 training programmes and have imparted training to 6063 youth for various activities.

The Bank has further contributed to Rs. 100 lacs to the corpus of DRDF during the year for running and maintenance of Dena RSETIs in Bank's lead districts.

Sponsoring Education of Girl Child

As a part of Corporate Social Responsibility, the Bank under Dena Laxmi Shiksha Protsahan Yojana sponsor education of Girl students in the villages served by the Bank. Under the scheme Bank provides scholarship of Rs. 2000/- and Rs.1500/- per annum to identified girl students belonging to Below Poverty Line (BPL) family, to be selected from each of the schools based on first and second rank respectively secured in 7th Standard, from the villages under the command area of the Bank. The Bank has so far provided scholarships to 1856 girl students under the scheme.

The Road Ahead

The economy is expected to be vibrant during 2010-11 with marked improvement in credit pick-up. Financial inclusion will be a major program that needs to be attended to in line with the priorities set by Government of India. Increasing demand for credit from infrastructure sector may necessitate a relook at asset liability mis-matches. The switch over from BPLR regime to Base Rate regime from 1st July, 2010 will also be a major challenge. Above all, the challenge of acquiring new and retaining existing customers will be a huge task in the midst of ever growing competition in the industry. These challenges will determine the path to be traversed during 2010-11 and beyond.

The Bank has prepared itself for these challenges and will follow a fine tuned strategic approach as in the last year. You will all agree that the Bank's approach last year has yielded good results and I am confident that the new challenges will also be overcome.

Broadly speaking, during the current year also, the thrust areas of SME, Retail and Agriculture will continue to be in focus. Enhancing CASA deposits level, augmenting non-interest income, aggressive recovery efforts in addressing the written-off accounts, improvement in asset quality with emphasis on avoidance of concentration risk etc. will constitute important action points of the Bank's strategies. One area where the Bank will focus very sharply is increase in fee based income through better marketing of bank's own products that generate fee based income, commission etc. as well as distribution of third party products.

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक का वक्तव्य CHAIRMAN & MANAGING DIRECTOR'S STATEMENT

बैंक ने साख सुपुर्दगी प्रणाली तथा दक्षता में सुधार के लिए निम्नलिखित उपाय किए हैं.

1. कार्पोरेट कारोबार तथा औद्योगिक वित्त शाखाओं के माध्यम से कार्पोरेट ग्राहकों की आवश्यकताएं पूरी करने पर ध्यान केंद्रित करना. बैंक ने 4 कार्पोरेट कारोबार शाखाएं और 2 औद्योगिक वित्त शाखाएं खोली हैं जिनमें से दो कार्पोरेट कारोबार शाखाएं वर्ष 2009-10 के दौरान खोली गईं. लघु मध्यम उद्यम ग्राहकों के लिए हब एवं स्पोक्स मॉडल के भाग के रूप में विभिन्न क्षेत्रीय कार्यालयों में 15 केंद्रीकृत प्रोसेसिंग केंद्र स्थापित किए हैं. रिटेल ग्राहकों की आवश्यकताएं पूरी करने के लिए बैंक ने 12 रिटेल आस्ति शाखाएं स्थापित की हैं. जिनमें से वर्ष के दौरान 8 शाखाओं ने कार्य करना आरंभ किया.
2. काउंटर पर कार्यरत स्टाफ सदस्यों को ग्राहक उन्मुखी प्रशिक्षण देना तथा बेहतर ग्राहक सेवा के लिए उत्पादों के बारे में उनके ज्ञान में वृद्धि करना.

वर्ष 2009-10 के लिए निदेशकों की रिपोर्ट, तुलन पत्र तथा लाभ एवं हानि लेखा का अवलोकन करने पर मुझे विश्वास है कि आप लोग इस बात की सराहना करेंगे की बैंक के निदेशक मंडल, प्रबंधवर्ग तथा सभी वर्गों के कर्मचारियों द्वारा शेयरधारकों की भावनाओं का आदर किया गया है.

मुझे विश्वास है कि वर्तमान वर्ष के दौरान अनेक चुनौतियों के बीच बैंक को आगे बढ़ाने में बैंक के प्रबंधन को आपका निरंतर समर्थन और संरक्षण प्राप्त होता रहेगा.

आभार

मैं बैंक के सम्मानित ग्राहकों, शेयरधारकों तथा शुभचिंतकों को बैंक की प्रगति में उनके महत्वपूर्ण योगदान के लिए अपना धन्यवाद व्यक्त करता हूं तथा भविष्य में भी उनके सतत समर्थन एवं सहयोग की अपेक्षा करता हूं.

मैं भारत सरकार तथा भारतीय रिज़र्व बैंक से प्राप्त समयोचित सलाह, महत्वपूर्ण मार्गदर्शन एवं समर्थन के लिए भी आभार व्यक्त करता हूं.

स्टाफ सदस्यों के सभी स्तरों पर दिए गए महत्वपूर्ण योगदान के प्रति भी मैं आभार व्यक्त करता हूं, जिनके सहयोग के बिना बैंक द्वारा की गई प्रगति संभव नहीं होती. मैं बैंक के त्वरित कारोबार विकास तथा प्रगति में आपसे निरंतर सहयोग की आशा रखता हूं.

डी. एल. रावल
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

To improve the credit delivery system and efficiency Bank has taken the following initiatives:

1. Focus on catering to needs of corporate clients through the Corporate Business and Industrial Finance branches. Bank has opened 4 Corporate Business Branch and Two Industrial Finance Branches of which two Corporate Business Branches were opened during the year 2009-10. For SME clients 15 centralized processing centres are set up at various regional offices as part of the Hub & Spokes Model. In order to cater to the Retail clients Bank has set up 12 Retail Asset Branches out of which 8 were operationalised during the year.
2. Customers centric grooming of front line staff along with training to enhance their products' knowledge for better customer service.

Upon perusing the Directors' Report, the Balance Sheet and the Profit and Loss Account for the year 2009-10, I am sure that you will appreciate that the shareholders' sentiments have been respected by the bank's Board, Management and all sections of the employees.

I hope the Management will continue to have the privilege of your continued support and patronage in steering the Bank amidst innumerous challenges during the current year.

Acknowledgements

I express my sincere thanks to the Bank's valued customers, shareholders and well wishers for their valuable contribution to the progress of the Bank and seek their continued support and co-operation in future.

I acknowledge with gratitude, the timely advice, valuable guidance and support received from Government of India and Reserve Bank of India. I am also thankful to the Financial Institutions / Banks and Correspondents for their cooperation and support to the Bank.

I wish to place on record, the deep appreciation of the valuable contribution of the staff, at all levels, without which the progress achieved, would have been unattainable. I look forward to your continued cooperation in faster business development and progress of the Bank.

D.L. Rawal
Chairman & Managing Director

वर्ष 2009-2010 के लिए निदेशकों की रिपोर्ट DIRECTORS' REPORT 2009-2010

सभी सदस्यगण,

1. 31 मार्च, 2010 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लेखों के लेखा परीक्षित वित्तीय विवरण तथा नकदी प्रवाह विवरण के साथ बैंक की वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करते हुए निदेशक मंडल को अत्यंत प्रसन्नता हो रही है.

2. वित्तीय निष्पादन

2.1 बैंक का परिचालन लाभ पिछले वर्ष के रु. 726.36 में रु. 114.22 करोड़ (15.72%) की वृध्दि दर्ज करते हुए, 31 मार्च, 2010 को समाप्त वर्ष के लिए रु. 840.58 करोड़ तक पहुंच गया.

2.2 31 मार्च, 2010 को समाप्त वर्ष के लिए निवल लाभ रु. 511.25 करोड़ तक पहुंच गया, जोकि पिछले वर्ष के निवल लाभ रु. 422.66 करोड़ में रु. 88.89 करोड़ (20.96%) की वृध्दि दर्शाता है.

वर्ष 2009-2010 के लिए बैंक के वित्तीय निष्पादन का सारांश निम्न प्रकार है:

To

The Members,

1. The Board of Directors have great pleasure in presenting the Annual Report of the Bank along with the Audited Financial Statement of Accounts and the Cash Flow statement for the year ended 31st March, 2010.

2. FINANCIAL PERFORMANCE

2.1 The Operating Profit of the Bank increased to Rs. 840.58 crores for the year ended 31st March, 2010 from Rs. 726.36 crores in the previous year registering an increase of Rs. 114.22 crores (15.72%).

2.2 The Net Profit increased to Rs. 511.25 crores for the Year ended 31st March, 2010 from Rs. 422.66 crores in the previous year recording an increase of Rs. 88.59 crores (20.96%).

The financial performance of the Bank for the year 2009-2010 is summarized below:

(रुपये करोड़ में) Amount in Crore

विवरण **Particulars**	**31 मार्च, 2009 की स्थिति** **As of 31st March, 2009**	**31 मार्च, 2010 की स्थिति** **As of 31st March, 2010**
परिचालन लाभ Operating Profit	726.36	840.58
ब्याज आय Interest Income	3447.50	4010.36
ब्याज व्यय Interest Expenditure	2383.07	2910.33
निवल ब्याज आय Net Interest Income	1064.43	1100.03
गैर ब्याज आय Non Interest Income	430.13	588.63
प्रावधान एवं आकस्मिकताएं Provisions and contingencies	303.70	329.32
कर पूर्व लाभ Profit before Tax	541.43	686.79
करों के लिए प्रावधान Provision forTaxes	118.77	175.54
निवल लाभ Net Profit	**422.66**	**511.25**

3. वित्तीय निष्पादन की विशिष्टताएं

3.1 31 मार्च, 2010 को समाप्त वित्त वर्ष के दौरान बैंक का कुल मिश्रित कारोबार रु. 87000 करोड़ के स्तर को पार कर गया है. बैंक के कुल मिश्रित कारोबार में रु. 14830 करोड़ की वृध्दि हुई जिससे वह वर्ष 2009-2010 के अंत में बढ़कर रु. 87066 करोड़ के स्तर तक पहुंच गया, जोकि पिछले वर्ष के कारोबार रु. 72236 करोड़ में 20.53% दर्शाता है.

3.2 कुल जमाराशियों में रु. 8294 करोड़ (19.26%) की वृध्दि हुई जो कि 31 मार्च, 2009 के रु. 43051 करोड़ की राशि से बढ़कर 31 मार्च, 2010 को रु. 51345 करोड़ तक पहुंच गई.

3.3 बैंक के अग्रिमों में रु. 6536 करोड़ की वृध्दि हुई, जिससे बैंक के कुल अग्रिम 31 मार्च, 2009 को रु. 29185 करोड़ से बढ़कर 31 मार्च, 2010 को रु. 35721 करोड़ तक पहुंच गये, जो कि 22..40% की वृध्दि दर्शाते हैं.

3. Performance Highlight

3.1 The aggregate Business Mix of the Bank crossed the level of Rs. 87000 crores during the financial year ended 31st March, 2010. The total Business Mix of the Bank increased by Rs. 14830 crores to Rs. 87066 crores at the end of the year 2009-2010 from Rs. 72236 crores recording the growth rate of 20.53 % .

3.2 The total Deposit registered a growth of Rs. 8294 crores (19.26%) from Rs. 43051 crore as on 31st March, 2009 to Rs. 51345 crores as on 31st March, 2010.

3.3 The Advances of the Bank increased by Rs. 6536 crores from Rs. 29185 crores as on 31st March, 2010 to Rs. 35721 crores as on 31st March, 2010 registering a growth of 22.40%.

वर्ष 2009-2010 के लिए निदेशकों की रिपोर्ट DIRECTORS' REPORT 2009-2010

3.4 एन पी ए की वसूली में बैंक के बहुमुखी प्रयासों से वर्ष के दौरान बैंक की आस्तियों की गुणवत्ता में सुधार हुआ है. बैंक ने पिछले वर्ष में रु. 380.10 करोड़ की वसूली की तुलना में वर्ष 2009-10 के दौरान रु. 423.83 करोड़ की नकद वसूली तथा एन पी ए उन्नयन किया है. बट्टे खाते डाले गये खातों में वसूली में रु. 25.94 करोड़ की वृद्धि हुई जिससे वह मार्च 2009 में रु. 100.24 करोड़ से बढ़कर मार्च 2010 में रु. 126.18 करोड़ तक पहुंच गई.

3.4 The multipronged efforts of the Bank in recovery of NPA's has resulted in the improvement in the asset quality of the Bank during the year. Bank effected a cash recovery and upgradation of NPA's of Rs. 423.83 crores compared to Rs. 380.10 crores in the previous year. Recovery in writeoff has also increased by Rs.25.94 crore from Rs. 100.24 crores as of March 2009 to Rs. 126.18 crores as of March 2010.

(रुपये करोड़ में) Amount in crore

विवरण Particulars	31 मार्च, 2009 की स्थिति As of 31st March, 2009	31 मार्च, 2010 की स्थिति As of 31st March, 2010
कुल जमाराशियां Total Deposits	43050.61	**51344.27**
सकल अग्रिम Gross Advances	29185.36	**35721.41**
सकल निवेश Gross Investments	12538.32	**15760.14**
प्राथमिकता क्षेत्र Priority Sector	9715.00	**11718.00**
कृषि Agriculture	3851.00	**4826.00**
रिटेल Retail	4424.44	**5379.91**
एम एस एम ई MSME	4774.74	**5647.36**
कुल एन पी ए Gross NPA	620.77	**641.99**
निवल एन पी ए Net NPA	313.38	**427.53**
कुल अग्रिमों में कुल एन पी ए का % of Gross NPA to Gross Advance	2.13	**1.80**
निवल अग्रिमों में निवल एन पी ए का % of Net NPA to Net Advance	1.09	**1.21**
पूंजी पर्याप्तता अनुपात Capital Adequacy Ratio	12.07	**12.77**

4. प्रमुख वित्तीय सूचक Key Financial Indicators

कुछ प्रमुख वित्तीय अनुपात नीचे दिये गये हैं. Some of the Key Financial ratios are presented below

विवरण Particulars	31 मार्च, 2009 की स्थिति As of 31st March, 2009	31 मार्च, 2010 की स्थिति As of 31st March, 2010
निवल ब्याज मार्जिन Net Interest Margin	2.91	**2.61**
आस्तियों पर प्रतिलाभ Return on Assets	1.02	**1.01**
आय से लागत अनुपात Cost to Income Ratio	51.40	**50.22**
बेसल II के अंतर्गत सीआरएआर CRAR under Basel II	12.07	**12.77**
एन पी ए कवरेज अनुपात (अनं.) भारतीय रिज़र्व बैंक के नये दिशानिदेशों के अनुसार NPA Coverage Ratio (Prov.) As per new RBI guidelines	84.59	**78.61**
जमाराशियों की लागत Cost of Deposit	6.36	**6.21**
निधियों की लागत Cost of Funds	6.47	**6.31**
अग्रिमों पर प्रतिफल Yield on Advance	10.71	**10.32**
निधियों पर प्रतिफल Yield on Fund	8.76	**8.52**
इक्विटी पर प्रतिफल Return on Equity	24.05	**23.55**
प्रतिशेयर अर्जन Earning Per Share	14.74	**17.83**
बही मूल्य Book Value	65.84	**84.04**

5. शाखा नेटवर्क

वर्ष 2009-10 के दौरान बैंक की कुल शाखाओं की संख्या 1223 तक बढ गयी है जिसमें 39 नयी शाखाएं शामिल हैं और सभी शाखाएं सी बी एस के अंतर्गत कार्यरत हैं.

6. एटीएम नेटवर्क

कुल ए टी एम की संख्या बढ़कर 396 हो गई, जिनमें शाखा से अलग स्थानों पर अवस्थित 101 ए टी एम भी शामिल हैं और ग्राहक साझेदारी नेटवर्क के 9,45,000 ए टी एमों का भी उपयोग कर सकते हैं.

5. Branch Network:

During the year 2009-10, the total Branch network of the Bank increased to 1223 including 39 new Branches and all the branches of the Bank are covered under CBS.

6. ATM Network:

Total number of ATMs increased to 396 which included 101 offsite ATMs and customers can have access to 9,45,000 ATMs in the shared network.

वर्ष 2009-2010 के लिए निदेशकों की रिपोर्ट DIRECTORS' REPORT 2009-2010

7. लाभांश

निदेशक मंडल को वर्ष 2009-10 के लिए रुपये 2.00 प्रति शेयर अर्थात 20% अंतिम लाभांश की सिफारिश करते हुए प्रसन्नता हो रही है. वित्तीय वर्ष 2009-10 के लिए लाभांश कर भुगतान की शर्त पर होगा, जो कि बैंक द्वारा भुगतान किया जायेगा. वर्ष 2009-10 के लिए लाभांश के कारण कुल भुगतान की जाने वाली राशि, लाभांश कर सहित रु. 67,11,37,606/- होगी.

8. निवल संपत्ति एवं सी आर ए आर

8.1 बैंक की निवल संपत्ति 31.3.2009 के रु. 1666.83 करोड़ के स्तर से बढ़कर दिनांक 31.3.2010 को रु. 2212.50 करोड़ के स्तर तक पहुंच गई, जो कि रु. 545.67 करोड़ (32.74%) की वृध्दि दर्शाती है.

8.2 मार्च 2010 को पूंजी का जोखिम (भारित) आस्ति अनुपात (सी आर ए आर) 12.77% है, जबकि मार्च 2009 में यह 12.07% था, अपेक्षानुसार यह 9% होना चाहिए.

8.3 वर्ष के दौरान बैंक ने नवोन्मेषी स्थाई ऋण लिखतों (आई पी डी आई) के द्वारा कुल रु. 125 करोड़ की टीयर I पूंजी एकत्रित की.

8.4 मार्च 2010 में बेसल II के अंतर्गत सी.आर.ए.आर. भाग का टीयर I पूंजी 8.16% है, जबकि मार्च, 2009 में वह 6.76% था.

7. Dividend

The Board of Directors is pleased to recommend a final dividend of Rs. 2.00 per share i.e., 20% for 2009-10. The dividend for financial year 2009-10 shall be subject to tax on dividend to be paid by the Bank. The total outflow on account of dividend for 2009-10 is Rs.67,11,37,606/- including dividend tax.

8. Net Worth and CRAR

8.1 The Net Worth of the Bank improved to Rs. 2212.50 crore as on 31.03.2010 from Rs. 1666.83 crore as on 31.03.2009 registering a growth of Rs. 545.67 crore (32.74 %).

8.2 The Capital to Risk (Weighted) Asset Ratio (CRAR) is 12.77% as of March 2010, compared to 12.07% as of March 2009, against the requirement of 9%.

8.3 During the year, the Bank raised Tier I capital by way of Innovative Perpetual Debt Instrument (IPDI) aggregating to Rs. 125 crore.

8.4 The Tier I capital of CRAR component under Basel II is 8.16% as of March 2010 as against 6.76% as of March 2009.

	बेसल Basel I		बेसल Basel II	
	मार्च March 2009	मार्च March 2010	मार्च March 2009	मार्च March 2010
टीयर I पूंजी Tier- I Capital	6.01	6.80	6.76	8.16
टीयर II पूंजी Tier -II Capital	4.72	3.85	5.31	4.61
योग Total	**10.73**	**10.65**	**12.07**	**12.77**

9. निदेशक मंडल में परिवर्तन

9.1 31 मार्च, 2010 को निदेशक मंडल में अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक तथा कार्यपालक निदेशक, दोनों पूर्ण कालिक निदेशक तथा निम्न अनुसार सात अन्य निदेशक शामिल थे:

- एक भारत सरकार का नामिती निदेशक;
- एक भारतीय रिज़र्व बैंक का नामिती निदेशक;
- एक अधिकारी कर्मचारी निदेशक;
- एक निदेशक भारत सरकार द्वारा नामित; तथा
- तीन शेयर धारकों द्वारा चुने गये निदेशक.

9. Changes in Board of Directors

9.1 The Board of Directors of the Bank comprised of Chairman & Managing Director and Executive Director, both being whole-time Directors and seven other directors as under, as on 31st March, 2010:

- One Government of India Nominee Director;
- One Reserve Bank of India Nominee Director;
- One Officer Employee Director;
- One Director nominated by Government of India; and
- Three Shareholders' elected Directors:

9.2 श्री भास्कर सेन की यूनाईटेड बैंक ऑफ इंडिया के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक के रुप में पदोन्नति होने के कारण वे 28 फरवरी, 2010 से बैंक के कार्यपालक निदेशक नहीं रहे. निदेशक मंडल श्री भास्कर सेन द्वारा बैंक के निदेशक मंडल में कार्यपालक निदेशक के रुप में उनके कार्यकाल के दौरान दिये गये महत्वपूर्ण योगदान के लिए उनकी सराहना करता है.

9.2 Shri Bhaskar Sen, ceased to be Executive Director of the Bank w.e.f. 28th February, 2010, upon his elevation as Chairman & Managing Director of United Bank of India. The Board of Directors places on record their appreciation for the valuable contribution made by Shri Bhaskar Sen during his tenure as Executive Director on the Board of the Bank.

9.3 भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, वित्तीय सेवाएं विभाग ने अधिसूचना एफ सं. 9/12/2009-बीओ-I दिनांक 25 जनवरी, 2010 द्वारा राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन एवं विविध प्रावधान) योजना 1970/1980 के खंड 8 के उपखंड (1) के साथ पठित बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अधिग्रहण और अंतरण) अधिनियम, 1970/ 1980 की धारा 9 की उपधारा (3) के खण्ड (क) के

9.3 The Government of India, Ministry of Finance, Department of Financial Services vide notification F.No. 9/12/2009-BO-I dated 25th January, 2010 in terms of Clause (a) of Sub-section (3) of Section 9 of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970/1980 read with Sub-clause (1) of Clause 3, Sub- clause (1) of Clause 8 of the Nationalised Banks

वर्ष 2009-2010 के लिए निदेशकों की रिपोर्ट DIRECTORS' REPORT 2009-2010

अनुसार भारतीय रिज़र्व बैंक से परामर्श करने के बाद **श्री अशोक के. दत्त** को, उनके द्वारा पद का कार्यभार ग्रहण किये जाने की तारीख अर्थात 1 मार्च, 2010 से और 31.01.2014 अर्थात उनकी सेवानिवृत्ति की तारीख और अगले आदेशों तक, जो भी पहले हो, बैंक के कार्यपालक निदेशक के रुप में नियुक्त किया है.

9.4 श्री वी. एस. शिवकुमार, निदेशक, जो कि बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अधिग्रहण एवं अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 9 की उप धारा (3) के खंड (एच) के अधीन चुने गये थे, ने निदेशक मंडल से त्यागपत्र दिया और उनका त्यागपत्र भारत सरकार द्वारा 27 अक्टूबर, 2009 से स्वीकृत किया गया. निदेशक मंडल श्री वी. एस. शिवकुमार द्वारा बैंक के निदेशक मंडल में निदेशक के रुप में उनके कार्यकाल के दौरान दिये गये महत्वपूर्ण योगदान के लिए उनकी सराहना करता है.

9.5 श्री ए. गोपालकृष्णन, सनदी लेखाकार निदेशक, जो कि बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अधिग्रहण एवं अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 9 की उप धारा (3) के खंड (जी) के अधीन 14 दिसंबर, 2006 से नियुक्त किये गये थे, उनका कार्यकाल पूर्ण होने पर 13 दिसंबर, 2009 से बैंक के निदेशक नहीं रहे. निदेशक मंडल श्री ए. गोपालकृष्णन द्वारा बैंक के निदेशक मंडल में निदेशक के रुप में उनके कार्यकाल के दौरान दिये गये महत्वपूर्ण योगदान के लिए उनकी सराहना करता है.

9.6 श्री एम.सूर्यनायक, निदेशक, जो कि बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अधिग्रहण एवं अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 9 की उप धारा (3) के खंड (एच) के अधीन 31 दिसंबर, 2007 से चुने गये थे, उनका कार्यकाल पूर्ण होने पर 30 दिसंबर, 2009 से बैंक के निदेशक नहीं रहे. निदेशक मंडल श्री एम. सूर्यनायक द्वारा बैंक के निदेशक मंडल में निदेशक के रुप में उनके कार्यकाल के दौरान दिये गये महत्वपूर्ण योगदान के लिए उनकी सराहना करता है.

9.7 श्री एम जी.शिंदे, कामगार कर्मचारी निदेशक, जो कि राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन एवं विविध प्रावधान) योजना 1970 के खंड 9 के उपखंड (2)(क) के साथ पठित बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अधिग्रहण और अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 9 की उपधारा (3) के खण्ड (ई) के अधीन 19 सितंबर, 2007 से नियुक्त किये गये थे, अधिवर्षिता की आयु तक पहुंचने पर 28 फरवरी, 2010 को निदेशक मंडल से निवृत्त हुए. निदेशक मंडल श्री एम.जी. शिंदे द्वारा बैंक के निदेशक मंडल में निदेशक के रुप में उनके कार्यकाल के दौरान दिये गये महत्वपूर्ण योगदान के लिए उनकी सराहना करता है.

9.8 भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, वित्तीय सेवाएं विभाग ने अधिसूचना एफ सं. 9/10/2009-बीओ-I दिनांक 18 फरवरी, 2010 द्वारा राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन एवं विविध प्रावधान) योजना 1970/1980 के खंड 9 के उपखंड (1)एवं (2) के साथ पठित बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अधिग्रहण और अंतरण) अधिनियम, 1970/ 1980 की धारा 9 की उपधारा (3) के खण्ड (एफ) के अनुसार भारतीय रिज़र्व बैंक से परामर्श करने के बाद **श्री इगनेशियस एम. अल्मेड़ा** को, बैंक के निदेशक मंडल में अधिसूचना की तारीख अर्थात 18 फरवरी, 2010 से और 30.11.2012 तक अर्थात उनकी सेवानिवृत्ति की तिथि या उनके बैंक के अधिकारी पद से निवृत्ति तक या अगले आदेशों तक, जो भी पहले हो, अधिकारी कर्मचारी निदेशक के रुप में नियुक्त किया है.

(Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970/1980, after consultation with Reserve Bank of India had appointed **Shri Ashok K. Dutt** as Executive Director of the Bank for a period with effect from the date of his taking charge of the post i.e. 1st March, 2010 and upto 31.01.2014 i.e. the date of his superannuation and until further orders, whichever is earlier.

9.4 Shri V. S. Sivakumar, Director, elected under Clause (h) of Sub-section (3) of Section 9 of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 w.e.f. 21st November, 2007, resigned from the Board and his resignation was accepted by Government of India on 27th October, 2009. The Board of Directors places on record their appreciation for valuable guidance provided by Shri V. S. Sivakumar, during his tenure as Director on the Board of the Bank.

9.5 Shri A. Gopalakrishnan, Chartered Accountant Director, appointed under Clause (g) of Sub-section (3) of Section 9 of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 w.e.f. 14th December, 2006, ceased to be a Director of the Bank from 13th December, 2009 on completion of his tenure. The Board of Directors places on record their appreciation for valuable guidance provided by Shri A. Gopalakrishnan, during his tenure as Director on the Board of the Bank.

9.6 Shri M. Surya Naik, Director, elected under Clause (h) of Sub-section (3) of Section 9 of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 w.e.f. 31st December, 2007, ceased to be a Director of the Bank from 30th December, 2009 on completion of his tenure. The Board of Directors places on record their appreciation for valuable guidance provided by Shri M. Surya Naik, during his tenure as Director on the Board of the Bank.

9.7 Shri M. G. Shinde, Workmen Employee Director, appointed under Clause (e) of Sub-section (3) of Section 9 of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 read with Sub-clause (2)(a) of Clause 9 of Nationalized Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Sceme, 1970 w.e.f. 19th September, 2007, retired from the Board on 28th February, 2010 upon attaining superannuation. The Board of Directors places on record their appreciation for valuable guidance provided by Shri M. G. Shinde, during his tenure as Director on the Board of the Bank.

9.8 The Government of India, Ministry of Finance, Department of Financial Services vide notification F.No.9/10/2009-BO-I dated 18th February, 2010 in terms of Clause (f) of Sub-section (3) of Section 9 of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970/1980 read with Sub-clause (1) & (2) of Clause 9 of the Nationalized Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970/1980, after consultation with Reserve Bank of India had appointed **Shri Ignatius M. Almeida** as Officer Employee Director on the Board of Directors of the Bank for a period of three years from the date of notification i.e. 18th February, 2010 and upto 30.11.2012 i.e. the date of his superannuation or until he ceases to be an officer of the Bank or until further orders, whichever is earlier.

वर्ष 2009-2010 के लिए निदेशकों की रिपोर्ट DIRECTORS' REPORT 2009-2010

10. निदेशकों के उत्तरदायित्त्व का विवरण

निदेशक 31 मार्च, 2010 को समाप्त वर्ष के लिए वार्षिक लेखा तैयार करने में निम्नलिखित की पुष्टि करते हैं :

I. वार्षिक लेखा तैयार करने में महत्त्वपूर्ण विचलनों के संबंध में समुचित स्पष्टीकरण के साथ लागू मानकों का पालन किया गया.

II. उन्होंने ऐसी लेखा नीतियों का चयन किया एवं उनको निरंतर लागू किया तथा ऐसे निर्णय एवं अनुमान लगाये जो समुचित एवं विवेकपूर्ण हैं ताकि वित्तीय वर्ष के अन्त तक बैंक की सत्य और सही स्थिति प्रस्तुत कर सके एवं अवधि के लिए बैंक की लाभ या हानि की स्थिति दे सकें.

III. उन्होंने धोखाधड़ी एवं अन्य अनियमितताओं को रोकने एवं पता लगाने हेतु भारत में बैंकों पर लागू विधि के प्रावधानों के अनुसार पर्याप्त लेखा रिकार्डों के रख-रखाव के लिए समुचित एवं पर्याप्त देखरेख की है.

IV. उन्होंने वार्षिक लेखा, निरंतर कारोबार वाले संस्थान के आधार पर तैयार किया था.

11. आभार

11.1 निदेशक मंडल बैंक के अपने सम्मानित ग्राहकों, शेयरधारकों तथा शुभचिंतकों को बैंक की प्रगति में उन के महत्त्वपूर्ण योगदान के लिए अपना धन्यवाद व्यक्त करता है तथा भविष्य में उनके सतत समर्थन एवं सहयोग की अपेक्षा करता है.

11.2 भारत सरकार तथा भारतीय रिज़र्व बैंक से प्राप्त समयोचित सलाह, महत्त्वपूर्ण मार्गदर्शन एवं समर्थन के लिए भी निदेशक मंडल हार्दिक आभार व्यक्त करता है.

11.3 निदेशक मंडल उन वित्तीय संस्थाओं तथा सहयोगी बैंकों के प्रति भी कृतज्ञता व्यक्त करता है, जिन्होंने बैंक को सहयोग एवं समर्थन दिया है.

11.4 स्टाफ सदस्यों के सभी स्तरों पर दिए गए महत्वपूर्ण योगदान के प्रति भी निदेशक मंडल हार्दिक आभार व्यक्त करता है, जिनके सहयोग के बिना बैंक द्वारा की गई प्रगति सम्भव नहीं होती. निदेशकगण त्वरित कारोबार विकास तथा बैंक की प्रगति में उनसे सतत् सहयोग की आशा रखते हैं.

निदेशक मंडल के लिए और उनकी ओर से

(डी.एल. रावल)
अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक

10. Directors' Responsibility Statement

The Directors, in preparation of the annual accounts for the year ended March 31, 2010, confirm the following:

I. That in the preparation of the annual accounts, the applicable standards had been followed along with proper explanation relating to material departures.

II. That they had selected such accounting policies and applied them consistently and made judgments and estimates that are reasonable and prudent as to give a true and fair view of the state of affairs of the Bank at the end of the financial year and of the profit or loss of the Bank for the period.

III. That they had taken proper and sufficient care for the maintenance of adequate accounting records in accordance with the provisions of applicable laws governing banks in India for preventing and detecting fraud and other irregularities.

IV. That they had prepared the annual accounts on a going concern basis.

11. Acknowledgments

11.1 The Board of Directors expresses its patronage and sincere thanks to the Bank's valued customers, shareholders and well wishers for their valuable contribution towards the progress of the Bank and seek their continued support and co-operation in future.

11.2 The Board of Directors acknowledges with gratitude, the timely advice, valuable guidance and support received from Government of India and Reserve Bank of India.

11.3 The Board of Directors are also thankful to the Financial Institutions / Banks and Correspondents for their cooperation and support to the Bank.

11.4 The Board of Directors wish to place on record, the deep appreciation of the valuable contribution made by the staff, at all levels, without which the progress achieved would have been unattainable. The Directors look forward to their continued cooperation in faster business development and progress of the Bank.

For and on behalf of Board of Directors

(D.L. Rawal)
Chairman and Managing Director

प्रबंधन विचार विमर्श एवं विश्लेषण MANAGEMENT DISCUSSION AND ANALYSIS

1. स्थूल आर्थिक परिदृश्य

2008-09 की व्यापक वैश्विक आर्थिक मंदी की छाया में वर्ष 2009-10 को आर्थिक समुत्थान के रूप में देखा गया. 2009 की चौथी तिमाही में वैश्विक अर्थव्यवस्था की विकास दर ने गति पकड़ी. डब्ल्यू टी ओ ने यह अनुमान लगाया है कि विश्वव्यापार 2010 में काफी अधिक होने की संभावना है. तथापि, विकसित देशों के भारी सार्वजनिक ऋण, संभावित उत्पादन में कमी, उच्च बेरोजगारी दर, कमजोर वित्तीय प्रणालियां तथा उनके द्वारा उपलब्ध कराए गए नीतिगत प्रोत्साहन के समय पूर्व ही समाप्त होने के कारण स्थूल आर्थिक वातावरण के संबंध में चिंता बनी हुई है. वैश्विक स्थूल आर्थिक परिस्थितियों में सुधार को भारतीय निर्यात में भारी वृद्धि तथा भारतीय अर्थ व्यवस्था में पूंजी प्रवाह के वापस आने में देखा जा सकता है. पूरे विश्व में उभरती बाजार अर्थ व्यवस्थाओं में मजबूत पुन:प्राप्ति के संकेत मिले हैं जो कि निर्यात में सुधार और पूंजी अन्तर्वाह की सहायता से बड़ी घरेलू मांग के कारण हुई है. केंद्रीय सांख्यिकी संघटन के अग्रिम अनुमान यह दर्शाते हैं कि 2008-09 की मंदी से उभरते हुए, औद्योगिक उत्पादन में वृद्धि, फसल की अच्छी संभावना तथा सेवा सेक्टर में लोच के कारण 2009-10 में सकल घरेलू उत्पाद में 7.2% वृद्धि होने की संभावना है जबकि 2008-09 में यह वृद्धि दर 6.7% थी. भारतीय अर्थ व्यवस्था ने कम एवं मध्यम मानसून के बावजूद सकल घरेलू उत्पाद में मजबूत वृद्धि दर दर्शायी है.

2009-10 के लिए दूसरे अग्रिम अनुमान के अनुसार कृषि उत्पादन घटकर 216.90 मिलियन टन होने की संभावना है जबकि 2008-09 के दौरान यह 234.50 मिलियन टन हुआ था. खरीफ अनाज और तिलहन उत्पादन में 14.6% की गिरावट आने की संभावना है जबकि रबी के उत्पादन में 0.7% सीमांत वृद्धि होने की संभावना है. औद्योगिक उत्पादन, जो कि 2007-08 के दौरान अंतर्राष्ट्रीय वस्तु कीमतों में गिरावट तथा 2008-09 के दौरान वैश्विक मंदी के कारण प्रभावित हुआ था, ने अक्तूबर 2009 से फरवरी 2010 के दौरान उल्लेखनीय 2 अंकों की पुन: प्राप्ति दर दर्शायी है. विनिर्माण सेक्टर ने 2009-10 (अप्रैल-फरवरी) के दौरान 10.5% वृद्धि दर्ज की है जबकि, अप्रैल-फरवरी 2008-09 के दौरान यह वृद्धि 2.7% थी. इसी अवधि के दौरान बुनियादी सेक्टर में वृद्धि, जो कि नवम्बर 2009 में 9.4% तक पहुँच गई थी, फरवरी 2010 में घटकर 4.5% हो गई. कच्चे तेल और पेट्रोल उत्पादों के अपवाद को छोड़कर सभी सेक्टरों ने उच्च वृद्धि दर्शायी है. सेवा सेक्टर में 2009-10 की दूसरी तिमाही के दौरान उन्नत पुन: प्राप्ति के बाद, 2009-10 की तीसरी तिमाही में गिरावट आयी. अप्रैल 2009 से फरवरी 2010 की अवधि के सेवा सेक्टर के प्रमुख सूचक समग्र सुधार की सूचना देते हैं. विशेषत: तीसरी तिमाही के बाद, जब कि बाहरी मांग पर निर्भर सेवाएं जैसे पर्यटकों का आगमन बंदरगाह एवं विमानपत्तनों द्वारा निपटाए गए सामान तथा अंतर्राष्ट्रीय टर्मिनलों द्वारा निपटाए गए यात्रियों से यह ज्ञात होता है कि बाहरी वातावरण में काफी सुधार हुआ है.

2. भारतीय रिज़र्व बैंक का वार्षिक नीति वक्तव्य

2.1 भारतीय रिज़र्व बैंक ने वर्ष 2008-09 के लिए अपनी नीति के वार्षिक वक्तव्य में मौद्रिक स्थिति में यह नोट किया है कि अन्य सभी उभरती हुई अर्थव्यवस्थाओं की तरह भारत ने भी मजबूत पुन: प्राप्ति दर्ज की है. यह प्रमुखत: बड़ी घरेलू मांग तथा निर्यात में सुधार तथा अर्थ व्यवस्था में बाहरी पूंजी का अन्तर्वाह आरंभ होने के कारण संभव हुआ. कम मानसून के बावजूद,

1. Macroeconomic Scenario

The year 2009-10 in the shadow of deep global economic slump of 2008-09 is viewed as a year of recovery with global economy having picked up momentum in the fourth quarter of 2009. The WTO projects that the world trade is expected to stage a strong recovery in 2010. However concerns remain in respect of advanced countries' macroeconomic environments in view of their large Public Debts, coupled with reduction in potential outputs, high unemployment rates, weak financial systems and likelihood of premature exit from the policy stimulus provided by them. The improvement in Global Macroeconomic conditions are reflected in the improvement in the strong turnaround in the Indian exports and return of flow of Capital in the Indian Economy. The Emerging Market Economies world over has shown strong recovery which have been mainly due to the huge domestic demand, supported by improved exports and inflow of Capital. The advance estimates of Central Statistical Organization (CSO) show that the GDP is expected to grow at the rate of 7.2% in 2009-10 as compared to 6.7% in 2008-09 consequent to rebound in industrial output, improved prospects for crops and flexibility of services sector in regaining the lost ground during 2008-09. The Indian Economy has exhibited strong recovery in GDP growth in spite of reeling under lean and moderate monsoon.

According to the second Advance Estimates for 2009-10, the agricultural production is estimated to decline to 216.90 million tones from 234.50 million tones during 2008-09. The Kharif food grains and oilseeds production may decline by 14.6% whereas the Rabi production is expected to register a marginal increase of 0.7%. The Industrial production which was affected due to international commodity price shocks during 2007-08 and global recession during 2008-09 has shown a remarkable two digit recovery during October 2009 to February 2010. The manufacturing sector recorded a growth of 10.5% during 2009-10 (April-February) as compared with 2.7% during April-February 2008-09. During the same period, the growth of the infrastructure sector which had significantly improved till November 2009 having reached as high as 9.4% has slowed down in February 2010 to 4.5%. All the sectors with the exception of Crude and petroleum products have shown accelerated growth. The services sector after showing improved recovery in the second quarter of 2009-10 registered a decline in the third quarter of 2009-10. The leading indicators of the service sectors for the period April 2009 to February 2010 indicate overall improvement particularly since Quarter 3 with services dependent on external demand such as tourist arrivals, cargo handled by seaports and airports and passenger handled by international terminals recovering substantially indicate improved external environment.

2. Annual Policy Statement of RBI

2.1 Reserve Bank of India's monetary stance in its Annual Statement of Policy for the year 2010-11 has noted that like all emerging economies, India too has registered strong recovery largely due to huge domestic demand, improved exports and resumption of inflow of outside Capital into the economy. GDP growth has improved despite deficient monsoon based on the

प्रबंधन विचार विमर्श एवं विश्लेषण MANAGEMENT DISCUSSION AND ANALYSIS

2009-10 की तीसरी तिमाही से औद्योगिक उत्पादन में वृद्धि, फसल की अच्छी संभावनाओं, निर्यात में सुधार तथा सेवा क्रिया कलापों में तेजी के कारण सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि में सुधार हुआ. तथापि, कुछ अनिश्चितताएं हैं जिनके कारण वृद्धि दर पर प्रभाव पड़ने की संभावना है. प्रथम 2010-11 के दौरान लगभग सामान्य मानसून की संभावना, दूसरा कच्चे तेल की कीमतों में अस्थिरता और बाजार में अतिरिक्त तरलता के कारण मांग पर दबाव के लिए वृद्धि. वस्तुओं की कीमतों में वैश्विक प्रवृत्ति की सहायता से मुद्रा स्फीति मार्च 2011 तक 5.5% के आसपास रहने की संभावना है.

rebound in the industrial production, good prospects of Crops, improved exports and acceleration in services activities since Third Quarter of 2009-10. However there are some major uncertainties that are likely to impact the growth. Firstly the prospects of near normal monsoon for 2010-11, secondly the volatile crude prices and increase in demand side pressure due to excess liquidity in the Market. Complimented with the global trend in the commodity prices the baseline projection of inflation is expected to be around 5.5% for March 2011.

2.2 भारत में नीति निर्णय अधिकांशत: मुद्रा स्फीति की अपेक्षाओं को स्थिर करने और उसके साथ ही मुद्रा स्फीति दबाव को बढ़ाने के लिए शीघ्र और प्रभावी रूप से कार्य करने, तरलता बढ़ाने के लिए किये जाते हैं, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि निजी और सार्वजनिक क्षेत्र की साख की मांग पूरी हो और कीमत निर्गत तथा वित्तीय स्थिरता के अनुसार ब्याज दर सुनिश्चित की जा सके.

2.2 The policy decisions in India have been designed largely to anchor inflation expectations at the same time being prepared to respond swiftly and effectively to further inflationary pressures, ensure liquidity to ensure that the growth in demand for credit by the private and public sector is adequately met and to ensure an interest rate regime consistent with price output and financial stability.

2.3 शीर्षक डब्ल्यू पी आई मुद्रा स्फीति अक्तूबर 2009 में 1.5% से तेजी से बढ़कर मार्च 2010 तक 9.9% तक बढ़ गई जोकि आरंभ में खाद्य पदार्थों की कीमतों में वृद्धि के कारण बढ़ी. यह अब विनिर्माण उत्पादों में भी सामान्यत: प्रदर्शित होता है जोकि नवम्बर 2009 में 0.04% से बढ़कर मार्च 2010 में 4.7% हो गई.

2.3 Headline WPI inflation accelerated sharply from 1.5% in October 2009 to 9.9% by March 2010 which has been initially driven by food prices which has now become generalized reflected in manufactured products inflation rising from 0.04% in November 2009 to 4.7% in March 2010.

2.4 2010-11 के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक की नीति का मुख्य उद्देश्य निजी एवं सरकारी क्षेत्र की ऋण आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए संसाधन की मांग को संतुलित करना और उसके साथ ही अतिरिक्त तरलता के कारण मुद्रा स्फीति को नियंत्रित करना था. जिसके फलस्वरूप मांग पर दबाव बढ़ा. इस पृष्ठभूमि में निम्नलिखित नीतिगत उपाय आरंभ किए गए.

2.4 The thrust of the Reserve Bank's policy for 2010-11 has been aimed to balance the resource demand to meet the credit off take by the Private and Public sector at the same time containing inflation due to excess liquidity resulting in demand side pressure. Against this back ground the following policy measures were initiated:

(i) रिपो दर तत्काल प्रभाव से बढ़ाकर 5.25% की गई.

(i) The repo rate was enhanced to 5.25% with immediate effect.

(ii) रिवर्स रिपो दर तत्काल प्रभाव से बढ़ाकर 3.75% की गई.

(ii) The reverse repo rate has been raised to 3.75% with immediate effect and

(iii) नकदी प्रारक्षित निधि अनुपात, जोकि अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों द्वारा भारतीय रिज़र्व बैंक के पास बनाए रखे जाता है, 24 अप्रैल, 2010 से आरंभ होने वाले पखवाड़े से निवल मांग और मियादी देयताओं के 6% तक बढ़ाया गया.

(iii) The Cash Reserve Ratio to be maintained by Scheduled commercial Banks with Reserve Bank of India has been raised to 6.00 % of the Net Demand and Time Lliabilities to be effective from the fortnight beginning 24th April, 2010.

(iv) भारतीय रिज़र्व बैंक ने निम्न आय वर्ग के परिवारों तक बैंक ऋण का प्रवाह पहुँचाने के लिए मार्च 2011 को निर्धारित अवधि तय किया है. उन्होंने बैंकों को गैर सरकारी संस्थाओं के साथ संपर्क बनाने तथा अच्छी स्थिति में चलने वाली कृषि साख समितियों को कारोबार प्रतिनिधि / सहायक के रूप में उपयोग करने के निदेश दिए हैं.

(iv) RBI has fixed March 2011 as deadline for maximun financial inclusions for facilitating and channelising credit to low income households. It has directed the Banks to establish linkages with NGOS, and use well-run primary agricultural credit societies as business correspondents / facilitators.

2.5 ब्याज दरों की प्रवृत्ति

वर्ष के दौरान ब्याज दरों में सीमान्त वृद्धि हुई. जमा राशियों तथा अग्रिमों, दोनों पर ब्याज दरों में सीमान्त वृद्धि हुई. तथापि, ऋण उत्पादों की उचित कीमत प्राप्त करने, उधार दरों में पारदर्शिता तथा मौद्रिक नीति संप्रेषण के मूल्यांकन में सुधार के कारण भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंकों को 1 जुलाई, 2010 से आधार दर प्रणाली को अपनाने के निदेश दिए हैं. 1 जुलाई, 2010 को और उसके बाद सभी नए ऋण प्रस्ताव तथा वर्तमान ऋण प्रस्तावों के नवीकरण को आधार दर, जो कि

2.5 Movement of Interest Rates

The year saw the marginal north bound journey of the interest rates. Both, deposits rates and interest rates witnessed marginal increase. However Reserve Bank in order to facilitate better pricing of loan products, transparency in lending rates and to improve assessment of monetary policy transmission has mandated Banks to switch over to the system of Base rate from 1st July, 2010. All fresh loans and existing ones coming up for renewal on or after

प्रबंधन विचार विमर्श एवं विश्लेषण MANAGEMENT DISCUSSION AND ANALYSIS

भविष्य के सभी ऋणों के लिए आधार दर होगी, से संबद्ध किया जाएगा. आधार दर के मानदण्ड के निर्धारण में जमा राशियों की लागत, नकदी प्रारक्षित निधि अनुपात (सी आर आर) के संबंध में हानि तथा सांविधिक चलनिधि अनुपात (एस एल आर) एवं अदृश्य अन्य व्यय शामिल होंगे.

1st July, 2010 will be linked to the base rate, which will be floor rate for all future lending. The criteria determining the base rate will include cost of deposits, adjustment for the negative-carry-in respect of Cash Reserve Ratio (CRR) and a Statutory Liquidity Ratio (SLR) and un-allocatable overhead costs.

3. बैंकिंग उद्योग की प्रवृत्तियाँ

निजी एवं सार्वजनिक क्षेत्र की ऋण आवश्यकताओं की मांग को पूरा करने के लिए संसाधन जुटाने की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए वर्ष के दौरान बैंकिंग प्रणाली की कुल जमा राशियों में 18% की वृद्धि होने की संभावना है. बैंक के ऋणों में वर्ष के दौरान गैर खाद्य ऋणों में 20% की वृद्धि होने की संभावना है.

केवल वैश्विक अर्थव्यवस्था से ही नहीं बल्कि घरेलू वातावरण में मुद्रा स्फीति प्रवृत्ति की कुछ चुनौतियों के होते हुए भी भारतीय अर्थ व्यवस्था लचीली बनी रही और वर्ष के दौरान उसके वित्तीय संस्थानों और निजी कोर्पोरेट सेक्टर ने महत्त्वपूर्ण वृद्धि दर्ज की है.

3. Banking Industry Trends

In view of the need to balance resource and demand to meet the credit off take by the private and public sector the aggregate deposits of the banking system is expected to grow at 18% during the year. On the bank credit side, the non-food credit is expected to grow at 20% during the year.

Notwithstanding several challenges not only from the global economy but also from inflationary trends in the domestic environment the Indian economy remained resilient and its financial institutions and private corporate sector has registered robust growth during the financial year.

4. बैंक का कारोबारी निष्पादन

4.1 पिछले दो वर्षों का बैंक का कुल कारोबार समिश्र निम्नप्रकार है :-

4. Business Performance of the Bank

4.1 The composition of Total Business Mix of the Bank for the last two years is as under:

(रू. करोड़ में) (Amount in crores)

विवरण Particulars	31 मार्च, 2009 की स्थिति As at 31st March, 2009	31 मार्च, 2010 की स्थिति As at 31st March, 2010
कुल जमा राशियां Total Deposits	43050.61	51344.27
कुल अग्रिम Total Advances	29185.36	35721.41
कुल कारोबार संमिश्र Total Business Mix	72235.97	87065.68

4.2 बैंक का संमिश्र कारोबार मार्च 2009 में रू.72235.97 करोड़ से बढ़कर मार्च 2010 में रू.87065.68 करोड़ तक पहुँच गया जो कि वित्त वर्ष 2009-10 के लिए 20.53% की वृद्धि दर्शाता है.

4.2 Business Mix of the Bank has increased from Rs. 72235.97 crores. in March 2009 to Rs. 87065.68 crores as of March 2010 registering a growth of 20.53% for FY 2009-10.

4.3 कुल जमा राशियां 2009-10 के अंत में रू.51345 करोड़ के स्तर तक पहुँच गई जो कि पिछले वर्ष के स्तर रू.43051 करोड़ में 19.26% की वृद्धि दर्शाती हैं.

4.3 Total Deposits has reached to the level of Rs. 51345 crores at the end of FY 2009-10 over Rs. 43051 crores during the corresponding previous year registering a growth of 19.26%.

4.4 बैंक के कुल अग्रिम मार्च 2010 के अंत में रू.35721 करोड़ तक पहुँच गए जो कि पिछले वर्ष के रू.29185 करोड़ के स्तर में 22.40% की वृद्धि दर्शाते हैं.

4.4 Total Advances of the Bank stood at Rs. 35721 crores as of March 2010 compared to level of Rs. 29185 crores in the corresponding previous year. The growth was to the tune of 22.40%.

5. जमा संग्रहण

5.1 वित्त वर्ष 2009-10 के दौरान विभिन्न वर्गों की जमा राशियों में रू.8294 करोड़ की वृद्धि हुई. वित्त वर्ष 2008-09 तथा 2009-10 के लिए जमा राशियों की तुलनात्मक स्थिति निम्न प्रकार है :

5. Deposit Mobilisation

5.1 The incremental growth in different segments of Deposit was to the extent of Rs. 8294 Crs. during the FY 2009-10. A comparative position of Deposits for the FY 2008-09 & 2009-10 is as under:

प्रबंधन विचार विमर्श एवं विश्लेषण MANAGEMENT DISCUSSION AND ANALYSIS

(रू.करोड़ में) (Amt in Crs)

मापदंड PARAMETERS	मार्च 2009 March 2009	मार्च 2010 March 2010
चालू Current	3498 (8.45%)	4507 (9.07%)
बचत Savings	11396 (27.52%)	13813 (27.82%)
सावधि Term	26511 (64.03%)	31337 (63.11%)
कुल जमा राशियां Aggregate Deposits	41405	49657
अंतर बैंक जमा राशियां Inter Bank Deposits	1645	1687
कुल जमा राशियां Total Deposits	43051	51345
कुल जमाओं में चा.खा./ब.खा. (%) CASA to Total Deposits	34.60%	35.68%

(कोष्ठक में दिए गए आँकड़े कुल जमा राशि में प्रतिशत जमा राशि का संकेत करते हैं)

5.2 वर्ष 2009-10 के दौरान कुल जमा राशियों में चालू खाता बचत खाता जमाओं का अंश पिछले वर्ष के 34.60% के स्तर से बढ़कर 35.68% हो गया. वित्त वर्ष 2009-10 के दौरान चालू खाता बचत खाता जमाओं में 23% की वृद्धि हुई.

6. साख अभिनियोजन एवं सुपुर्दगी

बैंक अर्थव्यवस्था की उत्पादक क्षेत्रों की ऋण आवश्यकताओं की पारदर्शी एवं साम्यिक विधि से पूर्ति के लिए वचनबद्ध है. वर्ष 2009-10 के दौरान बैंक ने ऋणों में 22.40% की वृद्धि दर्ज की. संमग्र रूप में बैंक के कुल ऋण मार्च 2009 के रू.29185.36 करोड़ के स्तर से बढ़कर मार्च 2010 के अंत में 35721.41 करोड़ तक पहुँच गए. निवल अग्रिम 31 मार्च, 2009 के रू.28877.96 करोड़ के स्तर से बढ़कर 31 मार्च, 2010 को रू.35462.44 करोड़ के स्तर तक पहुँच गए, जो कि 22.50% की वृद्धि दर्शाते हैं.

प्रौद्योगिकी का उपयोग करते हुए साख सुपुर्दगी समय में गुणात्मक सुधार हुआ है. ऋण प्रस्तावों का शीघ्रता से निपटान करने के लिए बैंक द्वारा किए गए उपाय में शामिल हैं. प्रधान कार्यालय को सीधे रिपोर्ट करने वाली शाखाओं की पहचान (कार्पोरेट कारोबार शाखा/औद्योगिक वित्त शाखा). उचित जांच पड़ताल तथा शीघ्र निर्णय लेने के लिए कार्यपालक निदेशक और उससे उच्च अधिकारियों के विवेकाधिकार के अंतर्गत आनेवाले ऋण प्रस्तावों की संवीक्षा के लिए महाप्रबंधकों की एक "साख समिति" बनाई गई है.

सरकार के कृषि साख पैकेज के अनुसार बैंक कृषि को साख प्रवाह बनाए रखने के लिए लगातार आवश्यक उपाय कर रहा है.

बैंक ने विशेषज्ञ साख सुपुर्दगी चैनेल तैयार किए हैं जैसे कार्पोरेट कारोबार शाखा, लघु मध्यम उद्यमों के लिए केंद्रीयकृत कार्रवाई केंद्र और रिटेल ऋणों के लिए रिटेल आस्ति केंद्र.

बैंक ने प्रौद्योगिकी आधारित अनुसंधान तथा परियोजनाओं की तकनीकी संभाव्यता का विश्लेषण करने के लिए टेक्नो आर्थिक संभाव्यता कक्ष की स्थापना की है. टी ई वी कक्ष को आधुनिक सुविधाएं एवं विशेषज्ञ जनशक्ति उपलब्ध कराई गई है.

(Figures in bracket indicate percentage deposits to aggregate deposits)

5.2 Share of CASA Deposits to Total Deposits during 2009-10 increased to 35.68% from 34.60% in the corresponding previous year. CASA increased by 23% during the Financial year 2009-10.

6. Credit Deployment and Delivery

Bank remains committed to meet the credit requirement of the productive sectors of the economy in a transparent and equitable manner. During the year 2009-10 Bank has registered a growth of 22.40% in credit. In absolute terms, Bank has shown Gross Credit growth from Rs. 29185.36 crores as of March 2009 to Rs. 35,721.41 crores at the end of March 2010. The Net Advances has increased from Rs. 28877.96 crores as on 31st March 2009 to Rs. 35462.44 crores as of 31st March, 2010 registering an increase of 22.50%.

There has been quality improvement in credit delivery time through leveraging the technology. Various initiatives taken by the Bank for speedy disposal of credit proposals include identification of more direct reporting branches (Corporate Business Branch / Industrial Finance Branch) to head office / HO). A Committee of General Manager constitute “Credit Committee” which screens the proposal which falls under the discretionary power of Executive Director and above as a part of due diligence & quick decision-making.

In the line with the Government's Farm Credit Package, the Bank has been continuously taking necessary measures to set up the credit flow to agriculture.

Bank has created specilised credit delivery channel viz. Corporate Business Branch, Centralised Processing Centre for SMEs and Retail Asset Centre for Retail Loan.

Bank has also set up a Techno Economic Viability Cell for technology based research and to analyze technical viability of the projects. The TEV Cell is strengthened with modern infrastructure and specilised manpower.

प्रबंधन विचार विमर्श एवं विश्लेषण MANAGEMENT DISCUSSION AND ANALYSIS

7. प्राथमिकता क्षेत्र को अग्रिम

प्राथमिकता क्षेत्र को ऋण प्रदान के साथ बैंक अपने सामाजिक उत्तरदायित्वों का निरंतर निर्वहन कर रहा है. बैंक ने प्राथमिकता क्षेत्र अग्रिमों के विभिन्न क्षेत्रों को ऋण प्रवाह बढ़ाने के लिए वर्ष के दौरान बहु उन्मुखी योजनाएं अपनायी. मार्च 2009 के रू.9715 करोड़ की तुलना में बैंक के प्राथमिकता क्षेत्र के अग्रिम मार्च 2010 में बढ़कर रू.11718 करोड़ तक पहुँच गए, जो कि पिछले वर्ष के बाद 20.62% की वृद्धि दर्ज करते हैं. मार्च 2010 में समायोजित निवल बैंक साख में प्राथमिकता क्षेत्र अग्रिमों का अनुपात नियामक दिशानिदेशों के 40% की तुलना में 40.15% रहा. कुल उधार खातों में से लगभग 80% उधारकर्ताओं को प्राथमिकता क्षेत्र श्रेणी के अंतर्गत लाभ प्राप्त हुआ है.

8. कृषि उधार

सरकार के कृषि उधार पैकेज के अनुसरण में बैंक कृषि क्षेत्र को ऋण प्रवाह बढ़ाने के लगातार उपाय कर रहा है.

वर्ष के दौरान कृषि उधार मार्च 2009 के रू.3851 करोड़ (भारतीय रिज़र्व बैंक के संशोधित दिशानिदेशों के अनुसार) के स्तर से बढ़कर मार्च 2010 को रू.4826 करोड़ हो गए, जो 25.32% की वृद्धि दर्शाता है. बैंक के समायोजित निवल उधार में कृषि बकाया उधार का अनुपात 15.83% था.

8.1 विशेष कृषि साख योजना के अंतर्गत प्रगति

बैंक ने वर्ष 2008-09 के दौरान रू.1500 करोड़ के लक्ष्य की तुलना में विशेष ऋण योजना के अंतर्गत 100.79% लक्ष्य प्राप्ति दर्ज करते हुए रू.1511.95 करोड़ वितरित किए. कुल ऋण प्रवाह में से अधिक भाग, जो रू.1268.79 करोड़ बनता है, 43421 नए किसानों को लाभ पहुंचाते हुए प्रत्यक्ष कृषि के अंतर्गत प्रदान किया गया.

8.2. देना किसान क्रेडिट कार्ड

वर्ष के दौरान बैंक ने रू.271.27 करोड़ के 32324 नए किसान क्रेडिट कार्ड (के सी सी) जारी किए हैं, जिससे वर्ष के अंत में बैंक द्वारा जारी किए गए किसान क्रेडिट कार्डों की कुल संख्या 175144 तथा ऋण विस्तार रू.1622.15 करोड़ हो गया है.

8.3 सूक्ष्म सिंचाई पद्धति (एम आई एस) के अंतर्गत प्रगति

सूक्ष्म सिंचाई पद्धति को प्रोत्साहन देने के लिए बैंक ने मेसर्स गुजरात ग्रीन रिवोल्युशन कंपनी लिमिटेड के साथ सहयोग से सूक्ष्म सिंचाई पद्धति के संस्थापन के लिए 2602 किसानों को कुल रू.40.37 करोड़ के ऋण वितरित किए हैं.

8.4 भारत सरकार की 2% ब्याज अनुदान योजना के तहत किसानों को राहत

बैंक ने भारत सरकार की 2% ब्याज अनुदान योजना के अंतर्गत 2009-10 के दौरान पात्र किसानों को उत्पादन ऋण के लिए रू.16.15 करोड़ की कुल ब्याज राहत स्वीकृत की है.

8.5 किसान क्लबों की स्थापना

बैंक ने वर्ष के दौरान 223 नए किसान क्लबों की स्थापना में सहायता प्रदान की है जिससे वर्ष के अंत में इनकी कुल संख्या 1501 हो गई है. यह उल्लेख करना उपयुक्त होगा कि गुजरात राज्य में खेडा जिल्ले की हमारी महुधा शाखा द्वारा

7. Advances to Priority Sector:

The Bank has been consistently fulfilling its social obligations in respect of priority sector lending. The Bank had adopted multi pronged strategies during the year, to augment credit flow to various segments of Priority Sector Advances. Priority Sector Advances of the Bank have thus increased from the level of Rs. 9715 crores as of March, 2009 to Rs. 11718 crores as on March, 2010 registering a growth of 20.62% over previous year. The ratio of priority sector advances to Adjusted Net Bank Credit stood at 40.15% as of March, 2010 against the regulatory guidelines of 40%. Out of the total borrowal accounts, about 80% borrowers have been benefited under the category of Priority Sectors.

8. Lending to Agriculture

In line with the Government's Farm Credit Package, the Bank has been continuously taking necessary measures to step up the flow of credit to agriculture.

During the year, the outstanding under agriculture credit increased from the level of Rs. 3851 crores. as on March, 2009 (as per revised guidelines of RBI) to Rs.4826 crores. as on March 2010, representing a growth of 25.32%. The outstanding exposure under agriculture credit represented 15.83% of the Adjusted Net Bank Credit.

8.1 Progress under Special Agricultural Credit Plan

The Bank has disbursed Rs. 1511.95 crores during the year 2009-10 under Special Agriculture Credit Plan as against the target of Rs. 1500 crores thus registering 100.79% achievement. Out of the total credit flow, the major chunk of flow of credit to agriculture amounting to Rs. 1268.79 crores was channelised under direct agriculture benefiting 43421 new farmers.

8.2 Dena Kisan Credit Cards

The Bank has issued 32324 fresh Kisan Credit Cards (KCCs) involving credit assistance of Rs. 271.27 crores during the year, taking the total number of KCCs to 175144 involving an outstanding credit of Rs.1622.15 crores as at the end of the year.

8.3 Progress under Micro Irrigation Systems (MIS)

In order to promote micro irrigation system, the Bank has financed 2602 farmers aggregating to Rs. 40.37 crores for installation of micro irrigation systems in collaboration with M/s. Gujarat Greeen Revolution Company Ltd.

8.4 Relief to Farmers under Govt. of India's 2% interest Subvention Scheme

The Bank has granted total interest relief amounting to Rs. 16.15 crores under 2% interest subvention scheme of Government of India for production credit to the eligible farmers during 2009-10.

8.5 Formation of Farmers' Clubs

The Bank has facilitated formation of 223 new farmers clubs during the year, taking the total number of farmers clubs to 1501 by the end of the year. It is noteworthy to mention that Dena Singhali Farmers Club promoted by our Mahuda branch of Kheda district in the state

प्रबंधन विचार विमर्श एवं विश्लेषण MANAGEMENT DISCUSSION AND ANALYSIS

प्रोन्नत देना सिंघाली किसान क्लब ने गुजरात राज्य में उत्तम निष्पादक किसान क्लब के रूप में माननीय केंद्रीय वित्त मंत्री के कर कमलों से राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त किए हैं.

8.6 स्वयं सहायता समूहों (एस एच जी) को वित्तीयन

मार्च 2010 तक बैंक द्वारा साख संबद्ध स्वयं सहायता समूहों की संख्या बढ़कर 19458 तक पहुँच गई जिनमें रू.73.93 करोड़ की रकम शामिल है. पिछले वर्ष के अंत में साख संबद्ध स्वयं सहायता समूहों की संख्या 6633 थी.

8.7 महिलाओं को ऋण प्रवाह

मार्च 2009 के रू.1185 करोड़ के स्तर की तुलना में महिलाओं को ऋण प्रवाह का स्तर मार्च 2010 में बढ़कर रू.1579.35 करोड़ हो गया है, जिससे इसमें 33.28% की वृद्धि दर्ज हुई है. भारत सरकार द्वारा निर्धारित 5% लक्ष्य की तुलना में महिलाओं को बकाया ऋण प्रवाह समायोजित निवल बैंक ऋण का 5.41% है. महिला सशक्तिकरण के बारे में जागरूकता लाने के लिए बैंक ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर अनेक कार्यक्रम आयोजित किए.

8.8 कमजोर वर्गों को अग्रिम

प्राथमिकता क्षेत्र में हो रहे विकास के साथ-साथ कमजोर वर्गों के अग्रिमों में भी वृद्धि हुई है. मार्च, 2009 में इन अग्रिमों का स्तर रू.1462 करोड़ था, जो मार्च 2010 में बढ़कर रु. 2049.54 करोड़ हो गया, जो कि 40.19% की वृद्धि दर्शाता है. कमजोर वर्गों को बैंक का अग्रिम समायोजित निवल बैंक साख का 7.02% रहा.

8.9 अनुसूचित जाति / जनजाति को अग्रिम

प्राथमिकता क्षेत्र के अंतर्गत अ.जा./अ.ज.जा. को अग्रिमों का कुल स्तर मार्च, 2009 में रु. 492.71 करोड़ था जो मार्च,2010 में बढ़कर रू. 615.88 करोड़ हो गया, जो 24.99% की वृद्धि दर्शाता है. अजा / अजजा को अग्रिमों का हिस्सा प्राथमिकता क्षेत्र के ऋणों का पिछले वर्ष के 5.07% से बढकर 5.26% हो गया है.

8.10 सी.जी.टी.एम.एस.ई. योजना के अंतर्गत गारंटी सुरक्षा

लघु एवं सूक्ष्म उद्यमियों को संपार्श्विक मुक्त ऋण प्रदान करने के लिए बैंक लघु एवं सूक्ष्म उद्यमों के लिए साख गारंटी निधि न्यास (सी.जी.टी.एम.एस.ई.) की गारंटी योजना के अंतर्गत सहभागिता कर रहा है. उद्यमियों का भार कम करने के लिए बैंक गारंटी शुल्क का 50% भी वहन कर रहा है. वर्षांत में रू.119.67 करोड़ के 3318 मामलों को इस योजना के तहत गारंटी सुरक्षा प्रदान की गई है.

8.11 स्वर्ण जयंती ग्रामीण आवास वित्त योजना (जी.जे.आर.एच.एफ.एस)

ग्रामीण क्षेत्रों में रिहायशी इकाइयों को वित्तपोषण करने के उद्देश्य से बैंक स्व.ज.ग्रा.आ.वि. योजना का कार्यान्वयन कर रहा है. वर्ष के दौरान बैंक ने 3046 लाभार्थियों को ऋण स्वीकृत किये और समीक्षाधीन वर्ष के दौरान इस योजना के अंतर्गत बैंक ने 101.50% तक लक्ष्य प्राप्ति की.

8.12 देना सूर्य ऊर्जा योजना

बैंक गैर-पारंपरिक ऊर्जा संसाधन मंत्रालय के तत्वावधान में भारतीय

8.6 Financing to Self Help Groups (SHGs)

The cumulative number of SHGs credit linked by the bank increased to 19458 as of March 2010 involving an outlay of Rs. 73.93 crores as against 6633 SHGs credit linked upto previous year.

8.7 Credit Flow to Women

The aggregate credit flow to women has increased from the level of Rs. 1185 crores as of March 2009 to a level of Rs 1579.35 crores as of March, 2010 representing a growth of 33.28% as at the end of the year. The outstanding credit flow to women constituted 5.41% of the Adjusted Net Bank Credit as against a target of 5% set by the Govt. of India. With a view to create awareness on women empowerment, the Bank had organized a number of events on the International Women's Day.

8.8 Advances to weaker sections

Consistent with the growth in priority sector advances, the advances to the weaker sections increased from the level of Rs. 1462 crores as of March 2009 to Rs. 2049.54 crores as of March 2010, representing a growth of 40.19%. The Bank's advances to weaker section stood at 7.02 % of the Adjusted Net Bank Credit.

8.9 Advances to SCs / STs Communities

The aggregate level of advances to SC/ST Communities, within the priority sector increased from the level of Rs. 492.71 crores as of March 2009 to Rs. 615.88 crores as of March 2010 showing a growth of 24.99%. The share of advances to SC/ST increased to 5.26% of the priority sector credit as against 5.07% during the previous year.

8.10 Coverage under CGTMSE scheme

The Bank has been participating under the guarantee scheme of the Credit Guarantee Fund Trust for Small and Micro Enterprises (CGTMSE) to provide collateral free loans to small and micro-enterprises. In order to mitigate the burden on entrepreneurs, the Bank is also bearing the 50% of the Guarantee fees. The total number of cases covered under the scheme stood at 3318 with a guarantee cover of Rs. 119.67 crores as at the end of the year.

8.11 Golden Jubilee Rural Housing Finance Scheme (GJRHFS)

In order to promote financing of dwelling units in rural areas, the Bank has been implementing GJRHFS. The Bank has granted loan to 3046 beneficiaries during the year and achieved the target to the extent of 101.50% under the scheme, during the year.

8.12 Dena Surya Urja Scheme

The Bank is financing installation of solar water heating systems

प्रबंधन विचार विमर्श एवं विश्लेषण MANAGEMENT DISCUSSION AND ANALYSIS

नवीकरणीय ऊर्जा विकास एजेंसी लिमिटेड (आई आर ई डी ए) के साथ गठबंधन के तहत घरेलू, औद्योगिक तथा वाणिज्यिक सेक्टर को ब्याज की कम दरों पर वित्त प्रदान कर रहा है. योजना के अंतर्गत 308 लाभार्थियों को रू. 103.00 लाख का वित्त प्रदान किया गया.

8.13 अल्प संख्यकों के कल्याण के लिए प्रधान मंत्री का 15 सूची कार्यक्रम

भारत सरकार के दिशानिदेशों के अनुसार बैंक ने एक कार्य योजना तैयार की है जिसमें अगले तीन वर्षों के लिए राज्यवार वार्षिक लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं ताकि अल्प संख्यक समुदायों को प्राथमिकता क्षेत्र के अंतर्गत अग्रिमों में मार्च 2010 के अंत तक 15% वृद्धि की जा सके. विनिर्दिष्ट अल्पसंख्यक समुदायों को बैंक के अग्रिम रू.932.89 करोड़ हैं जो कि मार्च, 2010 में प्राथमिकता क्षेत्र अग्रिमों का 7.96% है.

8.14 सरकार द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम

भारत सरकार ने ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में सूक्ष्म उद्यमों की स्थापना के माध्यम से रोजगार अवसर सृजित करने के लिए दिनांक 01.04.2008 से ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम (आर ई जी पी) एवं प्रधान मंत्री रोजगार योजना (पी एम आर वाई) को मिलाकर प्रधान मंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पी एम ई जी पी) नाम से नयी योजना की शुरूआत की है.

बैंक गरीबी उन्मूलन तथा स्वरोजगार सृजन की सरकार द्वारा प्रायोजित योजनाओं का सक्रियता से कार्यान्वयन कर रहा है. बैंक ने पी.एम.ई.जी.पी. के अंतर्गत 432 लाभार्थियों को रु. 14.97 करोड़, तथा स्वर्णजयंती ग्राम स्वरोजगार योजना के अंतर्गत 3538 लाभार्थियों को रु. 24.15 करोड़ एवं स्वर्ण जयंती शहरी स्वरोजगार योजना (एस जे एस आर वाई) के तहत 1620 लाभार्थियों को रू. 6.10 करोड़ के ऋण स्वीकृत किए हैं.

8.15 देना सामान्य क्रेडिट कार्ड (डी जी सी सी) योजना

बैंक ग्रामीण तथा उपनगरीय क्षेत्रों में अल्प साधनों वाले उधारकर्ताओं को इस योजना के अंतर्गत रु. 25000/- तक की ओवरड्राफ्ट सुविधा प्रदान कर रहा है. मार्च 2010 तक बैंक ने 9197 डी जी सी कार्ड जारी किये हैं.

8.16 देना भूमिहीन किसान क्रेडिट कार्ड

बैंक ने पट्टेदार किसानों, मौखिक पट्टाधारकों, बंटायी में खेती करनेवाले किसानों, भूमिहीन मजदूरों, आदि के लिए एक विशेष योजना आरंभ की है जिसके अंतर्गत विभिन्न कृषि तथा संबद्ध क्रियाकलापों, जिसमें उपभोग भी शामिल है, के लिए रू.25000/- तक ऋण सुविधा प्रदान की जाती है. योजना के अंतर्गत वर्ष के दौरान 2736 भूमिहीन किसान क्रेडिट कार्ड जारी किए गए हैं.

9. वित्तीय साक्षरता: साख परामर्श केंद्र

भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंकों को संबंधित अग्रणी जिलों में साख परामर्श केंद्र खोलने के निदेश दिए हैं ताकि दूरवर्ती क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को जानकारी दी जा सके और बैंकों की शाखाओं के बीच समन्वय के साथ जिले में वित्तीय सेवाओं से वंचित जनता को बैंकिंग सेवाएँ प्रदान की जा सकें और 100% वित्तीय समावेशन सुनिश्चित किया जा सके. तद्नुसार साख परामर्श केंद्र स्थापित करने के बारे में भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिदेशों के अनुसरण में

for domestic, industrial and commercial sectors at soft rates of interest under tie up arrangement with Indian Renewable Energy Development Agency Limited (IREDA) under the aegis of Ministry of New and Renewable Energy Resources (MNRE). Under the scheme, an aggregate loan amount of Rs 103.00 lacs has been extended to 308 beneficiaries.

8.13 Prime Minister's 15 point Programme for the welfare of Minorities

As per the guidelines of the Govt. of India, the Bank has prepared road map laying down specific state-wise annual targets over the next three years to ensure that priority sector lending to minority communities is raised to 15% by the end of March 2010. The Bank's advances to specified minority communities stood at Rs.932.89 crores which constituted 7.96% of Priority Sector Advances as of March 2010.

8.14 Government Sponsored Schemes

The Govt. of India has introduced Prime Minister's Employment Generation Programme (PMEGP) by merging Rural Employment Generation Programme (REGP) and Prime Minister's Rozgar Yojana (PMRY) for generation of employment opportunities through establishment of micro enterprises in rural as well as in urban areas effective from 01.04.2008.

The Bank is actively implementing government sponsored schemes aimed at eradication of poverty and for generating self employment. The Bank has sanctioned loans to 432 beneficiaries under PMEGP amounting to Rs. 14.97 crores and 3538 beneficiaries under Swarnajayanti Gram Swarojgar Yojana amounting to Rs. 24.15 crores and also granted loans to 1620 beneficiaries under Swarna Jayanti Shahari Rozgar Yojana (SJSRY) to the tune of Rs. 6.10 crores.

8.15 Dena General Credit Card (DGCC) Scheme

The Bank is providing overdraft facility upto Rs.25,000/- under this scheme to borrowers of small means under rural and semi-urban areas. The Bank has issued 9197 DGC Cards as of March 2010.

8.16 Dena Bhoomiheen Kisan Credit Card

The Bank has introduced a special scheme for tenant farmers, oral lessees, share croppers, landless labourers etc. wherein credit facility up to Rs. 25,000/- is granted for various agricultural and allied purposes with a provision of consumption also. Under the scheme, 2736 Bhoomiheen Kisan Credit Cards have been issued during the year.

9. Credit Counselling Centers / Financial Literacy

RBI has directed the Banks to open the Credit Counselling centers in the respective Lead districts in order to increase the outreach to the remote places and ensure banking services to the uncovered population, in the district with the coordination among Banks branches to ensure 100% financial inclusion. Accordingly, in pursuance with the guidelines of RBI to set up Credit Counselling Centres, Bank has rolled out its first Credit Counselling Centre

प्रबंधन विचार विमर्श एवं विश्लेषण MANAGEMENT DISCUSSION AND ANALYSIS

बैंक ने गांधीनगर क्षेत्र के अंतर्गत हिम्मतनगर (जिला साबरकांठा) में दिनांक 08.08.2007 को अपना प्रथम साख परामर्श केंद्र स्थापित किया. बैंक ने गुजरात राज्य में पालनपुर, मेहसाणा, भुज, हिम्मतनगर, गांधीनगर तथा दादरा नगर हवेली केंद्र शासित प्रदेश में सिलवासा में साख परामर्श केंद्र खोले हैं. उक्त केंद्रों का नाम देना मित्र रखा गया है.

10. वित्तीय समावेशन

बैंक ने एक वित्तीय समावेशन योजना तैयार की है, जिसमें अग्रणी बैंक योजना के अंतर्गत विभिन्न राज्य स्तरीय बैंकर समितियों द्वारा बैंक को आवंटित 801 गांवों में बैंकिंग सेवाएं प्रदान करने के लिए बैंकिंग केंद्र खोलने का प्रावधान है. इसके अलावा योजना में बैंकिंग केंद्र के अलावा अन्य सुविधाओं का विस्तार भी शामिल है जैसे शून्य जमा खाते, देना सामान्य क्रेडिट कार्ड (डी.जी.सी.सी.), देना किसान क्रेडिट कार्ड(डी.के.सी.सी.), सूक्ष्म बीमा एवं म्यूच्युअल फंड उत्पाद आदि.

बैंक ने गुजरात राज्य के दो जिलों एवं दादरा एवं नगर हवेली केंद्र शासित प्रदेश के एक जिले, जिनमें 135 गांव शामिल होंगे, में वित्तीय समावेशन के लिए कारोबार प्रतिनिधि के रूप में मेसर्स जीरो माइक्रो एवं सेविंग सपोर्ट फाउन्डेशन (जेडएमएफ) तथा प्रौद्योगिकी प्रदाता के रूप में मेसर्स लिटिल वर्ल्ड के साथ गठजोड़ किया है.

छत्तीसगढ़ में वित्तीय समावेशन के लिए कारोबार प्रतिनिधि के रूप में मेसर्स फीनो फीनटेक फाउंडेशन (एफएफएफ) तथा प्रौद्योगिकी प्रदाता के रूप में मेसर्स फिनानशियल इनफॉर्मेशन नेटवर्क तथा ऑपरेशन्स् लिमिटेड (फिनो) के साथ गठजोड़ किया है.

11. कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व

11.1 ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान (आर.एस.ई.टी.आई.)

देना बैंक ने ग्रामीण विकास में विभिन्न कार्यों के लिए रू.50 लाख की आरंभिक पूंजी के साथ एक सोसायटी "देना ग्रामीण विकास प्रतिष्ठान"(डीआरडीएफ) की स्थापना की है. डीआरडीएफ ने बैंक के अग्रणी जिलों में, जिनमें बैंक अग्रणी बैंक की जिम्मेदारी निभा रहा हैं, में 11 स्वरोजगार प्रशिक्षण केंद्र (आरएसईटीआई) स्थापित किए है इनमें शामिल हैं गुजरात राज्य में (1) अहमदाबाद, (2) कच्छ, (3) मेहसाणा, (4) बनासकांठा, (5) साबरकांठा, (6) पाटण तथा छत्तीसगढ़ राज्य में (7) दुर्ग, (8) धमतरी, (9) महासमुंद, (10) रायपुर, (11) राजनंदगांव, 11 आर.एस.ई.टी.आई. में से वित्त वर्ष 2009-10 के दौरान 8 आर.एस.ई.टी.आई. ने कार्य करना आरंभ कर दिया है. इन आर.एस.ई.टी.आई. ने 231 प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए और 6063 युवकों को विभिन्न कार्यकलापों के लिए प्रशिक्षण प्रदान किया.

वर्ष के दौरान बैंक ने गुजरात तथा छत्तीसगढ़ राज्य में बैंक के अग्रणी जिलों में देना आर.एस.ई.टी.आई. के परिचालन और रखरखाव के लिए डी आर डी एफ की पूंजी में और रू.100 लाख का अंशदान किया.

11.2 बालिकाओं की शिक्षा को प्रायोजित करना

कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व के भाग के रूप में, बैंक ने एक अभिनव योजना "देना लक्ष्मी शिक्षा प्रोत्साहन योजना" का शुभारंभ किया है, जिसके अंतर्गत बैंक अपने सेवा क्षेत्र के गांवों की बालिकाओं की शिक्षा को प्रायोजित करेगा.

at Himatnagar (Dist. Sabarkantha) in Gandhinagar Region on 08.08.2007. Bank has opened Credit Counselling centers at Palanpur, Mehsana, Bhuj, Himmat Nagar and Gandhinagar in the state of Gujarat and Silvassa in the UT of Dadra & Nagar Haveli. The said centers are chiristened as Dena Mitras.

10. Financial Inclusion

The Bank has prepared a Financial Inclusion Plan which envisages road map for provision of banking services through banking outlet in 801 villages allocated to it by various SLBCs under Lead Bank Scheme. The Plan apart, from provision of banking outlets, also includes extension of facilities like “No frills” accounts, Dena General Credit Cards (DGGC), Dena Kisan Credit Card (DKCC), Micro insurance and Mutual Fund products, etc.

The Bank has signed a MOU with M/s. Zero Microfinance Saving & Support Foundation as Business Correspondent and with M/s. A Little World as technology provider for the financial inclusion in two districts of Gujarat and one district of U.T. of Dadra & Nagar Haveli covering 135 villages.

A MOU is signed with M/s. FINO Fintech Foundation (FFF) as Business Correspondent and with M/s. Financial Information Network & Operations Limited (FINO) as technology provider for the financial inclusion in Chhattisgarh.

11. Corporate Social Responsibilities

11.1 Rural Self Employment Training Institute (RSETIs)

Dena Bank has set up a society known as Dena Rural Develoment Foundation (DRDF) with a initial corpus of Rs. 50 Lacs to take up various initiatives in rural development. DRDF in turn has established 11 Rural Self Employment Training Institutes (RSETIs) in its lead districts viz. (i) Ahmedabad, (ii) Kutch, (iii) Mehsana, (iv) Banaskantana, (v) Sabarkanta (vi) Patan in the state of Gujarat and (vii) Durg, (viii) Dhamtari (ix) Mahasamund (x) Raipur (xi) Rajandgaon in the state of Chhattisgarh, where bank is shouldering the responsibility of lead bank. Out of these 11 RSETIs, 8 RSETIs were operationalised during the financial year 2009-10. These RSETIs have organised 231 training programmes and have imparted training to 6063 youth for various activities.

The Bank has further contributed to Rs. 100 lacs to the corpus of DRDF during the year for running and maintenance of Dena RSETIs in Bank’s lead districts in the state of Gujarat and Chattishgarh.

11.2 Sponsoring Education of Girl Child

As a part of Corporate Social Responsibility, the Bank had introduced a nobel scheme viz. Dena Laxmi Shiksha Protsahan Yojana to sponsor education of Girl students in the villages served by the Bank. The scheme aims at providing a scholarship

प्रबंधन विचार विमर्श एवं विश्लेषण MANAGEMENT DISCUSSION AND ANALYSIS

इस योजना के अंतर्गत बैंक अपनी शाखाओं के कमान क्षेत्र में आने वाले स्कूलों में से गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों (बी पी एल) की, प्रत्येक स्कूल से सातवीं कक्षा में प्रथम एवं द्वितीय रैंक प्राप्त करने वाली छात्राओं की पहचान करेगा और उन्हें क्रमश:रू.2000/- और रू.1500/- की छात्रवृत्ति प्रदान करेगा. इस योजना के अंतर्गत बैंक ने अभी तक 1856 छात्राओं को छात्रवृत्ति प्रदान की है.

of Rs. 2000/- and Rs.1500/- per annum to identified girl students belonging to Below Poverty Line (BPL) family, to be selected from each of the schools based on first and second rank respectively secured in 7th Standard, from the villages under the command area of the Bank. The Bank has so far provided scholarships to 1856 girl students under the scheme.

11.3 राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति (एस.एल.बी.सी.) उत्तरदायित्व

बैंक गुजरात राज्य में राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति के संयोजक के रूप में तथा केंद्र शासित प्रदेश दादरा एवं नगर हवेली में यू टी एल बी सी के संयोजक संबंधी उत्तरदायित्वों का सफलतापूर्वक निर्वाह कर रहा है. राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति ने गुजरात राज्य के समग्र विकास के लिए विभिन्न प्राथमिकता क्षेत्र और विकासशील योजनाओं की निरंतर निगरानी के द्वारा महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है. बैंक भारत सरकार द्वारा घोषित प्रोत्साहन पैकेज के अंतर्गत सूक्ष्म, लघु, मध्यम उद्यमों, ऑटो, आवास क्षेत्रों को ऋण प्रवाह की भी निगरानी कर रहा है. गुजरात राज्य की एस.एल.बी.सी. के संयोजक के रूप में बैंक ने 2000 से अधिक जनसंख्या वाले 3520 गांवों की पहचान की है और यह गांव मार्च 2012 तक बैंकिंग केंद्र के माध्यम से बैंकिंग सेवाएं प्रदान करने के लिए विभिन्न बैंकों में आवंटित किए गए हैं. इसके अतिरिक्त संयोजक बैंक के रूप में बैंक ने 2000 से अधिक जनसंख्या वाले 30 गांवों की पहचान की है और मार्च 2012 तक बैंकिंग केंद्र के माध्यम से बैंकिंग सेवाएं प्रदान करने के लिए दादरा नगर हवेली केंद्र शासित प्रदेश में परिचालन करनेवाले विभिन्न बैंकों में वह आवंटित किए गए हैं.

11.3 State Level Bankers' Committee (SLBC) Responsibilities

The Bank has been successfully discharging its responsibilities as a Convener of SLBC for the State of Gujarat and also as Convener of UTLBC for the Union Territory of Dadara & Nagar Haveli. The SLBC has played catalytic role for the development of banking in the State of Gujarat through constant monitoring of various Priority Sector and developmental schemes. The Bank has also been monitoring the credit flow to MSME, auto, housing sectors under the stimulus package announced by the Government of India. As the Convenor for SLBC for Gujarat State, the Bank has identified 3520 villages having population in excess of 2000 and the same have been allocated among various Banks to provide banking services through a banking outlet by March 2012. Besides, as the Convenor Bank, it has also identified 30 villages having population in excess of 2000 and allocated the same among various Banks operating in UT of Dadra Nagar Haveli to provide banking services through a banking outlet by March 2012.

11.4 अग्रणी बैंक योजना

बैंक देश के 13 जिलों में अग्रणी बैंक की भूमिका निभा रहा है जिनमें से 7 जिले गुजरात में, 5 जिले छत्तीसगढ़ में तथा एक केंद्र शासित प्रदेश दादरा एवं नगर हवेली शामिल है.

11.4 Lead Bank Scheme

The Bank is successfully discharging its Lead Bank responsibility in 13 districts of which 7 districts are located in Gujarat, 5 districts in Chhattisgarh and one in Union Territory of Dadra & Nagar Haveli.

12. कृषि ऋण छूट एवं ऋण राहत योजना 2008

दिनांक 29 फरवरी, 2008 को माननीय वित्त मंत्री ने अपने बजट भाषण में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों तथा सहकारी ऋण संस्थानों के साथ-साथ सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों द्वारा कार्यान्वयन हेतु अन्य किसानों के साथ लघु एवं मध्यम किसानों तथा भूमिहीन मजदूरों के लिए ऋण छूट एवं ऋण राहत नामक योजना की घोषणा की थी.

यह योजना सभी शाखाओं में सफलता पूर्वक कार्यान्वित की गई. बैंक ने ऋण छूट योजना के अंतर्गत 27547 खाते शामिल किए और उनके द्वारा रू.76.94 करोड़ की छूट स्वीकृत की. आगे, बैंक ने ऋण राहत योजना के अंतर्गत 17521 खातों में रू.44.31 करोड़ की राहत प्रदान की.

ऋण छूट के अंतर्गत रू.76.94 करोड़ के कुल दावों में से बैंक को रू.49.81 करोड़ की आंशिक दावा राशि प्राप्त हो गयी है.

12. Agriculture Debt Waiver and Debt Relief Scheme 2008

The Hon. Finance Minister during his budget speech on 29th February, 2008 announced a scheme for small and marginal farmers and land less labourers along with other farmers named as Agriculture Debt Waiver and Debt Relief Scheme, 2008 for implementation by all schedule commercial banks besides RRBs and cooperative credit institutions.

The scheme is successfully implemented in all the branches. Bank covered 27547 accounts under debt waiver and thereby granted a waiver of Rs. 76.94 crores. Further, Bank covered 17521 accounts under debt relief scheme involving relief of Rs. 44.31 crores.

Under debt waiver, out of total claim of Rs.76.94 crores, Bank has already received part claim amounting to Rs. 49.81 crores.

13. देना बैंक द्वारा प्रायोजित क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक

देना बैंक ने दो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक प्रायोजित किए हैं जिनमें एक गुजरात राज्य में "देना गुजरात ग्रामीण बैंक" के नाम से तथा दूसरा छत्तीसगढ़ राज्य में "दुर्ग राजनांदगांव ग्रामीण बैंक" के नाम से कार्यरत हैं. देना बैंक द्वारा प्रायोजित दोनों क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की कुल मिलाकर 249 शाखाएं हैं जो गुजरात तथा

13. Regional Rural Banks sponsored by the Bank

The Bank has sponsored two RRBs namely Dena Gujarat Gramin Bank (DGGB) in the State of Gujarat and Durg Rajnandgaon Gramin Bank (DRGB) in the State of Chhattisgarh. Both the RRBs sponsored by Dena Bank have a network of 249 branches spread over 10 districts of Gujarat and Chhattisgarh. The

प्रबंधन विचार विमर्श एवं विश्लेषण MANAGEMENT DISCUSSION AND ANALYSIS

छत्तीसगढ़ के 10 जिलों में फैली हुई हैं. मार्च 2010 में इन क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का कुल मिश्रित कारोबार रू.3416.87 करोड़ था. 31.03.2010 को समाप्त वित्त वर्ष के लिए दोनों क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों ने कुल रू.24.16 करोड़ का निवल लाभ अर्जित किया. मार्च 2010 के अंत में दोनों क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का संचयी अधिशेष रू.100.49 करोड़ था.

total business mix of these RRBs stood at Rs.3416.87 crores (unaudited) as of March 2010. For the financial year ended 31st March, 2010, both the RRBs together have earned net profit of Rs. 24.16 crores and has accumulated surplus of Rs 100.49 crores as of March 2010.

14. लघु एवं मध्यम उद्यम क्षेत्र को अग्रिम

भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास में लघु एवं मध्यम उद्यम क्षेत्र एक मुख्य क्षेत्र के रूप में बना रहा. भारत सरकार ने सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम इकाइयों को आगे बढ़ाने, उनका विकास करने और उनमें प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाने के लिए जून 2006 में सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम अधिनियम 2006 बनाया है. इस अधिनियम में सू.ल. एवं म. उद्यम की नई परिभाषा दी गई है और इसके विकास की सहायतार्थ आधारभूत ढ़ांचे का भी उल्लेख किया गया है.

उपरोक्त परिप्रेक्ष्य में बैंक ने ल. एवं म.उ. क्षेत्र के विकास हेतु पहले से ही उठाए गए कदमों को और गति प्रदान की है तथा निम्नानुसार प्रयास जारी रखे:

- ✓ लघु एवं मध्यम उद्योग वित्तीयन पर केंद्रीकृत ध्यान देने हेतु 68 शाखाओं की ल. एवं म.उ. शाखा के रूप में पहचान की गई.
- ✓ लघु एवं मध्यम उद्यमियों को उनकी परियोजनाओं के संबंध में मार्गदर्शन देने और उनकी साख आवश्यकताओं का आकलन करने एवं उन्हें सलाह मशविरा देने के लिए क्षेत्रीय कार्यालयों में एस.एम.ई. सहायता डेस्क आरंभ किये गये. लघु एवं मध्यम उद्योगों की आवश्यकताओं एवं शिकायतों, यदि कोई हों, के समाधान के लिए सभी क्षेत्रीय कार्यालयों में क्षेत्रीय सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यम देखभाल केंद्रों का गठन किया गया.
- ✓ लघु एवं मध्यम उद्यमों से संबंधित प्रस्तावों पर शीघ्र कार्रवाई के लिए विभिन्न केंद्रों में 15 एस एम ई कार्रवाई केंद्र / कक्ष कार्यरत हैं.
- ✓ बैंक ने ऋण रेटिंग के लिए एस.एम.ई.आर.ए. और इकाइयों के सह-वित्तीयन हेतु भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक के साथ व्यवस्था द्वारा ब्याज रियायत के लिए एस एम ई इकाइयों को प्रोत्साहित करना जारी रखा.

उपरोक्त सभी उपायों के परिणाम स्वरूप लघु एवं मध्यम उद्यम क्षेत्र को साख में 18.28% की वृद्धि हुई. समग्र रूप में लघु एवं मध्यम उद्यमों को अग्रिम मार्च 2009 में रू.4774.74 करोड़ से बढ़कर वर्ष के अंत में रू.5647.36 करोड़ तक पहुंच गए. सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों को अग्रिमों में 22.38% की वृद्धि हुई. संपूर्ण रूप में सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों को अग्रिम मार्च 2009 में रु. 4035.37 करोड़ से बढ़कर वर्ष के अंत में रू.4937.82 करोड़ तक पहुंच गए.

14. Advances to SME Sector

SME Sector continued to be one of the key segments in the growth of Indian Economy. The Government of India had passed, the Micro, Small & Medium Enterprises Development Act, 2006 [MSME Act, 2006] in June 2006 for promotion, development and enhancing competitiveness of MSME units. Besides defining the MSME units, supporting structures for facilitating growth of MSME have also been laid down under the said Act.

In the light of the above enactment, the Bank had given further momentum to the steps already initiated to foster the flow of credit to SME units and had continued the following initiatives.

- ✓ 68 branches are identified as SME Branches to have focused attention on SME finance.
- ✓ SME Help Desk has been introduced at Regional Offices for providing counseling and guidance to SME Entrepreneurs on their projects and assessing their credit requirements. Regional MSME Care Centres have been set up at all ROs to attend to requirements and grievances, if any, of SMEs.
- ✓ To expedite the processing the SME proposals 15 SME processing centers / cells are functioning at various centers.
- ✓ The Bank continues to encourage SME units for interest incentives through its arrangement with SMERA for credit rating and with SIDBI for co-financing of units.

All these measures resulted in growth of SME credit by 18.28%. In absolute terms, the SME advances increased from Rs. 4774.74 crores as on March 2009 to Rs. 5647.36 crores as at the end of the year. Credit to Micro and Small Enterprises grew by 22.38%. In absolute terms, Micro & Small Enterprises advances increased from Rs. 4035.37 crore as on March, 2009 to Rs. 4937.82 crores as at the end of the year.

15. ऋणों का पुनर्गठन

ऋणों का पुनर्गठन ऐसे उधारकर्ताओं के मामलों में किया जाता है, जो बाजार की स्थितियों और अन्य उपयुक्त कारणों से बैंक की राशियों का भुगतान करने की स्थिति में नहीं हैं. बैंक द्वारा पुनर्गठन कॉर्पोरेट ऋण पुनर्गठन तंत्र (सीडीआर) के अधीन किया जाता है.

ऐसे बड़े उधारकर्ताओं के मामले में जो सहायता संघ व्यवस्था / बहु बैंकिंग व्यवस्था के अंतर्गत ऋण सुविधाएं प्राप्त कर रहे है उनकी ऋण सीमाओं का पुनर्गठन सीडीआर तंत्र के अंतर्गत किया जाता है.

15. Restructuring of Debts

Restructuring of debts is undertaken in case of the borrowers who are not in a position to repay the dues of the Bank because of market conditions, problems faced by them or because of any other genuine purpose. The restructuring is done by the Bank and also under Corporate Debt Restructuring (CDR) Mechanism.

In case of large borrowers who are enjoying limits under consortium / multiple banking arrangement the limits are restructured under CDR Mechanism.

प्रबंधन विचार विमर्श एवं विश्लेषण MANAGEMENT DISCUSSION AND ANALYSIS

वर्ष के दौरान 422 खातों का पुनर्गठन किया गया जिनमें 31.03.2010 को रू.429 करोड़ की कुल राशि बकाया थी.

31.03.2010 को पुनर्गठन के अंतर्गत कुल बकाया राशियां रू.1363.46 करोड़ (खातों की संख्या 8272) थी.

16. रिटेल साख

बैंक के साख संविभाग में वृद्धि के लिए रिटेल ऋणों की एक महत्त्वपूर्ण भाग के रूप में पहचान की गई है. बैंक की 9 रिटेल बैंकिंग योजनाएं हैं जो कि ग्राहकों की आवश्यकताओं को पूरी कर रही हैं. योजनाओं में बाजार परिदृश्य, ग्राहकों की आवश्यकताओं तथा शाखा स्तर पर कार्य करने वाले अधिकारियों से प्राप्त सूचनाओं के अनुसार समय - समय पर संशोधन किया जाता है. रिटेल बैंकिंग योजनाओं का प्रचार करने के लिए गहन प्रयास किए गए.

वित्त वर्ष के दौरान प्रत्यक्ष रिटेल ऋणों की बकाया राशियों में 13.29% की वृद्धि हुई और इसके फलस्वरूप रिटेल ऋण 31.03.2010 तक रू.454.84 करोड़ की वृद्धि के साथ रू.3877.25 करोड़ तक पहुँच गए. कुल रिटेल ऋण मार्च 2009 को रू.4424.44 करोड़ से बढ़कर मार्च 2010 को रू.5379.91 करोड़ तक पहुँच गए जो कि रू.955.47 करोड़ (21.60%) की वृद्धि दर्शाते हैं.

16.1 रिटेल आस्ति शाखाएं.

बैंक के रिटेल ऋण संविभाग को बढ़ाने के लिए उपलब्ध संभावनाओं का लाभ उठाने तथा बेहतर गुणवत्ता, समानता एवं मूल्यांकन और स्वीकृति की गति सुनिश्चित करने के लिए, बैंक ने जे.वी.पी.डी. मुंबई, अहमदाबाद, कोलकाता तथा नई दिल्ली में विद्यमान 4 रिटेल आस्ति शाखाओं के अलावा वर्ष के दौरान 8 और रिटेल आस्ति शाखाएं आरंभ की, जो कि हैदराबाद, बेंगलुरू, चेन्नै, लखनऊ, पुणे, सूरत, भोपाल और भांडुप (मुंबई) में स्थित हैं. वर्तमान में 12 रिटेल आस्ति शाखाएं कार्यरत हैं. रिटेल आस्ति शाखाएं रिटेल अग्रिमों से संबंधित सभी कार्य करेंगी और यह सुनिश्चित करेंगी की रिटेल कारोबार में मात्रात्मक और गुणात्मक वृद्धि हो और शाखाओं के कार्यों और प्रयासों में बहुलता न हो.

16.2 योजना का परिष्करण

बैंक ने अपनी विभिन्न रिटेल योजनाओं अर्थात देना किराया योजना, देना सुविधा वैयक्तिक ऋण, देना ऑटो वित्त, देना निवास आवास वित्त और देना विद्यालक्ष्मी शैक्षणिक ऋण योजना में और परिष्करण किया है जिससे वे ग्राहकों की अपेक्षाओं के अनुसार हो सकें.

16.3 आवास वित्त

आवास ऋण के अंतर्गत वर्ष के दौरान रू.866.12 करोड़ के नए वितरण किए गए जिससे बकाया ऋण मार्च 2009 में रू.2865.94 करोड़ से बढ़कर वर्ष के अंत में रू.3594.13 करोड़ तक पहुंच गए जो कि 25.41% की वृद्धि दर्शाते हैं.

16.4 शैक्षणिक ऋण

शैक्षणिक ऋण योजना के अंतर्गत बकाया ऋण रू.252.11 करोड़ से बढ़कर वर्ष के अंत रू.289.38 करोड़ तक पहुंच गए जो कि रू.37.27 करोड़ (14.78%) की वृद्धि दर्शाते हैं.

During the year 422 No. of accounts are restructured having aggregate outstanding of Rs.429 crores as of 31.03.2010.

As of 31.03.2010, the aggregate outstanding under restructuring are Rs. 1363.46 crores (No. of Accounts 8272).

16. Retail Credit

Retail Credit has been identified as one of the growth engines for increasing credit portfolio of the Bank. The Bank has 9 Retail Banking Schemes catering to various needs of a customer. The schemes are modified from time to time keeping in view the market scenario, customer requirements and feed-back from field functionaries. Concerted efforts were made to popularise the retail banking schemes through wide publicity.

During the financial year, the outstanding amount under direct retail credit registered a growth of 13.29% showing an increase of Rs.454.84 crores to reach the level of Rs. 3877.25 crores as of 31.03.2010. The total retail credit has increased from Rs. 4424.44 crores as of March 2009 to Rs. 5379.91 crores as of March 2010 registering growth of Rs. 955.47 crores (21.60%).

16.1 Retail Asset Branches

In order to take advantage of the potential available for enlarging Bank's retail lending portfolio and also to ensure better quality, uniformity and speed in appraisal and sanctions the Bank operationalised 8 more Retail Asset Branches (RABs) at Hyderabad, Bangalore, Chennai, Lucknow, Pune, Surat, Bhopal and Bhandup (Mumbai) during the year besides the existing 4 RABs at JVPD-Mumbai, Ahmedabad, Kolkata and New Delhi. Presently in all 12 RABs are operationalised. The Retail Asset Branch will carry out all the functions relating to retail advance and is expected to ensure quantitative and qualitative growth of retail business and also cut down multiplicity of functions and efforts at branches.

16.2 Refinement of Schemes

The Bank further refined its various retail schemes like Dena Rent, Dena Suvidha Personal Loan, Dena Auto Finance, Dena Niwas Housing Finance and Dena Vidyalaxmi Educational Loan schemes so as to make these schemes more customer friendly.

16.3 Housing Finance

Fresh disbursements to the tune of Rs. 866.12 crores were made during the year towards housing loan, enabling net increase in outstanding credit from Rs.2865.94 crores as on March 2009 to Rs. 3594.13 crores as at the end of the year, thus reflecting a growth of 25.41%.

16.4 Education Loan

Outstanding under the Educational Loan Scheme, increased from Rs.252.11 crores to Rs. 289.38 crores as at the end of the year i.e. an increase of Rs. 37.27 crores (14.78%).

प्रबंधन विचार विमर्श एवं विश्लेषण MANAGEMENT DISCUSSION AND ANALYSIS

17. निवेश

बैंक के कुल सकल घरेलू निवेश में 25.70% की वृद्धि हुई जिससे वह 31.03.2009 को रू.12538 करोड़ के स्तर से बढ़कर 31.03.2010 को रू.15760 करोड़ के स्तर तक पहुंच गया.

यह वृद्धि मुख्यत: जमा राशियों में वृद्धि के कारण एस.एल.आर. प्रावधानों में वृद्धि तथा वर्ष के दौरान उद्योगों को दिए जाने वाले ऋण में कमी तथा 2008-09 की वैश्विक मंदी के प्रभाव के कारण वर्ष की अधिकांश अवधि के दौरान कॉर्पोरेट कारोबार में मंदी के कारण हुई.

एस.एल.आर. प्रतिभूतियां रू.10075.80 करोड़ से बढ़कर रू.13371.18 करोड़ (32.70% की वृद्धि) हो गयी जबकि गैर एस.एल.आर. प्रतिभूतियां रू.2462.52 करोड़ से घटकर रू.2388.96 करोड़ रह गई अर्थात् उनमें 2.98% की गिरावट आई.

बैंक सरकारी प्रतिभूतियों की निलामी में सक्रिय भागीदार बना रहा. बैंक ने अपनी राजकोष आय में वृद्धि के लिए सरकारी प्रतिभूतियों, केंद्रीय सरकार के उपक्रमों और कॉर्पोरेट बाँड़ों में निवेश पर विशेष ध्यान दिया.

निवेश परिचालन से कुल आय वर्ष 2008-09 के रू.888.21 करोड़ के स्तर से बढ़कर वर्ष 2009-10 के लिए रू.1139.56 करोड़ तक पहुंच गई जो कि वर्ष दर वर्ष आधार पर 28.30% की वृद्धि दर्शाती है.

बैंक की निवेश नीतियों तथा संभावित जोखिमों के अनुसार निवेश विभिन्न परिपक्वताओं में रखे गए हैं. ए.एफ.एस. संविभाग में उच्च आय वाले राज्य विकास ऋणों, जो कि संविभाग की आय में वृद्धि के लिए मुख्यत: लंबी अवधि के थे तथा ए.एफ.एस / एच.एफ.टी. संविभाग में मूल्यह्रास को रोकने के लिए थे, को लेने के फलस्वरूप ए.एफ.एस. / एच.एफ.टी. संविभाग की संशोधित अवधि 3.28 से बढ़कर 4.71 हो गई.

पिछले वर्षों में लाभ अर्जन के लिए उच्च कूपन वाली प्रतिभूतियों का बड़ी मात्रा में विक्रय किए जाने तथा उनके स्थान पर नए निवेश निम्न प्रतिफल पर किए जाने के कारण 31.03.2010 को समाप्त वर्ष के दौरान निवेश पर आय घटकर 6.87% हुई जबकि 31.03.2010 को समाप्त वर्ष के दौरान 7.04% थी. इसके अतिरिक्त आर.आई.डी.एफ., एम.एस.एम.ई., जिनमें लगभग 5% औसत आय प्राप्त होती है, श्रेणियों में अधिक निवेश के कारण प्रतिफल कम हुआ.

18. अंतर्राष्ट्रीय परिचालन

वैश्विक आर्थिक मंदी के परिणाम स्वरुप नवंबर 2008 से व्यापारिक निर्यात कम हो गए. संचित रुप में वर्ष जनवरी - नवंबर 2009 के दौरान, डॉलर में विश्व व्यापारिक निर्यात में पिछले वर्ष की 18.2% वृद्धि की तुलना में, 22.9% की गिरावट आई. मई 2009 से उसमें क्रमिक सुधार हो रहा है. अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (आई.एम.एफ) की अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सांख्यिकी (आई.एफ.एस) के अनुसार, नवंबर 2009 में विश्व निर्यात में 5.5% की सकारात्मक वृध्दि हुई. मई 2009 से वैश्विक निर्यातों एवं विकसित अर्थव्यवस्था एवं उभरती हुई तथा विकासशील अर्थव्यवस्थाओं के निर्यातों में दृढ सम्मिलन हुआ है. सुधार के पथ पर भारत कई उभरती बाजार अर्थव्यवस्थाओं से आगे है. वैश्विक रेटिंग मेजर स्टेंडर्ड एवं पुअर (एस एवं पी) ने भारत के वृद्धि आकलन को पहचाना है. एस.एंड पी. ने भारत के रेटिंग आकलन को 'नकारात्मक' से

17. Investment

Aggregate gross domestic investments of the Bank grew by 25.70% to reach Rs.15,760 crores as on 31.03.2010 from the level of Rs.12,538 crores as on 31.03.2009.

The increase was mainly due to increased SLR requirements due to increase in deposits and also on account of less off take in Bank's credit during the year to industrial and corporate sluggishness in major part of the year as after effects of global recession and turmoil in 2008-09.

SLR Securities have increased from Rs.10,075.80 crores to Rs.13,371.18 crores (an increase of 32.70%) whereas NON SLR Securities have decreased from Rs.2,462.52 crores to Rs.2,388.96 crores i.e. reduction of 2.98%.

Bank continued to be an active participant in Government Securities auction. Bank concentrated in investment in Govt. Securities, PSU and Corporate Bonds to augment its income from Treasury.

The total income from investment operations increased from Rs.888.21 crores for the year 2008-09 to Rs.1,139.56 crores for the year 2009-10 i.e. a percentage increase of 28.30% on year on year basis.

The investments have been maintained with various maturity mixes consistent with risk perceptions and investment policies of the bank. The Modified duration of the AFS/ HFT portfolio increased from 3.28 to 4.71 as a result of acquiring high yield State Development Loans in AFS portfolio which were mainly of long tenor to increase the Portfolio yield as well as to contain the depreciation in AFS / HFT Portfolio.

The yield on investments decreased to 6.87% during the year ended 31.03.2010 as compared to 7.04% during the year ended 31.03.2009 due to sizeable offloading of high coupon bearing securities in the earlier year to book profit and replacement of investments were at lower yield. Further, the yield has come down on account of increased investments in RIDF, MSME Category having average yield of around 5%.

18. International Operations

As an outcome of global economic crisis merchandise exports has declined since November 2008. Cumulatively, world merchandise exports during January-November 2009, in dollar terms, showed a decline of 22.9% as against a growth of 18.2% a year ago. The same has started recovering consistently since May 2009. According to International Monetary Fund's (IMF) International Financial Statistics (IFS), in November 2009 the world exports showed a positive growth of 5.5%. There has been strong convergence among the world exports & the exports of advanced economies and emerging and developing economies since May 2009. India is ahead of many emerging market economies on the road of recovery. Global ratings major Standard & Poor's (S&P) has recognised India growth

प्रबंधन विचार विमर्श एवं विश्लेषण MANAGEMENT DISCUSSION AND ANALYSIS

'स्थिर' के रुप में संशोधित कर दिया है. एस.एंड पी. की रेटिंग ने भारत के दीर्घ कालीन रेटिंग की 'बीबीबी' एवं अल्प कालीन रेटिंग की 'ए-3' के रुप में पुष्टि की है.

18.1 देश के निर्यात एवं आयात की स्थिति

देश का आर्थिक सर्वेक्षण जो 2009-10 की लगभग दूसरी तिमाही में शुरु हुआ, सकारात्मक रहा और उसमें लगातार सुधार दिखाई दे रहा है. भारतीय रिज़र्व बैंक एवं अन्यों के सर्वेक्षण एवं पूर्वानुमान यह इंगित करते हैं कि देश की कारोबार संभावनाओं में काफी सुधार हुआ है. यह भी पूर्वानुमान है कि मानसून सामान्य रहेगा अत: उद्योग और सेवा क्षेत्रों का निरंतर प्रोत्साहजनक कार्यनिष्पादन होगा. रिज़र्व बैंक ने 2010-11 के लिए 7.5% सकल घरेलू उत्पाद का अनुमान रखा है जो वृद्धि की ओर रुझान करता है.

अप्रैल 2009 - जनवरी 2010 की अवधि के दौरान, भारतीय निर्यात 17.9 प्रतिशत गिरावट के साथ US$ 131.8 बिलियन रहा, जबकि वर्ष 2008-09 की इसी अवधि के दौरान उसमें 22.8 प्रतिशत की वृद्धि हुई थी. विशेषत: अप्रैल-अगस्त 2009 के दौरान रत्न एवं आभूषणों का निर्यात 24.7 प्रतिशत की भारी गिरावट के साथ यूएस$ 11.0 बिलियन रहा, जबकि पिछले वर्ष की इसी अवधि के दौरान इसमें 84.4 प्रतिशत वृद्धि हुई थी. तथापि, अक्तूबर 2009 में कुल निर्यातों में 0.3 प्रतिशत वृद्धि हुई एवं उसके बाद निर्यातों में सकारात्मक वृद्धि जारी रही (नवंबर 2009 से जनवरी 2010 के दौरान 13.0 प्रतिशत मासिक औसत वृद्धि).

यह प्रवृत्ति निर्यातों में स्थिरता तथा सकारात्मक वृद्धि का संकेत करती है. देश की विदेशी मुद्रा आरक्षितियां 12 मार्च, 2010 को 279.70 बिलियन थीं.

एक वर्ष तक लगातार घटने के बाद, आयातों में भी दिसंबर 2009 में 27.2 प्रतिशत की वृद्धि हुई. आयातों में सकारात्मक वृद्धि जनवरी, 10 में भी जारी रही.

18.2 बैंक का अंतर्राष्ट्रीय बैंकिंग कारोबार

बी.के.सी, मुंबई में बैंक की समेकित राजकोष शाखा है जो ``श्रेणी ए'' अधिकृत विक्रेता (ए.डी.) के रूप में कार्य कर रही है. बैंक ने पूरे देश में कार्यरत अपनी 34 'श्रेणी बी' अधिकृत विक्रेता (ए.डी.) शाखाओं के माध्यम से निर्यातक ग्राहकों एवं आयातक ग्राहकों को अपनी सेवाएं प्रदान करना जारी रखा है. हमारी अधिकृत विक्रेता शाखाओं एवं राजकोष शाखा को अद्यतन तकनीकी सहायता मिल रही है एवं वे सही समन्वय के साथ कार्य कर रही हैं.

बैंक ने अपने ग्राहकों की कारोबार आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए विदेशों में 9 मुख्य मुद्राओं में 19 नोस्ट्रो खाते रखे हैं. बैंक ने ग्राहकों की विशिष्ट आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए पूरे विश्व में अनेक विदेशी प्रतिनिधियों के साथ संपर्क जारी रखे हैं. बैंक अमेरिकी डॉलर / भारतीय रुपए में सरकारी प्रतिभूति लेन-देन तथा अंतरबैंक विदेशी विनिमय के लेन-देन के निपटारे के लिए भारतीय समाशोधन निगम लि. (सीसीआईएल) का एक सदस्य है.

कुछ रोजगार उन्मुख निर्यात क्षेत्रों के लिए भारत सरकार की पोतलदानपूर्व एवं पोतलदानोत्तर रुपया निर्यात ऋण पर 2 प्रतिशत ब्याज अनुदान योजना को मार्च 2010 तक बढाया गया.

projections. S&P has revised ratings outlook for India to 'stable' from 'negative'. Ratings of S&P have affirmed India's long term ratings at "BBB-" and short term ratings at "A-3".

18.1 Country's Exports & Imports position

Economic recovery of the country which began around the second quarter of 2009-10, has been positive and since showing sustained improvement. Surveys & forecast of RBI as well as of others suggest that business optimism of country has considerably improved. It is further assumed to have a normal monsoon and so a sustained encouraging performance of the industry and services sectors. Reserve Bank has projected real GDP growth for 2010-11 at 7.5 per cent with an upside bias.

During the period April 2009 – January 2010, Indian exports stood at US$ 131.8 billion, posting a decline of 17.9 per cent as against a growth of 22.8 per cent during the corresponding period of 2008-09. In particular, during April – August 2009, Gems and jewellery exports stood at US$ 11.0 billion recorded a sharp decline of 24.7 per cent as against a high growth of 84.4 per cent during the corresponding period of the previous year. However, overall exports turned around by exhibiting an increase of 0.3 per cent in October 2009 and the positive growth in exports continued thereafter (monthly average growth of 13.0 per cent during November 2009 to January 2010).

This trend indicated stability & positive growth in exports. Foreign Exchange reserves of the country as at 12th March, 2010 stood at 279.70 billion.

After a continuous decline for one year, imports had also turned around in December 2009 by exhibiting an increase of 27.2 per cent. The positive growth in imports continued in January 2010.

18.2 International Banking business of the Bank

The Bank has its Integrated Treasury Branch housed at Head Office in BKC Mumbai and is functioning as Category 'A' Authorised Dealer (AD) branch. The Bank continues to extend support to exporter customers & importer customers through its 34 Category 'B' Authorised Dealer (AD) branches spread over the country. Our Authorised Dealer branches & Treasury branch are supported with up-to-date state-of-the-art technology and are performing with right coordination.

Bank maintains 19 Nostro accounts abroad in nine major currencies to cater to the business need of our Customers. Bank is also maintaining relationship with number of Foreign Correspondents around the globe to cater to customer's specific needs. Bank is a member of The Clearing Corporation of India Ltd., (CCIL) for settlement of Government Security deals and Interbank Forex deals in USD / INR.

The Government of India's Export Interest Subvention Scheme on Pre-shipment and on Post-shipment Rupee Export Credit of 2.00 percentage points for certain employment oriented export sectors was extended till March 2010.

प्रबंधन विचार विमर्श एवं विश्लेषण MANAGEMENT DISCUSSION AND ANALYSIS

बैंक ने तीन विदेशी आवक धनप्रेषण चेनल उपलब्ध कराए हैं जिनके नाम हैं - (क) अमेरिका, इंग्लैण्ड और यूरोलैण्ड में बसे लोगों को एक सुरक्षित तीव्र और लागतसम्मत आवक धन-प्रेषण की सुविधा के लिए 'देना इण्डिया रेमिट', (ख) वेस्टर्न यूनियन मनी ट्रांस्फर सर्विसेज के साथ व्यवस्था, (ग) खाड़ी देशों एवं यू.के. से आने वाले लोगों को रूपया ड्राफ्ट में धन प्रेषण सुविधाएँ प्रदान करने के लिए यू.ए.ई. एक्सचेंज सेन्टर एलएलसी आवू धावी के साथ गठबंधन.

बैंक की विदेशी मुद्रा आस्तियों का मूल्यांकन फेडाई द्वारा जारी दरों के आधार पर किया जाता है और ऐसे पुनर्मूल्यांकन के फलस्वरुप होने वाले लाभ / हानि को लाभ व हानि लेखा में लिया जाता है. गारंटियों, साख पत्रों, चुकौती आश्वासन पत्र, स्वीकृतियों, परांकनों तथा विदेशी मुद्रा की अन्य वचनवद्धताओं का तुलन पत्र में कुल ऋणों की गणना के प्रयोजन हेतु फेडाई द्वारा जारी दरों पर पुनर्मूल्यांकन किया जाता है. विदेशी मुद्रा लेनदेनों से होने वाली आय व व्यय को लेनदेन की संबंधित तारीख को विद्यमान विनिमय दर पर हिसाब में लिया जाता है.

19. आस्ति गुणवत्ता और वसूली प्रबंधन

19.1 पिछले वर्ष के दौरान आर्थिक मंदी तथा आस्ति गुणवत्ता दर पर उसके प्रतिकूल प्रभाव को ध्यान में रखते हुए बैंक ने आस्ति गुणवता को सुधारने पर अपना ध्यान केंद्रित रखा. गैर निष्पादक आस्तियों (एन पी ए) पर विशेष ध्यान दिया गया, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि गैर निष्पादक आस्तियों (एनपीए) का स्तर न्यूनत्तम हो. हाल ही में एन.पी.ए. हुए खातों के उन्नयन, समझौता निपटान तथा सरफायसी अधिनियम, 2002 के अधीन कार्रवाई के द्वारा एन.पी.ए. में वसूली हेतु निरंतर प्रयास किये गये. इन बहुमुखी प्रयासों के द्वारा वर्ष के दौरान आस्तियों की गुणवत्ता में सुधार हुआ.

बैंक का सकल एन पी ए अनुपात 31.03.2009 के 2.13% में 33 आधार अंक के सुधार के साथ 31.3.2010 को 1.80% हो गया है. समग्र रुप में, सकल एनपीए 31 मार्च, 2009 के रु.620.77 करोड़ के स्तर से वर्ष के अंत में रु. 21.22 करोड़ बढकर रु.641.99 करोड़ हो गया. निवल एनपीए रु. 114.15 करोड़ बढकर 31 मार्च, 2009 के रु. 313.38 करोड़ से स्तर से 31 मार्च, 2010 को रु. 427.53 करोड़ हो गया है तथा निवल एनपीए का अनुपात 12 आधार अंक बढकर वर्ष के अंत में 1.21% हो गया है.

The Bank extends its three foreign inward remittance channels namely (a) 'Dena India Remit' for a safe and efficient cost effective solution to remitters who are based in USA, UK and in EURO land (b) arrangement with Western Union Money Transfer Services and (c) the tie up with UAE Exchange Centre LLC, Abu Dhabi for providing money transfer facility in Rupee Drafts to expatriates from Gulf countries and also from UK.

Foreign currency assets of the Bank are valued based on rates issued by FEDAI and the resultant profit / loss arising out of such revaluation are accounted for in the Profit and Loss Account. Guarantees, letters of credit, letters of comfort, acceptances, endorsements and other obligations in foreign currency are revalued on the rates issued by FEDAI for the purpose of Balance Sheet exposure. Income and Expenditure items arising out of forex transactions are recognized at the exchange rates prevailing on respective dates of transaction.

19. Asset Quality and Recovery Management

19.1 The Bank bestowed attention on improvement in asset quality considering the economic slowdown and consequential adverse impact on the asset delinquency rate in the previous year. Reduction in Non-Performing Assets (NPAs) was given thrust to ensure that level of NPAs is restricted to the minimum possible. Continuous efforts were made for upgradation of recently slipped NPAs, recovery in NPAs through compromise settlements and action under SARFAESI Act, 2002. This multipronged approach resulted in improvement in asset quality during the year.

Gross NPA ratio of the Bank stands improved by 33 bps to 1.80% from 2.13% as on 31.03.2010. The Gross NPA, in absolute terms, marginally increased by Rs. 21.22 crores from Rs. 620.77 crores as on 31st March, 2009 to Rs. 641.99 crores as at the end of the year. Net NPAs increased by 114.15 crores from Rs. 313.38 crores as of 31st March, 2009 to Rs.427.53 crores as of 31st March, 2010 and Net NPA ratio increased by 12 bps to 1.21% as at the end of the year.

(रु. करोडों में) (Rs. in crores)

	मार्च March 2009	मार्च March 2010
सकल अग्रिम Gross Advances	29185.36	**35721.41**
सकल एनपीए Gross NPAs	620.77	**641.99**
सकल अग्रिमों में सकल एनपीए Gross NPA to Gross Advance	2.13 %	**1.80 %**
निवल अग्रिम Net Advances	28877.96	**35462.44**
निवल एनपीए Net NPAs	313.38	**427.53**
निवल अग्रिमों में निवल एनपीए Net NPA to Net Advances	1.09%	**1.21%**
प्रावधान कवरेज अनुपात (विवेकपूर्ण बट्टेखाते भी शामिल) Provision Coverage ratio (including Prudential write off)	84.59%	**78.61%**

प्रबंधन विचार विमर्श एवं विश्लेषण MANAGEMENT DISCUSSION AND ANALYSIS

नकद वसूली 2008-09 में रु. 188.72 की तुलना में, वर्ष के दौरान रु.195.43 करोड रही. वर्ष के दौरान उन्नयन भी 2008-09 में रु.191.38 करोड की तुलना में अधिक अर्थात् रु.228.42 करोड हुए.

The cash recovery during the year was at Rs.195.43 crores as against Rs.188.72 crores in 2008-09. Upgradations during the year were also higher at Rs 228.42 crores as against Rs.191.38 crores in 2008-09.

(रु करोडों में) (Rs. in crores)

	मार्च March 2009	मार्च March 2010
नए स्लिपेज Fresh Slippages	675.71	**629.93**
नकद वसूली Cash Recovery	188.72	**195.43**
उन्नयन Upgradation	191.38	**228.42**
बट्टे खाते डाले गये खातों में वसूली Recovery in Write Off	100.24	**125.54**

19.2 आस्ति गुणवत्ता में सुधार के लिए पहल

वर्ष के दौरान, समझौता निपटारा द्वारा वसूली प्रयासों को बढाने के लिए सभी प्रमुख केंद्रों में अधिकारियों को नामित करके एनपीए की वसूली पर विशेष ध्यान दिया गया. बट्टे खाते डाले गये खातों में वसूली के लिए विशेष वसूली अभियान चलाये गए. क्षेत्रीय कार्यालयों के एनपीए वसूली कक्ष द्वारा निरंतर आधार पर एनपीए को कम करने में हुई प्रगति की समीक्षा की गई. छोटे एनपीए उधारकर्ताओं पर भी ध्यान दिया गया तथा बैंक ने (रु. 2.00 लाख तक के बकाया वाले) छोटे उधारकर्ताओं के लिए विशेष एकबारगी समझौता निपटान योजना को एक वर्ष और बढ़ाकर उसे दिनांक 31.3.2010 तक लागू किया था.

सभी क्षेत्रों में रु.10.00 लाख तक के छोटे बट्टे खाते लिखे गये खातों में वसूली के लिए विशेष वसूली अभियान चलाये गये. जिसके फलस्वरुप, बैंक ने बट्टे खातों में, 2008-09 में रु. 100.24 करोड की तुलना में, रु. 125.54 करोड की वसूली की.

बैंक ने वर्ष के दौरान विभिन्न केंद्रों मे 1589 वसूली शिविरों का आयोजन किया जिसमें 19379 उधारकर्ताओं ने भाग लिया. वर्ष के दौरान इन वसूली शिविरों के माध्यम से रु. 20.66 करोड के 3503 एनपीए खातों का निपटारा किया गया एवं रु. 38.66 करोड़ के 1644 खातों का उन्नयन किया गया.

मार्च 2009-10 को समाप्त वर्ष के दौरान बैंक की एक बारगी समझौता निपटान योजना के अंतर्गत एकबारगी समझौता निपटान के लिए रु. 91.41 करोड की समझौता राशि के कुल 4246 खातों पर विचार किया गया, जिनमें रु. 83.31 करोड़ की वसूली हुई, जबकि मार्च 2009 को समाप्त वर्ष के दौरान 1614 मामलों पर विचार किया गया था जिनमें समझौता राशि रु.112.21 करोड की थी और उनमें नकद वसूली रु. 38.41 करोड की हुई थी.

20. विधिक सेवाएं / सूचना अधिकार अधिनियम

20.1 बैंकों / वित्तीय संस्थाओं और आस्ति पुनर्निर्माण कंपनियों को एनपीए का विक्रय

भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा दिनांक 23.04.2003 तथा 13.07.2005 को जारी किए गए दिशानिदेशों के अनुसरण में, बैंक ने वर्ष 2009-10 के दौरान एक एनपीए खाता मेसर्स यूनिकार्प इंडस्ट्रीज लिमिटेड का विक्रय एक एआरसी को रु. 12.06 करोड़ में किया. वर्ष 2005-06 के दौरान बिक्री किये गये मेसर्स स्पेक्ट्रम पॉवर जेनरेशन लिमिटेड की दो छमाही आस्थगित भुगतान गारंटी किश्तें एआरसीआईएल द्वारा रु.8.29 करोड़ में अधिग्रहण की गई .

19.2 Initiatives on Improvement in Asset Quality

Special attention was given to recovery in NPAs during the year by designating officers' at all major centres to augment recovery efforts through negotiated settlements. Special recovery drives were introduced for recovery in written off accounts. The progress in recovery made in reduction of NPAs was reviewed on a regular basis by NPA Recovery Cells at Regional Offices. Attention was also paid to the small NPA borrowers and the Bank had extended Special One Time Settlement scheme for Small Borrowers (outstanding up to Rs. 2 lacs) by another year i.e. up to 31st March, 2010.

Special recovery drives were also organized for recoveries in smaller written of accounts up to Rs.10.00 lacs in all Regions. As a result, the Bank was able to recover Rs.125.54 crores in the written off a/cs as against Rs.100.24 crores in 2008-09.

Bank conducted 1589 recovery camps in various Regions during the year which were attended by 19379 borrowers. A total of 3503 accounts were settled for Rs.20.66 crores and 1644 accounts were upgraded for Rs.38.66 crores during the year through such recovery camps.

A total of 4246 accounts with compromise amount of Rs.91.41 crores were considered for OTS compromise under bank's OTS scheme during the year ended March 2009-10 against which a cash recovery of Rs.83.31 crores was effected as against 1614 accounts with compromise amount of Rs.112.21 crores with cash recovery of Rs. 38.41 crores effected during the year ended March 2009.

20. Legal Services/ RTI Act

20.1 Sale of NPA amongst Banks / FIs and ARC

In Terms of the RBI Guidelines issued on 23.04.2003 and 13.07.2005, the Bank has during 2009-10, sold one NPA A/c to an ARC for Rs. 12.06 crores and two half yearly Deferred Payment Guarantee Installments sold during 2005-06, were taken over by ARCIL with an aggregate amount of Rs. 8.29 crores.

प्रबंधन विचार विमर्श एवं विश्लेषण MANAGEMENT DISCUSSION AND ANALYSIS

20.2 सरफाइसी अधिनियम, 2002 के अधीन वसूली :

वित्तीय आस्ति प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन एवं प्रतिभूति हित प्रवर्तन, 2002 (सरफायसी) अधिनियम के अंतर्गत एन पी ए खातों में वसूली के लिए बैंक ने रु. 311.03 करोड़ की राशि वाले पात्र खातों में 1469 नोटिस जारी किये. वर्ष 2009-10 के दौरान बैंक 2053 खातों (इनमें वे खाते भी शामिल हैं, जिनमें नोटिस पिछले वर्ष जारी किये गये थे) में रु. 103.42 करोड़ की राशि वसूल करने में सफल रहा.

20.3 लोक अदालत के माध्यम से वसूली :

विधिक सेवाएं प्राधिकारी अधिनियम के अंतर्गत गठित लोक अदालत के माध्यम से विवादों के शीघ्र समाधान और अपने चूककर्ताओं से वसूली करने के लिए बैंक अधिकतम लोक अदालतों की व्यवस्था करने के लिए प्रयास करता है जिसमें मुकदमा पूर्व एवं मुकदमा के बाद अर्थात् वाद दायर एवं गैर वाद दायर खातों को निपटान हेतु रखा जा सके. वर्ष 2009-10 के दौरान बैंक ने (पिछले वर्षों में निपटाए गए मामले भी शामिल) 2290 खातों में रु.2.87 करोड वसूल किए.

20.4 ऋण वसूली अधिकरण / सिविल न्यायालय में दायर वादों के माध्यम से वसूली :

31.03.2010 को हमारे बैंक में रु. 1273.77 करोड की राशि के 2527 दावा दायर खाते विभिन्न ऋण वसूली अधिकरणों/ सिविल न्यायालयों में लंबित हैं तथा रु. 868.03 करोड राशि के 1925 डिक्रीकृत खाते विभिन्न ऋण वसूली अधिकरणों/ सिविल न्यायालयों में लंबित हैं. बैंक ने उपर्युक्त दावा दायर एवं डिक्रीकृत खातों में वर्ष के दौरान रु.75.78 करोड़ की राशि वसूल की.

20.5 औद्योगिक और वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड मामले (बीआईएफआर)

निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित वसूली नीति के अनुसार, बीआईएफआर मामलों का समन्वय करने के लिए नई दिल्ली कार्यालय में एक नोडल अधिकारी की पहचान की गई है. वर्ष के दौरान, समझौते, बीआईएफआर द्वारा संदर्भ किए जाने/ कमी से खातों के बंद होने के कारण 29 मामलों को हटा दिया गया है. बैंक ने रु. 10.93 करोड़ की रकम वसूल की. वर्ष के दौरान रु.68.12 करोड की राशि के 5 नए मामले / संदर्भ जोडे गए . वर्ष के अंत में बीआईएफआर / एएआईएफआर के समक्ष रु. 353.72 करोड़ के 31 मामले लंबित हैं.

20.6 सूचना के अधिकार का अधिनियम

सूचना के अधिकार का अधिनियम 2005 के तहत भारत के नागरिकों से प्राप्त निवेदनों पर विचार करने हेतु बैंक ने राज्य लोक सूचना अधिकारी एवं केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी को नामित किया है. बैंक ने राज्य लोक सूचना अधिकारी / केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी के निर्णयों के खिलाफ अपीलों के निपटान के लिए कार्यपालक निदेशक को अपील प्राधिकारी के रूप में नियुक्त किया है.

वर्ष के दौरान बैंक को सूचना अधिकार अधिनियम के तहत 567 आवेदन प्राप्त हुए तथा मानदंडों के अनुसार 555 आवेदनों (पिछले वर्ष के 17 आवेदन भी शामिल) का निपटान किया गया. वर्ष के दौरान अपील प्राधिकारी को 132 अपील प्राप्त हुई जिनमें से मानदंडों के अनुसार 130 अपीलों (पिछले वर्ष के 05 अपील भी शामिल) का निपटान किया गया.

20.2 Recovery under SARFAESI Act, 2002

For expediting recovery in NPA accounts under the Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 (SARFAESI) 1469 Notices were issued in the eligible accounts involving an amount of Rs. 311.03 crores. The Bank was successful in recovering an amount of Rs. 103.42 crores in 2053 accounts (including those where notices were issued during previous years) during the year 2009-2010.

20.3 Recovery through Lok Adalats

For an early resolution of disputes and recoveries from its defaulters through Lok Adalats constituted under Legal Services Authorities Act. the Bank endeavours to arrange maximum Lok Adalats wherein both pre and post litigation i.e. suit filed and non suit filed accounts can be placed for settlement. The Bank has recovered Rs. 2.87 crores during 2009-10 (inclusive of recovery made in the cases settled during previous years), in 2290 accounts.

20.4 Recovery through Suits in the Debt Recovery Tribunal / Civil Courts

As of 31.03.2010, our Bank is having 2527 Suit Filed accounts in various DRT/Civil Courts involving an amount of Rs. 1273.77 crores and 1925 Decreed accounts in various DRTs /Civil courts involving an amount Rs. 868.03 crores. During the year, the Bank had recovered Rs. 75.78 crores in the above suit filed and Decreed accounts.

20.5 BIFR Cases

In terms of Recovery Policy approved by the Board, a Nodal Officer stationed at New Delhi, has been identified for co-coordinating the BIFR Cases. During the year, 29 cases were removed on account of closure of accounts due to compromised, rejection / abatement of reference by BIFR. The Bank has recovered a sum of Rs. 10.93 crores. 5 new cases / references were added during the year involving an amount of Rs. 68.12 crores. At the end of year 31 cases involving Rs. 353.72 crores are pending before BIFR / AAIFR.

20.6 Right to Information Act

Bank has designated State Public Information Officers & Central Public Information Officers for dealing with requests received from Citizen's of India under RTI Act, 2005. Bank has also designated the Executive Director as Appellate Authority to dispose the appeals received against the decision of SPIO/CPIO.

During the Year the Bank has received 567 requests under RTI Act, and disposed off 555 requests (inclusive 17 requests carried forward from previous year) as per the norms. The Appellate Authority has received 132 Appeal and disposed off 130 Appeals (inclusive 05 Appeals carried forward from previous year) as per norms during the year.

प्रबंधन विचार विमर्श एवं विश्लेषण MANAGEMENT DISCUSSION AND ANALYSIS

21. सरकारी कारोबार

सरकार से संबंधित लेनदेनों को करने हेतु 2005 से प्रधान कार्यालय में सरकारी कारोबार विभाग कार्यरत है. हमारा बैंक अपनी 794 शाखाओं के माध्यम से केंद्र सरकार के पेंशन भोगी अर्थात् रक्षा, केंद्रीय सिविल, रेल्वे तथा दूरसंचार, राज्य राजनीतिक पेंशनभोगी तथा महाराष्ट्र, गुजरात एवं छत्तीसगढ राज्यों में राज्य सरकार पेंशनभोगियों के लिए सरकार की तरफ से एजेंट के रूप में कार्य करता है. बैंक केंद्र सरकार के लिए प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष कर, उत्पादशुल्क एवं सेवा कर तथा महाराष्ट्र राज्य के लिए बिक्री कर एवं मूल्य वर्धित कर वसूल करता है. इसके अलावा, बैंक, डाक एवं तार विभाग, विधिक मामले मंत्रालय एवं अन्य मंत्रालयों के खातों के रखरखाव के लिए नामित है. बैंक ने राजस्व विभाग की ओर से प्रलेखों पर स्टांप शुल्क प्रेंकिंग कार्य भी अपने हाथ में लिया है. वह केंद्रीय / राज्य राजकोषीय परिचालन भी करता है. अद्यतन तकनीकी का प्रयोग करते हुए बैंक ने सभी सी बी एस शाखाओं से अपने ग्राहकों को प्रत्यक्ष कर, उत्पाद शुल्क एवं सेवा कर का ई.भुगतान करने की सुविधा भी प्रदान की है.

लोक भविष्य निधि योजना, 1968 का परिचालन 68 अधिकृत शाखाओं के माध्यम से किया जाता है. भा.रि. बैंक बॉंड तथा वरिष्ठ नागरिक बचत बॉंड 36 नामित शाखाओं के माध्यम से जारी किये जाते हैं.

बैंक ने वित्त वर्ष 2009-10 में रु. 07.46 करोड़ का पर्ण्यावर्त कमीशन अर्जित किया जबकि पिछले वर्ष में रु. 05.93 करोड़ अर्जित किया था, जो पिछले वर्ष से रु. 1.53 करोड़ अधिक अर्थात 25.8 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाता है.

22. बैंक बीमा

बैंक अपने ग्राहकों को विभिन्न प्रकार की वित्तीय सेवाएं प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है एवं ग्राहकों को मूल्य वृद्धि प्रदान करने हेतु अन्य पक्ष उत्पाद अर्थात् बीमा एवं म्युचुअल फंड के वितरण का कार्य करना भी कर रहा है.

म्युचुअल फंड उत्पादों का वितरण

बैंक ने अपनी चयनित शाखाओं के माध्यम से म्युचुअल फंडों के वितरण के लिए 14 प्रमुख म्युचुअल फंडों की आस्ति प्रबंधन कंपनियों (ए एम सी) से योजनाबद्ध विपणन गठजोड़ किया है. वर्ष के दौरान बैंक ने निम्नलिखित तीन ए एम सी से गठजोड किया है:

i. डी एस पी ब्लेकरॉक इन्वेस्टमेंट मेनेजर्स लिमिटेड

ii. एफ आई एल फंड मेनेजमेंट प्रा. लि. (फिडिलिटी म्युचुअल फंड)

iii. शिनसी एसेट मेनेजमेंट (इंडिया) प्रा. लि.

बीमा उत्पादों का वितरण

बैंक ने सभी शाखाओं में ग्राहकों को सभी बीमा उत्पाद उपलब्ध कराने हेतु भारतीय जीवन बीमा निगम एवं दि ओरियंटल इंन्सुरेंस कंपनी लिमिटेड के साथ क्रमश: उनके जीवन बीमा उत्पाद एवं सामान्य बीमा उत्पादों के वितरण के लिए कारोबारी गठजोड़ व्यवस्था की है.

बैंक की शाखाओं में ही निर्यातकों को विभिन्न निर्यात बीमा पॉलिसियां उपलब्ध कराने के लिए बैंक ने निर्यात साख गारंटी निगम (ईसीजीसी) के साथ गठबंधन किया है.

21. Government Business

The Government Business Department is functional at Head Office since 2005 for dealing exclusively in Government related Transactions. Our Bank acts as agent on behalf of the Central Government for payment of Pension through 794 branches to the Central Government pensioners, viz., Defence, Central Civil, Railways and also Telecommunications, State Political Pensioners and Pension to the State Government pensioners in the States of Maharashtra, Gujarat and Chhattisgarh. The Bank collects Direct and Indirect Taxes, Excise and Service Tax for the Central Government and Sales Tax and VAT for the State of Maharashtra. Besides the Bank is designated for maintaining the Accounts of Post and Telegraph Department, Ministry of Legal Affairs and other Ministries. On behalf of the Revenue Department Franking of stamp duty on Documents is also undertaken. It also carries out Central / State Treasury Operations. By using the latest Techonology, the Bank has enabled its customers to make E-payment of Direct Taxes, Excise and Service Tax from all CBS Branches.

Public Provident Fund Scheme, 1968 is operated through 88 Authorised branches. RBI Bonds and Senior Citizens Savings Bonds are issued through 36 designated branches.

The Bank has earned a Turn over Commission of Rs. 7.46 crores in the F.Y 2009-2010 as against Rs. 5.93 crores earned in the previous year, registering a growth of Rs. 1.53 crores in absolute terms and achieving 25.8% growth over the previous year.

22. Bancassurance

The Bank is committed to providing a wide range of financial services to its customers and has taken up the activity of distribution of third party products viz. Insurance and Mutual Funds to provide value addition to the customers.

Distribution of Mutual Fund products

The Bank has strategic marketing alliance with Asset Management companies of 14 major Mutual Funds for distribution of their mutual fund products through the selected branches. During the year the Bank has entered into Tie-up with the following three AMC's

i. DSP BlackRock Investment Managers Limited.

ii. FIL Fund Management Pvt. Ltd. [Fidelity Mutual Fund]

iii. Shinsei Asset Management (India) Pvt. Ltd.

Distribution of insurance products

The Bank has existing Bancassurance tie ups with the Life Insurance Corporation of India and The Oriental Insurance Company Ltd. for distribution of their life insurance products and general insurance products respectively to make available the entire range of insurance products to the customers at all branches.

The Bank has also tied up with the Export Credit Guarantee Corporation [ECGC] to provide their various insurance policies to exporters at the Bank's branches itself.

प्रबंधन विचार विमर्श एवं विश्लेषण MANAGEMENT DISCUSSION AND ANALYSIS

अन्य पक्ष के उत्पादों की बिक्री से बैंक के ब्याजेतर आय में वृद्धि होती है. वर्ष 2009-10 में बीमा एवं म्युचुअल फंड उत्पादों की बिक्री से कुल आय रु.9.82 करोड रही.

23. डिपाजिटरी सहभागिता सेवाएं

बैंक अपने ग्राहकों को पूंजी बाजार शाखा तथा जुहु विलेपार्ले शाखा एवं मुलुंड पूर्व शाखा में स्थित दो वसूली केंद्रों से डिपाजिटरी सेवाएं प्रदान कर रहा है. अब बैंक इन सेवाओं को निर्धारित शाखाओं से विभिन्न केंद्रों को विस्तारित करने की योजना बना रहा है.

24. आय और व्यय

24.1 आय

वर्ष के दौरान बैंक की कुल आय पिछले वर्ष के रु.3877.62 करोड़ के स्तर की तुलना में रु.721.37 करोड (18.60%) बढ़कर रु.4598.99 करोड़ हो गई.

बैंक की ब्याजगत आय 16.33% की वृद्धि के साथ रु.4010.36 करोड रही जबकि अन्य आय 36.85% बढकर रु.430.12 करोड से रु.588.63 करोड हो गई.

निगमित क्षेत्र की ओर से मूल उधार दर या उससे निम्न दर पर ऋण प्रदान करने हेतु दबाव के बावजूद अग्रिमों से प्राप्त आय में 17.28% की वृद्धि हुई. बैंक द्वारा उच्च आय वाले ऋणों तथा लघु तथा मध्यम उद्यम एवं रिटेल तथा कृषि आदि पर ध्यान केंद्रित करने वाली रणनीति अपनाए जाने के कारण और बडे कॉर्पोरेट ऋणों के पुनर्मूल्यांकन के कारण यह संभव हो सका. वर्ष के दौरान विपरीत बाजार स्थितियों के बावजूद निवेशों से प्राप्त ब्याज आय में 15.91% की वृद्धि हुई.

ब्याजेतर आय की वृद्धि रु.158.51 करोड (36.85%) रही जिससे वह मार्च 09 के रु.430.12 करोड से बढ़कर मार्च 2010 में रु.588.63. करोड़ हो गई.

24.2 व्यय

पिछले वर्ष की तुलना में वर्ष के दौरान कुल व्यय में 19.27% की वृद्धि हुई. इसका मुख्य कारण जमाओं की लागत में वृद्धि के फलस्वरूप ब्याज व्यय में 22.12% वृद्धि है. परिचालनगत व्यय में 10.40% की वृद्धि हुई. इसमें भा.बैं. सं. के साथ वार्तालाप के अंतर्गत संभावित उद्योग स्तरीय वेतन संशोधन के लिए रु.70 करोड का तदर्थ प्रावधान भी शामिल है.

24.3 लाभप्रदता विश्लेषण

गत वर्ष के दौरान बैंक की निवल ब्याजगत आय रु.1064.43 करोड की तुलना में रु.1100.03 करोड हो गई अर्थात् इसमें 3.34% की वृद्धि हुई.

अन्य आय 2008-09 के रु.430.12 करोड से बढकर 2009-10 में रु.588.63. करोड हो गई जोकि 158.51 करोड की वृद्धि दर्शाती है.

वर्ष के दौरान बैंक ने बट्टे खाते लिखे गए अग्रिमों में वसूलियों पर जोर देना जारी रखा जिसके फलस्वरूप इसमें रु.125.54 करोड की वसूली हुई. पिछले वर्ष के दौरान इन अग्रिमों में वसूली रु.100.24. करोड थी.

The sale of third party products also enables the Bank to boost its non-interest income. The total income from sale of insurance and mutual fund products in the year 2009-10 was Rs.9.82 crores.

23. Depository Participant Services

The Bank has been providing Depository Services to its customers from Capital Market Branch and two collection centers at Juhu Vile Parle Branch and Mulund East Branch. Bank now plans to extend this services to various centres from identified Branches.

24. Income and Expenses

24.1 Income

Total income of the Bank for the year has increased by Rs. 721.37 crores. (18.60%) and stood at Rs. 4598.99 crores as compared to an Income of Rs. 3877.62 crores earned during the previous year.

Interest income of the Bank has increased by 16.33% to record a level of Rs. 4010.36 crores while other income increased by 36.85% from Rs. 430.12 crores to Rs. 588.63 crores.

Growth in interest income of the Bank was achieved mainly due to an increase in the interest income from advances i.e. by 17.28%, despite continued pressure for lending at sub-PLR rates from corporate sector. The achievement could be attributed to the strategies adopted by the Bank by concentrating on high yielding credit viz. SME, Retail & Agriculture, etc. and re-pricing of bulk corporate loans. Interest income from investments showed an increase of 15.91% during the year inspite of adverse market conditions.

Non-Interest Income has increased by Rs. 158.51 crores (36.85%) from Rs. 430.12 crores as of March 09 to Rs. 588.63 crores as of March 2010.

24.2 Expenses

Total expenses has registered an increase of 19.27% over the previous year. This was mainly on account of increase of 22.12% in interest expenses due to increase in cost of deposits. Operating expenses showed an increase of 10.40%. This includes adhoc provision of Rs. 70.00 crores on account of anticipated industry level wage revision under negotiation with IBA.

24.3 Profitability Analysis

Bank's net interest income (NII) has increased substantially by 3.34% and stood at Rs. 1100.03 crores as compared to Rs. 1064.43 crores posted during the previous year.

Other Income increased from Rs. 430.12 crores of 2008-09 to Rs. 588.63 crores of 2009-10 showing an increase of Rs. 158.51 crores.

The Bank has continued to give thrust on recoveries in written off advances during the year, which resulted in recovery of Rs. 125.54 crores under this segment. During the previous year, the recovery under this segment was Rs. 100.24 crores.

प्रबंधन विचार विमर्श एवं विश्लेषण MANAGEMENT DISCUSSION AND ANALYSIS

24.4 परिचालनगत लाभ

पिछले वर्ष के दौरान प्राप्त किए गए रु.726.36 करोड की तुलना में बैंक के इस वर्ष का परिचालनगत लाभ 15.72% बढकर रु.840.58. करोड हो गया. यह लाभ वृद्धि भारतीय बैंक संघ के साथ वार्तालाप के अंतर्गत संभावित उद्योग स्तर वेतन संशोधन के कारण रु.70 करोड के तदर्थ प्रावधान किये जाने के बाद हुआ है.

24.5 निवल लाभ

ब्याज लागत को कम करने पर बैंक का ध्यान केंद्रित होने के साथ, बट्टे खाते डाले गए खातों में वसूली पर अत्यधिक बल तथा उच्च प्रतिफल वाले अग्रिमों के अवसरों पर ध्यान देने के कारण बैंक वर्ष के दौरान निवल लाभ में 20.96% की वृद्धि दर्ज करने में सफल रहा. बैंक का निवल लाभ पिछले वर्ष के रु.422.66 करोड की तुलना में रु.511.25 करोड हुआ.

आय, व्यय तथा प्रावधानों एवं आकस्मिकताओं की पिछले वर्ष से तुलनात्मक स्थिति नीचे दी गई है:

24.4 Operating Profit

Operating profit of the Bank has registered an increase of 15.72% and stood at Rs. 840.58 crores. as compared to Rs. 726.36 crores posted during the previous year. This growth is after providing for adhoc provision of Rs. 70.00 crores on account of anticipated industry level wage revision under negotiation with IBA.

24.5 Net Profit

With the Bank's focus on containing interest costs, looking for opportunities of high yielding advances and a major thrust on recovery in written off accounts, the Bank has successful in posting 20.96% rise in Net Profit during the year. The Net Profit of the Bank stood at Rs. 511.25 crores. as against Rs. 422.66 crores posted during the previous year.

A comparison of income, expenses and provisions & contingencies with the previous year is given hereunder:

(रु. करोड में Rs. in crores)

विवरण Particulars	वि.व.FY08-09	वि.व.FY09-10
ब्याज आय Interest Income	3447.50	**4010.36**
गैर ब्याज आय Non-Interest Income	430.12	**588.63**
कुल आय Total Income	3877.62	**4598.99**
ब्याज व्यय Interest Expenses	2383.07	**2910.33**
परिचालनगत व्यय Operating Expenses	768.19	**848.08**
कुल व्यय Total Expenses	3151.26	**3758.41**
परिचालनगत लाभ Operating Profit	726.36	**840.58**
प्रावधान एवं आकस्मिकताएं Provisions and Contingencies	303.70	**329.33**
निवल लाभ Net Profit	422.66	**511.25**

25. विपणन पहल:

वर्ष 2009-10 के दौरान प्रेस, इलेक्ट्रॉनिक एवं आउटडोर मीडिया के माध्यम से हमारे बैंक के विभिन्न उत्पादों एवं योजनाओं का व्यापक प्रचार किया गया.

2009-10 की अंतिम तिमाही के दौरान **"देना है तो भरोसा है"** नारे के साथ बड़ा अभियान शुरू किया गया. इस विषय के साथ बैंक के विज्ञापन लोकप्रिय टीवी चेनलों एवं रेडियो स्टेशनों पर दिखाये गये. प्रिंट मीडिया में बैंक के विज्ञापन प्रमुख प्रकाशनों के मुख पृष्ठ पर प्रकाशित किये गये. इसी विषय को ऑनलाइन विज्ञापन एवं आउटडोर मीडिया में भी दिया गया.

टीयर I शहरों में विज्ञापन स्तर को कायम रखने के अलावा, टीयर II एवं टीयर III शहरों में होर्डिंग एवं ग्लोसाइन पर विज्ञापन के माध्यम से बैंक का प्रचार किया गया.

बैंक ने अन्य नवोन्मेष माध्यमों जैसे कि ईजी केबों पर ब्रांडिंग, मुंबई में पश्चिम एवं सेंट्रल लाइनों पर पूरी लोकल ट्रेन पर पेंटिंग आदि का भी उपयोग किया. रेल्वे टिकटों आदि पर ब्रांडिंग किया गया. सभी क्षेत्रों से इन पहलुओं की सराहना की गई और बैंक किफायती तरीके से बेहतरीन रूप में लाभान्वित हुआ.

25. Marketing Initiatives

During the year 2009-10, a wide publicity was given to different products and schemes of our Bank through press, electronic and outdoor media.

A major campaign was launched in the last quarter of 2009-10 with the tagline **"Dena Hai to Bharosa Hai"**. Bank's Advertisements with the theme were shown on popular TV Channels & Radio Stations. In Print Media Bank's Advertisements appeared on the Front pages of the major publications. The same theme was extended to the Online Advertising and Outdoor Media.

Bank's visibility was increased in Tier II & Tier III cities through advertising on Hoardings and Glowsigns in these cities besides maintaining the level in Tier I Cities.

The Bank has also utlised other innovative mediums such as Branding on Ezee Cabs, Painting the entire Local Train on the Western and Central lines in Mumbai. Branding on Railway tickets etc. These initiatives received high appreciation from all the corners and the Bank was able to extract good mileage in a very cost effective manner.

प्रबंधन विचार विमर्श एवं विश्लेषण MANAGEMENT DISCUSSION AND ANALYSIS

नयी शाखाएं खुलने के बारे में भी समाचारपत्र विज्ञापन, होर्डिंग तथा पर्ची वितरण के माध्यम से व्यापक प्रचार किया गया.

26. जोखिम प्रबंधन

26.1 बैंक ने संरचनाबद्ध जोखिम प्रबंधन प्रणाली और प्रभावी ढांचा स्थापित किया है, जिस पर समेकित जोखिम प्रबंधन की निदेशक समिति द्वारा निगरानी रखी जाती है. आस्ति देयता (आल्को), साख जोखिम प्रबंधन (सीआरएमसी) एवं परिचालनगत जोखिम प्रबंधन (ओआरएमसी) पर प्रबंधन स्तरीय समितियां केंद्रीकृत जोखिम प्रबंधन प्रणाली के मुख्य अंग हैं. बैंक ने परिचालनगत जोखिम घटकों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए सभी नियंत्रक कार्यालयों में जोखिम प्रबंधकों की भी पहचान की है और उनके लिए प्रशिक्षण की व्यवस्था की है.

26.2 बैंक ने बासेल-II मानदंडों के अनुरूप एवं ऋण और बाजार जोखिमों को प्रभावकारी तरीके से व्यवस्थित करने की दृष्टि से जोखिम संबंधित अपनी नीतियों को आशोधित और अद्यतन किया है. बैंक की सभी संकटकालीन प्रक्रियाओं हेतु कारोबारी निरंतरता योजनाएं बनाई गई हैं. बैंक ने अपने कोर बैंकिंग परिचालनों के लिए परिचालनगत आपदा प्रबंधन केंद्र भी स्थापित किया है और वर्ष के दौरान उसका उपयोग भी किया है.

26.3 बैंक के मिड ऑफिस को मजबूत किया गया है और बाजार जोखिम की प्रभावी निगरानी करने के लिए इसके क्रियाकलाप अधिक व्यापक आधार पर बनाए गए हैं. बैंक के निदेशक मंडल ने वर्ष के दौरान नये आंतरिक साख रेटिंग मॉडल का अनुमोदन किया है जिनको अगले वित्त वर्ष से लागू किया जाएगा. उधारकर्ताओं के ऋण मूल्यांकन की जांच के लिए एक प्रणाली आरंभ की गई और आस्ति गुणवत्ता पर ध्यान केंद्रित करने हेतु ऋण निगरानी प्रणाली को और अधिक सरल व कारगर बनाया गया है.

26.4 बैंक के ऐसे बड़े उधारकर्ताओं, जिनकी रेटिंग नहीं हुई है, की रेटिंग कराने में उन्हें सुविधा देने के लिए, बैंक ने देश की बड़ी बाह्य साख रेटिंग एजेंसियों (केयर, क्रिसिल, फिच एवं आईसीआरए) के साथ समझौता करार किया है. ये समझौते उधारकर्ताओं पर विशेषकर लघु मध्यम उद्यम क्षेत्र वाले उधारकर्ताओं पर लगनेवाले रेटिंग शुल्क में रियायत देते हैं. बैंक ने नियामक के दिशा निर्देशों के अनुसार, बैंक की समेकित जोखिम रूपरेखा तैयार करने की प्रणाली को जारी रखा है जिससे समन्वित जोखिम प्रबंधन करने में सुविधा होगी.

27. मानव संसाधन प्रबंधन

27.1 मानव मूल्यों का वर्धन एवं विकास

देना बैंक में मानव संसाधन विकास का मुख्य कार्य है कि कार्य निष्पादन में सुधार में सहायता करना जो न केवल परिचालनगत दक्षता के कुछ वित्तीय सूचकांकों द्वारा नापा जाता है, बल्कि प्रदत्त वित्तीय सेवाओं की गुणवत्ता के अनुसार भी नापा जाता है. बैंक की प्रतिस्पर्धात्मकता को निर्धारित करने में उसके कर्मियों का निपुणता स्तर, व्यवहार एवं ज्ञान महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं. बैंक की चिंता का प्रधान विषय यह है कि कारोबार रणनीतियों के साथ मानव संसाधन प्रबंधन रणनीतियों का समुचित समन्वय हो. यह इस बात पर जोर देती है कि टीम कार्य को विकसित करना तथा अपनी मानव पूंजी की दक्षता को सुधारने हेतु प्रतिबद्धता सृजन करना. देना बैंक यह मानता है कि परिचालनगत निपुणता के अलावा, काउंटर पर ग्राहकों की आवश्यकताओं एवं अपेक्षाओं को

A wide publicity was also given to the opening of new branches, through News Paper Ads, Hoardings, and Leaflet distribution.

26. Risk Management

26.1 The Bank has put in place structured risk management systems and architecture that is overseen by a Committee of Directors on Integrated Risk Management. Management level Committees on Asset Liability (ALCO), Credit Risk Management (CRMC) and Operational Risk Management (ORMC) constitute the core level of focused risk management architecture. The Bank has also identified Risk Managers at all controlling offices to focus on operational risk factors and arranged for their training.

26.2 The Bank revised and updated its risk related Policies in line with the Basel II norms, changes in operating environment and with a view to manage credit and market risks in an effective manner. Business Continuity Plans have been formulated for all critical processes of the Bank. The Bank has also set up and operationalised Disaster Recovery Centre for its Core Banking Operations and also made use of the same during the year.

26.3 Mid-Office of the Bank was strengthened and its functions were made broad based further for an effective monitoring market risk. The Bank's Board has approved new Internal Credit Rating Models during the year, which are made effective from the next financial year. A system of verification of the credit rating of borrowers was also introduced and credit monitoring system was further streamlined for focused attention on improvement in asset quality.

26.4 The Bank has entered into Memorandum of Understandings with the four major external credit rating agencies of the country (CARE, CRISIL, FITCH & ICRA) for facilitating the Bank's large unrated borrowers to get themselves rated. These MOUs provide for concessions in rating fees to be charged to the Bank's borrowers, particularly for SME sector. The Bank continued with the system of comprehensive risk profiling of the Bank in line with regulatory guidelines that will facilitate integrated risk management.

27. Human Resource Management

27.1 Adding and Developing Human Values

The core function of HRD practices in Dena Bank is to facilitate performance improvement, measured not only in terms of certain financial indicators of operational efficiency but also in terms of quality of financial services provided. The skill level, attitude and knowledge of the personnel play an important role in determining the competitiveness of a bank. The primary concern of the bank is to bring in proper integration of human resource management strategies with the business strategies. It emphasis faster cohesive team work and create commitment to improve the efficiency of its human capital. Apart from operational skills Dena Bank believes behavioral changes through imparting `soft skills' training to attend the needs and requirement of the customers at the counter.

प्रबंधन विचार विमर्श एवं विश्लेषण MANAGEMENT DISCUSSION AND ANALYSIS

पूरा करने हेतु "व्यवहारगत निपुणता" के बारे में प्रशिक्षण प्रदान करना भी आवश्यक है. बैंक ने निरंतर शिक्षा का अवसर देते हुए अपने कर्मचारियों के कौशल में वृद्धि व निखार लाने पर ध्यान केंद्रित किया.

वर्ष के दौरान, बैंक ने साख, ग्रामीण बैंकिंग, जोखिम प्रबंधन, खजाना, रिटेल बैंकिंग, सूचना तकनीकी, विपणन, प्रबंधन विकास, ग्राहक अभिमुखीकरण आदि विभिन्न प्रमुख क्षेत्रों में प्रशिक्षण प्रदान किया है. बैंक ने अपने ऋणों को बढाने हेतु अधिकारियों को 2 महीनों का गहन साख प्रशिक्षण प्रदान करना भी शुरू किया है जिसमें इस क्षेत्र में 133 अधिकारियों को विशेष निपुणता प्रदान की गई.

बैंक अपने अधिकारियों एवं कार्यपालकों को विशिष्ट प्रशिक्षण, निपुणता विकास प्रदान करने की दृष्टि से भारत और विदेशों में सुस्थापित प्रबंधन एवं प्रशिक्षण संस्थानों के बाहरी प्रशिक्षण संसाधनों की विशेषज्ञता का भी उपयोग करता है. वर्ष के दौरान 177 कार्यपालकों / अधिकारियों को विभिन्न कार्यात्मक, प्रबंधनात्मक, व्यवहारिक क्षेत्रों एवं नेतृत्व के माध्यम से रूपांतरण में बाहरी प्रशिक्षण कार्यक्रमों में प्रतिनियुक्त किया गया. वर्ष के दौरान 12 अधिकारियों को विदेश में प्रशिक्षण/ सम्मेलन में नामित किया गया.

काउंटर पर कार्यरत कर्मचारियों के लिए प्रशिक्षण: बैंक ने काउंटर पर कार्यरत कर्मचारियों को ग्राहक की आवश्यकताओं को पूरा करने के प्रति सचेत करने एवं उनके व्यवहार को अधिक ग्राहकोन्मुख बनाने की प्रक्रिया को पहचाना है. बैंक ने "SMILE" नाम से कार्यक्रमों का विकास किया है और प्रयोग के आधार पर उनका कोलकाता एवं उत्तर भारत में आयोजन किया है. इस कार्यक्रम को अन्य केंद्रों में भी आयोजित करने की योजना है. प्रशिक्षुओं की पहचान की गई है और वे प्रशिक्षण के बाद कार्यक्रम आयोजित करेंगे. अधिक से अधिक कर्मचारियों को शामिल करने हेतु इसे बाहरी एजेंसी को भी सौंपा जा सकता है. अब तक इस कार्यक्रम में लगभग 150 कर्मचारियों ने प्रशिक्षण प्राप्त किया.

27.2 स्टाफ की संख्या

बैंक की स्टाफ की संख्या 31 मार्च, 2009 की 9883 से बढकर वित्त वर्ष 2009-10 के अंत तक 10525 हो गयी जिसमें 2132 महिला कर्मचारी शामिल हैं. इस कुल संख्या में 4218 अधिकारी, 4171 लिपिक और 2136 अधीनस्थ कर्मचारी शामिल हैं. बैंक में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन जाति के कर्मचारियों की संख्या निर्धारित स्तर के अनुरूप थी.

बैंक के सभी कार्य सीबीएस में परिवर्तित होने को ध्यान में रखते हुए, बैंक द्वारा कारोबार प्रक्रिया पुन: निर्धारण के माध्यम से कर्मचारी यौक्तिकीकरण प्रक्रिया की जा रही है. यह लक्षित कारोबार वृद्धि हेतु मानव संसाधन आवश्यकता को बेहतरीन युक्ति संगत रूप में निर्धारित करने में सहायक होगा.

भर्ती

पिछले वर्ष के दौरान हमारे बैंक में विभिन्न वेतनमान एवं क्षेत्रों में 103 अधिकारी नियुक्त किये गये.

बैंक ने लिपिकीय संवर्ग में भर्ती परियोजना का कार्य पूरा किया और 31.03.2010 तक 1064 लिपिकों ने बैंक में सेवा स्वीकार की.

बैंक ने कनिष्ठ एवं मध्यम प्रबंधन वेतनमानों में विभिन्न क्षेत्रों में विशेषज्ञ संवर्ग के लिए भर्ती प्रक्रिया शुरू की है.

Bank has continuously focused on enhancement and sharpening of the skills of its employees by providing continuous learning opportunities.

During the year, the Bank has provided training in various thrust areas like Credit, Rural Banking, Risk Management, Treasury, Retail Banking, Information Technology, Marketing, Management development, customer orientation etc. In order to enhance its lending base, the Bank has also started imparting intensive credit training of 02-months duration to officers in which 133 officers were specially groomed in this area.

The Bank also utilizes expertisation of external training resources from reputed management and training institutes in India and abroad, with a view to providing specialized training, skill development to its officers and executives. During the year 177 executives/ Officers were deputed for external training programme in different functional, managerial, behavioural areas and leadership, enroute to transformation. 12-officers were deputed for abroad training/ conference during the year.

Training for Frontline staff: Bank has identified the process of sensitizing the frontline staff to cater to the needs of customer as well to orient them to be more customers centric in their approach. Bank has developed programmes named as “SMILE” and conducted on pilot basis at Kolkatta and North India. The programme is planned to rolled over in other centers. Trainees identified, trained will be conducting the programme. It may also be outsourced so that maximum employees can be covered. So far about 150 employees have undergone the programme.

27.2 Staff Strength

The staff strength of the Bank increased from 9883 as on 31st March, 2009 to 10525 at the end of the FY 09-10, including 2132 women employees. The total strength comprises of 4218 Officers, 4171 Clerks and 2136 Subordinate staff. The representation of Scheduled Caste, Scheduled Tribe employees in the Bank is in conformity with the prescribed level.

Keeping in mind the rolling over of all functions to CBS, the staff-rationalization exercise is being carried out by the Bank through Business Process Re-engineering. This will help in assessment of manpower requirement for targeted business growth in a more rational way.

Recruitment

During last year 103 Officers joined the services of our Bank in various scales and disciplines.

Bank has completed the recruitment project for clerical cadre and as on 31.03.2010, 1064 clerks joined the service of our Bank.

Bank has also initiated recruitment project for specialized cadres in various disciplines in Junior and Middle management scales.

प्रबंधन विचार विमर्श एवं विश्लेषण MANAGEMENT DISCUSSION AND ANALYSIS

27.3 वर्ष 2009-10 के दौरान अजा / अजजा / अन्य पिछडे वर्ग के कर्मचारियों के लिए शिकायत निवारण पद्धति

अजा/ अजजा कर्मचारियों/ संघों से प्राप्त शिकायतों को निपटाने हेतु प्रधान कार्यालय एवं क्षेत्रीय कार्यालय स्तर पर अजा/ अजजा कक्ष स्थापित किये गये. अजा/ अजजा कर्मचारियों की शिकायतों के समाधान के लिए प्र.का./ क्षे.का. स्तरों पर तिमाही बैठकें भी आयोजित की गईं.

बैंक ने अ जा / अ ज जा कर्मचारियों के हितों की देखरेख करने हेतु प्रधान कार्यालय में मुख्य संपर्क अधिकारी के रूप में महाप्रबंधक के संवर्ग के कार्यपालक को नामित किया है. इसके अलावा, क्षेत्रीय प्रबंधकों (जो क्षेत्रों के प्रमुख हैं) को संबंधित क्षेत्रों के संपर्क अधिकारियों के रूप में नामित किया गया है.

मुख्य संपर्क अधिकारी कार्यालयों / शाखाओं का दौरा भी करते हैं और प्रतिनिधियों से बातचीत करते हैं, उनकी समस्याओं को सुनते हैं एवं उनकी शिकायतों / समस्याओं के समाधान के लिए समुचित कार्रवाई करते हैं.

बैंक ने प्रधान कार्यालय में अ जा / अ ज जा कक्ष स्थापित किया है जिसके प्रमुख वरिष्ठ प्रबंधक (वेतनमान III) और प्रबंधक उनके सहायक हैं. दोनों आरक्षित वर्ग से हैं. बैंक ने 21 क्षेत्रीय कार्यालयों में अ जा / अ ज जा कक्ष स्थापित किये हैं.

31.3.2010 को अ जा एवं अ ज जा का कुल प्रतिनिधित्व क्रमश: 20.51% एवं 11.73% रहा. बैंक अ जा / अ ज जा उम्मीदवारों को 10 दिन के लिए 6 दिन के लिए भर्ती पूर्व प्रशिक्षण एवं 10 दिन के लिए पदोन्नति पूर्व प्रशिक्षण दे रहा है ताकि भर्ती / पदोन्नति परीक्षा / साक्षात्कार में बेहतरीन रूप में निष्पादन कर सकें.

बैंक सीधी भर्ती एवं पदोन्नति में वर्तमान दिशानिर्देशानुसार आरक्षण नीति कार्यान्वित कर रहा है. बैंक अ जा / अ ज जा उम्मीदवारों को सरकारी दिशानिर्देशानुसार छूट / रियायतें भी दे रहा है. अन्य पिछडे वर्ग के उम्मीदवारों को भी सरकारी दिशानिर्देशानुसार छूट दी जा रही है.

समस्याओं / शिकायतों के समाधान के लिए प्रधान कार्यालय में दिनांक 17.7.2009 (मार्च तिमाही), 21.11.2009 (जून एवं सितंबर 2009 के लिए संयुक्त रूप से) तथा 22.02.2010 (दिसंबर 2009) को अखिल भारतीय देना बैंक अजा/अजजा/अपिव कर्मचारी महासंघ के साथ तिमाही बैठकें आयोजित हुईं. सभी 21 क्षेत्रों में भी संबंधित स्थानीय यूनिटों के साथ तिमाही बैठकें आयोजित की गयीं.

अजा/ अजजा/ अपिव कर्मचारी सदस्यों से संबंधित शिकायतों को प्रधान कार्यालय में रखे गये शिकायत रजिस्टर में रिकार्ड किया जाता है. शिकायतों की विधिवत् सुनवाई होती है और समुचित समय के अंदर उनका निपटान किया जाता है.

भारत सरकार के दिशानिर्देशानुसार, बैंक के पद आधारित रोस्टर रखे गये हैं जिनका आवधिक निरीक्षण मुख्य संपर्क अधिकारी करते हैं.

2009-10 के दौरान, डॉ. बूटा सिंह, माननीय अध्यक्ष, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, नई दिल्ली और उपाध्यक्ष एवं सदस्यों ने प्रधान कार्यालय का दौरा किया. माननीय अध्यक्ष ने अखिल भारतीय देना बैंक अजा/ अजजा/ अपिव

27.3 Grievances Redressal Mechanism For SC/ ST/ OBC Employees – Activities during the year 2009-10

SC/ ST Cell is set up at Head Office and Regional Office level to attend to the complaints received from SC/ST employees/ Associations. The quarterly meetings are also conducted at HO/ RO levels to redress the grievances of SC/ST employees.

The Bank has appointed a Chief Liaison Officer at Head Office of the rank of General Manager to look after the interest of SC/ ST employees. Besides, the Regional Managers (who head the Regions) have been appointed as Liaison Officers of the respective Regions.

The Chief Liaison Officer also visits to the Offices/branches and interacts with the representatives, listen to their problems and take suitable action for redressing their grievances/problems.

The Bank has set up SC/ST Cell at Head Office headed by Senior Manager (Scale III) and assisted by a Manager. Both are from reserved category. The Bank has also set up SC/ST Cells at 21 Regional Offices.

Overall representation of SCs & STs as of 31-03-2010 are 20.51% & 11.73% respectively. Bank is imparting Pre-recruitment training for 6 days and Pre-promotion training for 10 days to the SC/ ST candidates to enable them to perform better in recruitment/ promotion test/interview.

Bank is implementing Reservation Policy in Direct Recruitment and promotion as per extant guidelines. The Bank is also granting relaxation/concessions to SC/ST candidates as per Government Guidelines. OBC candidates are also granted relaxation as per Government Guidelines.

The quarterly meetings with All India Dena Bank SC/ ST/ OBC Employees Federation were held on 17.07.2009 (March quarter), 21.11.2009 (June and September, 2009 jointly) and 22.02.2010 (December 2009) at Head Office to address the problems/ grievances. Quarterly meetings are also conducted at all 21 Regions with their respective local unit.

Complaints related to SC/ ST/ OBC staff members are recorded in a Complaint Register maintained at Head Office. Due cognizance is taken of the complaints and same are disposed off within a reasonable time.

Post based Rosters of the Bank, as per Government of India guidelines, are maintained which are inspected by Chief Liaison Officers periodically.

During 2009-2010, Hon'ble Chairman, Dr. Buta Singh, National Commission for Scheduled Castes, New Delhi, along with Vice Chairman & Member visited our Head Office. Hon'ble Chairman

प्रबंधन विचार विमर्श एवं विश्लेषण MANAGEMENT DISCUSSION AND ANALYSIS

कर्मचारी महासंघ और हमारे प्रबंधन के साथ बैठक की. इसी वर्ष के दौरान, रोस्टरों की गहरी जांच करने एवं आरक्षण नीति के कार्यान्वयन के लिए श्री एम. शिवकुमार, निदेशक, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, महाराष्ट्र एवं गोवा राज्य तथा श्री एल. के. मीना, उप सचिव एवं मुख्य संपर्क अधिकारी, श्री एम. साहु, अवर सचिव, वित्त मंत्रालय, वित्तीय सेवाएं विभाग की अध्यक्षता में अधिकारियों की टीम ने हमारे प्रधान कार्यालय का दौरा किया. तीनों एजेंसियों ने रोस्टरों के रखरखाव तथा आरक्षण नीति के कार्यान्वयन के प्रति अपना संतोष व्यक्त किया. मंत्रालय के अधिकारियों ने 2 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के रोस्टरों की भी जांच की और उन्हें सही पाया.

conducted meeting with All India Dena Bank SC/ ST/ OBC Employees' Federation as well as our Management. During the same year, Shri M. Sivakumar, Director, National Commission for Scheduled Caste, State Maharashtra & Goa and a team of officials headed by Shri L. K. Meena, Dy. Secretary & Chief Liaison Officer along with Shri M. Sahu, Under Secretary from Ministry of Finance, Department of Financial Services also visited our Head office for in depth verification of rosters and Implementation of Reservation Policy. All the three agencies expressed their satisfaction over maintenance of rosters and implementation of reservation policy. Ministry officials also verified rosters of 2 RRBs and found the same in order.

27.5 औद्योगिक संबंध

औद्योगिक संबंध पहल के भाग के रूप में शाखाओं के बीच प्रतिस्पर्धा लाने तथा कर्मचारियों के मनोबल को बढाने हेतु कार्पोरेट लक्ष्यों की प्राप्ति से संबद्ध प्रोत्साहन योजना लागू है. वर्ष के दौरान औद्योगिक संबंध सौहार्दपूर्ण रहे.

27.5 Industrial Relations

As part of the Industrial Relation initiative an incentive scheme linked to achievement of corporate goals is in place with a view to creating competition amongst the branches and boost the morale of the employees. The Industrial Relations during the year was cordial.

27.6 पदोन्नति के अवसर

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान योग्य प्रत्याशितों को पदोन्नति अवसर प्रदान करने एवं कर्मचारियों के मनोबल को बढाने हेतु सभी स्तरों अर्थात् अधिकारी, लिपिकीय एवं अधीनस्थ कर्मचारी संवर्ग में 343 कर्मचारी सदस्य पदोन्नत हुए.

27.6 Career Progression

During the year under review 343 staff members in all levels i.e. Officers, Clerical and Sub staff cadre were promoted to shape the career progression of deserving aspirants as well to boost their morale.

27.7 कर्मचारी कल्याण योजनाएं

बैंक में कर्मचारियों के लिए बेहतरीन कल्याण योजना लागू है. योजना का विस्तृत दायरा निम्नप्रकार है:

कर्मचारियों के बच्चों को योग्यता छात्रवृत्ति एवं खेलकूद छात्रवृत्ति. स्थायी अंशकालिक कर्मचारियों द्वारा उनके बच्चों के लिए किये गये शैक्षणिक व्यय का भुगतान.

पात्रता सीमाओं से अधिक चिकित्सा व्यय का भुगतान, दांतों की सर्जरी, 40-45 वर्ष की आयुवाले सभी कर्मचारियों एवं उनके पति / पत्नी के लिए स्वास्थ्य जांच योजना.

ऐसे कर्मचारियों के वैध वारिसों को सहायता प्रदान करना, जिनका सेवाकाल के दौरान निधन होता है (रु. एक लाख) या सेवा काल के दौरान स्थायीरुप में संपूर्ण शारीरिक रूप से असमर्थ हो जाते हैं एवं चिकित्सीय आधार पर स्वेच्छा से सेवा निवृत्त होते हैं.

27.7 Staff Welfare Schemes

A well defined welfare scheme for employees is in operation in the Bank. The broad coverage of the scheme are as under:

Merit scholarship and Sports scholarship to the children of the employees. Payment towards educational expenses incurred by permanent part time employees for their children.

Payment of medical expenses over and above eligibility limits, including dental surgery, Health check up scheme for all employees and their spouse who are above 40-45 years of age.

Assistance to legal heirs of employees, who die in harness (Rs. One lac) or in case of permanent total physical incapacity, while in service and has to voluntarily retire on medical ground.

27.8 कर्मचारी प्रोत्साहन योजना

शाखाओं/ क्षेत्रीय कार्यालयों/ प्र.का. के कर्मचारी सदस्यों को नकद प्रोत्साहन द्वारा मान्यता प्रदान करने एवं पुरस्कृत करने की कर्मचारी प्रोत्साहन योजना तैयार की गयी है. योजना के अंतर्गत बेहतरीन कार्य निष्पादन करनेवाली शाखाएं, क्षेत्र एवं प्रधान कार्यालय के विभाग शामिल हैं. सबसे बेहतर कार्यनिष्पादन वाली उच्च 3 शाखाओं, क्षेत्रों एवं प्रधान कार्यालय के विभागों के कर्मचारी सदस्य प्रोत्साहन के लिए पात्र हैं.

27.8 Staff Incentive Scheme

Staff incentive scheme is formulated to recognize and reward the staff members of branches/ Regional offices/ H.O by way Cash incentive. All best performing Branches, Regions and departments of H.O are covered under scheme. Staff members of top 3-best performing branches, regions and departments of H.O are eligible for incentive.

प्रबंधन विचार विमर्श एवं विश्लेषण MANAGEMENT DISCUSSION AND ANALYSIS

28. सूचना तकनीकी पहल

28.1 कोर बैंकिंग समाधान (सी बी एस) - 'देना गरिमा'

ग्राहक संतुष्टि और कारोबार वृद्धि को बढाने की दृष्टि से बैंक ने तकनीक के माध्यम से रूपांतरण की प्रक्रिया शुरू की. बैंक के कोर बैंकिंग परिचालन के लिए, बैंक ने आद्योपांत समाधान हेतु सूचना तकनीक समर्थित सेवाओं के क्षेत्र में अग्रणी सेवा प्रदाता मे. विप्रो की सेवाएं ली हैं. इसे मेसर्स इन्फोसिस प्रौद्योगिकी लि. से फिनैकल सॉफ्टवेयर का सहयोग प्राप्त है. कोर बैंकिंग प्रणाली में समेकित खजाना प्रणाली के सॉफ्टवेयर के अलावा, ग्राहकोनुकूल सेवाओं का पुलिन्दा है जैसे कि इंटरनेट बैंकिंग, फोन बैंकिंग, मोबाईल बैंकिंग और नकदी प्रबंधन सेवाएं आदि उपलब्ध हैं. मुख्यत: विनियामक सरोकारों की ओर उन्मुख रहने की दृष्टि से कोर बैंकिंग के साथ अनेक संख्या में तृतीय पक्ष सॉफ्टवेयर समाधान समेकित किए जा रहे हैं.

इस परियोजना का शुभारंभ मुंबई में दिनांक 12 मार्च, 2007 को माहिम शाखा में विद्यमान परिचालन का रूपांतरण करके किया गया.

मार्च 2010 तक बैंक का पूरा कारोबार सीबीएस के अंतर्गत लाया गया है. इसमें 776 केंद्र और 28 राज्य/संघ शासित क्षेत्र शामिल हैं. बैंक अपनी अनुषंगी शाखाओं में कनेक्टिविटी प्रदान करने की प्रक्रिया में है जो जल्दी ही पूरी होनेवाली है और इससे दूरस्थ क्षेत्रों में स्थित ग्राहक भी बैंक के साथ लेनदेन करने का लाभ उठा पाएंगे.

अन्य सूचना तकनीकी पहल

28.2 नेटवर्किंग

तकनीकी के माध्यम से परिवर्तन की ओर बैंक के अभियान में संचार बुनियादी सुविधाओं के महत्व को पहचानते हुए बैंक ने देना नेट - विभिन्न कनेक्टिविटी मीडिया का प्रयोग करते हुए, उससे विस्तृत क्षेत्र नेटवर्क के माध्यम से अपनी सभी शाखाओं एवं प्रशासनिक कार्यालयों को जोडा है. 99% से अधिक अप टाइम सुनिश्चित करने हेतु 24X7 के आधार पर नेटवर्किंग निगरानी टीम द्वारा देना नेट की निरंतर निगरानी रखी जा रही है.

28.3 एटीएम संस्थापन

अत्यंत लोकप्रिय एवं सहज डिलीवरी चैनल के माध्यम के रूप में एटीएमों की शुरूआत करने के वैश्विक रुझान को जारी रखते हुए दिनांक 31 मार्च, 2010 तक देश भर में कुल 396 एटीएमों की स्थापना की गई है. इनमें से 295 एटीएम शाखा स्थल पर हैं जबकि 101 एटीएम शाखा से अलग स्थानों पर स्थित हैं. इसमें 260 केंद्र शामिल हैं. इनमें से 2 एटीएम बायोमेट्रिक हैं जो अशिक्षित ग्राहकों को उनके अंगूठे के निशान की सहायता से एटीएम का परिचालन करने की सुविधा देते हैं. बायोमेट्रिक एटीएम अपने अनुदेश ग्राहकों को बोलकर सुनाते भी हैं.

बैंक ने भारतीय स्टेट बैंक तथा कैश ट्री, वीसा, कैशनेट एवं एनएफएस के साथ एटीएमों की भागीदारी व्यवस्था की है. यह गठजोड बैंक के ग्राहकों को भारत में 60000 से अधिक एटीएम एक्सेस केंद्रों और 470 लाख से अधिक व्यापार संस्थानों (एम ई) तथा विदेशों में 1 मिलियन से अधिक एटीएमों और 26 मिलियन एमई पर लेनदेन करने की सुविधा प्रदान करती है. डेबिट/एटीएम कार्ड आधार लगभग 9.45 लाख हैं. बैंक एचएन1 ग्राहकों को वीसा गठजोड युक्त देना अंतर्राष्ट्रीय गोल्ड डेबिट कार्ड भी प्रदान करता है. बैंक संशोधित भा.रि.बैं.

28. IT Initiatives

28.1 Core Banking Solution (CBS)-'DENA GARIMA'

The Bank has embarked upon a process of transformation through technology with a view to enhance customer satisfaction and to leverage business growth. It has engaged the services of M/s Wipro, a leading service provider in IT enabled services, for providing an end-to-end solution for Core Banking Operations of the Bank. It is backed by 'Finacle' software support from M/s Infosys Technologies Ltd. The Core Banking system bundles a host of customer friendly services like Internet Banking, Phone Banking, Mobile Banking and Cash Management Services etc. besides software system for Integrated Treasury operations. A number of third party software solutions are also being integrated mainly with a view to address Regulatory concerns.

The Project was kicked off with migration of existing operations at bank's Mahim Branch in Mumbai on 12th March 07.

As of March 2010, the entire business of the bank has been brought under CBS. This covers 776 centres and 28 states/union territories. The Bank is in the process of providing connectivity at its Satellite branches, which would also be completed shortly, and will enable customers in such remote areas to enjoy the benefit of the transacting with the Bank.

Other IT Initiatives

28.2 Networking

Recognizing the significance of communication infrastructures in the Bank's drive towards transformation through technology, the bank has connected all its branches and administrative offices through DENANET – its Wide Area Network using various connectivity media. "DENANET" is continuously being monitored on 24X7 basis by a Network Monitoring team for ensuring more than 99% up time.

28.3 ATM Installations

In keeping with the universal trend of introducing ATMs as the most popular and convenient mode of delivery channels, a total of 396 ATMs have been installed as on 31st March, 2010 all over the country. Out of these ATMs, 295 are Onsite and 101 are Offsite, covering more than 260 centres. 2 of the ATMs are bio-metric to facilitate illiterate customers operating the ATM with thumb impression. The bio-metric ATMs also speak out instructions to the customers.

The Bank has ATM sharing arrangement with SBI and through CASHTREE, VISA, CASHNET & NFS tie ups, enabling more than 60000 ATM access points and more then 4.70 lacs Merchant Establishments (MEs) in India and more than 1 million ATMs and 26 Million MEs abroad, to Bank's customers; Debit/ ATM Card base is around 9.45 lacs. The Bank also provides Dena International Gold Debit Card to HNI customers with Visa affiliation. Bank is charging fee from its customers for operation

प्रबंधन विचार विमर्श एवं विश्लेषण MANAGEMENT DISCUSSION AND ANALYSIS

दिशानिर्देशों के अनुसार गठजोड वाले बैंकों के एटीएमों में परिचालन के लिए, अपने ग्राहकों से शुल्क वसूल करता है.

बैंक में एटीएमों के माध्यम से कई मूल्य वर्धित सेवाएं अर्थात् मोबाइल प्रीपेड टॉपअप तथा पोस्ट पेड बिल भुगतान आदि उपलब्ध हैं. डेबिट कार्ड ग्राहक भी इंटरनेट पर डेबिट कार्ड के प्रयोग से वस्तुओं एवं सेवाओं की खरीद के लिए ऑनलाइन भुगतान भी कर सकते हैं.

28.4 नेटवर्क आधारित सेवाएं तथा प्रयोजनीयता

ग्राहक संतुष्टि हेतु इस मूलभूत सुविधा को कई चैनलों का रूप देने एवं उनके सृजन से ब्याज दरों का दायरा बढाने की दृष्टि से हमने निम्नलिखित नेटवर्क आधारित उत्पाद व सेवाएं आरंभ की है:

- सीबीएस उपयोग
- अन्य उपयोग जैसे आस्ति देयता प्रबंधन / बेनामी लेन-देन की रोकथाम, ऑनलाइन तुलन पत्र आदि
- एटीएम / डेबिट कार्ड
- डाटा अंतरण एवं दूरवर्ती सहायता
- भा.रि.बैं. भुगतान प्रणालियों जैसे कि आरटीजीएस एवं एनईएफटी आदि
- कार्पोरेट ई मेल
- इंट्रानेट
- आई पी टेलीफोनी
- वीडियो कांफरेंसिंग
- इंटरनेट बैंकिंग

बैंक ने अपनी शाखाओं के ग्राहकों के लिए "देना आई कनेक्ट" - इंटरनेट बैंकिंग सेवा शुरू की है. इससे ग्राहक इंटरनेट के माध्यम से अपने खाते की सूचना प्राप्त कर सकते हैं, जैसे कि (क) खाते में शेष रकम की जानकारी, (ख) छोटी विवरणी (अंतिम 10 लेनदेन), (ग) खातों के विस्तृत विवरण, (घ) चेक बुक के बारे में पूछताछ, (ड़) चेक भुगतान रोको अनुरोध, (च) कर ई-भुगतान, (छ) बैंक के अंदर निधि अंतरण, (ज) जावक चेक के बारे में पूछताछ आदि. हमारे ग्राहकों के लिए देना आई- कनेक्ट के माध्यम से आरटीजीएस/एनईएफटी लेनदेन, ऑनलाइन ट्रेडिंग आदि अतिरिक्त सेवाएं शुरु होनेवाली हैं.

बैंक ने चेतावनी सुविधा शुरू की है जिसके माध्यम से कुछ घटनाएं घटने पर ग्राहकों को एसएमएस मिलता है. शुरूआत के रूप में यह सुविधा डेबिट कार्ड धारकों को उपलब्ध करायी गयी है. रु. 5000 या उससे अधिक राशि एटीएम के माध्यम से निकाले जाने पर और बिक्री केंद्रों पर किसी भी राशि के लेनदेन पर हमारे डेबिट कार्ड धारकों को तुरंत एसएमएस आता है.

28.5 बैंक की वेबसाइट

बैंक की अपनी वेबसाइट है जिसमें नेटीजन के अनुकूल विशेषताएं मौजूद हैं जैसे कि शाखा संकेतक, कैलकुलेटर, दोहरी क्लिक नेवीगेशन प्रणाली इत्यादि. वेबमास्टर निरंतर आधार पर वेबसाइट को अद्यतन एवं गतिशील बनाए रखता है.

at ATMs owned by affiliate banks as per the revised RBI guidelines.

The Bank has number of value added services through the ATMs viz. Mobile Pre-paid Top-ups and Post Paid Bill Payment etc. Debit Card customers can also make online payment for purchases of goods and services using Debit cards on Internet.

28.4 Network based Services & Applications

With a view to channelise this infrastructure for customer satisfaction and maximize the ROI made in creation thereof, we have introduced the following network based products and services:

- CBS application
- Other applications viz ALM / AML, Online Balance sheet etc.
- ATM / Debit Cards
- Data Transfer & Remote Support
- RBI Payment systems like RTGS & NEFT etc.
- Corporate E-MAIL
- Intranet
- IP Telephony
- Video Conferencing
- Internet Banking

The Bank has launched “Dena i Connect” – the internet Banking Service for customers of its Branches. This enables the customers to access their account information through Internet in the form of (a) Balance inquiry (b) Mini statement (last 10 transactions) (c) Detailed Statement of Accounts (d) Cheque book inquiry (e) Cheque stop request (f) Tax e-payment. (g) Fund transfer within the Bank (i) Outward cheque inquiry etc. Additional services viz. RTGS/NEFT transaction, online trading etc are in the offing for our customers through Dena i Connect.

Bank has started Alert facility through which customers gets SMS on occurrence of certain events. To start with we have enabled this facility for Debit card holder. Our Debit card holders get SMS instantly on Cash Withdrawal through ATM of amount more than or equal to Rs.5000 and on any amount transacted on POS.

28.5 Bank’s Web site

Bank has its website with netizen friendly features like Branch Locators, Calculators, Two-click navigation system etc. The webmaster keeps the website updated and dynamic on an ongoing basis.

प्रबंधन विचार विमर्श एवं विश्लेषण MANAGEMENT DISCUSSION AND ANALYSIS

संतुलित सूचना प्रौद्योगिकी मूलभूत सुविधाओं के साथ बैंक अधिकाधिक ग्राहक सुविधाएं देने की दिशा में तकनीक लाने हेतु आगे बढने के लिए पूरी तरह तैयार है.

29. ग्राहक सेवा

ग्राहक संतुष्टि में सुधार लाने के लिए बैंक ने ग्राहकों की अपेक्षाओं को पूर्ण करने हेतु सार्थक प्रयास किए. वर्ष के दौरान, बैंक ने इस लक्ष्य हेतु निम्नलिखित उपाय करना जारी रखा :

29.1 शाखाओं को आई एस ओ 9001:2000 प्रमाणन

वर्ष के दौरान 25 शाखाओं ने आईएसओ 9001:2000 प्रमाणन प्राप्त किया जिससे मार्च 10 को आईएसओ प्रमाणित शाखाओं की संख्या बढकर 362 हो गई.

29.2 ग्राहकों की शिकायतों का निवारण

ग्राहकों की शिकायतों का तुरंत निवारण करने को बैंक उच्च प्राथमिकता देता है. बैंक के ग्राहक सीधे पत्र, ई-मेल अथवा बैंक की वेबसाइट के माध्यम से संपर्क कर सकते हैं तथा अपने प्रश्न/ पूछताछ/ शिकायत यदि कोई हो, तो कर सकते हैं. बैंक के टॉलमुक्त संख्या 1800-225740 के माध्यम से शिकायतों / सुझावों का पंजीकरण किया जा सकता है.

29.3 ग्राहक सेवा की कार्यविधि एवं कार्य निष्पादनलेखा परीक्षा के संबंध में स्थायी समिति

बैंक ने ग्राहक सेवा पर एक स्थायी समिति का गठन किया है जिसके प्रमुख अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक हैं, उनके अलावा कार्यपालक निदेशक, महा प्रबंधक (संसाधन, आयोजना एवं प्रशासन, नोडल अधिकारी), महा प्रबंधक (सू.त. एवं स.जो.प्र.), महा प्रबंधक (विदेशी मुद्रा एवं खजाना), महा प्रबंधक (साख) समिति के सदस्य हैं, समिति में दो ग्राहक स्थायी सदस्य हैं एवं तिमाही बैठकों के लिए दो से तीन विशेष ग्राहक आमंत्रितों को बुलाया जाता है, वित्तीय वर्ष 2009-10 के दौरान चार बैठकें आयोजित हुईं.

29.4 इसके अतिरिक्त बैंक ने उच्च स्तर पर भी निदेशक मंडल की ग्राहक सेवा समिति का गठन किया है, जो ग्राहक सेवा की गुणवत्ता बढाने एवं ग्राहक संतुष्टि के स्तर में सुधार के उपाय के संबंध में सलाह देती है, प्रत्येक शाखा मूल स्तर पर ग्राहकों की शिकायतों के निवारण के लिए महीने में ग्राहक बैठक का आयोजन करती है.

29.5 ग्राहकों हेतु बैंक की प्रतिबद्धता की आचार संहिता

सर्वोत्तम व्यवहार (कूट और मानक) को प्रतिबिंबित करने के न्यूनतम मानदंड के समक्ष बैंकों के कार्यनिष्पादन को आंकने के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक ने भारतीय बैंकिंग कोड एवं मानक बोर्ड की स्थापना की है. बैंक ने "ग्राहकों के लिए बैंकों की प्रतिबद्धताओं का कोड" अपनाया है तथा वह इसके अनुपालन हेतु पूर्णत: प्रतिबद्ध है.

हमारा बैंक भारतीय बैंकिंग कोड एवं मानक बोर्ड का सदस्य है एवं बैंक की ओर से महाप्रबंधक के स्तर का एक शीर्ष कार्यपालक बैंक की ओर से "कोड अनुपालन अधिकारी" के रूप में नियुक्त किया गया है.

With robust IT infrastructure; the Bank is well poised to take the leap forward to drive technology towards affording greater customer convenience.

29. Customer Service

The Bank has concentrated on internalizing customer expectations and aspirations more intensely. During the year, the Bank has continued the various measures to improve customer satisfaction.

29.1 ISO 9001:2000 Certification of Branches

During the year, 25 branches has obtained ISO 9001:2000 certification, increasing the tally of ISO certified branches to 362 as of March 2010.

29.2 Redressal of Customer Grievances

The Bank is according top priority to resolve customers' complaints/ grievances expeditiously. The customers of the Bank can correspond directly, through letters, e-mails or through the web-site of the Bank and pose their queries/ grievances/ suggestions, if any. The complaints/suggestions can be registered through Toll Free Number 1800-225740 of the Bank.

29.3 Standing Committee on Procedures and Performance Audit of Customer Service

The Bank has constituted a Standing Committee on Customer Service which is headed by Chairman and Managing Director. Besides Executive Director, General Manager (Resource, Planning and Administration, Nodal Officer), General Manager (IT & IRM), General Manager (Forex & Treasury), General Manager (Credit) are the members of the Committee. The committee also has two customers as permanent members and two to three special customer invitees are called for the quarterly meetings. Four meetings were organized during the financial year 2009-10.

29.4 In addition to above, the Bank has formed Customer Service Committee of the Board at the apex level to advise measures for enhancing the quality of customer service and improving the level of customer satisfaction. Every Branch holds a customer meet in a month for redressal of customer complaint at the grass root level.

29.5 Code of Bank's Commitments to the Customers

RBI has constituted Banking Codes and Standards Board of India for measuring the performance of banks against a benchmark reflecting the Best Practices (Codes & Standards). The Bank has adopted "Code of Bank's Commitments to the Customers" and is fully committed to its adherence.

The Bank is a member of BCSBI and a top executive in the rank of General Manager is appointed as the "Code Compliance Officer" on behalf of the Bank.

प्रबंधन विचार विमर्श एवं विश्लेषण MANAGEMENT DISCUSSION AND ANALYSIS

30. शाखा नेटवर्क एवं विस्तार

30.1 शाखा नेटवर्क

वर्ष के दौरान बैंक ने देश के विभिन्न भागों में नयी सामान्य बैंकिंग शाखाओं के लिए 104 लाइसेंस एवं विशेषीकृत शाखाओं अर्थात् कार्पोरेट कारोबार शाखाओं के लिए 3 लाइसेंस प्राप्त किए. हमारी शाखाएं प्रमुखत: देश के पश्चिम भाग अर्थात् गुजरात एवं महाराष्ट्र में स्थित हैं. 2009-10 के दौरान बैंक ने ऐसे केंद्रों को शामिल किया है जहां उसकी उपस्थिति नगण्य एवं कम है. ये केंद्र प्रधान रूप से झारखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, मेघालय, तमिलनाडु, उडीसा, मध्य प्रदेश एवं उत्तराखंड हैं. कारोबार संभावना को ध्यान में रखते हुए बैंक ने बैंकिंग सुविधाओं से वंचित क्षेत्रों एवं अल्पसंख्यक समुदाय बहुल जिलों की श्रेणी में आनेवाले क्षेत्रों / केंद्रों की पहचान की है.

वर्ष 2009-10 के दौरान, बैंक ने 39 नयी शाखाएं खोली हैं, उनमें से सिक्किम, असम, हरियाणा, उत्तराखंड, केरल एवं मध्यप्रदेश राज्यों में प्रत्येक में 1, राजस्थान एवं उत्तर प्रदेश में प्रत्येक में 2, पश्चिम बंगाल, दिल्ली, आंध्र प्रदेश में प्रत्येक में 3, कर्नाटक एवं तमिलनाडु में प्रत्येक में 4, गुजरात एवं महाराष्ट्र में प्रत्येक में 6, इस प्रकार शाखाओं की कुल संख्या 1223 बनती है. बैंक ने अल्पसंख्यक समुदाय बहुल जिलों में नौ शाखाएं एवं बैंकिंग सेवाओं से वंचित जिलों में दस शाखाएं खोली हैं.

बैंक ने सुविस्तारित, स्वस्थ एवं अधिक प्रतिफल वाले रिटेल संविभाग का निर्माण करने, तथा जोखिम पहचान, जोखिम मापने, जोखिम निगरानी एवं जोखिम उपशमन आदि महत्वपूर्ण मदों के समाधान के लिए प्रभावी जोखिम प्रबंधन प्रणाली स्थापित करने हेतु देश के विभिन्न भागों में 12 रिटेल आस्ति शाखाएं खोली हैं.

मुंबई एवं अहमदाबाद में बैंक की दो औद्योगिक वित्त शाखाएं हैं और मुंबई में कार्पोरेट कारोबार शाखा है. बडे कार्पोरेटों की ऋण आवश्यकताओं को पूरा करने हेतु बैंक ने वर्ष के दौरान चेन्नै, नई दिल्ली एवं कोलकाता में 3 कार्पोरेट कारोबार शाखाएं खोली हैं.

31 मार्च, 2010 को बैंक की शाखाओं का क्षेत्रवार विवरण इस प्रकार है:

30. Branch Network and Expansion

30.1 Branch Network

During the year Bank has received 104 licenses to open new General Banking and 3 licenses for Specialized branches i.e. Corporate Business Branches in various parts of the country. Our branches are mainly concentrated in Western part of the country i.e in Gujarat and Maharastra. During 2009-10, Bank has consciously included centres where Bank's presence was negligible and sparse. These centres are mainly in Jharkhand, Bihar, West Bengal, Sikkim, Meghalaya, Tamil Nadu, Orissa, Madhya Pradesh and Uttarakhand. Keeping in view the business potential. Bank has identified areas / centres, mostly falling in the category of under banked area as well as under Minority dominated districts.

During the year 2009-10, Bank has opened 39 new branches, 1 each in Sikkim, Assam, Haryana, Uttatrakhand, Kerala and Madhya Pradesh, 2 each in Rajasthan and Uttar Pradesh, 3 each in West Bengal, Delhi, Andhra Pradesh, 4 each in Karnataka, and Tamil Nadu, 6 each in Gujarat and Maharashtra, taking the tally of branches to 1223.The Bank has opened nine branches in the Minority concentrated districts and ten in under banked districts.

From 1st April, 2008 onwards, Bank has opened 12 Retail Asset Branches in various parts of the country to build up and maintain a well diversified, healthy and high yielding retail portfolio and to set up effective Risk Management System to address key issues like Risk identification, Risk measurement, Risk monitoring and Risk mitigation etc.

Bank has two Industrial Finance Branches at Mumbai and Ahmedabad and Corporate Business Branch at Mumbai. During the year Bank has opened 3 Corporate Business branches at Chennai, New Delhi and Kolkata catering to the credit needs of large corporates.

The sector-wise breakup of the branch network of the Bank as on 31st March, 2010.

क्षेत्र Sector	शाखाओं की संख्या No. of Branches	कुल का प्रतिशत Percent to Total
ग्रामीण Rural	450*	37
अर्धशहरी Semi Urban	229	19
शहरी Urban	226	18
महानगरीय Metro	318	26
कुल Total	**1223**	**100%**

* अनुषंगी शाखाएं भी शामिल हैं. * including Satellite branches

31. निरीक्षण एवं आंतरिक लेखापरीक्षा

देश भर में फैली हुई बैंक की विभिन्न शाखाओं के कार्यों पर प्रभावी नियंत्रण एवं पर्यवेक्षण रखने हेतु बैंक में आंतरिक प्रणाली पहले से ही मौजूद है. शाखाओं, क्षत्रीय कार्यालयों तथा प्रधान कार्यालय के विभागों की लेखापरीक्षा के संबंध में

31. Inspection and Internal Audit

The Bank has an in-built system of effective control and supervision of the functioning of its various branches scattered all over the country. In compliance with guidelines of RBI on audit

प्रबंधन विचार विमर्श एवं विश्लेषण MANAGEMENT DISCUSSION AND ANALYSIS

भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिदेशों का अनुपालन करने हेतु निरीक्षण विभाग समय समय पर आंतरिक निरीक्षकों तथा बाहरी सनदी लेखाकारों की फर्मों तथा सी.आई.एस.ए. / डी.आई.एस.ए. अर्हता प्राप्त सूचना प्रबंधन लेखापरीक्षकों आदि के द्वारा विविध प्रकार की लेखापरीक्षाएं संचालित करता है जिससे निर्धारित कार्यप्रणाली एवं कार्यविधियों का सख्त अनुपालन सुनिश्चित हो और त्रुटियां, यदि कोई हों, को समय पर ठीक किया जा सके. आकस्मिक लेखा परीक्षा के अलावा, जब भी जरूरत हो, जोखिम आधारित आंतरिक निरीक्षण, समवर्ती लेखा परीक्षा, प्रबंधन लेखा परीक्षा, सूचना प्रणाली लेखापरीक्षा, राजस्व लेखापरीक्षा, औचित्य लेखापरीक्षा की गई. इन क्रियाकलापों के लिए उपयुक्त दस्तावेज तैयार किए जाते हैं और यह मंडल द्वारा अनुमोदित नीतियों के अनुसार किए जाते हैं.

भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिदेशों के अनुरूप और बासेल-II के अंतर्गत अपेक्षाओं के अनुपालन में बैंक ने दिनांक 01.04.2007 से निरीक्षण के लिए जोखिम आधारित आंतरिक लेखापरीक्षा(आरबीआईए) को अपनाया है. शाखाओं का निरीक्षण करनेवाले अधिकारियों को जोखिम आधारित आंतरिक लेखा परीक्षा करने के लिए समुचित प्रशिक्षण दिया गया है. वर्ष के दौरान बैंक ने आंतरिक स्तर पर प्रशिक्षित निरीक्षकों के साथ-साथ अनुभवी सूचीबद्ध बाह्य लेखा परीक्षकों के माध्यम से 735 शाखाओं की जोखिम आधारित आंतरिक लेखापरीक्षा की.

प्रणाली एवं नियंत्रण को और मजबूत करने के लिए बैंक ने निगरानी तंत्र को सक्रीय कर दिया है. विभिन्न शाखाओं में समवर्ती लेखा परीक्षा के माध्यम से प्रधान कार्यालय के निरीक्षण विभाग द्वारा निगरानी की जाती है. कार्य तथा कार्यविधियों के सख्त अनुपालन किए जाने पर विशेष ध्यान देने सहित अनुकूल दृष्टिकोण से बडी संख्या में शाखाओं की निरीक्षण रेटिंग में सुधार हुआ है. बैंक की परिचालनगत दक्षता एवं विनियामक मूल्य निर्धारण को सुधारने / मदद करने हेतु निरीक्षण रिपोर्टों में बताई गई अनियमितताओं में निरंतर सामयिक सुधार करते रहने के आधार पर प्रभावशाली कदम उठाए गए हैं.

निरीक्षकों के ज्ञान / लेखापरीक्षा निपुणता के उन्नयन हेतु आंतरिक निरीक्षकों एवं समवर्ती लेखापरीक्षकों के लिए प्रशिक्षण सत्र आयोजित किये गये. इसके अतिरिक्त, क्षेत्रीय कार्यालय स्तर पर समवर्ती लेखापरीक्षकों के साथ तिमाही समीक्षा बैठकों की व्यवस्था की गई.

बैंक में कोर बैंकिंग प्रणाली के आगमन एवं सभी शाखाओं को इस प्रणाली के अंदर लिये जाने पर, बैंक ने शाखाओं के कारोबार क्रियाकलापों की निगरानी करने हेतु परोक्ष निगरानी प्रणाली शुरू की है.

32. सतर्कता

बैंक के कार्पोरेट कार्यालय में प्रभावी सतर्कता व्यवस्था है जिसके प्रमुख महा प्रबंधक स्तर के मुख्य सतर्कता अधिकारी हैं. उनको क्षेत्रों के आंचलिक सतर्कता अधिकारियों से सहायता मिलती है. विभाग की भूमिका एवं कार्य दोनों प्रकार अर्थात् निवारक एवं दंडनीय प्रकृति के हैं.

धोखाधडी की घटनाओं को कम करने हेतु बैंक द्वारा निवारक उपायों पर ज्यादा जोर दिया जाता है. शाखा स्तर पर निवारक सतर्कता समितियों का गठन किया गया है जो समस्याओं की पहचान करेंगी ताकि शाखा एवं क्षेत्रीय कार्यालय स्तर पर प्रणालियों एवं पद्धतियों को ठीक किया जा सके., शाखा में हुई धोखाधडियों की कार्यप्रणाली एवं भारतीय बैंक संघ के माध्यम से प्राप्त सूचना से कर्मचारियों

of Branches, Regional Offices and Departments at Head Office, the Inspection & Internal Audit Department is conducting various types of audits through internal inspectors, external Chartered Accountants firms and CISA / DISA qualified IS Auditors from time to time and ensures strict adherence to the Bank's laid down systems and procedures and timely plugging of loopholes, if any. Risk Based Internal Audit, Concurrent Audit, Management Audit, Information Systems Audit, Revenue Audit and Propriety Audit apart from Snap Audit as and when required are conducted. These activities are well documented and guided by the policies approved by Board.

In line with directives of RBI and to comply with requirement under BASEL II accord, Bank has adopted Risk Based Internal Audit (RBIA) for inspection w.e.f. 1st April, 2007. The officials inspecting the branches have been given adequate training for conducting RBIA. During the year the Bank has carried out RBIA of 735 Branches by internally trained inspectors as well as by the experienced empanelled external auditors.

To further strengthen adherence to the systems and control, the Bank has geared up monitoring mechanism. Monitoring is done through concurrent audit at various branches by Inspection department at Corporate Office. The strategic approach with special emphasis on strict adherence to systems and procedures has enabled improvement in the inspection ratings of large number of branches. The effective steps taken are monitored on an ongoing basis for timely rectification of irregularities pointed out in the inspection reports to help/improve the operational efficiency and regulatory rating of the Bank.

To upgrade the knowledge/audit skills training sessions are conducted for internal inspectors and concurrent auditors. Further, quarterly review meetings are arranged with the concurrent auditors at Regional Office level.

With the onset of Core Banking System in the organization and all the branches being brought under its umbrella, Bank has introduced an off-site surveillance system for monitoring of business activities of the branches.

32. Vigilance

The Bank has an effective Vigilance set up at its Corporate Office headed by Chief Vigilance Officer of General Manager rank. He is assisted by Zonal Vigilance Officers in the field. The role and function of the Dept. are both Preventive and Punitive in nature.

More emphasis is given by the Bank on preventive measures in order to minimize incidence of fraud. Preventive Vigilance Committees have been formed at the Branches levels which identify problem area so as to tone up systems and procedures at the branch level and Regional Office level. The modus operandi of the frauds occurred in the branches as well as those received

प्रबंधन विचार विमर्श एवं विश्लेषण MANAGEMENT DISCUSSION AND ANALYSIS

को अवगत कराया जाता है. कर्मचारियों को धोखाधडियों और उसे रोकने हेतु किये जानेवाले निवारक उपायों के बारे में बैंक के प्रशिक्षण संस्थानों में प्रशिक्षण के दौरान सचेत किया जाता है. बैंक में बड़ी धोखाधडियों पर निगरानी रखने के लिए निदेशक मंडल स्तर की समिति गठित है.

कर्मचारी के विरुद्ध कार्रवाई करने से पहले उसके उपयुक्त एवं बदनियत वाले निर्णयों को अलग अलग ढंग से देखा जाता है. प्रभावी अनुशासनिक कार्यवाही करने हेतु अनुशासनिक प्राधिकारी, जांच प्राधिकारी एवं प्रस्तुतकर्ता अधिकारी को प्रशिक्षण दिया जाता है.

बैंक भारत सरकार, केंद्रीय जांच आयोग एवं भारतीय रिज़र्व बैंक से सतर्कता कार्यों पर प्राप्त अनुदेशों / दिशानिदेशों का अनुपालन सुनिश्चित करता है.

33. राजभाषा कार्यान्वयन / आंतरिक प्रकाशन

बैंक ने आलोच्य वित्तीय वर्ष के दौरान राजभाषा हिन्दी के कार्यान्वयन के लिए अपने सघन प्रयास जारी रखे. वर्ष के दौरान बैंक का ध्यान शब्द संसाधक, कोर बैंकिंग समाधान एवं ई-मेल के माध्यम से हिन्दी के कार्यान्वयन पर केंद्रित रहा.

33.1 पुरस्कार

भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा वर्ष 2008-09 के लिए आयोजित "गृह पत्रिका प्रतियोगिता" की द्विभाषिक श्रेणी में बैंक को अपनी गृह पत्रिका 'देना ज्योति' के लिए चतुर्थ पुरस्कार प्राप्त हुआ. वर्ष 2008-09 के दौरान महाराष्ट्र राज्य में स्थित बैंक की शाखाओं व कार्यालयों में राजभाषा हिन्दी के श्रेष्ठ कार्यान्वयन के लिए महाराष्ट्र राज्य स्तरीय बैंकर समिति (राजभाषा), पुणे की ओर से आयोजित प्रतियोगिता में हमारे बैंक को तृतीय पुरस्कार प्राप्त हुआ.

33.2 प्रशिक्षण

बैंक ने अपने कार्यालयों तथा शाखाओं में हिन्दी के प्रयोग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन जारी रखा. वर्ष के दौरान बैंक ने कृषि बैंकिंग महाविद्यालय, भारतीय रिज़र्व बैंक के संकाय सहयोग से राजभाषा अधिकारियों के लिए हिन्दी यूनिकोड प्रशिक्षण कार्यक्रम तथा हिन्दी साफ्टवेयर प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया. प्रशिक्षण प्राप्त राजभाषा अधिकारी विभिन्न कार्यालयों एवं शाखाओं में कार्यरत अधिकारियों एवं स्टाफ सदस्यों को प्रशिक्षण प्रदान करेंगे.

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान 94 हिन्दी कार्यशालाओं तथा हिन्दी साफ्टवेयर प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन किया गया जिनमें 836 अधिकारियों एवं 688 अन्य कर्मचारियों को प्रशिक्षण दिया गया. इसके अलावा, कार्यालयीन कार्य हिन्दी में करने हेतु कर्मचारियों को व्यावहारिक प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए 112 डेस्क प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन किया गया.

33.3 हिन्दी सॉफ्टवेयर

तकनीकी परिवर्तनों की गति बनाए रखते हुए, बैंक ने विभिन्न प्रशासनिक कार्यालयों एवं शाखाओं में प्रयोग में लाए जा रहे सभी कंप्यूटरों में कंप्यूटर आधारित द्विभाषिक शब्द संसाधन सुविधाएँ प्रदान की हैं. समीक्षाधीन वर्ष के दौरान, बैंक ने सीबीएस शाखाओं के लिए 'स्क्रिप्ट मैजिक' हिन्दी सॉफ्टवेयर का कार्यान्वयन जारी रखा. यह सॉफ्टवेयर वर्ष के दौरान 800 से भी अधिक शाखाओं में उपलब्ध कराए गए हैं. इन सुविधाओं के प्रयोग को बढ़ावा देने के

through IBA is being shared amongst the staff. The employees are sensitized about the fraud taken place and of the preventive measures to be taken at the training establishments of the Bank. The bank has a Board level Committee for monitoring of large value frauds.

A distinction is made between the bonafide and malafide decisions of the employee before initiating action against. Training is imparted to the Disciplinary Authority, Inquiring Authority and the Presenting Officers for effective conduct of the Disciplinary Proceedings.

The bank ensures implementation of the instructions/guidelines on Vigilance functioning received from Govt. of India, Central Vigilance Commission and Reserve Bank of India.

33. Implementation of Official Language/ In-house publications

The Bank continued vigorous efforts for implementation of official language Hindi during the financial year under review. During the year Bank's focus was on implementation of Hindi Softwares through word processors, Core Banking solution and E-mail.

33.1 Awards

During the year under review Bank was awarded IV th prize by Reserve Bank of India for it's house journal "Dena Jyoti" in bilingual category for the year 2008-09. Bank received IIIrd prize in the competition organized by Maharashtra State Level Bankers' Committee (Rajbhasha), Pune for excellent performance in implementation of official language Hindi in its offices and Branches situated in the Maharashtra State during 2008-09.

33.2 Training

The Bank continued to conduct special Training Programs to promote the use of Hindi in its offices and branches. During the year Bank has organized Hindi Unicode Training Program with the faculty support of College of Agriculture Banking, Reserve Bank of India and Hindi Software Training Program for Official Language Officers, who in turn will impart the training to officers and staff members working at various offices and branches.

During the year under review 94 Hindi Workshops and Hindi Software training programs were conducted in which 836 officers and 688 other employees were trained. In addition to these 112 Desk Training Programs were also conducted to impart practical training to the employees for doing the official work in Hindi.

33.3 Hindi Software

Keeping pace with the technological changes, the bank has provided computer based bilingual word processing facilities on all computers in use at various administrative offices and branches. During the year under review Bank continued the implementation of Hindi Software "Script Magic" for CBS Branches. This software is provided to over 800 branches during the year. Hindi Software training programs were conducted to promote the use of these

प्रबंधन विचार विमर्श एवं विश्लेषण MANAGEMENT DISCUSSION AND ANALYSIS

लिए हिन्दी सॉफ्टवेयर प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए. बैंक ने प्रधान कार्यालय एवं विभिन्न क्षेत्रों की शाखाओं में हिन्दी सॉफ्टवेयर आकृति एवं ईजी मेलर के विशेष डेस्क प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किये. बैंक द्वारा संस्थापित सभी एटीएमों में द्विभाषिक प्रयोग की सुविधा उपलब्ध कराई गई है.

33.4 वित्त मंत्रालय द्वारा निरीक्षण

वर्ष के दौरान संयुक्त निदेशक (राजभाषा), वित्तीय सेवाएं विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार ने राजभाषा के प्रगामी प्रयोग के निरीक्षण के लिए हमारे प्रधान कार्यालय का दौरा किया. उन्होंने अपनी रिपोर्ट में, प्रधान कार्यालय एवं क्षेत्रों में राजभाषा के कार्यान्वयन के लिए हमारे बैंक द्वारा किये जा रहे प्रयासों की प्रशंसा की है.

33.5 प्रचार में हिन्दी का प्रयोग

आम जनता और ग्राहकों में अपनी विभिन्न योजनाओं का प्रचार करने के लिए, हमारी विभिन्न योजनाओं के पंपलेट एवं प्रचार सामग्री हिन्दी में तैयार करके मुद्रित करवाई गई.

तीनों भाषिक क्षेत्रों में बैंक शाखाएं / कार्यालय भारत सरकार की राजभाषा नीति के कार्यान्वयन के स्तर में सुधार करने के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं और हमारी ग्राहक सेवा में सुधार के लिए इसे संप्रेषण का मुख्य माध्यम बनाने के लिए प्रयासरत हैं.

33.6 द्विभाषी गृह पत्रिका

कॉर्पोरेट संप्रेषण में राजभाषा हिन्दी की भूमिका को बढाने के लिए तथा हमारे स्टाफ सदस्यों को नवीनतम विषयों एवं विभिन्न क्रियाकलापों के बारे में जानकारी देने के लिए, बैंक ने अपनी गृह पत्रिका "देना ज्योति" के अंक विभिन्न बैंकिंग विषयों पर विशेषांक के रुप में द्विभाषी रुप में प्रकाशित किये. पत्रिका में लेख, समाचार व गतिविधियां द्विभाषिक रुप में प्रकाशित किए जाते हैं ताकि बैंक का प्रत्येक कर्मचारी इनसे लाभान्वित हो सके.

34. अवसर एवं चुनौतियां

यद्यपि अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करने के लिए घोषित प्रोत्साहन पैकेज को समाप्त करने के लिए भारत सरकार तथा भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा कुछ उपाय किये जा रहे हैं, लेकिन संतुलित दृष्टिकोण के कारण समग्र तरलता स्थिति अनुकूल बनी हुई है. आर्थिक क्रियाकलापों में स्थिति सुधरने तथा 2010-11 के दौरान सामान्य मानसून की संभावना से वाणिज्यक क्षेत्र को ऋण प्रवाह में सुधार होने की संभावना है.

तीनों प्रमुख अंग अर्थात् कृषि, उद्योग और सेवाएं निरंतर विकास की गति में सहायक होने की संभावना है. वर्ष के अंत में जमाराशियों की ब्याज दरों में सीमांत वृद्धि हुई जोकि उच्च नीति दरों तथा सरकारी बॉण्डों पर कम आय के वातावरण में ब्याज दरों में परिवर्तन दर्शाती हैं. बी.पी.एल.आर. के स्थान पर आधार दर आरंभ किये जाने के कारण बैंकों द्वारा उधार दरों के निर्धारण में बेहतर पारदर्शिता होगी. बैंक आधार दर परिदृश्य के कारण उत्पन्न नयी चुनौतियों का सामना करने में सक्षम होंगे.

यद्यपि, वर्ष के दौरान वृद्धि दर पर्याप्त रूप में सकारात्मक बने रहने की संभावना है, सरकार द्वारा बडी उधारी तथा मुद्रा स्फीति में वृद्धि के कारण

facilities. Bank has conducted Special Desk Training Program for Hindi Software Akruti and Easy Mailer at Head Office and branches of various regions. All the ATMs installed by the Bank have been provided with bilingual access facilities.

33.4 Inspection by Ministry of Finance

During the year the Joint Director (Rajbhasha), Department of Financial Services, Ministry of Finance, Govt. of India visited our Head Office for inspection of progressive use of official language. In his report he has appreciated the efforts of our bank for implementation of official language at the Head Office and in Regions.

33.5 Use of Hindi in Publicity

In order to popularize our various schemes among public at large and customers, pamphlets and publicity material of our various schemes were prepared and printed in Hindi.

Bank Branches / offices in all the three lingual regions are constantly making efforts for improving level of implementation of official Language Policy of Government of India and striving to make it as a prime medium of communication to improve our customer service.

33.6 Bilingual House Journal

In order to maximize the role of Official Language Hindi in corporate communication and educating our staff members about various activities and current subjects, Bank published the various issues of its house journal "Dena Jyoti" as Special Issue on various banking subjects in bilingual form. Articles, news and events are published in bilingual to have its reach to every staff of the bank.

34. Opportunities and Threats

Although some small measures are being initiated by the Government of India and Reserve Bank of India to exit from the stimulus packages announced for reviving the economy but balanced approach has ensured that the overall liquidity conditions remain comfortable. The flow of credit is expected to improve to commercial sectors with acceleration of stronger recovery in economic activity duly supported by assumption for normal monsoon during 2010-11.

All the three major components, viz. agriculture, industry and services are expected to support sustained momentum in growth. The year end saw marginal increase in deposit rates reflecting change in the interest rate environment resulting from higher policy rates and hardening yield on Government bonds. The introduction of the Base Rate in place of BPLR is likely to impart greater transparency to fixation of lending rates by the bank. Bank will be able to position itself for the new challenges posed by the Base Rate regime.

Even though the growth is expected to remain overwhelmingly positive during the year, concerns remain from large government

प्रबंधन विचार विमर्श एवं विश्लेषण MANAGEMENT DISCUSSION AND ANALYSIS

चिंता बने रहने की संभावना है जिससे उच्च वेतन की मांग तथा निवेश की लागत में वृद्धि के कारण लागत बढ सकती है, कृषि में होनेवाली वृद्धि मानसून पर निर्भर है जोकि एक अनिश्चितता है. वैश्विक अर्थव्यवस्था ने पुनरुत्थान के संकेत दिये हैं लेकिन अभी भी वह नाजुक है और उसका असर निर्यात पर पड़ सकता है. बैंक चालू खाता एवं बचत खाता जमाओं में वृद्धि की बहुमुखी योजना, बट्टे खाते लिखे खातों में वसूली तथा शुल्क आधारित आय में वृद्धि से आगामी वर्ष के दौरान आनेवाली चुनौतियों का सामना कर सकेगा.

borrowings and the increase in inflation which may push costs through demand for higher wages and increase in input costs. The revival in the growth of agriculture is subject to assumption of normal monsoon resulting in uncertainties. The global economy has shown signs of recovery but is still fragile and shall have impact on the exports. Bank with its multi pronged strategy of increasing the CASA deposits, recovery in written off accounts and augmenting fee based income shall overcome the challenges it shall face during the ensuing year.

35. भावी संभावनाएं

विकास प्रक्रिया को प्रभावित किये बिना मुद्रा स्फीति को रोकने पर केंद्रित भारतीय रिज़र्व बैंक के नीति निर्णय से 2010-11 की संभावनाएं सकारात्मक लगती हैं. आर्थिक वृद्धि में सुधार से ऋण की मांग बढेगी और बैंक का यह प्रयास रहेगा कि वह विभिन्न क्षेत्रों को प्रतियोगी दरों पर ऋण उपलब्ध करायेगा.

वित्तीय समावेशन के बारे में भारत सरकार के नीतिगत दिशानिर्देशों का पालन करने के साथ-साथ बैंक अपनी गैर ब्याज आय / शुल्क आधारित आय में वृद्धि के साथ अपने संसाधनों को बेहतर बनाने की प्रक्रिया में है.

बैंक की आस्तियों की गुणवत्ता में सुधार के लिए बैंक की ऋण सुपुर्दगी प्रणाली और साख निगरानी प्रणाली महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगी. चूंकि बैंक की पिछले वर्ष की योजना से अच्छे परिणाम मिले हैं, इसलिए बैंक नये क्षेत्रों में नयी शाखाएं खोलकर अपना विस्तार करने, लघु मध्यम उद्योग, रिटेल तथा कृषि को महत्व देने, लागत को कम करने के लिए कासा जमा राशियों में सुधार, बट्टे खाते लिखे गए खातों में वसूली के निरंतर प्रयास तथा केवल अपने उत्पादों की बिक्री से ही नहीं बल्कि अन्य पक्षों के उत्पादों के विपणन से गैर-ब्याज / शुल्क आधारित आय बढ़ाने पर अपना ध्यान केंद्रित रखेगा.

35. Outlook

With the policy decisions by RBI concentrating on containing inflation albeit without hurting the growth process the outlook for 2010-11 appears to be optimistic. The recovery in economic growth shall see the increase in credit demand and Bank shall endevour to make it available to different sectors at competitive rates.

Apart from attending to the Government of India policy guidelines on Financial Inclusion, Bank is in the process of rejunuveting its resources for augmenting its non interest income/fee Based income.

The Bank's credit delivery system and credit monitoring system will play a vital role in improving the Asset Quality of the Bank. As the Banks strategy during last year has yielded good results it shall continue to remain focused on expanding its outreach by opening new branches in hither to new areas, concentrate on thrust areas of SME, Retail and Agriculture, improve CASA Deposits to bring down the cost of deposit, sustained efforts in recovery in written off accounts and increasing non interest / fee based income by marketing of not only its own products but also cross selling of third party products.

निदेशक मंडल के लिए और उनकी ओर से

(डी.एल. रावल)
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

For and on behalf of Board of Directors

(D. L. Rawal)
Chairman & Managing Director

कार्पोरेट अभिशासन CORPORATE GOVERNANCE

1. अभिशासन संहिता पर बैंक की नीति

बैंक में कार्पोरेट अभिशासन को कार्यक्षमता में सुधार तथा निवेशकों का विश्वास बढाने के लिए वृद्धि के प्रमुख कारक के रूप में माना जाता है और तदनुसार, कार्पोरेट अभिशासन नीति में मानवीय मूल्यों, वैयक्तिक प्रतिष्ठा एवं क्रियाकलापों के सभी क्षेत्रों में उत्कृष्टता प्राप्त करने हेतु ईमानदारी, नैतिकता एवं व्यवसायिक आचरण के पालन को शामिल किया गया. बैंक का प्रबंधन एवं कर्मचारी उसके सभी शेयरधारकों का विश्वास बनाये रखने के लिए पारदर्शिता, जिम्मेदारी एवं निष्ठा के महत्वपूर्ण गुणों को अपनाने के प्रति प्रतिबद्ध हैं.

बैंक ने विभिन्न स्टॉक एक्सचेंजों के साथ समय-समय पर यथा संशोधित सूचीबद्धता करार के खंड 49 के अधीन कार्पोरेट अभिशासन की संहिता को पूर्णत: कार्यान्वित किया है. बैंक की कार्पोरेट अभिशासन नीति केवल विधिक एवं सांविधिक अपेक्षाओं के अनुपालन के लिए ही नहीं मानी जाती, बल्कि निम्न के प्रति एक वचनबद्धता भी है:

(क) विधिक एवं नीतिसंगत पद्धति से शेयरधारकों के मूल्य को बढाना

(ख) बैंक के ग्राहकों को उत्कृष्ट सेवाएं प्रदान करना

(ग) ग्राहकों, कर्मचारियों, निवेशकों तथा समाज को मुक्त एवं उचित वातावरण प्रदान करना तथा

(घ) पारदर्शी एवं योग्यता आधारित प्रबंधन सुनिश्चित करना.

भेदिया व्यापार की रोकथाम

देना बैंक ने भेदिया व्यापार की रोकथाम के लिए सेबी (भेदिया व्यापार निषेध) विनियमों 1992 की अपेक्षाओं के अनुरूप "भेदिया व्यापार की रोकथाम के लिए देना बैंक आचरण संहिता" नामक व्यापक आचरण संहिता निर्धारित की है. सभी निदेशक, वरिष्ठ प्रबंधन स्तर के कर्मचारी एवं बैंक के अन्य कर्मचारी, जिनकी बैंक के अप्रकाशित मूल्य संवेदनशील सूचना तक पहुंच है, इस कूट से अभिशासित हैं, बैंक ने श्री एस.के. जैन को अनुपालन अधिकारी के रूप में नियुक्त किया है जो बैंक की प्रतिभूतियों में व्यापार करने के लिए पद्धतियां निर्धारित करने एवं आचार संहिता के कार्यान्वयन के लिए जिम्मेदार हैं. समीक्षाधीन वर्ष के दौरान उक्त कूट का विधिवत् अनुपालन हुआ है.

आचार संहिता

निदेशक मंडल ने अपने निदेशकों तथा महाप्रबंधकों के लिए भारतीय बैंक संघ द्वारा परिचालित आदर्श आचार संहिता को अनुमोदन प्रदान किया है. कूट में अन्य बातों के साथ-साथ ईमानदारी एवं नैतिक वैयक्तिक आचरण, स्वस्थ प्रतिस्पर्धा, पारदर्शिता एवं विधि तथा विनियमों आदि के प्रति प्रतिबद्धता शामिल है. आचार संहिता बैंक की वेब साइट पर उपलब्ध करायी गयी है.

2. निदेशक मंडल

बैंक के निदेशक मंडल का गठन बैंककारी विनियम अधिनियम 1949 और बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम 1970 तथा राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन एवं विविध प्रावधान) योजना 1970 के प्रावधानों के द्वारा अभिशासित होता है.

1. Bank's Philosophy on Code of Governance

The Corporate Governance in the Bank is viewed as a key element in improving efficiency and growth for enhancing investor's confidence and accordingly the corporate governance policy has been imbibed with strong emphasis on human values, individual dignity and adherence to honest, ethical and professional conduct to achieve excellence in all fields of activities. The Management and Employees of the Bank are committed to uphold the core value of transparency, accountability and integrity in building confidence of all its stakeholders.

The Bank has implemented the Code of Corporate Governance under Clause 49 of the Listing Agreements, as amended from time to time, entered into with various Stock Exchanges. The Bank's Corporate Governance policy is considered as not only compliance to the legal and statutory requirements but also as commitment to the following:

(a) To enhance shareholders value in legal and ethical manner

(b) Provide best of the services to the customers of the Bank

(c) Provide free and fair environment to the customers, employees, investors and society at large, and

(d) To ensure transparent and merit based management.

Prevention of Insider Trading

Dena Bank has instituted a comprehensive code of conduct for prevention of insider trading namely, "Dena Bank Code of Conduct for Prevention of Insider Trading" in accordance with the requirements of SEBI (Prohibition of Insider Trading) Regulations, 1992. All the Directors, Employees at senior management level and other Employees of the Bank who could have access to the unpublished price sensitive information of the Bank are governed by the code. Bank has appointed Shri S. K. Jain as compliance officer who is responsible for setting forth procedures and implementation of the code of conduct for trading in Bank's securities. During the year under review there has been due compliance with the said code.

Code of Conduct

The Board of Directors has approved a Model Code of Conduct circulated by the Indian Banks' Association for its Directors and General Managers. The code covers amongst other things the Company's commitment to honest and ethical personal conduct, fair competition, transparency and compliance of laws and Regulations etc. The code of conduct is posted on the website of the Bank.

2. Board of Directors

The constitution of Board of Directors of the Bank is governed by the provisions of the Banking Regulation Act, 1949, the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 & Nationalized Banks (Management & Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970.

कार्पोरेट अभिशासन CORPORATE GOVERNANCE

दिनांक 31.03.2010 को निदेशक मंडल में 9 निदेशक शामिल हैं, जिनमें दो पूर्णकालिक निदेशक अर्थात् सरकार द्वारा नियुक्त अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक तथा कार्यपालक निदेशक. तथा 7 गैर-कार्यपालक निदेशक. 7 गैर-कार्यपालक निदेशकों में से एक भारत सरकार का नामिती सरकारी निदेशक, एक भारतीय रिज़र्व बैंक का प्रतिनिधि निदेशक, एक अधिकारी कर्मचारियों का प्रतिनिधि निदेशक, एक निदेशक भारत सरकार द्वारा नियुक्त किया जाता है और तीन निदेशकों का केंद्र सरकार के अलावा, शेयरधारकों द्वारा चुनाव किया जाता है. दिनांक 31.03.2010 को एक कामगार कर्मचारी निदेशक, एक सनदी लेखाकार निदेशक एवं भारत सरकार द्वारा नियुक्त दो निदेशकों के पद रिक्त हैं.

As of 31.03.2010, the composition of the Board consists of 9 Directors including two whole time Directors viz., the Chairman & Managing Director and the Executive Director appointed by Government of India and 7 non-executive Directors. Out of 7 non-executive Directors, one Official Director Government of India Nominee, one Director represents Reserve Bank of India, one Director represents Officer Employees of the Bank, one Director appointed by the Government of India and three shareholder Directors elected by the Shareholders other than the Central Government. The post of one Workmen Director, one Chartered Accountant Director and two Directors appointed by Government of India are lying vacant on the Board as of 31.03.2010.

2.1 मंडल की बैठकें

आलोच्य वर्ष के दौरान निदेशक मंडल की 14 बैठकें निम्नलिखित तिथियों को आयोजित हुईं:

2.1 Meetings of the Board of Directors

During the year under review, 14 meetings of the Board of Directors were held on the following dates:

29.04.2009	23.05.2009	17.06.2009	11.07.2009	25.07.2009	22.08.2009
26.09.2009	26.10.2009	27.11.2009	19.12.2009	27.01.2010	28.01.2010
20.02.2010	20.03.2010				

2.2 निदेशकों के विवरण

आलोच्य वर्ष के अंतर्गत निदेशक मंडल के निदेशकों के आवश्यक विवरण तथा मंडल की बैठकों में उनकी उपस्थिति का विवरण अनुबंध क एवं ग में दिया गया है.

2.2 Particulars of Directors

The necessary particulars of Board of Directors and status of attendance in the Board meetings during the year under review are given in the Annexure A, B and C.

3. निदेशकों की समितियाँ

भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुरूप और कार्पोरेट अभिशासन आदि के मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुसार बैंक ने अपने निदेशक मंडल की विभिन्न समितियों का गठन किया है जिनका ब्यौरा इस प्रकार है:

3. Committees of Directors

In accordance with the guidelines issued by Reserve Bank of India and the guidelines on Corporate Governance etc., the Bank has constituted various Committees of the Board of Directors, the details of which are given below:

3.1 निदेशक मंडल की प्रबंधन समिति

बैंक ने राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन एवं विविध प्रावधान) योजना, 1970 के प्रावधानों के अनुसार प्रबंधन समिति का गठन किया है. समिति के मुख्य कार्यो में अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक के विवेकाधीन अधिकारों से अधिक के साख प्रस्तावों की स्वीकृति, पूंजीगत एवं राजस्व व्यय के अनुमोदन के प्रस्ताव और सरकारी एवं अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियों, हामीदारी, समझौता निपटारा प्रस्ताव एवं बट्टे खाते डालने के प्रस्ताव आदि सहित कंपनियों / कार्पोरेट शेयरों / डिबेंचरों / बांडों में निवेश तथा प्रबंधन समिति को निदेशक मंडल द्वारा प्रस्तुत कोई अन्य मामले शामिल हैं.

समिति के सदस्यों की संरचना तथा बैठकों में उनकी उपस्थिति का विवरण परिशिष्ट ख एवं ग में दिया गया है.

3.1 Management Committee of the Board

The Board had constituted Management Committee as per provisions of Nationalized Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970. The main functions of the Committee include sanctioning of credit proposals, Loan Compromise / Write-off proposals, Filing of suits / appeals, proposals for approval of capital and revenue expenses, investments in Government and other approved securities / shares/ Bonds and debentures of companies / Corporates, including underwriting, proposals for acquisition and hiring of premises, donations etc. which are beyond the discretionary powers of the Chairman & Managing Director and any other matter referred to the Management Committee by the Board.

The composition of the members of the committee and details of attendance at its meetings during the year under review are given in Annexure B and C.

3.2 निदेशक मंडल की लेखा परीक्षा समिति

निदेशक मंडल ने भारतीय रिज़र्व बैंक के अनुदेशों के अनुसार अक्तूबर, 1995 में निदेशक मंडल की लेखा परीक्षा समिति का गठन किया.

3.2 Audit Committee of the Board

The Board had constituted Audit Committee of the Board of Directors in October 1995 in accordance with the guidelines of the

कार्पोरेट अभिशासन CORPORATE GOVERNANCE

भारत सरकार द्वारा पत्र संख्या एफ सं 19/20/2007-बीओ-I दिनांक 18 फरवरी, 2008 द्वारा दी गयी सूचना के अनुसार मई 2008 में समिति का पुनर्गठन किया गया.

लेखा परीक्षा समिति के कार्यों में लेखा परीक्षा कार्यों का पर्यवेक्षण करना, बैंक के वित्तीय कार्य निष्पादन की समीक्षा करना, समवर्ती / अन्य निरीक्षणों / लेखा परीक्षाओं के महत्वपूर्ण निष्कर्षो की समीक्षा करना, लेखांकन मानकों तथा शेयर बाजार के सूचीबद्धता करार के खंड 49 के तहत विनिर्दिष्ट अन्य मामलों का अनुपालन कराना शामिल है. उक्त समिति तिमाही / वार्षिक लेखों को निदेशक मंडल के अनुमोदन हेतु संस्तुत करने के पहले उस पर चर्चा एवं विचार करती है.

निदेशक मंडल की लेखा परीक्षा समिति में निदेशक मंडल के पाँच सदस्य सम्मिलित हैं.

समिति के सदस्यों की संरचना एवं बैठकों में उनकी उपस्थिति का विवरण परिशिष्ट ख एवं ग में दिया गया है.

3.3 निदेशकों की पारिश्रमिक समिति

सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के बैंकों के पूर्णकालिक निदेशकों के पारिश्रमिक भारत सरकार द्वारा निर्धारित किए जाते हैं. अभी हाल ही में भारत सरकार द्वारा कार्य निष्पादन प्रोत्साहन आधारित योजना प्रारंभ की गई है. और उस उद्देश्य के लिए भारत सरकार के निदेशों के अनुसार बैंक ने निदेशक मण्डल की "पारिश्रमिक समिति" का गठन किया है.

समिति के सदस्यों की संरचना एवं बैठकों में उनकी उपस्थिति का विवरण परिशिष्ट ख एवं ग में दिया गया है.

3.4 शेयरधारक / निवेशक शिकायत समिति

बैंक ने कार्पोरेट अभिशासन पर सेबी के दिशानिर्देशों के अनुसरण में शेयर बाजारों के साथ हुए सूचीबद्धता करार के खंड 49 के अनुपालन के लिए शेयरधारकों / निवेशकों के मामलों जैसे - शेयर / बांडों के अंतरण, वार्षिक रिपोर्ट न मिलना, लाभांश / ब्याज न मिलना आदि शिकायतों के निवारण हेतु शेयरधारक / निवेशक शिकायत समिति का गठन किया है.

समिति के सदस्यों की संरचना एवं बैठकों में उनकी उपस्थिति का विवरण परिशिष्ट ख एवं ग में दिया गया है.

श्री एस.के. जैन, महा प्रबंधक (लेखा एवं नि.सं.कें), स्टॉक एक्सेंज के लिए बैंक के अनुपालन अधिकारी हैं.

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान बैंक को निवेशकों से 34 निवेदन / पूछताछ / शिकायतें प्राप्त हुईं और सभी 34 निवेदनों / पूछताछ / शिकायतों का निवेशकों की संतुष्टि के अनुसार निपटान किया गया और 31.03.2010 को शेयरधारकों से कोई भी शिकायत / पत्र अनिर्णीत नहीं था.

3.5 समेकित जोखिम प्रबंधन पर निदेशकों की समिति

बैंक की सभी जोखिम प्रबंधन गतिविधियों का पर्यवेक्षण करने के लिए समेकित जोखिम प्रबंधन पर निदेशकों की समिति गठित की गई है। इसके कार्यों में जोखिम संबंधी अवधारणाओं सहित सभी जोखिम संबंधी कार्यों पर निगरानी रखना, जोखिम मूल्यांकन और जोखिम के परिमाणन की कार्य-विधि तय करना, जोखिम स्थिति हेतु मान्य स्तर निर्धारित करना, जोखिम प्रबंधन पर प्रबंधन के निर्देश और जोखिम कम करने की तकनीक आदि समाविष्ट हैं.

Reserve Bank of India. The Committee was re-constituted in May 2008, as advised by Government of India vide communication No. F. No.19/20/2007-BO-I dated February 18, 2008.

The functions of Audit Committee include overseeing the audit functions, review of Bank's financial performance, review critical findings of concurrent/other inspections / audits, compliance with accounting standards and all other matters specified under Clause 49 of the Listing Agreement entered into with the Stock Exchanges. The Committee discusses and considers the Quarterly / Annual Accounts before recommending the same to the Board for approval.

The Audit Committee of the Board of Directors comprises of five members of Board of Directors.

The composition of members of the committee and details of attendance at the meetings are given in Annexure B and C.

3.3. Remuneration Committee of Directors

Remuneration of whole time Directors of PSU Banks is decided by the Government of India. Recently performance incentive scheme is introduced by the Government of India and for that purpose as per Government of India directives; Bank has constituted "Remuneration Committee" of Board of Directors.

The composition of members of the committee and details of attendance at the meetings are given in Annexure B and C.

3.4 Shareholders / Investors Grievance Committee

The Board had, in compliance of the SEBI guidelines on Corporate Governance and Clause 49 of the Listing Agreement entered into with the Stock Exchanges, constituted a Shareholders' / Investors' Grievance Committee for redressal of the grievance of shareholders / investors like transfer of shares / bonds, non-receipt of annual report, non-receipt of dividends etc.

The composition of members of the committee and details of attendance at the meetings are given in Annexure B and C.

Shri S. K. Jain, General Manager (Accounts & IRC) is the Compliance Officer of the Bank for Stock Exchanges.

During the year under review the Bank received 34 requests / enquiries / complaints from the investors and all 34 requests / enquiries / complaints had been resolved to the satisfaction of the investors and no complaint / correspondence from Shareholder was pending as of 31.03.2010.

3.5 Committee of Directors on Integrated Risk Management

The Committee of Directors on Integrated Risk Management is constituted to oversee all risk management activities of the Bank, including identifying underlying risks perceptions, prescribing risk assessment and quantification methodologies, fixing tolerance level for risk exposures, guiding the line management on risk management and mitigation techniques etc.

कार्पोरेट अभिशासन CORPORATE GOVERNANCE

समिति के सदस्यों की संरचना एवं बैठकों में उनकी उपस्थिति का विवरण परिशिष्ट ख एवं ग में दिया गया है.

3.6 बड़ी रकम वाली धोखाधड़ियों पर निगरानी रखने हेतु समिति

बड़ी रकम वाली धोखाधड़ियों पर निगरानी रखने हेतु निदेशकों की एक उप समिति का गठन किया गया है. बैंक में जब कभी ऐसी घटनाएँ घटती हैं तो समिति बड़ी रकम वाली धोखाधड़ियों की समीक्षा करती है और इसे रोकने के उपाय किये जाते हैं.

समिति के सदस्यों की संरचना एवं बैठकों में उनकी उपस्थिति का विवरण परिशिष्ट ख एवं ग में दिया गया है.

3.7 शेयर अंतरण समिति

आंतरिक शेयर अंतरण संवीक्षा समिति द्वारा संस्तुत ईक्विटी शेयरों / बॉण्डों के अंतरण अथवा प्रेषण के अनुमोदन एवं उन्हें अस्वीकृत करने, डुप्लीकेट प्रमाण पत्र जारी करने के उद्देश्य से शेयर अंतरण समिति का गठन किया गया. समिति इसके साथ ही शेयरधारिता का स्वरुप, शीर्षस्थ धारक सूची तथा अंतरण रद्द किये जाने आदि का भी ध्यान रखती है.

समिति के सदस्यों की संरचना एवं बैठकों में उनकी उपस्थिति का विवरण परिशिष्ट ख एवं ग में दिया गया है.

3.8 ग्राहक सेवा समिति

समिति बैंक में ग्राहक सेवाओं की गुणवत्ता और ग्राहकों की शिकायतों के निदान में होनेवाली प्रगति की भी समीक्षा करती है. वह ग्राहक सेवा में सुधार के लिए बाहरी मामलों सहित नए उपायों पर भी विचार करती है.

समिति के सदस्यों की संरचना एवं बैठकों में उनकी उपस्थिति का विवरण परिशिष्ट ख एवं ग में दिया गया है.

3.9 सूचना तकनीक समिति

विद्यमान सूचना तकनीक बुनियादी सुविधाओं का अधिकतम उपयोग सुनिश्चित करने, बैंक के सूचना तकनीक मिशन पर विचार करने, नीतिगत मामलों के संबंध में सूचना तकनीक विभाग को निदेश देने तथा सी.बी.एस. परियोजना आदि के कार्यान्वयन पर निगरानी को ध्यान में रखते हुए सूचना तकनीक के लिए मंडल के निदेशकों की समिति गठित करने की आवश्यकता महसूस की गयी. मंडल् ने दिनांक 26 अगस्त, 2005 को आयोजित अपनी बैठक में सूचना तकनीक पर निदेशकों की समिति गठित की.

समिति के सदस्यों की संरचना एवं बैठकों में उनकी उपस्थिति का विवरण परिशिष्ट ख एवं ग में दिया गया है.

3.10 अनुपालन समिति

भारतीय रिज़र्व बैंक ने अपने पत्र संख्या. डीबीएस.सीओ.पीपी. बीसी.6/11.01.005/2006-07 दिनांक 20 अप्रैल, 2007 द्वारा बैंकों में अनुपालन कार्य के लिए दिशानिर्देश दिये हैं. इन दिशानिर्देशों के आधार पर बैंक ने अपनी अनुपालन नीति बनायी है जिसका अनुमोदन निदेशक मंडल ने दिनांक 27 दिसंबर, 2007 को आयोजित बैठक में किया है. नीति के प्रावधानों के अनुसार, अनुपालन पर निदेशकों की समिति का गठन किया गया.

The composition of members of the committee and details of attendance at the meetings are given in Annexure B and C.

3.6 Committee for monitoring Large Value Frauds

A sub-committee of the Board for monitoring Large Value Frauds is constituted to review the large value frauds, whenever such incidences take place in the Bank and the preventive measures taken.

The composition of members of the committee and details of attendance at the meetings are given in Annexure B and C.

3.7 Share Transfer Committee

The Share Transfer Committee is constituted for the purpose of approval / rejection / transfer / transmission of Equity Shares / Bonds, issue of Duplicate Certificates, recommended by the In-house Share Transfer Scrutiny Committee. The Committee also takes note of shareholding pattern, top holders list and Transfer rejections etc.

The composition of members of the committee and details of attendance at the meetings are given in Annexure B and C.

3.8 Customer Service Committee

Committee reviews the customer services in the Bank as also the progress in attending to customer complaints and grievances. It also considers new measures for improvement in customer service, including external issues.

The composition of members of the committee and details of attendance at the meetings are given in Annexure B and C.

3.9 Information Technology Committee.

With a view to facilitate optimum utilization of the existing IT infrastructure, envision the IT mission of the Bank, to direct IT department on policy matters and monitor the implementation of CBS project etc., a need was felt to constitute committee of Directors of the Board for IT. The Board at its meeting held on 26th August, 2005, constituted Committee of Directors on Information Technology.

The composition of members of the committee and details of attendance at the meetings are given in Annexure B and C.

3.10 Compliance Committee.

Reserve Bank of India, vide their communication No. DBS. CO.PP.BC.6/11.01.005/2006-07 dated 20th April, 2007 has laid down guidelines for Compliance function in Banks. Based on these guidelines, the Bank had formulated its Compliance Policy which was approved by Board at its meeting held on 27th December, 2007. In accordance with the provisions of the Policy, a committee of Directors on Compliance was constituted.

कार्पोरेट अभिशासन CORPORATE GOVERNANCE

29 जनवरी, 2009 को समिति का पुनर्गठन किया गया.

समिति के सदस्यों की संरचना एवं बैठकों में उनकी उपस्थिति का विवरण परिशिष्ट ख एवं ग में दिया गया है.

3.11 नामांकन समिति

भारतीय रिज़र्व बैंक ने अपने पत्र संख्या. डीबीओडी. सं.बीसी.संख्या. 47/29.39.001/2007-08 दिनांक 1 नवंबर, 2007 द्वारा वर्तमान निर्वाचित निदेशकों, जो निर्वाचन के लिए अपने नामांकन भरते हैं, की 'योग्यता एवं औचित्य' की स्थिति का निर्धारण करने हेतु जांच पडताल प्रक्रिया करने हेतु निदेशकों की नामांकन समिति (सभी स्वतंत्र / गैर कार्यपालक निदेशकों) गठित करने के बारे में सूचित किया है. इन दिशानिर्देशों के आधार पर, मंडल द्वारा 27 दिसंबर, 2007 को आयोजित अपनी बैठक में नामांकन समिति का गठन किया गया.

समिति के सदस्यों की संरचना एवं बैठकों में उनकी उपस्थिति का विवरण परिशिष्ट ख एवं ग में दिया गया है.

4. कार्यपालकों की समितियाँ

बैंक के दिन-प्रतिदिन के कार्यकलापों के सुचारु रूप से संचालन के लिए बैंक ने अनेक आंतरिक समितियों का भी गठन किया है. कुछ आंतरिक समितियाँ इस प्रकार हैं :

4.1 निवेश संबंधी मामलों और मुद्रा बाजार परिचालन से संबंधित कार्यपालकों की आंतरिक समिति

बैंक ने निवेश संबंधी मामलों और मुद्रा बाजार परिचालनों के संबंध में कार्यपालकों की आंतरिक समिति का गठन किया है. उक्त समिति निवेश एवं निधि प्रबंधन संबंधी सभी लेन-देन मामलों की समीक्षा करती है और आवश्यक दिशानिर्देश प्रदान करती है. समिति की बैठकें प्रतिदिन होती हैं.

समिति की अध्यक्षता बैंक के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक और उनकी अनुपस्थिति में कार्यपालक निदेशक करते हैं. आलोच्य वर्ष के दौरान समिति की दैनिक आधार पर बैठकें आयोजित हुईं.

4.2 आस्ति देयता प्रबंधन समिति

बैंक ने आस्ति देयता प्रबंधन समिति (एएलसीओ) का गठन किया है, जिसके अध्यक्ष बैंक के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक हैं और उनकी अनुपस्थिति में कार्यपालक निदेशक समिति की बैठक की अध्यक्षता करते हैं. समिति के कार्यों में अन्य बातों के साथ-साथ बाजार जोखिम प्रबंधन, तरलता जोखिम प्रबंधन, आस्तियों एवं देयताओं की ब्याजदर संवेदनीयता पर निगरानी रखना एवं ब्याज दरों आदि का निर्धारण सम्मिलित है.

कार्यात्मक महाप्रबंधक एवं प्रधान कार्यालय के अन्य कार्यपालक समिति के अन्य सदस्य हैं. आलोच्य वर्ष के दौरान बैंक में एएलएम कार्यान्वयन में प्रगति संबंधी विचार-विमर्श एवं समीक्षा करने हेतु समिति की 17 बैठकें आयोजित हुईं.

The committee was reconstituted on 29th January, 2009.

The composition of members of the committee and details of attendance at the meetings are given in Annexure B and C.

3.11 Nomination Committee.

The Reserve Bank of India, vide their communication DBOD. No.BC.No. 47/29.39.001/2007-08 dated 1st November, 2007 has notified to constitute a Nomination Committee of Directors (all independent / non-executive directors) to undertake a process of due diligence to determine the "Fit and proper" status of existing elected Directors, who file their nominations for election. Based on these guidelines, the Bank had formulated its Nomination Committee was constituted by Board at its meeting held on 29th December, 2007.

The composition of members of the committee and details of attendance at the meetings are given in Annexure B and C.

4. Committees of Executives

For proper and efficient functioning of day-to-day functions of the Bank, the Bank has also formed various in-house Committees. Some of the in-house Committees are as under:

4.1 In-house Committee of Executives on Investments and Money Market Operations

The Bank had constituted an In-house Committee of Executives for Investment and Money Market Operations. The said Committee reviews all the deals / transactions and the matters relating to investments and funds management transactions and gives necessary guidelines. These meetings take place everyday.

The Committee is chaired by the Chairman & Managing Director and in his absence by the Executive Director. During the year under review, the Committee has been meeting daily.

4.2 Assets Liability Management Committee

The Bank had constituted Assets Liability Management Committee (ALCO) with Chairman and Managing Director as Chairman of the Committee and in his absence Executive Director. The functions of the Committee *inter alia* include overseeing market risk management, Liquidity Risk Management, interest rate sensitivity of assets and liabilities and fixation of interest rates etc.

The functional General Managers and other executives from Head Office are other members of the Committee. During the year under review, the Committee met on 17 occasions to discuss and review ALM functions in the Bank.

कार्पोरेट अभिशासन CORPORATE GOVERNANCE

4.3 आंतरिक शेयर अंतरण संवीक्षा समिति

बैंक ने उन शेयरों के अंतरण का अनुमोदन करने के लिए बैंक के कार्यपालकों की आंतरिक शेयर अंतरण संवीक्षा समिति का गठन किया है, जो बैंक के रजिस्ट्रार एवं शेयर अंतरण एजेंटों द्वारा संसाधित किए जाते हैं. समिति समय-समय पर बेकागजीकरण की दिशा में हुई प्रगति की स्थिति और बैंक के शेयरों के मूल्यों में हुई घट-बढ़ की भी आवधिक रुप से समीक्षा करती है. महाप्रबंधक (लेखा), सहायक महाप्रबंधक (निवेशक संपर्क केंद्र), सहायक महा प्रबंधक (मंडल सचिवालय) तथा प्रबंधक (निवेशक संपर्क केंद्र) / कंपनी सचिव समिति के सदस्य हैं. महाप्रबंधक (लेखा) उक्त समिति के अध्यक्ष हैं. आलोच्य वर्ष के दौरान समिति की 19 बैठकें संपन्न हुईं.

4.4 परिसर संबंधी मामलों पर कार्यपालकों की आंतरिक समिति

समिति के मुख्य कार्य बैंक के परिसरों जैसे पट्टाकृत/स्वामित्ववाले परिसरों का अधिग्रहण, पट्टा नवीकरण और पट्टाकृत परिसरों आदि को वापस लौटाने से संबंधित होते हैं. महाप्रबंधक (सूचना तकनीक एवं समन्वित जोखिम प्रबंधन), महाप्रबंधक (मानव संसाधन प्रबंधन), महा प्रबंधक (प्राथमिकता क्षेत्र एवं क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक), महाप्रबंधक (लेखा), महाप्रबंधक (संसाधन एवं प्रशासन) तथा सहायक महा प्रबंधक (सामान्य प्रशासन) समिति के सदस्य है. आलोच्य वर्ष के दौरान समिति की 28 बैठकें हुईं.

5. निदेशकों के पारिश्रमिक

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक और कार्यपालक निदेशक को भारत सरकार के वर्तमान दिशानिर्देशों के अनुसार संवेतन / पारिश्रमिक की अदायगी की गई तथा बैंक के निदेशक मंडल एवं अन्य समितियों की बैठकों में उपस्थित रहने के लिए उन्हें किसी प्रकार के बैठक शुल्क की अदायगी नहीं की गई. भारत सरकार के दिशानिर्देशों के अनुसार सरकारी निदेशक को छोड़कर अन्य सभी गैर कार्यपालक निदेशकों को बैंक के निदेशक मंडल की प्रत्येक बैठक में भाग लेने के लिए रु. 5000/- और अन्य समितियों की प्रत्येक बैठक में भाग लेने के लिए रु. 2500/- का भुगतान बैठक शुल्क के रूप में अदा किया गया.

सभी गैर कार्यपालक निदेशकों को बैठकों में उपस्थित रहने हेतु उल्लिखित बैठक शुल्क के अलावा सवारी, यात्रा, ठहरने आदि के व्यय की भी प्रतिपूर्ति की गयी. गैर कार्यपालक निदेशकों के पारिश्रमिक से संबंधित मामले, राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन एवं विविध प्रावधान) योजना, 1970 में उल्लिखित प्रावधानों द्वारा शासित हैं.

वर्ष 2009-10 के लिए संबंधित पक्षों को भुगतान किए गए पारिश्रमिक का विवरण 2009-10 की वार्षिक रिपोर्ट की अनुसूची - 18 ``लेखा भाग के रूप में टिप्पणियां '' में दिया गया है.

6. साधारण सभा की बैठकें

पिछले तीन वर्षों की वार्षिक असाधारण सामान्य सभा एवं सामान्य सभा का ब्यौरा नीचे दिया गया है. सभी बैठकें एक ही स्थान सभागृह, सर सोराबजी पोचखानावाला बैंकर्स प्रशिक्षण महाविद्यालय, जे.वी.पी.डी. योजना, विलेपार्ले (पश्चिम) मुंबई - 400 056 में हुई.

4.3 In-House Share Transfer Scrutiny Committee

The Bank had constituted an In-House Share Transfer Scrutiny Committee of the executives of the Bank for approving / recommending shares transfer, which are processed by the Registrar & Share Transfer Agent of the Bank. The Committee also periodically reviews the progress of the demat position and movement in share prices of the Bank. General Manager (Accounts), Asst. General Manager (IRC), Assistant General Manager (Board Secretariat) and Manager (IRC)/ Company Secretary are the members of the Committee. General Manager (Accounts) is the Chairman of the Committee. During the year under review, the Committee met on 19 occasions.

4.4 Internal Committee of Executives on Premises

The main functions of the Committee are to review and recommend the proposals of acquisition of leased/ ownership premises, renewal of lease and surrender of leased premises etc. General Manager (I.T. & IRM), General Manager (HRM), General Manager (PS & RRB), General Manager (Accounts), General Manager (R & A) and Assistant General Manager (GAD) are the members of the Committee. During the year under review, the Committee met on 28 occasions.

5. Remuneration of Directors

The Chairman & Managing Director and the Executive Directors were paid salary / remuneration as per extant guidelines of the Government of India and are not paid sitting fees for attending the Board and other Committee meetings of the Bank. All other Non-Executive Directors except Government Director were paid sitting fees of Rs.5,000/- for attending each Board Meeting and Rs.2,500/- each for attending any other Committee meeting respectively as per guidelines of the Government of India.

All the Non-Executive Directors are also reimbursed the expenses incurred by them towards conveyance, traveling, halting etc., for attending the meetings in addition to sitting fees as mentioned above. All matters relating to remuneration of Non-Executive Directors were governed by the provisions contained in the Nationalized Banks (Management & Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970.

The details of remuneration paid to related parties for the year 2009-10 are given in Schedule - 18 “NOTES FORMING PART OF THE ACCOUNTS” of the annual report for 2009-2010.

6. General Body Meetings

The details of last three Annual General Meetings and last three Extra Ordinary General Meetings are given below. The Venue of all meetings was Auditorium, Sir Sorabji Pochkhanawala Bankers’ Training College, J.V.P.D. Scheme, Vile Parle (West), Mumbai - 400 056:

कार्पोरेट अभिशासन CORPORATE GOVERNANCE

बैठकों का ब्यौरा Details of the Meeting	तारीख और समय Date and Time
तेरहवीं वार्षिक सामान्य सभा Thirteenth Annual General Meeting*	शनिवार, 11 जुलाई, 2009 अपरान्ह 3.00 बजे Saturday, 11th July, 2009 at 3.00 p.m.
बारहवीं वार्षिक सामान्य सभा Twelfth Annual General Meeting	शनिवार, 12 जुलाई, 2008 अपरान्ह 3.00 बजे Saturday, 12th July, 2008 at 3.00 p.m.
ग्यारहवीं वार्षिक सामान्य सभा Eleventh Annual General Meeting	शुक्रवार, 29 जून, 2007 अपरान्ह 3.00 बजे Friday, 29th June, 2007 at 3.00 p.m.
असाधारण सामान्य सभा (तीन शेयरधारक निदेशकों) Extra Ordinary General Meeting (Election of Three Shareholder Directors)	सोमवार, 9 मार्च, 2009 पूर्वान्ह 11.00 बजे Monday, 9th March, 2009 at 11.00 a.m.
असाधारण सामान्य सभा (तीन शेयरधारक निदेशकों का चुनाव एवं डीएसई तथा एएसई से शेयरों को गैर-सूचीकृत करना) Extra Ordinary General Meeting (Election of Three Shareholder Directors & Delisting of Shares from DSE & ASE)	गुरुवार, 16 मार्च, 2006 पूर्वान्ह 11.00 बजे Thursday, 16th March, 2006 at 11.00 a.m.
असाधारण सामान्य सभा (द्वितीय सार्वजनिक निर्गम के लिए शेयरधारकों का अनुमोदन) Extra Ordinary General Meeting (Approval of Shareholders for Second Public Issue)	मंगलवार, 25 नवंबर, 2003 अपरान्ह 4.00 बजे Tuesday, 25th November, 2003 at 4.00 p.m.

पिछली वार्षिक सामान्य सभा में श्री डी. एल. रावल - अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक भास्कर सेन – कार्यपालक निदेशक, डा. तरसेम चंद - सरकार नामिती निदेशक, श्री चंद्र किशोर – भा.रि.बैं. के नामिती निदेशक, श्री ए. गोपालकृष्णन – सनदी लेखाकार निदेशक एवं लेखापरीक्षा समिति के अध्यक्ष, श्री एम. सूर्य नायक, भारत सरकार के नामिती निदेशक , डा. कमलेश कुमार गोयल – भारत सरकार के नामिती निदेशक, श्री एम जी शिंदे – कामगार निदेशक, डा. पीतम सिंह, शेयर धारक निदेशक, डा. सुनील गुप्ता, शेयरधारक निदेशक तथा श्री रोहित खन्ना, शेयरधारक निदेशक उपस्थित रहे.

उपर्युक्त वार्षिक सामान्य बैठकों में कोई विशेष संकल्प प्रस्तावित नहीं किये गये थे.

डाक मतदान - पिछले वित्त वर्ष के दौरान बैंक ने किसी डाक मतदान का आयोजन नहीं किया.

7. प्रकटन :

7.1 महत्वपूर्ण लेनदेन तथा आर्थिक संबंध का प्रकटन: 31 मार्च, 2010 को समाप्त वित्त वर्ष में बैंक और उसके निदेशकों के बीच किसी प्रकार का महत्वपूर्ण संबंधित पक्ष के लेन-देन, आर्थिक लेन-देन या संबंध की कोई ऐसी घटना नहीं हुई, जिसका व्यापक रूप से बैंक के हितों के साथ संभाव्य टकराव हो.

7.2 बैंक द्वारा अनुपालन न किये जाने से संबंधित कोई मामला प्रकाश में नहीं आया है तथा शेयर बाजार / सेबी या किसी अन्य सांविधिक प्राधिकरण द्वारा पिछले तीन वर्षों के दौरान पूंजी बाजारों से संबंधित किसी भी मामले में बैंक पर किसी प्रकार का जुर्माना / आक्षेप नहीं लगाया गया;

7.3 यथासंशोधित सेबी (भेदिया व्यापार निषेध) विनियम 1992 के विनियम 12 (1) के अनुसरण में बैंक ने भेदिया व्यापार को रोकने के लिए आंतरिक कार्यविधि एवं आचरण संहिता का कार्यान्वयन किया है तथा बैंक की प्रतिभूतियों में आंतरिक व्यापार को रोकने के लिए कार्पोरेट प्रकटन हेतु कार्यविधि भी निर्धारित की है.

7.4 देना बैंक द्वारा स्टॉक एक्सेंजों के साथ किये गये सूचीबद्धता करारों के खंड 47 (ग) की अपेक्षानुसार, अन्य बातों के साथ-साथ अंतरण, प्रेषण, उप विभाजन, समेकन तथा ईक्विटी शेयरों के आदान प्रदान के संबंध में प्रस्तुतीकरण के एक महीने के अंदर पेशेवर कंपनी सचिव से प्रत्येक छह महीने में प्रमाणपत्र प्राप्त करना होगा. इस प्रमाणपत्र को जारी होने के 30 दिन के अंदर बी एस ई एवं एन एस ई को अग्रेषित किया जाता है, जहां ईक्विटी शेयर सूचीबद्ध हैं.

* The Last AGM was attended by Shri D. L. Rawal- Chairman & Managing Director, Shri Bhaskar Sen- Executive Director, Dr. Tarsem Chand – Government Nominee Director, Shri Chandra Kishore – RBI Nominee Director, Shri A. Gopalakrishnan – Chartered Accountant Director and Chairman of the Audit Committee, Shri M. Surya Naik - Government of India Nominee, Dr. Kamlesh Kumar Goel - Government of India Nominee, Shri M.G Shinde - Workmen Director, Dr. Pritam Singh – Shareholder Director, Dr. Sunil Gupta - Shareholder Director and Shri Rohit Khanna– Shareholder Director.

No special resolutions were put through in the above said Annual General Meetings.

Postal Ballot – Bank has not conducted any postal ballot during the last financial year.

7. Disclosures:

7.1 Disclosure of Material Transactions and Pecuniary Relationship There have been no significant related party transactions, pecuniary transactions or relationship between the Bank and its Directors for the year ended 31st March, 2010 that may have a potential conflict with the interest of the Bank at large.

7.2 There were no cases of non-compliance by the Bank and no penalties / strictures were enforced on the bank by Stock Exchange/ SEBI or any other statutory authority on any matter related to the capital markets during the last three years.

7.3 Pursuant to Regulation 12(1) of the SEBI (Prohibition of Insider Trading) Regulations, 1992 as amended, the Bank has implemented a Code of Internal Procedure and conducts for prevention of insider trading and also laid down the procedure for Corporate Disclosures for prevention of insider trading in the securities of the Bank.

7.4 As required under Clause 47 (c) of the listing agreements entered into by Dena Bank with stock exchanges, a certificate is obtained every six months from a practicing Company Secretary, with regard to *inter alia*, effecting transfer, transmission, sub-division, consolidation, renewal and exchange of equity shares within one month of the lodgment. The certificate is forwarded to BSE and NSE, where the equity shares are listed, within 30 days of issuance.

कार्पोरेट अभिशासन CORPORATE GOVERNANCE

7.5 सेबी के परिपत्र संख्या डीएण्डसीसी/ एफआईटीटीसी/ सीआईआर-16 दिनांक 31 दिसंबर, 2002 के अनुसार, अन्य बातों के साथ-साथ देना बैंक की कुल निर्गत / चुकता ईक्विटी पूंजी के साथ भौतिक रूप में तथा डिपाजिटरी के पास रखी गयी कुल ईक्विटी शेयर पूंजी का समायोजन करने के उद्देश्य से व्यावसायिक कंपनी सचिव की फर्म द्वारा तिमाही आधार पर सचिवीय लेखापरीक्षा की जाती है. इस संबंध में जारी प्रमाणपत्र बी.एस.ई एवं एन.एस.ई को अग्रेषित किया जाता है जहां बैंक के ईक्विटी शेयर सूचीबद्ध हैं.

7.5 In terms of SEBI's circular No. D&CC/FITTC/CIR-16 dated 31st December, 2002 a Secretarial Audit is conducted on a quarterly basis by a firm of practicing company secretary, for the purpose of, *inter alia*, reconciliation of total admitted equity share capital with the depositories and in the physical form with the total issued/ paid up equity capital of Dena Bank. Certificate issued in this behalf are forwarded to BSE and NSE, where the equity shares of the Bank are listed.

7.6 बैंक द्वारा अनुपालन की गई गैर-अनिवार्य अपेक्षाओं की शर्तें निम्नप्रकार हैं :

7.6 The Clause of Non-mandatory requirements complied by the Bank is as follows:

क्रम संख्या Sl. No.	अपेक्षा Requirement	अनुपालन Compliance
1.	कंपनी के बोर्ड पर स्वतंत्र निदेशकों का कुल कार्यकाल नौ वर्ष से अधिक नहीं होगा. कंपनी यह सुनिश्चित करे कि वह व्यक्ति, जो स्वतंत्र निदेशक के रूप में नियुक्त किया जा रहा है, आवश्यक योग्यताएं एवं अनुभव रखता है जो कंपनी के लिए उपयोगी होगी तथा जो, कंपनी की दृष्टि में, एक स्वतंत्र निदेशक की हैसियत से कंपनी को प्रभावी ढंग से योगदान देने में उसे सक्षम बनाती हैं. Independent Directors may have a tenure not exceeding, in the aggregate, a period of nine years, on the Board of a Company. The Company may ensure that the person who is being appointed as an independent director has the requisite qualifications and experience, which would be of use to the Company and which, in the opinion of the Company, would enable him to contribute effectively to the Company in his capacity as an independent director.	बैंक के बोर्ड पर स्वतंत्र निदेशकों का कार्यकाल नौ वर्षों से अधिक नहीं है. भारतीय रिज़र्व बैंक के दिनांक 1 नवंबर, 2007 के दिशानिर्देशों के अनुसार, बैंक के बोर्ड की नामांकन समिति द्वारा योग्य एवं समुचित स्थिति का निर्धारण किया गया है, इस प्रकार बोर्ड के सभी स्वतंत्र निदेशक योग्य एवं अनुभवी हैं. The tenure of Independent Directors on the Board of the Bank is not exceeding in the aggregate, a period of nine years. As per Reserve Bank of India Guidelines dated 1st November, 2007, Fit and proper status was determined by the Nomination Committee of the Board of the Bank and thus all the independent directors on the Board are well qualified and experienced.
2.	बोर्ड कार्यपालक निदेशकों के लिए निर्दिष्ट पारिश्रमिक पेकेज पर कंपनी की पारिश्रमिक नीति निर्धारित करने के लिए एक पारिश्रमिक समिति का गठन करे. The board may set up a remuneration committee to formulate company's remuneration policy on specific remuneration package for Executive Directors.	यह लागू नहीं होता है, चूंकि कार्यपालक निदेशक भारत सरकार द्वारा निर्धारित किये गये अनुसार वेतन प्राप्त करते हैं, तथापि, भारत सरकार से प्राप्त दिशानिर्देशों के अनुसार कार्यनिष्पादन आधारित प्रोत्साहन राशि पर विचार करने के लिए पारिश्रमिक समिति कार्यरत है, Not applicable, as Executive Directors draw salary as fixed by the Government of India. However, a Remuneration Committee is in place to consider Performance Based Incentives in terms of guidelines received from Government of India.
3.	कंपनी बिना शर्त वित्तीय विवरणियों की व्यवस्था की ओर अग्रसर हों Company may move towards a regime of unqualified financial statements.	बैंक ने इस अपेक्षा का अनुपालन किया है. The Bank has complied with this requirement.
4.	सतर्कता सूचक नीति Whistle Blower Policy	बैंक के बोर्ड ने सतर्कता सूचक नीति नामक एक नीति का अनुमोदन किया है जिसके अंतर्गत एक प्रणाली शामिल की गयी है कि एक कर्मचारी अनैतिक व्यवहार, यदि कोई हो, वास्तविक या संदिग्ध धोखाधडी या आचरण या नीति के उल्लंघन के संबंध में मुख्य सतर्कता अधिकारी / प्रबंधन वर्ग को कैसे रिपोर्ट कर सकता है. इस तंत्र में उस कर्मचारी के उत्पीडन के बचाव के पर्याप्य उपाय भी हैं , जो इस का उपयोग करता है,. इसे परिपत्र के माध्यम से बैंक में सभी को समुचित रूप से सूचित किया गया है. The Board of the Bank has approved a policy known as Whistle Blower Policy, under this also a mechanism has been incorporated as to how an employee can report to the CVO/ management about unethical behaviour if any, actual or suspected fraud or violation of conduct or ethics. This mechanism also provides adequate safeguards against victimization of employee who avail of this mechanism. This has appropriately communicated within the Bank by circular.

कार्पोरेट अभिशासन CORPORATE GOVERNANCE

8. वित्तीय परिणाम एवं संप्रेषण के साधन

बैंक अपने सदस्यों और जोखिम धारकों को उनके हितों से संबंधित घटनाओं से उन्हें अवगत रखने की आवश्यकता को महत्व देता है.

बैंक के तिमाही / अर्द्धवार्षिक / वार्षिक परिणाम निर्धारित समय सीमा में उन स्टॉक एक्सचेंजों में प्रस्तुत किए गये हैं जहाँ बैंक के शेयर सूचीबद्ध हैं. इसके साथ ही तिमाही / अर्द्धवार्षिक / वार्षिक परिणाम सांविधिक अपेक्षाओं के अनुरूप अंग्रेजी में फाइनेन्सियल एक्सप्रेस / बिज़नेस स्टैंडर्ड मराठी (क्षेत्रीय भाषा) में लोकमत / नवशक्ति में तथा हिन्दी में नवभारत में प्रकाशित किए जाते हैं. बैंक अपने वार्षिक परिणामों की कागजी प्रति शेयरधारकों को भी उपलब्ध कराता है.

परिणाम के साथ-साथ शेयर धारिता का स्वरुप और शेयर मूल्य बैंक की वेबसाईट अर्थात् www.denabank.com. पर भी प्रदर्शित किए गये हैं. यह बैंक के बारे में कार्यालयीन प्रेस विज्ञप्ति एवं अन्य महत्वपूर्ण विवरण भी प्रदर्शित करता है. सेबी एवं सूचीबद्धता करारों की अपेक्षानुसार, देना बैंक स्टॉक एक्सेंजों को अपनी वित्तीय एवं अन्य सूचना कागजी रूप में प्रस्तुत करने के अलावा, कार्पफैलिंग प्रणाली और राष्ट्रीय इनफरमेटिक्स केंद्र (एन आई सी) द्वारा रखे गये इलेक्ट्रानिक डाटा इनफरमेशन फाइलिंग एण्ड रिट्रेवल (ईडीआईएफएआर) के माध्यम से ऑनलाइन भी प्रस्तुत करता है.

प्रबंधन विचार विमर्श एवं विश्लेषण वार्षिक रिपोर्ट का भाग है.

9. शेयरधारक के लिए सूचनाएँ

बैंक एक अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक है, जिसका प्रधान कार्यालय मुंबई में है. 1223 शाखाओं के नेटवर्क के साथ बैंक की उपस्थिति संपूर्ण भारत में हैं.

बैंक के ईक्विटी शेयर, मुंबई शेयर बाजार लिमिटेड (बीएसई), नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया (एनएसई), में सूचीबद्ध हैं.

इनके स्टॉक क्रिप कोड निम्नानुसार हैं:

8. Financial Results and Means of Communication

The Bank recognizes the need for keeping its members and stakeholders informed of the events of their interests.

The Quarterly / Half Yearly / Annual results of the Bank were submitted to the Stock Exchanges where the shares of the Bank are listed, within the stipulated time frame. Further, the quarterly results / half-yearly / annual results were also published in Financial Express / Business Standard in English, Lokmat/ Navshakti in Marathi (Regional Language) and Navbharat in Hindi as per the statutory requirement. The Bank also furnished the physical copy of the annual results to the Shareholders.

The results as well as shareholding pattern and share prices were also displayed on the website of the Bank i.e. www.denabank.com. It also displayed official press releases and other important details about the Bank. As required by SEBI and in the Listing Agreements, Dena Bank files its financial and other information online through Corpfiling system in addition to the physical submission to the Stock Exchanges and on the Electronic Data Information Filing and Retrieval (EDIFAR) website maintained by National Informatics Centre (NIC).

Management Discussion and Analysis forming part of the Annual Report.

9. Shareholder information

The Bank is a Scheduled Commercial Bank having its Head Office at Mumbai. The Bank has its presence all over India with a network of 1223 branches.

The Equity shares of the Bank are listed on Bombay Stock Exchange Limited (BSE) and National Stock Exchange of India Limited (NSE).

The stock scrip codes are as follows:

स्टॉक एक्सचेंज Stock Exchange	**कोड Code**	
	अल्फा Alpha	न्यूमेरिक Numeric
बीएसई BSE	देना बैंक DENA BANK	532121
एनएसई NSE	देना बैंक DENA BANK	-

अगले वर्ष 2010-11 के लिए दोनों स्टॉक एक्सेंजों को वार्षिक सूचीबद्धता शुल्क का भुगतान कर दिया गया है.

बैंक ने समय-समय पर वचन पत्र (टीयर I एवं टीयर II पूंजी) के रूप में अपरिवर्तनीय बाण्ड जारी किये हैं. उनसे संबंधित विवरण निम्नप्रकार है:

Annual Listing fee for next financial year 2010-11 has been paid to both the stock exchanges.

The Bank has issued Non-Convertible Bonds in the nature of Promissory Notes (Tier-I and Tier-II Capital) from time to time. The relevant details thereof are as under:

निर्गम का विवरण Particulars of the Issue	**मात्रा (रुपये करोड़ में) Size (Rs. in Cr)**	**आबंटन की तिथि Date of Allotment**	**परिपक्वता की तिथि Date of Maturity**	**आईएसआईएन संख्या ISIN No.**
6.20% निम्न टीयर-II बांड(शृंखला VII) 6.20% Lower Tier-II Bonds (Series VII)	150	31.03.2004	30.04.2013	INE077A09021
7.30% निम्न टीयर-II बांड(शृंखला VIII) 7.30% Lower Tier-II Bonds (Series VIII)	210	31.03.2005	30.04.2014	INE077A09039
9.25% निम्न टीयर-II बांड(शृंखला IX) 9.25% Lower Tier-II Bonds (Series IX)	106	25.03.2008	24.05.2018	INE077A09062

कार्पोरेट अभिशासन CORPORATE GOVERNANCE

निर्गम का विवरण Particulars of the Issue	मात्रा (रुपये करोड़ में) Size (Rs. in Cr)	आबंटन की तिथि Date of Allotment	परिपक्वता की तिथि Date of Maturity	आईएसआईएन संख्या ISIN No.
11.20% निम्न टीयर-II बांड (शृंखला X) 11.20% Lower Tier-II Bonds (Series X)	300	30.09.2008	30.04.2019	INE077A09070
9.50% निम्न टीयर-II बांड (शृंखला XI) 9.50% Lower Tier-II Bonds (Series XI)	200	29.01.2009	29.01.2019	INE077A09088
9.20% उच्च टीयर-II बांड (शृंखला I) 9.20% Upper Tier-II Bonds (Series I)	300	30.09.2006	30.09.2021	INE077A09047
10.05% बेमीयादी बांड (शृंखला I) 10.05% Perpetual Bonds (Series I)	125	31.12.2007	बेमीयादी Perpetual	INE077A09054
9.00% बेमीयादी बांड (शृंखला II) 9.00% Perpetual Bonds (Series II)	125	28.05.2009	बेमीयादी Perpetual	INE077A09096

ये सभी बॉंड नेशनल स्टॉक एक्सेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड पर सूचीबद्ध हैं एवं बैंक ने स्टॉक एक्सेंज को अगले वित्त वर्ष 2010-11 के लिए वार्षिक सूचीबद्धता शुल्क का भुगतान कर दिया है.

All these Bonds are listed on National Stock Exchange of India Ltd. and the Bank has paid the Annual listing fee for next financial year 2010-11 to the Stock Exchange.

हमारे बैंक के बांडों की ऋण रेटिंग की स्थिति Credit Rating position of the Bonds of our Bank (As on 31.03.09 & 31.03.2010 को):

Credit Rating position of the Bonds of our Bank (As on 31.03.09 & 31.03.2010):

बांड के प्रकार Types of Bonds	एजेंसी Agency	रेटिंग Ratings 31.03.2009	रेटिंग Ratings 31.03.2010
निम्न टीयर II Lower Tier-II	क्रिसिल CRISIL	AA - / Stable	AA/ Stable
	केयर CARE	CARE AA -	CARE AA
	फिच FITCH	A+	A+
उच्च टीयर II एवं आईपीडीआई Upper Tier-II & IPDI	क्रिसिल CRISIL	A / Stable	A+/ Positive
	केयर CARE	CARE A	CARE A+
	फिच FITCH	A (Ind)	A (Ind)

9.1 शेयरों का बेकागजीकरण

बैंक के शेयरों का व्यापार आवश्यक रूप से बेकागजीकृत स्वरूप में किया जाता है. जारीकर्ता बैंक के रूप में, बैंक ने शेयरों के बेकागजीकरण के लिए एनएसडीएल और सीडीएसएल के साथ एक करार किया है. सेबी दिशानिर्देशों की शर्तों के अनुसार, बैंक के रजिस्ट्रार और शेयर अंतरण अभिकर्ता भी बैंक के शेयरधारकों को अंतरण / बेकागजीकरण / पुनर्कागजीकरण की सुविधा दे रहे हैं.

दिनांक 31.03.2010 तक बैंक के 2,06,677 शेयरधारक थे जिनमें से बैंक के 38,887 शेयरधारक अपने शेयर कागजी रूप में धारण किए हुए थे और 1,67790 शेयरधारकों ने अपने शेयर डीमेट रूप में रखे हुए थे. कुल 28,68,23,200 शेयरों में से 14,68,20,000 शेयर भारत सरकार द्वारा इलेक्ट्रानिक रूप में रखे हुए हैं , शेष 14,00,03,200 शेयर जनता / वित्तीय संस्थाओं / अनिवासी भारतीयों इत्यादि के पास हैं और उनमें से 276466602 (96.39%) शेयर इलेक्ट्रॉनिक स्वरूप में एवं 1,0356598 (3.61%) शेयर कागजी स्वरूप में विद्यमान हैं.

9.1 Dematerialisation of Shares

The shares of the Bank are traded compulsorily in dematerialised mode. The Bank, as an issuer, has entered into agreements with NSDL and CDSL for dematerialization of shares. In terms of SEBI guidelines, the Registrar & Share Transfer Agent of the Bank is also extending the facility of transfer/ dematerialization / rematerialisation etc., to shareholders of the Bank.

As on 31.03.2010, the Bank had 2,06,677 shareholders out of which 38,887 shareholders of the Bank had been holding their shares in physical form and 1,67,790 shareholders hold shares in demat mode. Out of 28,68,23,200 shares, 14,68,20,000 shares are held by Government of India in electronic form and the remaining 14,00,03,200 shares are held by the Public/ FIIs/ NRIs etc. out of which 27,64,66,602 (96.39%) shares are in electronic mode and 1,03,56,598 (3.61%) shares are in physical mode.

9.2 शेयर अंतरण पद्धति और निवेशकों की शिकायतों का निवारण

बैंक ने मेसर्स शेयरप्रो सर्विसेज (इण्डिया) प्राइवेट लिमिटेड (आरएण्डटी) को बैंक के शेयर अंतरण एजेंट के रूप में कार्य सौंपा है और शेयर / बॉण्ड अंतरण / प्रेषण, लाभांश भुगतान और निवेशक संबंधी अन्य सभी कार्य

9.2 Share Transfer Systems and Redressal of Investor Grievances

The Bank has engaged M/s. Sharepro Services (India) Private Limited as Registrar & Share Transfer Agent (R & T) of the Bank and the Share/ Bond transfers / transmission, Dividend / Interest

कार्पोरेट अभिशासन CORPORATE GOVERNANCE

हमारे रजिस्ट्रार एवं अंतरण एजेंट के कार्यालय द्वारा किए जाते हैं. रजिस्ट्रार एवं शेयर अंतरण एजेंट निवेशकों के अनुरोधों पर कार्रवाई करने के बाद उन्हें बैंक के कार्यपालकों की आंतरिक शेयर अंतरण संवीक्षा समिति के समक्ष रखा जाता है और वह समिति बैंक के शेयरों के अंतरण / प्रेषण आदि का अनुमोदन / संस्तुति करती है.

शेयरधारक अपने अंतरण विलेख (केवल कागजी रुप में धारित होने के मामले में) और शिकायत सहित अन्य कोई प्रलेख बैंक के रजिस्ट्रार एवं शेयर अंतरण एजेंट के निम्नलिखित पते पर भेज सकते हैं और इससे संबंधित पत्राचार भी, यदि कोई हो, उसे बैंक के निवेशक संपर्क केन्द्र के नीचे दिए गए पते पर कर सकते हैं.

payments and all other investors' related matters are attended to and processed by Registrar & Share Transfer Agent at their office. The R & T, after processing the requests of investors, put the same to the In-house Share Transfer Scrutiny Committee of the Executives of the Bank which approves / recommends the transfer / transmission etc. of shares of the Bank.

Shareholders may lodge their transfer deeds (only in case of holding in physical form) and any other document, including complaints at the following address of Registrar & Share Transfer Agent of the Bank and also refer correspondence, if any, at the Bank's Investor Relations Centre at the address given below.

मेसर्स शेयरप्रो सर्विसेज (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड देना बैंक, सम्हिता काम्प्लेक्स, दुकान सं. 52 से 56, बिल्डिंग सं. - 13-ए-बी, साकीनाका टेलीफोन एक्सचेंज के पास, अंधेरी-कुर्ला रोड, साकीनाका, मुंबई - 400 072. टेलीफोन Tel: 67720300/400/353/385 टेलीफैक्स Telefax: 28375646	M/s. Sharepro Services (I) Pvt Ltd Unit: Dena Bank, Samhita Complex, Gala No.-52 to 56, Bldg. No. 13 A-B, Near Sakinaka Telephone Exchange, Andheri-Kurla Road, Sakinaka, Mumbai - 400 072.	देना बैंक, प्रधान कार्यालय, निवेशक संपर्क केंद्र, 3रा तल, देना कार्पोरेट सेंटर, सी-10, जी ब्लॉक, बांद्रा-कुर्ला कांप्लेक्स, बांद्रा (पूर्व), मुंबई - 400 051. टेलीफोन Tel: 26545318/19/20 टेली-फेक्स Tele-fax: 26545317 ई-मेल E-Mail: irc@denabank.co.in	Dena Bank, Head Office, Investor Relation Centre, C-10, G Block, Bandra-Kurla complex, Bandra (E), Mumbai - 400 051.

भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) ने सूचीबद्ध कम्पनियों को सलाह दी है कि निवेशकों की शिकायतों के निवारण हेतु वे विशिष्ट ई-मेल आई.डी. निश्चित करें. तदनुसार, बैंक ने शिकायतों के निवारण हेतु एक विशिष्ट ई-मेल आई.डी.investorgrievance@denabank.co.in निश्चित किया है. शेयरधारकों से अनुरोध है कि वे किसी भी तरह की शिकायतों के मामले में इस सुविधा का उपयोग करें.

Securities and Exchange Board of India (SEBI) has advised the listed companies to designate an exclusive e-mail ID for Redressal of Investor Complaints. Accordingly, the Bank has provided a dedicated and exclusive e-mail id investorgrievance@denabank.co.in for the Grievance Redressal. Shareholders are requested to avail of this facility in case of any grievance.

9.3 वित्तीय कैलेण्डर:

9.3 Financial Calendar:

वित्तीय वर्ष Financial Year	1 अप्रैल, 2009 से 31 मार्च, 2010 तक 1st April, 2009 to 31st March, 2010
लेखों पर विचार करने एवं लाभांश, यदि कोई हो, की संस्तुति करने के लिए मंडल की बैठक Board Meeting for considering the Accounts and recommendation of dividend, if any	27.04.2010 (मंगलवार Tuesday)
बही बंद होने की तारीखें Dates of Book Closures	09.07.2010 से to 16.07.2010 तक 09.07.2010 to 16.07.2010
मुख्तारी फार्म प्राप्त करने की अंतिम तिथि Last date for receipt of proxy form	10.07.2010
चौदहवीं वार्षिक सामान्य सभा की तारीख Date of Fourteenth Annual General Meeting	16 जुलाई 2010 16th July, 2010
प्रथम तीन तिमाहियों के लिए गैर लेखापरीक्षित परिणामों को अभिलेख में लेने हेतु निदेशक मंडल की बैठक Board Meeting for taking on record the Un-audited results for first 3 quarters	संबंधित तिमाही के अगले महीने का अंतिम सप्ताह Last week of the succeeding month of the relevant quarter
चौदहवीं वार्षिक सामान्य सभा का स्थल Venue of Fourteenth Annual General Meeting	सभागृह, सर सोराबजी पोचखानावाला बैंकर्स प्रशिक्षण महाविद्यालय, कूपर अस्पताल के पास, जेवीपीडी योजना, विलेपार्ले (पश्चिम), मुंबई - 400 056. Auditorium, Sir Sorabji Pochkhanawala Bankers' Training College, Near Cooper Hospital, J.V.P.D. Scheme, Vile Parle (West), Mumbai - 400 056

कार्पोरेट अभिशासन CORPORATE GOVERNANCE

9.4 वर्ष 2009-10 के दौरान एन.एस.ई./ बी.एस.ई. के माध्यम से खरीदे/ बेचे गए शेयरों की संख्या और कीमत

Shares Price and Volume of Shares traded on NSE & BSE during the year 2009-10:

	नेशनल स्टाक एक्सचेंज (एन.एस.ई.) National Stock Exchange (NSE)			मुंबई स्टाक एक्सचेंज (बी.एस.ई.) Bombay Stock Exchange (BSE)		
अवधि Period	उच्च रु. High Rs.	निम्न रु. Low Rs.	खरीदे/ बेचे गए शेयरों की मात्रा Total Volume of shares traded	उच्च रु. High Rs.	निम्न रु. Low Rs.	खरीदे/ बेचे गए शेयरों की मात्रा Total Volume of shares traded
अप्रैल, April 2009	43.50	32.00	3,24,51,073	43.50	32.05	1,35,39,740
मई, May 2009	55.10	36.55	3,98,35,366	55.20	37.00	1,60,28,448
जून, June 2009	67.00	49.10	6,57,73,861	64.80	49.70	2,31,12,477
जुलाई, July 2009	57.20	45.10	3,95,27,074	57.20	44.90	1,23,62,984
अगस्त, August 2009	57.20	49.00	3,07,57,559	57.00	49.00	95,91,778
सितम्बर, September 2009	69.45	50.20	11,19,78,339	69.50	50.20	3,53,20,569
अक्तूबर, October 2009	79.90	58.65	12,38,97,827	80.80	58.85	3,47,87,503
नवम्बर, November 2009	85.60	54.60	19,65,04,057	85.60	54.70	6,23,48,107
दिसम्बर, December 2009	93.00	77.90	19,26,58,310	93.00	77.85	5,78,23,236
जनवरी, January 2010	90.45	71.25	9,64,74,140	90.50	71.05	2,59,46,322
फरवरी, February 2010	82.95	73.55	5,23,48,474	81.50	73.00	1,19,29,983
मार्च, March 2010	87.85	77.00	3,51,20,784	89.00	74.30	78,41,581
वर्ष के दौरान सर्वोच्च Highest during the year		Rs.93.00		Rs.93.00		
वर्ष के दौरान न्यूनतम Lowest during the year		Rs.32.00		Rs.32.05		

9.5 दिनांक 31 मार्च, 2010 को शेयरधारिता का स्वरूप

31 मार्च, 2010 को समाप्त वर्ष हेतु बैंक की शेयरधारिता का स्वरूप निम्न प्रकार है :

9.5 Shareholding Pattern as on 31st March, 2010:

The shareholding pattern of the Bank as on 31st March, 2010 is as follows:

क्र. सं. Sl. No.	श्रेणी Category	धारित शेयरों की संख्या No. of Shares held	शेयरधारिता का % % of Shareholding
1	भारत सरकार Government of India	14,68,20,000	51.19
2	बैंक एवं वित्तीय संस्थान Banks & Financial Institutions	99,355	0.03
3	म्युचुअल फंड / भा.यू.टू Mutual Funds/ UTI	32,20,851	1.12
4	बीमा कंपनियां Insurance Companies	1,96,33,270	6.85
5	निकाय निगमित Bodies Corporate	1,42,80,331	4.98
6	अ.नि.भा. NRI/ ओ.सी.बी. OCBs	23,00,794	0.80
7	निवासी व्यक्ति/ हिंदु अविभक्त परिवार / न्यास आदि Resident Individuals/ HUF/ Trust, etc.	5,66,74,447	19.76
8	विदेशी संस्थागत निवेशक Foreign Institutional Investors	4,37,94,152	15.27
	कुल TOTAL	**28,68,23,200**	**100.00**

9.6 (क) दिनांक 31.03.10 को प्रवर्तक और प्रवर्तक समूह की श्रेणी से संबंधित व्यक्तियों की शेयरधारिता प्रदर्शित करने वाला विवरण

(A) Statement showing shareholding of persons belonging to the category "Promoter and Promoter Group as on 31.03.2010

क्र. सं. Sl. No.	शेयरधारक का नाम Name of Shareholder	धारित शेयर की संख्या Number of Shares held	कुलधारिता का % % of total holding
1	भारत के राष्ट्रपति President of India	146820000	51.19
	कुल TOTAL	**146820000**	**51.19**

कार्पोरेट अभिशासन CORPORATE GOVERNANCE

(ख) दिनांक 31.03.2010 को शेयरों की कुल संख्या के एक प्रतिशत से अधिक शेयरधारिता और "जनता" की श्रेणी से संबंधित व्यक्तियों की शेयरधारिता प्रदर्शित करने वाला विवरण

B) Statement showing shareholding of persons belonging to the category "Public" and holding more than 1% of the total number of shares as on 31.03.2010

क्र. सं. S. No.	शेयर धारकों की श्रेणी Category of the Shareholders	शेयरों की संख्या Number of Shares held	शेयरों की कुल संख्या के प्रतिशत के रूप में शेयर Shares as percentage of total no. of shares
1	भारतीय जीवन बीमा निगम Life Insurance Corporation of India	19449503	6.78
2	अकाशिया पार्टनर्स. एलपी Acacia Partners, LP	8400000	2.93
3	सिटिग्रुप ग्लोबल मार्केट्स मारिशस प्रा. लि. Citigroup Global Markets Mauritius Pvt. Ltd.	7405519	2.58
4	ओप्पेनहेयमेर फंड्स इनका. ओप्पेन हेयमेर इंटरनेशनल स्मॉल कंपनी फंड Oppenheimer Funds, Inc. Oppenheimer International Small Company Fund	7000000	2.44
5	अकाशिया इंस्टिट्यूशनल पार्टनर्स. एलपी Acacia Institutional Partners, LP	3120000	1.09
	कुल Total	**45375022**	**15.82**

9.7 दिनांक 31 मार्च, 2010 को शेयरधारिता का वितरण Distribution of Shareholding as on 31st March, 2010

विवरण (शेयरों की संख्या) Description (No. of Shares)	शेयरधारक Shareholders		शेयरधारिता Shareholding	
	संख्या Number	कुल का % % to total	संख्या Number	कुल का % % to total
Upto 500 तक	1,91,695	92.75	3,15,94,288	11.01
501-1000	9,101	4.40	76,01,104	2.65
1001-2000	3,177	1.54	49,33,225	1.72
2001-3000	993	0.48	25,54,786	0.89
3001-4000	359	0.17	12,85,986	0.45
4001-5000	366	0.18	17,37,971	0.61
5001-10000	498	0.24	37,06,393	1.29
Above 10000 से अधिक	488	0.24	23,34,09,447	81.38
कुल Total	**2,06,677**	**100.00**	**28,68,23,200**	**100.00**

9.8 एस एण्ड पी सीएनएक्स निफ्टी के उतार-चढ़ाव की तुलना में देना बैंक के शेयर का निष्पादन निम्नानुसार प्रदर्शित है.

Performance of Dena Bank Share in comparison with the movement of S & P CNX Nifty is shown here below:

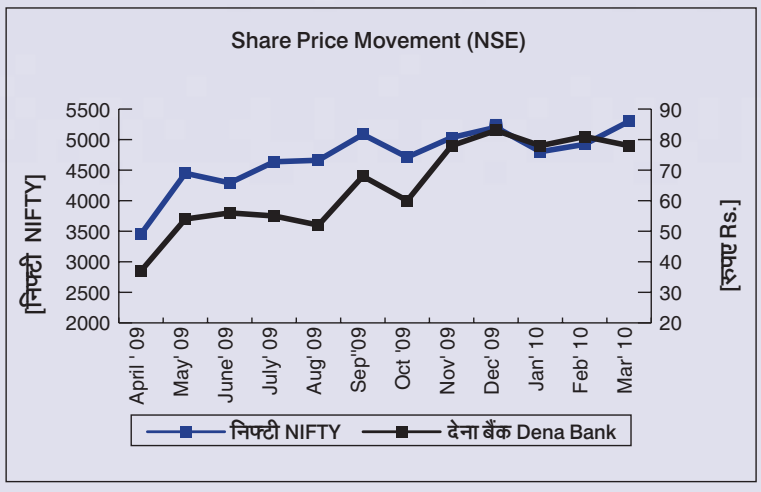

कार्पोरेट अभिशासन CORPORATE GOVERNANCE

9.9. शेयर धारकों के लिए सूचना Shareholders information:

बैंक ने निम्नलिखित वर्षो के लिए लाभांश घोषित किया The Bank had declared Dividend for the following years:

क्र.म. Sl.No.	वर्ष Year	लाभांश (%) Dividend (%)	क्र.म. Sl.No.	वर्ष Year	लाभांश (%) Dividend (%)
1	1996-1997	12%	7	2002-2003	Nil
2	1997-1998	15%	8	2003-2004	Nil
3	1998-1999	16%	9	2004-2005	Nil
4	1999-2000	6%	10	2005-2006	Nil
5	2000-2001	Nil	11	2006-2007	8%
6	2001-2002	Nil	12	2007-2008	10%
			13	2008-2009	12%

भारत सरकार ने अपनी अधिसूचना दिनांक 16 अक्तूबर, 2006 के द्वारा बैंकिंग कम्पनी (उपक्रमों का अधिग्रहण एवं अंतरण) अधिनियम 1970 को पुन संशोधित किया है और दिनांक 16 अक्तूबर, 2006 से बैंकिंग कम्पनी (उपक्रमों का अधिग्रहण एवं अंतरण) तथा वित्तीय संस्था विधि (संशोधन) अधिनियम 2006 नामक नया कानून बना दिया है.

उपर्युक्त उक्त अधिनियम की धारा 10 (बी) (2) एवं (3) के अनुसार, बैंक ने उपर्युक्त अधिनियम के प्रारंभ होने से पूर्व किसी भी लाभांश को पूर्ण या आंशिक रूप से घोषित किया है, उसे 16 अक्तूबर, 2006 से लागू अधिनियम के प्रारम्भ होने के 6 महीने के भीतर "देना बैंक का अदत्त लाभांश खाता (वर्ष)" नामक विशेष खाते में अदत्त लाभांश का अंतरण करना होगा. बैंक ने उपर्युक्त अपेक्षा का पालन कर लिया है और इन खातों में पड़ी हुई अदावाकृत लाभांश की राशि को अदत्त लाभांश खाते में अंतरित कर दिया है.

तदनुसार, जिन शेयरधारकों को वर्ष 1999-2000 और वर्ष 2006-2008 के लिए लाभांश प्राप्त नही हुआ है वे कृपया सहायता के लिए बैंक के निवेशक सम्पर्क केन्द्र या मेसर्स शेयर प्रो. सर्विसेस (इंडिया) प्राइवेट लि. से सम्पर्क कर सकते हैं. बैंक ने वर्ष 2000-2001 से 2005-2006 तक के लिए कोई भी लांभाश घोषित नहीं किया है.

9.10 जहाँ पर एन. ई.सी. एस. सुविधाएं उपलब्ध हैं वहाँ निवेशकों को राष्ट्रीय इलेक्ट्रानिक समाशोधन सेवा के माध्यम से लाभांश वितरित करने के लिए जमाकर्ताओं द्वारा प्रस्तुत बैंक खातों के विवरणों का उपयोग करने हेतु सेबी ने इसे सभी सूचीबद्ध कम्पनियों के लिए अनिवार्य बना दिया है. एन. ई.सी.एस. सुविधा उपलब्ध न होने की स्थिति में भुगतान लिखत पर निवेशकों को लाभांश वितरण के लिए बैंक खाते का विवरण मुद्रित करेगा.

9.11 कागजी रूप में शेयर रखने वाले शेयरधारक जिन्हें बैंक अधिदेश विवरण / बैंक अधिदेश विवरण में हुए परिवर्तन से अवगत नहीं कराया गया है वहाँ लाभांश वारंट के धोखाधड़ी पूर्वक नकदीकरण से बचने के लिए उसे उसी रूप में प्रस्तुत किया जाए.

9.12 कृपया यह ध्यान दें कि जिन शेयर धारकों के शेयर कागजी रूप में हैं वे अपने बैंक अधिदेश विवरण और पते में हुए परिवर्तन, यदि कोई हो तो, शेयरधारकों के अभिलेख को अद्यतन करने के लिए बैंक के निवेशक सम्पर्क केन्द्र या मेसर्स शेयर प्रो. सर्विसेस (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड, मुंबई को भेज सकते हैं. ऐसे शेयरधारक जिनकी शेयर धारिता डीमेट (इलेक्ट्रानिक) रूप में है वे बैंक खातों के विवरण, शेयरधारक आदि के पते को अनिवार्य रूप से अद्यतन बनाने के लिए अपने डिपाजिटरी सहभागी से सम्पर्क करें.

The Government of India vide its notification dated October 16, 2006 has further amended the Banking Companies (Acquisitions & Transfer of Undertakings) Act, 1970/ 1980, and enacted the new law called the Banking Companies (Acquisitions and Transfer of Undertakings) and Financial Institutions Laws (Amendment) Act, 2006 w.e.f. 16th October, 2006.

As per Section 10(B) (2) & (3) of the aforesaid Act, the Bank has to transfer the whole or part of any dividend declared before the commencement of the above said Act, unpaid dividend to a special account called “Unpaid Dividend Account of Dena Bank (year)” within six months from the commencement of the Act. i.e. 16th October, 2006. Bank has complied with the above requirement and transferred the same to “Unpaid Dividend Account".

Accordingly, the shareholders who have not received the dividend for upto year 1999-2000 and year 2006-2009 may please contact Investor Relations Centre of the Bank or M/s. Sharepro Services (India) Private Limited for assistance. Bank had not declared any dividend during the years 2000-2001 to 2005-06.

9.10 SEBI has made it mandatory for all listed companies to use the Bank account details furnished by the Depositories for distributing dividends through National Electronic Clearing Service (NECS) to the investors where NECS facility is available. In the absence of NECS facility the Bank shall print the Bank Account details, if available, on payment instrument for distribution of dividends to the investors.

9.11 The shareholders having physical shares, who have not provided the Bank Mandate details/ change in Bank Mandate details may furnish the same to avoid fraudulent encashment of the dividend warrants.

9.12 It may please be noted that the shareholders who are holding the shares in physical form may send their Bank Mandate details and change in address, if any, to the Investor Relations Centre of the Bank or M/s. Sharepro Services (India) Private Limited, Mumbai for updating record of the shareholders. The shareholders who are holding the shares in demat (electronic) form may approach their Depository Participant for necessary updating of the particulars of Bank account, address of shareholder etc.

कार्पोरेट अभिशासन CORPORATE GOVERNANCE

10. अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, कार्यपालक निदेशक तथा महा प्रबंधक (लेखा) द्वारा प्रमाणन

निदेशक मंडल
देना बैंक,
मुंबई

हम एतद्द्वारा 31 मार्च, 2010 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों तथा नकदी प्रवाह विवरणों की समीक्षा एवं अपनी सर्वोतम जानकारी व विश्वास के आधार पर प्रमाणित करते हैं कि -

i. इन विवरणों में भौतिक रूप से कोई गलत विवरण नहीं है अथवा इनमें से कोई भौतिक तथ्य हटाए नहीं गए हैं अथवा इनमें ऐसा कोई विवरण नहीं हैं जो गुमराह करते हों;

ii. ये विवरण एक साथ बैंक के काम काज की एक सच्ची व स्वच्छ छवि प्रस्तुत करते हैं, साथ ही ये बैंक के वित्तीय परिणामों में प्रकट किए गए प्रचलित लेखांकन मानकों, प्रयोज्य विधियों व विनियमों के अनुपालन के अनुरूप हैं.

iii. हमारी सर्वोत्तम जानकारी व विश्वास के अनुसार, वर्ष 2009-2010 के दौरान बैंक द्वारा ऐसा कोई लेन-देन नहीं किया गया जो कपटपूर्ण, अवैध अथवा बैंक की आचार संहिता का उल्लंघन करनेवाला रहा हो सिवाय उसके जिसकी रिपोर्ट निदेशक मंडल / भारतीय रिज़र्व बैंक को कर दी गई है.

iv. हम आंतरिक नियंत्रणों को स्थापित करने एवं उनको बनाए रखने का दायित्व स्वीकार करते हैं. हमने बैंक की आंतरिक नियंत्रण प्रणाली की प्रभावात्मक्ता का मूल्यांकन किया है एवं हमने आंतरिक नियंत्रण प्रणाली के स्वरूप व परिचालन से संबंधित उन कमियों जिनसे हम अवगत हैं, के बारे में लेखा परीक्षकों व लेखा परीक्षा समिति को बता दिया है तथा हमने इन कमियों को सुधारने के लिए अपेक्षित कदम उठाए हैं.

v. हम पुन प्रमाणित करते हैं कि :

   1. वर्ष के दौरान आंतरिक नियंत्रण प्रणाली में कोई महत्वपूर्ण परिवर्तन नहीं हुए हैं;

   2. इस वर्ष के दौरान लेखांकन नीतियों में कोई महत्वपूर्ण परिवर्तन नहीं हुए हैं सिवाय उसके जिन्हें बैंक के वित्तीय परिणामों में प्रकट कर दिया गया है;

   3. निदेशक मंडल / भारतीय रिज़र्व बैंक को की गई रिपोर्ट को छोड़कर, प्रबंधन अथवा किसी कर्मचारी जिसकी महत्वपूर्ण भूमिका बैंक की आंतरिक नियंत्रण प्रणाली में है, के ऐसे किसी महत्वपूर्ण छल-कपट के कोई उदाहरण नहीं रहे हैं जिससे एवं संबंधितों से हम अवगत नही हो गए हैं. जब कभी कोई धोखाधड़ी उजागर हुई है तो संबंधित कर्मचारी के विरुद्ध आवश्यक अनुशासनिक कार्रवाई की गई है. भविष्य में इसके निवारण संबधी आवश्यक उपाय भी निरंतर रूप से किए जा रहे हैं.

(एस.के.जैन) महा प्रबंधक (लेखा) | (ए.के.दत्त) कार्यपालक निदेशक | (डी.एल.रावल) अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

दिनांक: 27.04.2010 स्थान: मुंबई

10. CERTIFICATION BY CHAIRMAN & MANAGING DIRECTOR, EXECUTIVE DIRECTOR AND GENERAL MANAGER (ACCOUNTS)

The Board of Directors

Dena Bank,
Mumbai

We hereby certify that for the financial year, ending 31st March, 2010 on the basis of the review of the financial statements and the cash flow statement and to the best of our knowledge and belief that :-

i. These statement do not contain any materially untrue statement or omit any material fact or contain statements that might be misleading;

ii. These statements together present a true and fair view of the Bank's affairs and are in compliance with existing accounting standards, applicable laws and regulations, as disclosed in the financial results of the Bank.

iii. There are, to the best of our knowledge and belief, no transactions entered into by the Bank during the year 2009-10 which are fraudulent, illegal or violative of the Bank's code of conduct, except as reported to Board / RBI.

iv. We accept responsibility for establishing and maintaining internal controls. We have evaluated the effectiveness of the internal control systems of the bank and we have disclosed to the auditors and the Audit Committee, those deficiencies, of which we are aware, in the design or operation of the internal control systems and that we have taken the required steps to rectify these deficiencies.

v. We further certify that :

   1. there have been no significant changes in internal control system during the year;

   2. there have been no significant changes in accounting policies during this year, except as disclosed in the financial results of the Bank;

   3. there have been no instances of significant fraud of which we have become aware and the involvement therein, of the management or an employee having a significant role in the Bank's internal control system except as reported to Board / RBI. Whenever any frauds were detected necessary disciplinary action was taken against the concerned employee. Further necessary preventive measures are also being taken on ongoing basis.

(S. K. Jain) General Manager (Accounts) | (A. K. Dutt) Executive Director | (D. L. Rawal) Chairman & Managing Director

Date: 27.04.2010 Place: Mumbai

कार्पोरेट अभिशासन CORPORATE GOVERNANCE

कार्पोरेट अभिशासन पर लेखा परीक्षकों का प्रमाण पत्र

सेवा में,
निदेशक मंडल
देना बैंक,
प्रधान कार्यालय, देना कार्पोरेट सेंटर,
सी-10, `जी' ब्लॉक, बांद्रा-कुर्ला कॉम्पलेक्स,
बांद्रा (पूर्व), मुंबई - 400 051,

देना बैंक द्वारा नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लि. (एनएसई), मुंबई स्टॉक एक्सचेंज (बीएसई) के साथ किए गए सूचीबद्धता करार (समय समय पर यथा आशोधित) के खंड 49 में यथा निर्धारित 31 मार्च, 2010 को समाप्त वर्ष के लिए देना बैंक द्वारा कार्पोरेट अभिशासन की शर्तों के अनुपालन की हमने जाँच की है.

कार्पोरेट अभिशासन की शर्तों के अनुपालन का दायित्व प्रबंधन का है. हम ने जाँच कार्रवाई, कार्पोरेट अभिशासन की शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए बैंक द्वारा अपनायी गई कार्यविधि और कार्यान्वयन करने तक सीमित थी. यह न तो लेखापरीक्षा है और न ही बैंक के वित्तीय विवरणों पर मंतव्य की अभिव्यक्ति है.

हम प्रमाणित करते हैं कि हमारी राय में और हमारी सर्वोत्तम जानकारी और हमें प्रदत्त स्पष्टीकरणों के अनुसार सामान्यत बैंक ने उपर्युक्त सूचीबद्धता करार के उपर्युक्त उल्लिखित खंड 49 में यथा निर्धारित कार्पोरेट अभिशासन की शर्तो का अनुपालन किया है. जब तक वे भारत सरकार / भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी दिशानिर्देशो से असंगत नहीं है.

हम यह कहना चाहते हैं कि बैंक के रजिस्ट्रार एवं अंतरण अभिकर्ता द्वारा यथा प्रमाणित बैंक के निवेशक से संबंधित कोई भी शिकायत एक माह से अधिक समय के लिए लंबित नहीं थी.

हम यह भी कहना चाहते हैं कि ऐसा अनुपालन न तो बैंक की भावी व्यवहार्यता के रूप में आश्वासन है और न ही उस कार्यक्षमता और प्रभावात्मकता का, जिससे प्रबंधन वर्ग ने बैंक के कामकाज का संचालन किया.

कृते मे. आर. के. दीपक एण्ड कं.
सनदी लेखाकार
एफ आर.संख्या 003145एन

अरविंद ओबरॉय
भागीदार
(सदस्यता सं. 090479)

कृते मे. बी. गुप्ता एण्ड कं.
सनदी लेखाकर
एफ.आर.सं. 000933सी

एस.प्रसाद
भागीदार
(सदस्यता सं. 80958)

कृते मे. पी. पारिख एण्ड एसोसिएट्स
सनदी लेखाकार
एफ.आर.सं.107564डब्ल्यू

संदीप पारीख
भागीदार
(सदस्यता सं. 39713)

कृते मे. जैन चौधरी एण्ड कं.
सनदी लेखाकर
एफ आर.संख्या 113267डब्ल्यू

एस. सी. जैन
भागीदार
(सदस्यता सं. 14871)

कृते मे. गोखले एण्ड साठे
सनदी लेखाकार
एफ आर.संख्या 103624डब्ल्यू

उदय साठये
भागीदार
(सदस्यता सं. 35107)

दिनांक: 27.04.2010
स्थान: मुंबई

Auditors' Certificate on Corporate Governance

To
The Board of Directors
Dena Bank,
Head office, Dena Corporate Centre,
C-10, G Block, Bandra-Kurla Complex,
Bandra (East), Mumbai - 400 051.

We have examined the compliance of the conditions of Corporate Governance by Dena Bank for the year ended 31st March, 2010, as stipulated in Clause 49 of the Listing Agreements (as modified from time to time) entered into with National Stock Exchange of India Limited (NSE) and Bombay Stock Exchange Limited (BSE).

The compliance of the conditions of corporate governance is the responsibility of the management. Our examination was limited to the procedures and implementation there of, in terms of aforesaid Clause 49. It is neither an audit nor an expression of opinion on the financial statement of the Bank.

We certify that, in our opinion and to the best of our information and according to the explanations given to us, the Bank has complied with the conditions of Corporate Governance as stipulated in the above mentioned Clause 49 of the listing agreements, so far as they are not inconsistent with the guidelines issued by the Government of India/ Reserve Bank of India.

We state that no investor grievance is pending for a period exceeding one month against the Bank as certified by Registrar and Transfer Agents of the Bank.

We further state that such compliance is neither an assurance as to the future viability of the Bank nor the efficiency or effectiveness with which the management has conducted the affairs of the Bank.

For M/s. R. K. Deepak & Co
Chartered Accountants
F.R.No. 003145N

Arvind Oberoi
Partner
(M.No. 090479)

For M/s. B. Gupta & Co.
Chartered Accountants
F.R.No. 000933C

S. Prasad
Partner
(M.No. 80958)

For M/s. P Parikh & Associates
Chartered Accountants
F.R.No. 107564W

Sandeep Parikh
Partner
(M.No. 39713)

For M/s. Jain Chowdhary & Co.
Chartered Accountants
F.R. No. 113267W

S. C. Jain
Partner
(M.No.14871)

For M/s. Gokhale & Sathe
Chartered Accountants
F.R. No. 103624W

Uday Sathaye
Partner
(M.No.35107)

Place: Mumbai
Date: 27.04.2010

निदेशकों के विवरण (31 मार्च, 2010 को समाप्त वर्ष के दौरान) PARTICULARS OF DIRECTORS (during the year ended 31st March, 2010)

अनुबंध क Annexure A

क्र. सं. Sr. No.	निदेशकों के विवरण और देना बैंक में उनका कार्यकाल और शेयरधारिता, यदि कोई हो Particulars of Directors and Tenure & shareholding in Dena Bank, if any	प्रकार Type	आयु वर्षों में Age years	शैक्षणिक योग्यता Qualification	कार्यकाल Tenure	अन्य कंपनियों की समितियों में निदेशक/ सदस्य/ एवं अध्यक्ष की हैसियत Directorship/Membership & Chairmanship in Committee of other companies	शेयरधारिता Shareholding
1	श्री डी.एल. रावल Shri D. L. Rawal	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक Chairman & Managing Director	58	बी.एससी (आनर्स)सी.ए.आई.आई.बी B.Sc. (Hons), CAIIB	01.01.2009 से to 31.10.2011	भारतीय जीवन बीमा निगम Life Insurance Corporation of India	कुछ नहीं Nil
2	श्री ए.के. दत्त Shri A.K.Dutt	कार्यपालक निदेशक Executive Director	55	एम.एससी, सीएआईआईबी,एमबीए,डीसीए M.Sc., CAIIB, MBA, DCA	01.03.2010 से to 31.01.2014	कुछ नहीं Nil	100
3	श्री भास्कर सेन Shri Bhaskar Sen	कार्यपालक निदेशक Executive Director	57	बी.काम (आनर्स) सी.ए.आई.आई.बी B.Com. (Hons.) CAIIB	07.11.2007 से upto 28.02.2010 तक	कुछ नहीं Nil	कुछ नहीं Nil
4	डॉ. तरसेम चंद Dr. Tarsem Chand	भारत सरकार के नामिती Govt. of India -nominee	50	एम.एससी, एल.एल.बी, पी.एच.डी M.Sc., LL.B., Ph.D.	10.06.2008 अगले आदेश तक until further orders	कुछ नहीं Nil	कुछ नहीं Nil
5	श्री चंद्र किशोर Shri Chandra Kishore	भारतीय रिज़र्व बैंक के नामिती Reserve Bank of India - nominee	67	एम.ए , एम.ए (संस्कृत) एल.एल.बी, सी.ए.आई.आई.बी M.A., M.A.(Sanskrit), LL.B., CAIIB	27.02.2007 अगले आदेश तक until further orders	कुछ नहीं Nil	कुछ नहीं Nil
6	श्री ए..गोपालकृष्णन Shri A. Gopalakrishnan	सनदी लेखाकार Chartered Accountant	58	बी.एससी ,सी.ए, सी.आई.एस.ए, डी.आई.एस.ए B.Sc., C.A.,CISA, DISA	14.12.2006 से upto 13.12.2009 तक	कुछ नहीं Nil	कुछ नहीं Nil
7	श्री मधुकरराव जी.शिंदे Shri Madhukarrao G. Shinde	कामगार कर्मचारी निदेशक Workmen Employee Director	60	एम.ए., (अर्थशास्त्र) M.A., (Economics)	19.09.2007 से upto 28.02.2010 तक	कुछ नहीं Nil	कुछ नहीं Nil
8	श्री वी.एस.शिवकुमार Shri V. S. Sivakumar	भारत सरकार द्वारा नियुक्त Appointed by Government of India	49	बी.एससी, एल.एल.बी B.Sc., LL.B	21.11.2007 से upto 27.10.2009 तक	कुछ नहीं Nil	कुछ नहीं Nil
9	श्री एम सूर्या नायक Shri M Surya Naik	भारत सरकार द्वारा नियुक्त Appointed by Government of India	53	एम.ए., बी.एल. M.A., B.L.	31.12.2007 से upto 30.12.2009 तक	कुछ नहीं Nil	कुछ नहीं Nil
10	डॉ. कमलेश कुमार गोयल Dr. Kamlesh Kumar Goel	भारत सरकार द्वारा नियुक्त Appointed by Government of India	61	बी.काम, एल.एल.बी एफ.सी.ए, ए.सी.एस, पी.एच.डी B.Com., LL.B, FCA, ACS, Ph.D.	04.02.2009 से to 03.02.2011	सिंगर (इंडिया) लि. Singer (India) Ltd. (Appointed as Special Director by BIFR w.e.f. 29-04-2010)	200

निदेशकों के विवरण (31 मार्च, 2010 को समाप्त वर्ष के दौरान) PARTICULARS OF DIRECTORS (during the year ended 31st March, 2010)

अनुबंध क Annexure A

क्र. सं. Sr. No.	निदेशकों के विवरण और देना बैंक में उनका कार्यकाल और शेयरधारिता, यदि कोई हो Particulars of Directors and Tenure & shareholding in Dena Bank, if any	प्रकार Type	आयु वर्षों में Age years	शैक्षणिक योग्यता Qualification	कार्यकाल Tenure	अन्य कंपनियों की समितियों में निदेशक/ सदस्य/ एवं अध्यक्ष की हैसियत Directorship/Membership & Chairmanship in Committee of other companies	शेयरधारिता Shareholding
11	डॉ. प्रीतम सिंह Dr. Pritam Singh	शेयरधारक निदेशक Shareholder Director	68	एम.काम, एम.बी.ए. (यू.एस.ए), पी.एचडी M.Com., M.B.A. (USA), Ph.D.	17.03.2009 से to 16.03.2012 तक	1. भारतीय रिजर्व बैंक का स्थानीय बोर्ड Local Board of Reserve Bank of India 2. यूटीआई ट्रस्टी कं.लिमिटेड UTI Trustees Co. Ltd. 3. हीरो होन्डा मोटर्स लिमिटेड Hero Honda Motors Ltd. 4. डिश टी.वी Dish TV 5. हिन्दुस्तान एरोनोटिक्स लिमिटेड Hindustan Aeronautics Ltd. 6. परसवनाथ डेवलपर्स लिमिटेड Parsvanath Developers Ltd. 7. इंडियन मेडिसिन फार्मस्यूटिकल कॉर्पोरेशन लिमिटेड Indian Medicines Pharmaceutical Corporation Ltd. 8. आईसीआरए लिमिटेड ICRA Ltd. 9. दिल्ली स्टॉक एक्स्चेंज लिमिटेड Delhi Stock Exchange Ltd 10. मेनेजमेंट डेवलपमेंट इंस्टिट्यूट Management Development Institute 11. आई.आई.एम. कालीकट IIM Kozikode	500
12	डॉ. सुनील गुप्ता Dr. Sunil Gupta	शेयरधारक निदेशक Shareholder Director	43	बी.कॉम, एफसीए, एफआईसीडब्ल्यूए, पी.एचडी B.Com., FCA, FICWA, Ph.D.	17.03.2009 से to 16.03.2012 तक	1. सुनील राम एन्टरप्राइसेस (प्रा) लिमिटेड Sunil Ram Enterprises (P) Ltd. 2. सुनील राम इंफोटेक इंडिया (प्रा) लिमिटेड Sunil Ram Infotech India (P) Ltd. 3. सुनील राम इंफास्ट्रक्चर (प्रा) लिमिटेड Sunil Ram Infrastructure (P) Ltd. 4. विनायक कामनेट (प्रा) लिमिटेड Vinayak Comnet (P) Ltd. 5. सुविप्रा इंफास्ट्रक्चर (प्रा) लिमिटेड Suvipraa Infrastructure (P) Ltd. 6. एन.के.जी इंफास्ट्रक्चर लिमिटेड NKG Infrastructure Ltd.	500

निदेशकों के विवरण (31 मार्च, 2010 को समाप्त वर्ष के दौरान) PARTICULARS OF DIRECTORS (during the year ended 31st March, 2010)

अनुबंध क Annexure A

क्र. सं. Sr. No.	निदेशकों के विवरण और देना बैंक में उनका कार्यकाल और शेयरधारिता, यदि कोई हो Particulars of Directors and Tenure & shareholding in Dena Bank, if any	प्रकार Type	आयु वर्षों में Age years	शैक्षणिक योग्यता Qualification	कार्यकाल Tenure	अन्य कंपनियों की समितियों में निदेशक/ सदस्य/ एवं अध्यक्ष की हैसियत Directorship/Membership & Chairmanship in Committee of other companies	शेयरधारिता Shareholding
13	श्री रोहित खन्ना Shri Rohit Khanna	शेयरधारक निदेशक Shareholder Director	51	बी.काम (आनर्स) एफसीए B.Com.(Hons), FCA	17.03.2009 से to 16.03.2012 तक	1. एस्टीम कंसलटेंट प्राइवेट लिमिटेड Esteem Consultants Pvt. Ltd. 2. गुटी इंपेक्स प्रा.लि Guti Impex Pvt. Ltd. 3. सिल्वर एरो इंफोसिस प्रा लि. Silver Arrow Infosys Pvt. Ltd. 4. भिकाजी पावर प्रा.लि. Bhikaji Power Pvt. Ltd. 5. अरा हेल्थकेयर प्रा.लि. Ara Healthcare Pvt. Ltd. 6. भिकाजी स्टॉक एवं शेयर ब्रोकर्स प्रा.लि. 6. Bhikaji Stock & Share Brokers Pvt. Ltd. 7. फ्लोरा सॉफ्टवेयर सिस्टम्स प्रा.लि. Flora Software Systems Pvt. Ltd. 8. एटलांटिक सॉफ्टेक प्रा.लि Atlantic Softtech Pvt. Ltd. 9. ए.एम.वी सरविसेस प्रा.लि. AMB Services India Pvt. Ltd.	1600
14	श्री इग्नेशियस एम. अल्मेडा Shri Ignatius M. Almeida	अधिकारी कर्मचारी निदेशक Officer Employee Director	57	एम.कॉम M.Com	18.02.2010 से to 30.11.2012 तक	कुछ नहीं Nil	कुछ नहीं Nil

दिनांक 31.03.2010 को मंडल की समितियों के गठन की स्थिति COMPOSITION OF COMMITTEE OF THE BOARD as on 31.03.2010

अनुबंध बी Annexure B

समिति COMMITTEE	अध्यक्ष CHAIRMAN	सदस्य MEMBERS
प्रबंधन समिति Management Committee	श्री डी. एल. रावल Shri D. L. RAWAL	श्री ए.के.दत्त Shri A.K. Dutt श्री चंद्र किशोर Shri Chandra Kishore श्री आई.एम.अल्मेडा Shri I. M. Almeida डॉ. के. के. गोयल Dr. K. K. Goel डॉ सुनील गुप्ता Dr. Sunil Gupta
लेखा परीक्षा समिति Audit Committee	डॉ सुनील गुप्ता Dr. Sunil Gupta	श्री ए.के.दत्त Shri A.K. Dutt डॉ. तरसेम चंद Dr. Tarsem Chand श्री चंद्र किशोर Shri Chandra Kishore श्री रोहित खन्ना Shri Rohit Khanna
पारिश्रमिक समिति Remuneration Committee	डॉ तरसेम चंद Dr. Tarsem Chand	श्री चंद्र किशोर Shri Chandra Kishore डॉ. प्रीतम सिंह Dr. Pritam Singh डॉ सुनील गुप्ता Dr. Sunil Gupta
शेयरधारकों / निवेशकों की शिकायत निवारण समिति Shareholders / Investors Grievance Committee	श्री रोहित खन्ना Shri Rohit Khanna	श्री ए.के.दत्त Shri A.K. Dutt डॉ. के. के. गोयल Dr. K.K. Goel
समन्वित जोखिम प्रबंधन की समिति Committee on Integrated Risk Management	श्री डी. एल. रावल Shri D. L. Rawal	श्री ए.के.दत्त Shri A.K. Dutt डॉ. तरसेम चंद Dr. Tarsem Chand श्री चंद्र किशोर Shri Chandra Kishore
बड़े मूल्य वाली धोखाधड़ियों की निगरानी समिति Committee Monitoring Large Value Frauds	श्री डी. एल. रावल Shri D. L. Rawal	श्री ए.के.दत्त Shri A.K. Dutt डॉ. तरसेम चंद Dr. Tarsem Chand डॉ. के. के. गोयल Dr. K. K. Goel श्री रोहित खन्ना Shri Rohit Khana
शेयर अंतरण समिति Share Transfer Committee	श्री डी. एल. रावल Shri D. L. Rawal	श्री ए.के.दत्त Shri. A.K. Dutt श्री रोहित खन्ना Shri Rohit Khanna
ग्राहक सेवा समिति Customer Service Committee	श्री डी. एल. रावल Shri D. L. Rawal	श्री ए.के.दत्त Shri A.K. Dutt डॉ. तरसेम चंद Dr. Tarsem Chand श्री चंद्र किशोर Shri Chandra Kishore श्री आई.एम.अल्मेडा Shri I.M. Almeida डॉ. प्रीतम सिंह Dr. Pritam Singh
सूचना प्रौद्योगिकी समिति Information Technology Committee	श्री डी. एल. रावल Shri D. L. Rawal	श्री ए.के.दत्त Shri A.K. Dutt डॉ. प्रीतम सिंह Dr. Pritam Singh श्री रोहित खन्ना Shri Rohit Khanna
अनुपालन समिति Compliance Committee	डॉ. सुनील गुप्ता Dr. Sunil Gupta	श्री ए.के. दत्त Shri A.K. Dutt डॉ. तरसेम चंद Dr. Tarsem Chand डॉ. सुनील गुप्ता Dr. Sunil Gupta
नामांकन समिति Nomination Committee	डॉ तरसेम चंद Dr. Tarsem Chand	श्री चंद्र किशोर Shri Chandra Kishore श्री आई.एम.अल्मेडा Shri I.M. Almeida डॉ. के. के. गोयल Dr. K.K. Goel

निदेशकों की उपस्थिति के विवरण DETAILS OF ATTENDANCE OF DIRECTORS

अनुबंध सी Annexure C

क्र. सं. Sl No.	नाम Name	मंडल बैठक Board Meeting	प्रबंधन समिति बैठक Management Committee Meeting	लेखा परीक्षा समिति बैठक Audit Committee Meeting	पारिश्रमिक समिति बैठक Remuneration Committee Meeting	एस.आई.जी.सी बैठक SIGC Meeting	समन्वित जोखिम प्रबंधन समिति बैठक Integrated Risk Management Committee Meeting	बडे मूल्य वाली धोखाधडियों की निगरानी समिति की बैठक Committee Monitoring Large Value Frauds Meeting	शेयर अंतरण समिति बैठक Share Transfer Committee Meeting	ग्राहक सेवा समिति बैठक Customer Service Committee Meeting	सूचना तकनीक समिति बैठक Information Technology Committee Meeting	अनुपालन समिति बैठक Compliance Committee Meeting	नामांकन समिति बैठक Nomination Committee Meeting
		उपस्थित/आयोजित Attended/Held	उपस्थित/आयोजित Attended/Held	उपस्थित/आयोजित Attended/Held	उपस्थित/आयोजित Attended/Held	उपस्थित/आयोजित Attended/Held	उपस्थित/आयोजित Attended/Held	उपस्थित/आयोजित Attended/Held	उपस्थित/आयोजित Attended/Held	उपस्थित/आयोजित Attended/Held	उपस्थित/आयोजित Attended/Held	उपस्थित/आयोजित Attended/Held	उपस्थित/आयोजित Attended/Held
1	श्री डी. एल. रावल Shri D. L. Rawal	14/14	15/15	–	–	–	4/4	3/3	6/6	4/4	4/4	–	–
2	श्री ए. के. दत्त Shri A. K. Dutt	1/1	1/1	–	–	–	1/1	–	–	1/1	–	–	–
3	डॉ. तरसेम चंद Dr. Tarsem Chand	14/14	–	13/13	1/1	–	4/4	3/3	–	4/4	–	2/2	–
4	श्री चंद्र किशोर Shri Chandra Kishore	13/14	14/15	12/13	0/1	–	3/4	–	–	4/4	–	–	–
5	श्री आई. एम. अल्मेडा Shri I. M. Almeida	2/2	1/1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
6	डॉ. कमलेश कुमार गोयल Dr. Kamlesh Kumar Goel	14/14	8/8	–	–	4/4	4/4	3/3	–	–	–	–	–
7	डॉ. प्रीतम सिंह Dr. Pritam Singh	6/14	3/7	–	1/1	–	–	–	–	2/4	2/4	–	–
8	डॉ. सुनील गुप्ता Dr. Sunil Gupta	11/14	6/7	2/2	1/1	–	–	–	–	–	–	–	–
9	श्री रोहित खन्ना Shri Rohit Khanna	13/14	7/7	–	–	4/4	3/4	–	1/1	–	4/4	–	–

वर्ष 2009-2010 के दौरान उन निदेशकों की उपस्थिति का विवरण जिनका कार्यकाल समाप्त हो गया है DETAILS OF ATTENDANCE OF DIRECTORS WHOSE TERM HAS ENDED DURING 2009-2010

क्र. सं. Sl. No.	नाम Name	मंडल बैठक Board Meeting	प्रबंधन समिति बैठक Management Committee Meeting	लेखा परीक्षा समिति बैठक Audit Committee Meeting	पारिश्रमिक समिति बैठक Remuneration Committee Meeting	एस.आई.जी.सी बैठक SIGC Meeting	समन्वित जोखिम प्रबंधन समिति बैठक Integrated Risk Management Committee Meeting	बडे मूल्य वाली धोखाधडियों की निगरानी समिति की बैठक Committee Monitoring Large Value Frauds Meeting	शेयर अंतरण समिति बैठक Share Transfer Committee Meeting	ग्राहक सेवा समिति बैठक Customer Service Committee Meeting	सूचना तकनीक समिति बैठक Information Technology Committee Meeting	अनुपालन समिति बैठक Compliance Committee Meeting	नामांकन समिति बैठक Nomination Committee Meeting
		उपस्थित/आयोजित Attended/Held	उपस्थित/आयोजित Attended/Held	उपस्थित/आयोजित Attended/Held	उपस्थित/आयोजित Attended/Held	उपस्थित/आयोजित Attended/Held	उपस्थित/आयोजित Attended/Held	उपस्थित/आयोजित Attended/Held	उपस्थित/आयोजित Attended/Held	उपस्थित/आयोजित Attended/Held	उपस्थित/आयोजित Attended/Held	उपस्थित/आयोजित Attended/Held	उपस्थित/आयोजित Attended/Held
1	**श्री भास्कर सेन** Shri Bhaskar Sen	12/13	13/14	12/13	--	4/4	3/3	3/3	6/6	3/3	4/4	2/2	--
2	**श्री वी.एस. शिवकुमार** Shri V.S. Sivakumar	2/8	2/7	--	--	0/2	--	0/2	--	0/2	--	--	--
3	**श्री ए. गोपालकृष्णन** Shri A. Gopalkrishan	9/9	11/11	11/11	--	--	--	2/2	--	--	3/3	2/2	--
4	**श्री एम. सूर्या नायक** Shri M. Surya Naik	10/10	3/3	11/11	--	--	--	--	5/5	--	--	--	--
5	**श्री एम. जी. शिंदे** Shri M. G. Shinde	12/13	2/2	--	--	--	--	--	--	3/3	--	--	--
		बैठक की तारीख Dates of Meeting	बैठक की तारीख Dates of Meeting	बैठक की तारीख Dates of Meeting	बैठक की तारीख Dates of Meeting	बैठक की तारीख Dates of Meeting	बैठक की तारीख Dates of Meeting	बैठक की तारीख Dates of Meeting	बैठक की तारीख Dates of Meeting	बैठक की तारीख Dates of Meeting	बैठक की तारीख Dates of Meeting	बैठक की तारीख Dates of Meeting	बैठक की तारीख Dates of Meeting
		29.04.2009 23.05.2009 17.06.2009 11.07.2009 25.07.2009 22.08.2009 26.09.2009 26.10.2009 27.11.2009 19.12.2009 27.01.2010 28.01.2010 20.02.2010 20.03.2010	28.04.2009 23.05.2009 17.06.2009 11.07.2009 25.07.2009 22.08.2009 09.09.2009 26.09.2009 26.10.2009 16.11.2009 27.11.2009 19.12.2009 27.01.2010 20.02.2010 20.03.2010	28.04.2009 29.04.2009 16.05.2009 10.07.2009 25.07.2009 22.08.2009 04.09.2009 26.09.2009 24.10.2009 26.10.2009 13.12.2009 28.01.2010 19.02.2010	17.06.2009	24.05.2009 26.09.2009 27.11.2009 28.01.2010	17.06.2009 26.09.2009 19.12.2009 20.03.2010	24.05.2009 26.09.2009 19.12.2009	24.05.2009 17.06.2009 25.07.2009 26.09.2009 27.11.2009 28.01.2010	24.05.2009 26.09.2009 19.12.2009 20.03.2010	11.07.2009 22.08.2009 27.11.2009 28.01.2010	17.06.2009 26.09.2009	--

निदेशकों के विवरण DIRECTORS' PROFILE

1. **श्री डी.एल.रावल** ने देना बैंक के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक का कार्यभार 1 जनवरी, 2009 को ग्रहण किया.

   श्री रावल का कैरियर पंजाब नैशनल बैंक से आरंभ हुआ. रिटेल बैंकिंग तथा कृषि अग्रिमों के लिए नियम आधारित उधार पद्धति आरंभ करने में उनकी प्रमुख भूमिका रही. उन्होंने पंजाब नैशनल बैंक की अनेक सहायक कंपनियों में प्रबंध निदेशक तथा निदेशक के रुप में नेतृत्व प्रदान किया.

   श्री रावल ने भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा नियुक्त क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के अधिकारप्राप्त समूह की समिति के सदस्य, रुपये 2 लाख तक के ऋणों पर ब्याज दरों के अविनियमन के लिए भारतीय बैंक संघ द्वारा नियुक्त समिति के सदस्य, शहरी रोजगार तथा गरीबी उन्मूलन मंत्रालय द्वारा स्थापित शहरी गरीबों को सूक्ष्म ऋण प्रदान करने के लिए कार्यदल के सदस्य, भारतीय बैंक संघ द्वारा गठित रिटेल, कृषि तथा लघु उद्योग अग्रिम समिति के सदस्य, भारतीय रिजर्व बैंक, दिल्ली द्वारा गठित एस.एम.ई. पर अधिकारप्राप्त समिति के सदस्य तथा वर्ष 2008-09 के लिए कृषि कारोबार तथा वित्तीय समावेशन पर आई.बी.ए. की समिति के सदस्य के रुप में भी अपनी सेवाएं प्रदान कीं.

   वह कृषि क्षेत्र को ऋण प्रवाह पर आई.बी.ए. की उप समिति के संयोजक थे और भारतीय बैंक संघ ने उनके दृष्टिकोण - पत्र को स्वीकार कर लिया है.

   वर्तमान में वह भारतीय जीवन बीमा निगम के निदेशक मंडल में निदेशक हैं और वित्तीय समावेशन पर समिति के सदस्य भी हैं.

   श्री रावल विज्ञान में ऑनर्स के साथ स्नातक हैं और इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ बैंकर्स के सर्टिफाइड असोसियेट (सी.ए.आई.आई.बी.) हैं.

2. **श्री ए.के.दत्त** की कार्यपालक निदेशक के रुप में नियुक्ति 1 मार्च, 2010 को हुई. देना बैंक में सेवारंभ से पहले श्री दत्त ने 1978 में इलाहाबाद बैंक में अपनी सेवा आरंभ की थी और बाद में क्षेत्र महाप्रबंधक, कोलकाता के पद पर नियुक्त हुए. इलाहाबाद बैंक में अपने कार्यकाल के दौरान श्री दत्त कार्मिक प्रशासन, विभिन्न क्षेत्रीय तथा अंचल कार्यालयों तथा साख विभाग में पदस्थ रहे.

   श्री दत्त ई.एम.सी. लिमिटेड में निदेशक तथा बैंकर्स क्लब, कोलकाता के मानद सचिव भी रहे.

   श्री दत्त विज्ञान में स्नातकोत्तर उपाधि प्राप्त और इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ बैंकर्स के सर्टिफाइड असोसियेट (सी.ए.आई.आई.बी.) हैं. उन्होंने एम. बी.ए. डिग्री तथा कंप्यूटर अपलिकेशन में डिप्लोमा भी प्राप्त किया है. श्री दत्त ने केलोग स्कूल ऑफ मैनेजमैंट, नौर्टवेस्टर्न यूनिवर्सिटी, यू.एस.ए. तथा केंब्रिज यूनिवर्सिटी, यू.के. के सम्मर स्कूल द्वारा आयोजित लीडरशिप डेवलपमेंट फॉर कार्पोरेट एक्सीलेंस पर प्रशिक्षण भी प्राप्त किया है.

3. **डॉ. तरसेम चंद** बैंक के निदेशक मंडल में भारत सरकार का प्रतिनिधित्व करते हैं. वर्तमान में , वे वित्तीय सेवाएं विभाग, भारत सरकार, नई दिल्ली में उप सचिव हैं. वे विज्ञान में स्नातकोत्तर हैं. उनके पास पीएच.डी एवं एलएल.बी. डिग्रियां भी हैं.

1. **Mr. D. L. Rawal** took charge of Dena Bank as Chairman & Managing Director on 1st January, 2009.

   Mr. Rawal's career began from Punjab National Bank. He was instrumental in introducing Rule-Based Lending System for Retail Banking and Agricultural Advances. He has also headed host of subsidiaries of Punjab National Bank in his capacity as Managing Director and Director.

   Mr. Rawal has served as member in Committee of Empowered Group on Regional Rural Banks appointed by RBI, Committee appointed by IBA for deregulation of interest rates on loans upto Rs, 2 lakhs, Task Force to provide Micro-Credit to the Urban Poor set up in the Ministry of Urban Employment & Poverty Alleviation, Committee on Retail, Agriculture & SSI Advances constituted by IBA, Empowered Committee on SMEs constituted by RBI, Delhi and IBA Committee on Agro Business & Financial Inclusion for the year 2008-09.

   He was Convener in IBA Sub-Committee on Flow of Credit to Agriculture Sector and his approach paper has been accepted by IBA.

   Presently he is on the Board of LIC as Director and also a member of Committee on Financial Inclusion.

   Mr. Rawal is a graduate in Science with Hons. and Certified Associate of Indian Institute of Bankers (CAIIB).

2. **Mr. A. K. Dutt** was appointed as Executive Director on 1st March, 2010. Prior to joining the Bank, Mr. Dutt was working at Allahabad Bank since 1978 in various capacities. During his time with Allahabad Bank, Shri Dutt was posted in Personnel Administration, Corporate Office, various Regional and Zonal Offices and General Manager, Credit Dept., Head Office.

   Mr. Dutt was a Director on EMC Ltd. and Hon. Secretary of Banker's Club, Kolkata.

   Mr. Dutt is a Post graduate in Science (Gold Medalist) and a Certified Associate of Indian Institute of Bankers (CAIIB). He also holds MBA Degree and Diploma in Computer Applications. Mr. Dutt has attended Training on Leadership Development for Corporate Excellence organized by Kellog School of Management, Nortwestern University, USA and Summer School at Cambridge University, U.K.

3. **Dr. Tarsem Chand** represents Government of India on the Board of Directors of the Bank. He is presently Deputy Secretary, Department of Financial Services, Government of India, New Delhi. He has Post Graduate degree in Science. He also holds a Ph.D and LL.B. degree.

निदेशकों के विवरण DIRECTORS' PROFILE

डॉ.चंद ने योजना आयोग, खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय तथा दूर संचार विभाग में भी कार्य किया है. उनको भारत सरकार में कार्मिक प्रबंधन, वित्तीय नियंत्रण एवं परियोजना मूल्यांकन क्षेत्रों में लंबा अनुभव है.

Dr. Chand has worked with Planning Commission, Ministry of Food Processing Industries and Department of Telecommunications. He has a vast experience in Government of India in Personnel Management, Finance Control and Project Appraisal Areas.

4. **श्री चंद्र किशोर**, भारतीय रिजर्व बैंक के सेवानिवृत्त मुख्य महाप्रबंधक, भारतीय रिजर्व बैंक की सिफारिश पर भारत सरकार द्वारा निदेशक के रुप में नामित किये गये हैं. उन्होंने कला में स्नातकोत्तर डिग्री तथा एल.एल. बी. डिग्री प्राप्त की हैं. वह मुंबई विश्वविद्यालय से एम.ए.(संस्कृत) तथा इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ बैंकर्स के सर्टिफाइड असोसियेट (सी.ए.आई. आई.बी.) भी हैं.

   श्री किशोर के पास बैंकिंग उद्योग का 40 वर्ष से भी अधिक का अनुभव है और वह भारतीय रिजर्व बैंक के केंद्रीय बोर्ड की लेखा परीक्षा समिति के सदस्य सचिव थे. भारतीय रिजर्व बैंक में अपने सेवाकाल के दौरान वे निजी सेक्टर से विभिन्न बैंकों के बोर्ड में थे. वह पंजाब एवं सिंध बैंक के निदेशक मंडल में निदेशक भी रहे.

4. **Mr. Chandra Kishore**, a retired Chief General Manager from Reserve Bank of India, is nominated as Director by Government of India, on the recommendation of Reserve Bank of India. He has a post graduate degree in Arts and LL.B. degree. He also holds a M.A. (Sanskrit) degree from Mumbai University and a Certified Associate of Indian Institute of Bankers (CAIIB).

   Mr. Kishore has more than 40 years experience in the Banking Industry and he was Member Secretary to Audit Committee of Central Board of Reserve Bank of India. During his time with Reserve Bank of India Mr. Kishore was on the Board of various Private Sector Banks. He was also a Director on the Board of Punjab & Sind Bank.

5. **श्री आई एम. अल्मेडा** सरकार द्वारा नामित अधिकारी कर्मचारी निदेशक के रूप में नियुक्त किये गये.

   वाणिज्यक शास्त्र में स्नातकोत्तर श्री आई एम अलमेयडा 1976 में बैंक में नियुक्त हुए और औद्योगिक वित्त शाखा, आस्ति वसूली शाखा एवं अंतर शाखा समाधान में कार्य करने में उनका लंबा अनुभव है. वर्तमान में, वे अखिल भारतीय देना बैंक अधिकारी संघ, मुंबई यूनिट के महा सचिव हैं और अखिल भारतीय देना बैंक अधिकारी महासंघ के भी महा सचिव हैं. वे अखिल भारतीय बैंक अधिकारी कनफेडरेशन के उप महा सचिव भी हैं और अखिल भारतीय राष्ट्रीयकृत बैंक अधिकारी महासंघ के संयुक्त महा सचिव हैं.

5. **Shri I. M. Almeida** is appointed as Government nominated Officer Employee Director.

   Post graduate in Commerce, Shri I M Almeida joined the Bank in 1976. Currently, he is General Secretary of All India Dena Bank Officers Association, Mumbai Unit and also General Secretary of All India Dena Bank Officers Federation. He is also Deputy General Secretary of All India Bank Officers Confederation and Joint General Secretary of All India Nationalized Bank Officers Federation.

6. **डॉ. कमलेश कुमार गोयल** को भारत सरकार द्वारा अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशक के रुप में नामित किया गया है. डॉ. कमलेश कुमार गोयल, पी.एचडी., एफ.सी.ए., ए.सी.एस., एलएल.बी., इंस्टिट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया के फेलो मेंबर तथा इंस्टिट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया के असोसियेट मेंबर हैं. उनके पास 36 वर्ष से भी अधिक का व्यावसायिक अनुभव है. 1996 से 2000 तक बैंक ऑफ इंडिया के निदेशक के रुप में कार्यकाल के दौरान वह प्रबंधन समिति के सदस्य तथा लेखा परीक्षा समिति के अध्यक्ष भी रहे. बी.आई.एफ.आर. ने उन्हें सिंगर (इंडिया) लिमिटेड का विशेष निदेशक नियुक्त किया है.

   वह अनेक राष्ट्रीय / अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों / सेमिनार में वक्ता भी रहे और विभिन्न विषयों के अनेक लेखों से भी जुड़े रहे. वह इंडिया इंटरनैशनल सेंटर के सदस्य हैं.

6. **Dr. Kamlesh Kumar Goel** is nominated by Government of India as a part-time non-official Director. Dr. Kamlesh Kumar Goel, Ph.D., FCA, ACS, LL.B, is a Fellow Member of the Institute of Chartered Accountants of India and Associate Member of the Institute of Company Secretaries of India. He has professional experience of more than 36 years. During his tenure as Director - Bank of India from 1996 to 2000, he was member of Management Committee and Chairman of the Audit Committee. BIFR has appointed him as a special Director of Singer (India) Ltd.

   He has been a speaker at many national / international conferences/ seminar etc. and is associated with several articles on different subjects / topics and is a member of India International Centre.

7. **पद्मश्री डॉ. प्रीतम सिंह** एक शेयरधारक निदेशक हैं. डॉ.सिंह वाणिज्यक शास्त्र में स्नातकोत्तर हैं, उन्होंने इंडियाना यूनिवर्सिटी , यू.एस.ए. से एम. बी.ए. और प्रबंधन में पीएच.डी. प्राप्त की है.

   डॉ.सिंह प्रबंधन विकास संस्थान (एम डी आई), गुडगांव से प्रबंधन गुरु हैं और उन्होंने देश के लगभग 70 संस्थानों के निदेशक मंडल के सदस्य के

7. **Padma Shri Dr. Pritam Singh** is a Shareholder Director. Dr. Singh has post graduate degree in Commerce, M.B.A. from Indiana University U.S.A. and a Ph.D. in Management.

   Dr. Singh a management guru from Management Development Institute (MDI) Gurgaon, has actively initiated

निदेशकों के विवरण DIRECTORS' PROFILE

रूप में कार्पोरेट जगत में आमूल परिवर्तन प्रक्रिया को सक्रियता से शुरू किया और पूरा किया. वे 7 शैक्षणिक प्रतिष्ठित पुस्तकों एवं 50 अनुसंधान पेपरों के लेखक हैं. देश ने उनकी उत्कृष्ट सेवाओं की मान्यता के रूप में वर्ष 2003 में उनको भारत के राष्ट्रपति ने प्रतिष्ठात्मक "पद्मश्री" पुरस्कार से सम्मानित किया. उनको कई अन्य प्रतिष्ठात्मक प्रबंधन पुरस्कारों से नवाजा गया, उनमें से कुछ प्रमुख पुरस्कार हः एसकॉर्ट अवार्ड (1979 एवं 2002), फोर अवार्ड (1984), उत्कृष्ट अभिप्रेरक आचार्य आई आई एम., बेंगलूर अवार्ड (1993), भारतीय प्रबंधन स्कूलों का उत्कृष्ट निदेशक अवार्ड (1998), मिरबिस मॉस्को ग्लोबल थॉट लीडर अवार्ड 2005, प्रथम ए.आई.एम.ए. केवल नोहरिया अवार्ड - प्रबंधन शिक्षा में शैक्षणिक नेतृत्व.

वर्तमान में, वे भारतीय रिजर्व बैंक, गोदरेज, डिश टीवी, पर्श्वनाथ, आई. आई.एम. कालीकट आदि के निदेशक मंडलों में निदेशक हैं.

and enabled the transformation process in the corporate world as member of the Board of nearly 70 institutions of the country. He is author of seven academically reputed books and over 50 research papers. His distinguished services were acknowledged by the country when President of India conferred on him the prestigious “Padma Shri” in the year 2003. He has also been conferred with many other prestigious management awards notable among these are ESCORT Award (1979 & 2002), FORE Award (1984), Best Motivating Professor IIM Bangalore Award (1993), Best Director Award of Indian Management Schools (1998), Mirbis Moscow Global Thought Leader Award 2005, The First AIMA Kewal Nohria award- Academic Leadership in Management Education.

Presently he is a Director on the Boards of RBI, Godrej, Dish TV, Parshwnath, IIM Kozikhod etc.

8. **डॉ. सुनील गुप्ता** एक शेयरधारक निदेशक ह. वह वाणिज्य शास्त्र में स्नातक हैं और " आंतरिक लेखापरीक्षा प्रणाली" विषय पर उन्होंने डॉक्टरेट किया है.

वे एक व्यावसायिक सनदी लेखाकार हैं और आई.सी.डब्ल्यू.ए. एवं ए.एस.एस.ओ.सी.एच.ए.एम. के फेलो सदस्य हैं.

वे एक सक्रिय सामाजिक कार्यकर्ता, लेखक एवं वक्ता हैं. उनकी रचनाएं पुस्तकों एवं प्रमुख समाचार पत्रों / पत्रिकाओं में लेख के रूप में प्रकाशित हुई हैं. वे राष्ट्र हित के विषयों पर परिचर्चाओं हेतु राष्ट्रीय दूरदर्शन पर दिखाई देते हैं. वे विभिन्न कंपनियों एवं सामाजिक संस्थानों के निदेशक मंडल में हैं.

8. **Dr. Sunil Gupta** is a Shareholder Director. He is a Commerce graduate and has done doctorate on the topic “Study of Internal Audit System”.

He is a Practicing Chartered Accountant and Fellow member of ICWA and ASSOCHAM.

He is an active social worker, writer & orator. His works have been published in the shape of books as well as articles in leading News Papers/ Magazines. He is also on the boards of various companies and social organizations.

9. **श्री रोहित खन्ना** एक शेयरधारक निदेशक हैं. श्री खन्ना दिल्ली विश्वविद्यालय से कॉमर्स में ऑनर्स स्नातक हैं और इन्सिटच्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेट्स ऑफ इंडिया के फेलो सदस्य होने के नाते सनदी लेखाकार हैं. रणनीतिक प्रबंधन, वित्तीय गठन के क्षेत्रों में वे विशेषज्ञ हैं और बैंकिंग वित्त, विधि एवं कार्पोरेट कार्यकलापों में उनको विशेष निपुणता एवं अनुभव प्राप्त है.

वित्त एवं कारोबार, लेखापरीक्षा, परामर्शदाता, विदेशी प्रत्यक्ष निवेश एवं विदेशी सहयोग के क्षेत्रों में उनको 24 वर्ष से अधिक का अनुभव है. वे कई एकाधिकारवत् कंपनियों के निदेशक हैं.

9. **Shri Rohit Khanna** is a Shareholder Director. He is an honours Graduate in Commerce from Delhi University and is a Chartered Accountant being a Fellow member of Institute of Chartered Accountants of India. His expertise lies in the areas of strategy Management, Financial structuring and special skills and experience in Banking, Finance, Law and Corporate affairs.

He has more than 24 years of experience in areas of Finance and Business, Audit, Consultancy, Foreign Direct Investments and Foreign Collaborations. He is a Director of several closely held Companies.

घोषणा-पत्र

स्टॉक एक्सचेंजों के साथ सूचीबद्धता करने संबंधी करार की धारा 49 (I) (डी) के अनुसार अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक की ओर से घोषणा

घोषित किया जाता है कि बैंक के निदेशक मंडल के सदस्यों तथा वरिष्ठ प्रबंधन कार्मिकों ने स्टॉक एक्सचेंजों के साथ सूचीबद्धता करने संबंधी करार के खंड 49 (I) (डी) में विनिर्दिष्ट आचार संहिता के अनुसार 31 मार्च, 2010 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए तदनुसार अनुपालन की पुष्टि कर दी है. उक्त आचार संहिता को बैंक की वेबसाइट पर भी दर्शाया गया है.

कृते देना बैंक

डी.एल. रावल
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

स्थान: मुंबई
दिनांक: 27.04.2010

DECLARATION

Declaration of the Chairman and Managing Director pursuant to Clause 49 (I) (D) of the Listing agreement with Stock Exchanges.

It is to declare that all the Board Members and Senior Management Personnel of the Bank have affirmed their compliance with the Code of Conduct for the Financial Year Ended on 31st March, 2010 in accordance with Clause 49 (I) (D) of the Listing Agreement entered into with the Stock Exchanges. The said Code of Conduct has been posted on the Bank's website.

For Dena Bank

D. L. Rawal
Chairman and Managing Director

Place : Mumbai
Date : 27.04.2010

बैसल - II प्रकटीकरण

भारतीय रिज़र्व बैंक के नये पूंजी पर्याप्तता ढ़ांचे (बेसल II) के अनुसार स्तंभ 3 के अधीन प्रकटीकरण

1. कार्यान्वयन का विषय - क्षेत्र

क) प्रकटीकरण का ढांचा देना बैंक पर लागू होता है.

ख) बैंक की कोई सहायक कंपनी नहीं है.

ग) बैंक का किसी बीमा कंपनी में निवेश नहीं है.

घ) बैंक की निम्नलिखित घरेलू कंपनियों में 20% या उससे अधिक शेयरधारिता है.

क्रम सं. Sl. No.	कंपनी का नाम Name of Entity	स्वामित्व की सीमा Extent of Ownership
1	दुर्ग राजनंदगांव ग्रामीण बैंक Durg Ranjandgaon Gramin Bank	35.00%
2	देना गुजरात ग्रामीण बैंक Dena Gujarat Gramin Bank	35.00%

2. पूंजी ढ़ांचा

क) बैंक की टीयर I पूंजी में इक्विटी पूंजी, नवोन्मेषी स्थायी ऋण लिखत (आई पी डी आई) तथा विभिन्न प्रकार की आरक्षितियां हैं. टीयर II पूंजी में पुन: मूल्यांकन आरक्षित निधियां, सामान्य हानि आरक्षित एवं मानक आस्तियों के लिए प्रावधान, उच्च टीयर II पूंजी और निम्न टीयर II पूंजी शामिल हैं. अप्रतिभूत भुगतान योग्य ऋणों की शर्तें निम्न प्रकार हैं:

उच्च टीयर II पूंजी

श्रृंखला Series	ब्याज दर Interest Rate	परिपक्वता की तारीख Date of Maturity	रकम (रु. करोड़ में) Amount (Rs. in crores)
I	9.20%	30.09.2021	300.00

निम्न टीयर II पूंजी :

श्रृंखला Series	ब्याज दर Interest Rate	परिपक्वता की तारीख Date of Maturity	रकम (रु. करोड़ में) Amount (Rs. in crores)
VII	6.20%	30.04.2013	150.00
VIII	7.30%	30.04.2014	210.00
IX	9.25%	24.05.2018	106.00
X	11.20%	30.04.2019	300.00
XI	9.50%	29.01.2019	200.00

ख) बैंक की टीयर I पूंजी निम्न प्रकार है:

b) The Tier 1 capital of the bank is as under:

	(रुपये करोड़ में) (Rs. in crores)
कुल टीयर I पूंजी Total Tier I Capital	2451.64
उसमें से Out of which	
प्रदत्त पूंजी Paid up capital	286.82
आई पी डी आई IPDI	250.00
पुर्नमूल्यांकन आरक्षित को छोड़कर आरक्षित निधियां Reserves Excluding the Revaluation reserve	2106.23
कुल कटौतियां Total Deductions	**191.41**

ग) बैंक की टीयर II पूंजी की कुल रकम रु. 1385.05 करोड़ (टीयर II पूंजी की निवल रकम) है.

c) The Total amount of Tier 2 capital of the bank (net of deduction from tier 2 capital) is Rs.1385.05 crores.

घ) उच्च टीयर II पूंजी में शामिल करने के लिए ऋण पूंजी लिखत हैं:

d) The debt capital instruments eligible for inclusion in Upper Tier II Capital are

Basel-II Disclosures

Disclosures under Pillar 3 in terms of New Capital Adequacy Framework (Basel II) of Reserve Bank of India

I. Scope of application :

a) The framework of disclosures applies to Dena Bank.

b) Bank has no Subsidiaries.

c) Bank does not have any investment in an insurance entity.

d) Bank is having 20% or more stake in the following domestic entities.

II. Capital structure :

a) The Tier I capital of the Bank consists of equity capital, Innovative Perpetual Debt Instruments (IPDI) and various types of reserves. The tier II capital consists of Revaluation Reserves, General Loss Reserve and Provisions on Standard Assets, Upper Tier II Capital and Lower Tier II capital. The terms of unsecured redeemable debts are as under:

Upper Tier 2 Capital:

Lower Tier 2 Capital:

बैसल - II प्रकटीकरण Basel-II Disclosures

	रु. करोड़ में Rs. in crores
कुल बकाया राशि Total amount outstanding	300.00
वर्तमान वर्ष के दौरान जुटाई गई Of which raised during the current year	शून्य Nil
पूंजी के रुप में गणना के लिए पात्र रकम Amount eligible to be reckoned as capital	300.00

ङ) निम्न टीयर II पूंजी में शामिल करने के लिए पात्र गौण ऋण पूंजी लिखत हैं :

e) Subordinated debt capital instruments eligible for inclusion in Lower Tier II capital are:

	(रु. करोड़ में) (Rs. in crores)
कुल बकाया राशि Total amount outstanding	966.00
वर्तमान वर्ष के दौरान जुटाई गई Of which raised during the current year	Nil
पूंजी के रुप में गणना के लिए पात्र रकम Amount eligible to be reckoned as capital	864.00

च) पूंजी पर्याप्तता की गणना के लिए दो ग्रामीण बैंकों में बैंक की शेयरधारिता के लिए रु.10.86 करोड़ टीयर II पूंजी से घटा दिये गये हैं.

f) For computation of Capital Adequacy, a deduction of Rs.10.86 crores has been made from Tier II Capital towards bank's stake in the 2 Gramin banks.

छ) कुल पात्र पूंजी में शामिल है:

g) The total eligible capital comprises of:

	(रु. करोड़ में) (Rs. in crore)
टीयर I Tier I	2451.64
टीयर II Tier II	1385.05
कुल Total	**3836.69**

3. पूंजी पर्याप्तता :

क. ऋण जोखिम प्रबंधन

बैंक के ऋण जोखिम प्रबंधन के कार्य ऋण जोखिम प्रबंधन पर निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित नीति में परिभाषित प्रक्रियाओं के अनुसार हैं. बैंक की ऋण नीति में ऋण जोखिम प्रबंधन के सिद्धान्तों के आधार पर क्षेत्रीय इकाइयों को परिचालनात्मक दिशा निदेश दिये गये हैं. बैंक ने ऋण रेटिंग, संपार्श्विक प्रबंधन तथा जोखिम घटाने के बारे में भी नीतियां तैयार की हैं. इन नीतियों की वार्षिक आधार पर समीक्षा की जाती है.

बैंक आंतरिक रुप में रु. 10.00 लाख से अधिक के ऋणों के लिए व्यापक ऋण जोखिम रेटिंग प्रणाली का उपयोग कर रहा है. यह प्रणाली प्रति पार्टी विभिन्न जोखिम कारकों के एकल बिन्दु सूचक का कार्य कर रही है और नियमित रुप में ऋणों पर निर्णय लेने में मदद करती है. रेटिंग प्रणाली ऋण जोखिम के 'प्रवेश' एवं 'निकास' विंदु दर्शाती है.

बैंक की एक सुदृढ़ ऋण निगरानी प्रणाली है जो बैंक के ऋणों में आरंभिक चेतावनी संकेतों को प्राप्त करने के लिए तैयार की गई है. कॉर्पोरेट कार्यालय रु. 50 लाख और उससे अधिक के सभी मानक ऋण खातों पर निगरानी रखता है, क्षेत्रीय कार्यालय रु. 10 लाख और उससे अधिक रु. 50 लाख तक के ऋण खातों पर निगरानी रखते हैं और शाखाएं शेष खातों पर निगरानी रखती हैं. इस प्रणाली के द्वारा बाधित खातों की पहचान करने तथा उन पर तुरंत सुधार के उपाय करने में सहायता मिलती है. एक बार किसी भी खाते के बाधित के रुप में पहचान किये जाने पर उस पर निगरानी की मात्रा बढ़ा दी जाती है.

III. Capital Adequacy :

A. Credit Risk management

The credit risk management function of the Bank revolves around the processes defined by a Board approved policy on credit risk management. Loan policy of the Bank provides operational level guidelines to field units based on the principles of credit risk management. The Bank has also formulated policies on Credit Rating, Collaterals Management and Risk Mitigation. These policies are reviewed on annual basis.

The Bank has been using a comprehensive credit risk rating system for all exposures of over Rs. 10 lacs internally that serves as a single point indicator of diverse risk factors of counter-party and for taking credit decisions in a consistent manner. The rating system indicates ‘entry’ and ‘exit’ points for exposures.

The Bank has a well laid down credit monitoring system designed to capture early warning signals in its exposures. While Corporate Office directly monitors all standard exposures of Rs 50 lakh and above, Regional Offices monitor exposures of Rs 10 lakh and above up to Rs. 50 lacs and the rest of the accounts are monitored by the Branches. The system facilitates identification of stressed accounts early and to trigger prompt corrective action. Once an account is identified as stressed account, the level of monitoring is escalated.

बैसल - II प्रकटीकरण

बैंक ऋण रेटिंग अंतरण प्रणाली की वार्षिक आधार पर नियमित रुप में समीक्षा करता है. बैंक एल जी डी (चूक पर हानि) तथा ई ए डी (चूक पर जोखिम) के अनुमान के लिए एक ढांचे का विकास कर रहा है और संचयन जोखिम की पहचान के लिए भी एक ढांचा तैयार कर रहा है.

निदेशक मंडल की समन्वित जोखिम प्रबंधन समिति (आई आर एम सी) ऋण जोखिम प्रबंधन के मामलों में आई आर एम सी / निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित नीतियों और अन्य योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए उच्च स्तरीय ऋण जोखिम प्रबंधन समिति के कार्य पर भी निगरानी रखती है.

बैंक ने रु. 5 करोड़ और उससे अधिक के संबंध में जोखिम प्रबंधन प्रणाली के अभिन्न भाग के रुप में सुपरिभाषित ऋण लेखा परीक्षा प्रणाली (ऋण समीक्षा तंत्र [एल आर एम]) तैयार की है.

स्वीकृतिकर्ता प्राधिकारी द्वारा अंतिम निर्णय लेने से पहले स्वतंत्र जोखिम मूल्यांकन करने के लिए कार्यपालक निदेशक और उससे उच्च प्राधिकारियों के अधिकारों के अंतर्गत आने वाले सभी ऋण प्रस्तावों को ऋण समिति के माध्यम से प्रस्तुत किया जाता है उस समिति में जोखिम प्रबंधन विभाग, ऋण परिचालन विभाग आदि के प्रतिनिधि होते हैं. इसी प्रकार क्षेत्रीय कार्यालय स्तर पर क्षेत्रीय प्रबंधक और उससे उच्च अधिकारियों के अधिकार में आने वाले ऋण प्रस्तावों की संवीक्षा ऋण समिति द्वारा की जाती है जिसमें ऋण, प्राथमिकता क्षेत्र, वसूली, विधि तथा निरीक्षण विभाग के अधिकारी शामिल होते हैं ताकि आस्तियों की बेहतर गुणवत्ता सुनिश्चित की जा सके.

ख. बाजार जोखिम एवं तरलता जोखिम प्रबंधन

बाजार जोखिम एवं तरलता जोखिम का प्रबंधन निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित आस्ति देयता प्रबंधन नीति तथा निवेश नीति के प्रावधानों के अनुसार बैंक के समन्वित राजकोष द्वारा किया जाता है. इन नीतियों में बाजार जोखिम तथा तरलता जोखिम में पहचान, माप, निगरानी और उसे कम करने के लिए प्रावधान दिये गये हैं. इन नीतियों में विभिन्न राजकोष उत्पादों में निहित जोखिमों के बारे में उल्लेख सहित बैंक के लिए विभिन्न जोखिमों के क्षेत्र तथा विभिन्न नियामक एवं आंतरिक सीमायें दी गयी हैं. रेटिंग के परिवर्तन पर नियमित रुप में निगरानी रखी जाती है.

संरचना के रुप में राजकोष में फ्रंट ऑफिस, बैक आफिस और मिड ऑफिस शामिल हैं. मिड ऑफिस के कार्य जोखिम प्रबंधन तथा ए.एल.सी.ओ. के कार्य के साथ जोड़कर उसे स्वतंत्र रखा गया है ताकि जोखिम प्रबंधन प्रणाली में उसकी स्वतंत्रता एवं प्रभाविता सुनिश्चित की जा सके.

निदेशक मंडल, आई. आर. एम. सी. तथा ए. एल. सी. ओ. बैंक के बाजार जोखिम प्रबंधन, उसकी प्रक्रिया, नियामक द्वारा जारी जोखिम प्रबंधन दिशा निदेशों के कार्यान्वयन, वैश्विक रुप में अपनायी जाने वाली उत्तम जोखिम प्रबंधन प्रक्रियाओं के लिए जिम्मेदार है और यह सुनिश्चित करती है कि आंतरिक मानदंड प्रक्रियायें, व्यवहार / नीतियाँ और जोखिम प्रबंधन विवेकपूर्ण सीमाओं का अनुपालन किया जाता है. राजकोष की दिन-प्रतिदिन की गतिविधियों की निवेश एवं मुद्रा बाजार परिचालनों की आंतरिक समिति द्वारा दैनिक आधार पर समीक्षा की जाती है.

बैंक के तरलता जोखिम का निर्धारण विभिन्न समय श्रेणियों में शेष परिपक्वता के आधार पर तथा विभिन्न तरलता अनुपातों के आधार पर परिपक्वता विसंगति के अंतराल विशलेषण के माध्यम से किया जाता है और उसका प्रबंधन उसके लिए निर्धारित विवेकपूर्ण सीमाओं के अंदर किया जाता है.

विभिन्न तरलता वातावरण के अंतर्गत आकस्मिक निधियन योजना तैयार करने के लिए उच्च तकनीक जैसे दबाव जांच, अनुकरण / संवेदनता विश्लेषण आदि नियमित अंतराल पर किये जाते हैं.

Basel-II Disclosures

The Bank is regularly carrying out credit rating migration analysis at annual intervals. The Bank is also developing framework for estimating LGD (Loss Given default) and EAD (Exposure At Default) and also the framework for identifying concentration risk.

The Integrated Risk Management Committee (IRMC) of the Board of Directors oversees the functioning of the high level Credit Risk Management Committee (CRMC), for implementing policies and other strategies approved by IRMC / Board in matters of credit risk management.

As an integral part of Risk Management System, the bank has put in place a well-defined Credit Audit System [Loan Review Mechanism (LRM)], in respect of all exposures of Rs. 5 crores and above.

All loan proposals falling under the powers of Executive Director and above are routed through a Credit Committee consisting of representatives from Risk Management department, Credit Operations department etc. for independent risk assessment before taking a final decision by sanctioning authority. Similarly, at R.O. level, all the loan proposals falling under the powers of the Regional Manager and above are screened by a Credit Committee consisting of officers from Credit, Priority Sector, Recovery, Legal and Inspection functions for ensuring better asset quality.

B. Market Risk and Liquidity Risk Management

The Market Risk and Liquidity Risk are managed by Integrated Treasury of the Bank in line with the provisions of Board approved Asset Liability Management Policy and Investment Policy. These policies provide for identification, measurement, monitoring and mitigation of Market Risk and Liquidity Risk. These policies provide for various regulatory and internal limits besides defining the risk appetite of the Bank including addressing the inherent risk in various treasury products. Migration of ratings is tracked regularly.

Structurally, the treasury comprises of Front Office, Back Office and Mid Office. The function of Mid Office is kept independent by attaching with Risk Management function and ALCO so as to ensure its independence and effectiveness of Risk Management system.

The Board, IRMC & ALCO are responsible for the market risk management of the bank, procedures thereof, implementing risk management guidelines issued by regulator, best risk management practices followed globally and ensuring that internal parameters, procedures, practices / policies and risk management prudential limits are adhered to. Day-to-day activities of treasury are reviewed by In-house Committee on Investment and Money Market Operations on daily basis.

Liquidity risk of the Bank is assessed through gap analysis for maturity mismatch based on residual maturity in different time buckets as well as various liquidity ratios and management of the same is done within the prudential limits fixed thereon.

Advanced techniques such as Stress testing, simulation, sensitivity analysis etc. are conducted on regular intervals to draw the contingency funding plan under different liquidity scenarios.

बैसल - II प्रकटीकरण

ग. परिचालन जोखिम प्रबंधन

बैंक ने अपेक्षित सूचना प्राप्त करने के लिए विस्तृत परिचालन जोखिम ढ़ांचा (ओ. आर. एम) सहित सुपरिभाषित ओ. आर. एम. नीति तथा आवश्यक तंत्र तैयार किया है. परिचालन जोखिम प्रबंधन कार्य का पर्यवेक्षण परिचालन जोखिम समिति द्वारा किया जाता है. बैंक उच्च पद्धतियों ड जैसे स्टेन्डरडाइज्ड अप्रोच तथा एडवान्स्ड मेजरमेंट अप्रोच (ए एम ए) में पहुंचने के लिए उचित मंच विकसित करने की प्रक्रिया में है.

बैंक ऋण के मूल्य में अप्रत्याशित हानियों, कारोबार आदि के जोखिम को पूरा करने के लिए पूंजी रखता है ताकि जमाकर्ताओं तथा सामान्य लेनदारों को ऐसी अनपेक्षित हानियों से बचाया जा सके. बैंक के पास सभी प्रकार के जोखिमों का व्यापक रुप से मूल्यांकन करने और उनको निर्धारित करने तथा उनके समक्ष उपयुक्त पूंजी का आबंटन करने के लिए निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित आंतरिक पूंजी पर्याप्तता निर्धारण कार्रवाई नीति (आई सी ए ए पी) है ताकि नियामक एवं आर्थिक पूंजी दोनों के लिए पूर्णत: समन्वित जोखिम / पूंजी मॉडल तैयार किया जा सके.

नये पूंजी पर्याप्तता ढ़ांचे के अनुसार अनुपालन के लिए बैंक ने ऋण जोखिम के लिये स्टेन्डरडाइज्ड अप्रोच, परिचालन जोखिम के लिए बेसिक इंडिकेटर अप्रोच तथा सी. आर. ए. आर. की गणना के लिए बाजार जोखिम हेतु स्टेन्डरडाइज्ड एवं ड्यूरेशन अप्रोच को अपनाया है.

पूंजी की आवश्यकता नियामक अपेक्षा है, बैंक के क्रियाकलापों विशेषत: आर्थिक एवं बाजार स्थितियों से जोखिम उत्पन्न होते हैं. बैंक की पूंजी की आयोजना इसलिए की जाती है ताकि परिवर्तनशील आर्थिक स्थितियों तथा आर्थिक मंदी के समय में पूंजी की पर्याप्तता सुनिश्चित की जा सके. इस प्रक्रिया में बैंक:

- बैंक की वर्तमान पूंजी आवश्यकता तथा
- भविष्य में प्रक्षेपित आस्ति अधिग्रहण को प्राप्त करने के लिए पूंजी की आवश्यकता की जानकारी प्राप्त करता है.

बैंक अपनी पूंजी आवश्यकता की समीक्षा तथा पूंजी आयोजना 3-5 वर्षों के लिए मध्यम स्तर की योजनाओं के आधार पर करता है और उसकी वार्षिक रुप में समीक्षा करता है. वार्षिक समीक्षा के आधार पर बैंक टीयर । या टीयर ।। की पूंजी बैंक के निदेशक मंडल की अनुमति से जुटाता है. बैंक की पूंजी पर्याप्तता की स्थिति की समीक्षा बैंक के निदेशक मंडल द्वारा तिमाही आधार पर की जाती है.

बैंक की जोखिम भारित आस्तियों (आर डब्ल्यू ए) एवं न्यूनतम पूंजी आवश्यकता तथा वास्तविक पूंजी पर्याप्तता दिनांक 31.03.2010 के अनुसार निम्न प्रकार है:

Basel-II Disclosures

C. Operational Risk Management :

Bank has put in place an elaborate Operational Risk Management Framework with a well-defined ORM Policy and necessary mechanism to capture required information. The Operational Risk Management function is overseen by the Operational Risk Management Committee (ORMC). Bank is also in the process of developing suitable platform for moving on to advanced approaches viz. the Standardised Approach and Advanced Measurement Approach (AMA).

Bank maintains capital to cushion the risk of unexpected losses in value of exposure, businesses etc. so as to protect the depositors and general creditors against such unexpected losses. Bank has a Board approved Internal Capital Adequacy Assessment Process Policy (ICAAP Policy) to comprehensively evaluate and document all risks and substantiate appropriate capital allocation so as to evolve a fully integrated risk/capital model for both regulatory and economic capital.

For compliance with the New Capital Adequacy Framework, the Bank has adopted Standardised approach for Credit Risk, Basic Indicator Approach for Operational Risk and Standardized and Duration Approach for Market Risk for computing CRAR.

The capital requirement is a function of the regulatory requirements, the risks arising from bank's activities mainly due to economic and market conditions. Capital planning of the bank is to ensure the adequacy of capital at the times of changing economic conditions, even at times of economic recession. In this process, the Bank recognizes:

- Current capital requirement of the bank; and
- Capital requirements to sustain projected asset acquisition in near future.

The Bank reviews its capital requirements and capital strategy based on medium range plans for 3-5 years and reviewed annually. On the basis of the annual review, the bank raises capital in Tier-1 or Tier-2 with the approval of Board of Directors of the Bank. The Capital Adequacy position of the bank is reviewed by the Board of the Bank on quarterly basis.

The Bank's Risk Weighted Assets (RWA), Minimum Capital Requirement and Actual Capital Adequacy as on 31.03.2010 are as under:

(i)	**ऋण जोखिम के लिए पूंजी आवश्कता** **Capital requirement for Credit risk**	**(रु. करोड़ में)** **(Rs. in crores)**
	ऋण जोखिम के लिये जोखिम भारित आस्तियां Risk Weight Assets for Credit Risk	25665.88
	प्रतिभूतिकरण जोखिम Securitisation exposures	0.00
(ii)	**निम्न के संबंध में बाजार जोखिम के लिए पूंजी आवश्यकता** **Capital requirement for Market risk in respect of**	
	ब्याज दर जोखिम के लिए जोखिम भारित आस्तियां Risk Weight Assets for Interest Rate Risk	1110.25
	विदेशी मुद्रा जोखिम (स्वर्ण सहित) के लिए जोखिम भारित आस्तियां Risk Weight Assets for Foreign Exchange risk (including gold)	62.50

बैसल - II प्रकटीकरण Basel-II Disclosures

	इक्विटी जोखिम के लिए जोखिम भारित आस्तियां Risk Weight Assets for Equity Risk	233.98
	बाजार जोखिम के लिए न्यूनतम पूंजी आवश्कता Minimum Capital Requirement for Market Risk	1406.73
(iii)	**परिचालन जोखिम के लिए पूंजी आवश्यकता Capital requirement for Operation Risk**	
	बेसिक सूचक अप्रोच के अधीन परिचालन जोखिम के लिए जोखिम भारित आस्तियां Risk Weight Assets for Operational Risk under Basic indicator approach	2073.05
(iv)	**कुल पूंजी एवं सी आर ए आर Total Capital & CRAR**	
	ऋण, बाजार एवं परिचालन जोखिम के लिए न्यूनतम पूंजी आवश्यकता Minimum Capital Requirement for Credit, Market & Operational Risk	2704.30
	वास्तविक स्थिति Actual Position	3836.69
	पात्र टीयर I पूंजी Eligible Tier I Capital	2451.64
	पात्र टीयर II पूंजी Eligible Tier II Capital	1385.05
	कुल पात्र पूंजी Total Eligible Capital	3836.69
	सी आर ए आर CRAR	12.77%
	आर डब्ल्यू ए के अनुपात में टीयर I पूंजी Tier I Capital to RWA	8.16%
	आर डब्ल्यू ए के अनुपात में टीयर II पूंजी Tier II Capital to RWA	4.61%

4. ऋण जोखिम के संबंध में सामान्य प्रकटन

क. बैंक की ऋण आस्तियों के वर्गीकरण के लिए बैंक की नीति निम्न प्रकार है:

गैर निष्पादक आस्तियां (एन पी ए): गैर निष्पादक आस्ति (एन पी ए) वह ऋण या अग्रिम है जिसमें :

1. किसी आवधिक ऋण के मामले में ब्याज और / या मूलधन की किस्त 90 दिन से अधिक अवधि तक बकाया रहती है,

2. किसी ओवरड्राफ्ट / नकद ऋण (ओ डी / सी सी) के मामले में खाता "अनियमित" बना रहता है,

3. खरीदे और भुनाये गये बिलों के मामले में बिल 90 दिन से अधिक अवधि के लिए अतिदेय रहता है,

4. अल्पावधि फसलों के लिए मूलधन की किस्त या उस पर ब्याज दो फसल मौसम तक अतिदेय रहता है,

5. दीर्घावधि फसलों के लिए मूलधन की किस्त या उस पर ब्याज एक फसल मौसम के लिए अतिदेय रहता है.

कोई भी ओ.डी. / सी.सी. खाता जिसमें बकाया राशि स्वीकृत सीमा / आहरण अधिकार से निरंतर अधिक रहती है उसे "अनियमित खाता" माना जाता है. ऐसे मामलों में जहां मूल परिचालन खाते में बकाया राशि स्वीकृत सीमा / आहरण अधिकार से कम है, लेकिन तुलन पत्र की तारीख को लगातार 90 दिन की अवधि तक कोई भी राशि जमा नहीं की गई हो या उस अवधि के लिए नामें डाली गई ब्याज की रकम के भुगतान के लिए जमा की गई राशि पर्याप्त न हो तो वह खाते अनियमित माने जाते हैं. किसी भी ऋण सुविधा में बैंक को देय कोई भी राशि "अतिदेय" हो जाती है यदि उसका भुगतान बैंक द्वारा निर्धारित तिथि को न किया जाय. बैंक की गैर निष्पादक आस्तियों को आगे निम्नानुसार तीन श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है:

IV. General disclosures in respect of Credit Risk :

a. The policy of the Bank for classifying bank's loan assets is as under:

NON-PERFORMING ASSETS (NPA): A non-performing asset (NPA) is a loan or an advance where:

1. interest and/or installment of principal remain overdue for a period of more than 90 days in respect of a term loan,

2. the account remains 'out of order' in respect of an Overdraft/ Cash Credit (OD/CC),

3. the bill remains overdue for a period of more than 90 days in the case of bills purchased and discounted,

4. the instalment of principal or interest thereon remains overdue for two crop seasons for short duration crops,

5. the instalment of principal or interest thereon remains overdue for one crop season for long duration crops.

An OD/CC account is treated as 'out of order' if the outstanding balance remains continuously in excess of the sanctioned limit/ drawing power. In cases where the outstanding balance in the principal operating account is less than the sanctioned limit/ drawing power, but there are no credits continuously for 90 days as on the date of Balance Sheet or credits are not enough to cover the interest debited during the same period, these accounts are treated as 'out of order'. An amount due to the bank under any credit facility is 'overdue' if it is not paid on the due date fixed by the bank. Non Performing Assets of the Bank are further classified into three categories as under:

बैसल - II प्रकटीकरण

उप मानक आस्तियां

उप मानक आस्ति उसे माना जाता है जो कि 12 महीने या उससे कम अवधि तक एन. पी. ए. रहा हो. वसूली के सभी उपाय उप मानक खातों पर भी लागू होते हैं. यदि संपूर्ण बकाया राशि की नकद वसूली की जाती है तो उस खाते का मानक श्रेणी में तुरंत उन्नयन किया जा सकता है. इसी प्रकार यदि किसी खाते को तकनीकी कारणों से एन. पी.ए. के रुप में वर्गीकृत किया गया है तो तकनीकी कारण का समाधान होने पर खाते का उन्नयन किया जायेगा.

संदिग्ध आस्तियां

यदि कोई खाता 12 महीने की अवधि तक उप मानक श्रेणी में रहता है तो उसे संदिग्ध के रुप में वर्गीकृत किया जाएगा. खातों के संबंध में जहां उपलब्ध प्रतिभूति का मूल्य बकाया राशि के 50 प्रतिशत से कम हो तो उन खातों को भी संदिग्ध के रुप में वर्गीकृत किया जायेगा. जिन उप मानक और संदिग्ध खातों का पुन: निर्धारण किया जाता है उनके ब्याज या मूलधन, जो भी पहले देय हो, के देय होने के बाद, प्रथम भुगतान की तारीख से 1 वर्ष की अवधि के बाद मानक श्रेणी में उन्नयन किया जा सकता है, बशर्ते कि उस अवधि के दौरान उसका निष्पादन संतोषजनक रहा हो.

हानि आस्तियां

हानि आस्तियां वे आस्तियां हैं जिनमें बैंक द्वारा या आंतरिक या बाहरी लेखा परीक्षकों द्वारा या भारतीय रिज़र्व बैंक निरीक्षण द्वारा हानि निर्धारित की गई हो. हानि आस्तियों के मामले में उपलब्ध प्रतिभूति का वसूली योग्य मूल्य बकाया / बैंक को देय राशि के 10 प्रतिशत से अधिक नही हो. चूंकि प्रतिभूति की सुरक्षा उपलब्ध नही होगी, पुननिर्धारण / पुनर्वास पर विचार हर संभव सावधानी से किया जाना चाहिए.

ख. कार्य योजनाएं एवं कार्यवाहियां

ऋण जोखिम प्रबंधन के महत्वपूर्ण क्षेत्रों के लिए बैंक की निम्नानुसार सुपरिभाषित ऋण नीति, रिटेल उधार नीति, एस एम ई नीति, ऋण वसूली नीति और निवेश नीति हैं:

- अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों के लिए, विभिन्न प्रकार के उधारकर्ताओं और उनके ग्रुप और उद्योग के लिए ऋण सीमाएं.
- ऋण प्रदान करने में उचित व्यवहार कोड.
- बैंक के विभिन्न स्तर के प्राधिकारियों के लिए ऋण स्वीकृत करने के विवेकाधिकार.
- ऋण प्रदान करने में शामिल कार्यवाही हैं – स्वीकृति पूर्व निरीक्षण, अस्वीकृति, मूल्यांकन, स्वीकृति, दस्तावेज तैयार करना, निगरानी और वसूली.
- दर निर्धारित करना.

ग. ऋण जोखिम सिद्धांत, संरचना एवं बैंक की प्रणालियां निम्न प्रकार हैं:

ऋण जोखिम सिद्धांत:

- आस्ति देयता प्रबंधन (ए एल एम) की आवश्यकता के अनुसार संशाधनों का लाभदायी नियोजन.
- विद्यमान ग्राहकों की उपयुक्त ऋण आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए ऋण मूल्यांकन और निगरानी मानदंडों में सामान्य दृष्टिकोण अपनाना और शीघ्र ऋण निर्णय लेने के अलावा नये ग्राहक जोड़कर ग्राहक आधार बढ़ाना.

Basel-II Disclosures

Sub standard Assets:

A sub-standard asset would be one, which has remained NPA for a period less than or equal to 12 months. All the recovery measures are relevant in sub-standard assets also. If the entire overdues are recovered by way of cash recovery, the account can be upgraded to standard category immediately. Similarly, if an account is classified as NPA due to technical reasons, the account shall be upgraded on clearance of technical reasons.

Doubtful Assets:

An asset would be classified as doubtful if it remained in the sub-standard category for 12 months. In case of accounts, where the realizable value of security available is less than 50% of the balance outstanding / dues, these accounts would also be classified as Doubtful. Sub-standard and Doubtful accounts, which are subjected to restructuring/ rescheduling, can be upgraded to standard category only after a period of one year after the date when first payment of interest or of principal, whichever is earlier, falls due, subject to satisfactory performance during the period.

Loss Assets:

A loss asset is one where loss has been identified by the bank or internal or external auditors or the RBI inspection. In Loss assets, realizable value of security available is not more than 10% of balance outstanding/ dues. Since security back up will not be available, the restructuring/ rehabilitation, if required, should be considered with utmost care.

b. Strategies and Processes:

The bank has a well defined Loan Policy, Retail Lending Policy, SME Policy, Loan Recovery Policy and Investment Policy covering the important areas of credit risk management as under:

- Exposure ceilings to different sectors of the economy, different types of borrowers and their group and Industry.
- Fair Practice Code in dispensation of credit.
- Discretionary Lending Powers for different levels of authority of the bank.
- Processes involved in dispensation of credit – pre sanction inspection, rejection, appraisal, sanction, documentation, monitoring, and recovery.
- Fixation of pricing.

c. The Credit Risk philosophy, architecture and systems of the bank are as under:

Credit Risk Philosophy:

- Profitable deployment of resources in line with Asset Liability Management (ALM) requirements.
- To aim at a common approach in credit appraisal and monitoring standards to meet genuine credit needs of existing clients and to enlarge client base through client acquisition besides facilitating quick and prompt credit decisions.

बैसल - II प्रकटीकरण

- ऋण संविभाग के निष्पादन की निगरानी के लिए समान ऋण मूल्यांकन प्रणाली और प्रक्रिया मानक स्थापित करना और गैर निधि जोखिमों से आय में वृद्धि हेतु दिशा निदेश जारी करना.
- ऋण सुपुर्दगी प्रणाली को मजबूत करना तथा सामाजिक आर्थिक दायित्वों, लाभ प्रदता, आस्ति क्षति के पूर्व अनुभव और रिटेल बैंकिंग पर बृहत ध्यान देकर ऋण के सेक्टर स्पष्ट रुप से निर्धारित करना.
- ऋण संकेद्रण के मामलों पर ध्यान देना और विवेकपूर्ण ऋण जोखिम मानदंड निर्धारित करना.
- आस्तियों की उपयुक्त वृद्धि के लिये सुविविधता वाला ऋण संविभाग बनाना.
- जोखिम पहचान, माप, निगरानी एवं निवारण के लिए मानदंडों के साथ ऋण जोखिम प्रबंधन प्रणाली स्थापित करना.
- ऋण समीक्षा तंत्र उपलब्ध कराना.
- जोखिम आधारित ऋण मूल्य निर्धारण नीति स्थापित करना.
- पूर्ण सूचना के साथ ऋण संबंधी निर्णय लेने के लिए सूचना उपलब्ध कराना और ऋण मूल्यांकन और निगरानी के बारे में क्षेत्र में कार्यरत कर्मचारियों को उपयुक्त प्रशिक्षण प्रदान करवाना.
- सभी स्तरों पर विवेकाधिकारी प्राधिकारियों को पर्याप्त अधिकार देना.

बैंक की संरचना और प्रणाली

- बैंक में जोखिम प्रबंधन के बारे में विशिष्ट रुप से पर्यवेक्षण और समन्वय के लिए निदेशक मंडल द्वारा निदेशकों की एक उप-समिति गठित की गई है.
- विभिन्न ऋण जोखिम योजनाएं तैयार करने और कार्यान्वित करने के लिए ऋण जोखिम प्रबंधन समिति गठित की गई है जिसके कार्यो में उधार नीति तैयार करना तथा उद्यमों में बैंक के जोखिम प्रबंधन कार्य की निगरानी करना भी शामिल है.
- ऋण प्रस्तावों, वित्तीय संविदाओं, रेटिंग मानकों और बेंच मानकों के लिए मानकों की नीतियां तैयार करना.
- ऋण जोखिम प्रबंधन कक्ष निर्धारित सीमा तक ऋण जोखिम की पहचान, माप, निगरानी और नियंत्रण का कार्य करते हैं.
- निदेशक मंडल / नियामक आदि द्वारा निर्धारित जोखिम मानदंडों एवं विवेकपूर्ण सीमाओं का प्रवर्तन और अनुपालन.
- जोखिम निर्धारण प्रणाली तैयार करना, प्रबंधन सूचना प्रणाली का विकास करना, ऋण संविभाग की गुणवत्ता की निगरानी, समस्याओं का पता लगाना और कमियों को ठीक करना.
- संविभाग का मूल्यांकन, अर्थव्यवस्था, उद्योग पर व्यापक अध्ययन करना, ऋण संविभाग पर उसके प्रभाव की जांच कराना.
- निर्धारित मानदंडों और दिशा निदेशों के पूर्ण अनुपालन के फलस्वरुप ऋण सुपुर्दगी प्रणाली में सुधार.

घ. जोखिम सूचना का कार्यक्षेत्र एवं प्रकृति / माप प्रणाली

बैंक ने अपने ऋण जोखिमों के लिए संतुलित ऋण जोखिम रेटिंग प्रणाली तैयार की है. ऋण जोखिम को कम करने के लिए एक प्रभावी उपाय यह है कि किसी विशेष आस्ति में संभावित जोखिम की पहचान की जाये. एक सुदृढ़ आस्ति की

Basel-II Disclosures

- To set up standard and uniform credit evaluation system and procedures to monitor portfolio performance and set up guideposts to augment income from non-fund exposures.
- Strengthen the credit delivery system and to clearly lay down the preferred deployment area of credit, keeping in view the socio-economic obligations, profitability, past experience of asset impairment and with greater focus on retail banking.
- To address issues of credit concentration and to set up prudential credit exposure norms.
- To build and maintain a well diversified portfolio for an orderly asset growth.
- To set up a Credit Risk Management System with parameters for risk identification, measurement, monitoring and mitigation.
- To provide for Loan Review Mechanism.
- To set up a risk based Loan Pricing Policy.
- To provide for dissemination of information to enable informed credit decision-making at all levels and to facilitate proper training of field staff on credit appraisal and monitoring.
- To provide for adequate delegation of discretionary authority at all levels.

Architecture and Systems of the Bank:

- A Sub-Committee of Directors has been constituted by the Board to specifically oversee and co-ordinate Risk Management functions in the Bank.
- Credit Risk Management Committee has been set up to formulate and implement various credit risk strategy including lending policies and to monitor Bank's Enterprise-wide Risk Management function on a regular basis.
- Formulating of policies on standards for credit proposals, financial covenants, rating standards and benchmarks.
- Credit Risk Management cells deal with identification, measurement, monitoring and controlling credit risk within the prescribed limits.
- Enforcement and compliance of the risk parameters and prudential limits set by the Board/regulator etc.
- Laying down risk assessment systems, developing MIS, and monitoring quality of loan portfolio, identification of problems, and correction of deficiencies.
- Evaluation of Portfolio, conducting comprehensive studies on economy, industry, test the resilience on the loan portfolio etc.
- Improving credit delivery system upon full compliance of laid down norms and guidelines.

d. The Scope and Nature of Risk Reporting and/or Measurement System:

The Bank has in place a robust credit risk rating system for its credit exposures. An effective way to mitigate credit risks is to identify potential risks in a particular asset, maintain a healthy asset quality

बैसल - II प्रकटीकरण

गुणवत्ता बनायी रखी जाये और उसके साथ ही आस्ति की कीमत निर्धारण में लोच रखी जाय ताकि बैंक की समग्र योजना और ऋण नीति के अनुसार जोखिम लाभ मापदंडों की अपेक्षाएं पूरी की जायें.

बैंक की सुदृढ़ रेटिंग प्रणाली आंतरिक रूप में विकसित की गई है और अपनी ऋण आस्तियों में चूक की संभावनाओं के निर्धारण में बैंक की सहायता के लिए तैयार की गई है और इस प्रकार अपनी आस्ति गुणवत्ता बनाए रखने के लिए प्रणाली तैयार करने और उपाय आरंभ करने में सहायता करती है.

ङ ऋण जोखिम के परिमाणात्मक प्रकटन निम्न प्रकार हैं :

Basel-II Disclosures

and at the same time impart flexibility in pricing assets to meet the required risk-return parameters as per the bank's overall strategy and credit policy.

The bank's robust credit risk rating system is developed in-house and is designed to assist the bank in determining the Probability of Default and the severity of default, among its loan assets and thus allow the bank to build systems and initiate measures to maintain its asset quality.

e. The Quantitative Disclosures in respect of Credit Risk are as under:

(रू.करोड में)
(Rs. in crores)

क्र.सं. S. No.		निधि आधारित बकाया + निवेश Fund Based Outstanding + Investment
(i)	कुल ऋण (निवल प्रावधान) Total credit (Net of provision)	35462.44
(ii)	अग्रिमों का भौगोलिक वितरण Geographic Distribution of Advances	
	➢ **विदेशी Overseas**	0.00
	➢ **देशी Domestic**	35462.44
(iii)	**धरेलू ऋणों का उद्योगवार वितरण. Industry type distribution of domestic exposures**	
	खनन और उत्खनन (कोयला सहित) MINING & QUARRYING (INCL. Coal)	14.28
	लोहा एवं इस्पात IRON & STEEL	1401.06
	अन्य धातुएं एवं धातु उत्पाद OTHER METALS & METAL PRODUCTS	108.45
	सभी इंजिनीयरिंग ALL ENGINEERING	820.49
	रूई वस्त्रउद्योग COTTON TEXTILE	408.16
	जूट वस्त्रउद्योग JUTE TEXTILE	2.46
	अन्य वस्त्रउद्योग OTHER TEXTILES	695.31
	चीनी SUGAR	10.87
	चाय TEA	0.54
	खाद्य संसाधन FOOD PROCESSING	315.52
	खाद्य तेल (वनस्पति सहित) VEGATABLE OILS (INCL. VANASPATI)	183.52
	कागज एवं कागज उत्पाद PAPER & PAPER PRODUCTS	177.37
	रबड, प्लास्टिक उत्पाद RUBBER, PLASTIC & PRODUCTS	262.55
	रसायन, रंग सामग्री, पेंट एवं औषधीय जिसमें से CHEMICALS, DYES, PAINTS & PHARMACEUTICALS of which:	975.64
	➢ **खाद FERTILIZERS**	95.34
	➢ **पेट्रो-रसायन PETRO-CHEMICALS**	412.47
	➢ **औषध एवं फार्मस्यूटिकल्स DRUGS & PHARMACEUTICALS**	343.65
	सीमेंट CEMENT	522.63
	लेदर एवं लेदर उत्पाद LEATHER & LEATHER PRODUCTS	150.00
	जेम एवं ज्वेल्लरी GEMS & JEWELLERY	604.67
	निर्माण CONSTRUCTION	155.61
	पेट्रोलियम, कोयला उत्पाद एवं परमाणु ईंधन PETROLEUM, COAL PRODUCTS AND NUCLEAR FUELS	22.97

बैसल - II प्रकटीकरण Basel-II Disclosures

क्र.सं. S. No.		निधि आधारित बकाया + निवेश Fund Based Outstanding + Investment
	वाहन, वाहन पुर्जे एवं परिवहन उपकरण VEHICLES, VEHICLES PARTS & TRANSPORT EQUIPMENTS	190.70
	कंप्यूटर सॉफ्टवेयर COMPUTER SOFTWARE	4.50
	बुनियादी सुविधाओं के लिए, जिनमें से INFRASTRUCTURE of which:	9206.06
	➢ **विद्युत POWER**	5676.29
	➢ **दूर संचार TELECOMMUNICATIONS**	1218.13
	➢ **रोड एवं पोर्ट ROADS AND PORTS**	523.99
	➢ **अन्य बुनियादी सुविधाएं OTHER INFRASTRUCTURE**	1787.65
	एन.बी.एफ.सी.एस NBFCS	2761.75
	ट्रेडिंग TRADING	925.02
	पेय एवं तम्बाकू BEVERAGE AND TOBACCO	8.27
	लकडी एवं लकडी उत्पाद WOOD AND WOOD PRODUCTS	42.80
	अन्य उद्योग OTHER INDUSTRIES	859.90

विद्युत क्षेत्र को दिया गया कुल ऋण रू.5676.29 करोड़ है जो कुल ऋण का 16.01% है तथा 'अन्य बुनियादी सुविधाओं' को दिया गया ऋण रू.1787.65 करोड़ है जो कुल ऋण का 5.04% है.

Total credit exposure to Power sector is Rs.5676.29 crores which constituted 16.01% of total credit and to 'other infrastructure' is Rs.1787.65 crore which constituted 5.04% of total credit

च. गैर-निष्पादक अग्रिम एवं निवेश के संबंध में प्रकटन :

f. Disclosure in respect of Non-performing Advances and Investments:

(क) कुल एन.पी.ए:

(a) Gross NPA

श्रेणी Category	रू. करोड़ में (Rs. in crores)
उप मानक Sub-Standard	319.72
संदिग्ध - 1 Doubtful - 1	131.75
संदिग्ध - 2 Doubtful - 2	81.75
संदिग्ध - 3 Doubtful - 3	40.32
हानि Loss	68.45
कुल एन.पी.ए Total NPA	**641.99**

(ख) निवल एन.पी.ए की रकम रू.427.53 करोड़ है.

(b) The amount of net NPA is Rs.427.53 crores.

(ग) एन.पी.ए अनुपात निम्न प्रकार है :

(c) The NPA ratios are as under:

- सकल अग्रिमों में सकल एन.पी.ए Gross NPAs to Gross Advances - 1.80%
- निवल अग्रिमों में निवल एन.पी.ए Net NPAs to Net Advances - 1.21%

(घ) कुल एन.पी.ए में उतार चढाव निम्न प्रकार हैं:

(d) The movement of gross NPAs is as under:

क्रम सं. Sl. No.	विवरण Particulars	रू. करोड़ में Rs. in crore
(i)	वर्ष के आरंभ में अथ शेष Opening Balance at the beginning of the year	620.77
(ii)	वर्ष के दौरान वृद्धि Addition during the year	629.93
(iii)	वर्ष के दौरान घटा Reduction during the year	608.71
(iv)	वर्ष के अंत में इति शेष Closing Balance as at the end of the year (i + ii - iii)	641.99

बैसल - II प्रकटीकरण Basel-II Disclosures

(ङ) एन.पी.ए. के प्रावधान में उतार चढाव इस प्रकार है:

(e) The movement of provision for NPA is as under:

क्रम सं. Sl. No.	विवरण Particulars	रू.करोड़ में Rs. in crore
(i)	वर्ष के आरंभ में अथ शेष Opening Balance at the beginning of the year	292.25
(ii)	वर्ष के दौरान किए गए प्रावधान Provision made during the year	97.79
(iii)	वर्ष के दौरान डाले गए बट्टे खाते. Write-off made during the year	184.86
(iv)	वर्ष के दौरान वापस लिए गए अधिक प्रावधान Write-back of excess provisions made during the year	0.00
(v)	वर्ष के अंत में इति शेष Closing Balance as at the end of the year (i+ii-iii-iv)	205.18

(च) गैर निष्पादक निवेशों की रकम रू.11.39 करोड़ है.

(g) The amount of non-performing investments is Rs.11.39 crores.

(छ) गैर निष्पादक निवेशों के लिए किए गए प्रावधानों की रकम रू.11.39 करोड़ है.

(h) The amount of provisions held for non-performing investments is Rs.11.39 crores.

(ज) निवेशों पर मूल्यह्रास के लिए प्रावधानों में उतार चढाव इस प्रकार है :

(i) The movement of provisions for depreciation on investments is as under:

क्रम सं. Sl. No.	विवरण Particulars	रू. करोड़ में Rs. in crores
(i)	वर्ष के आरंभ में अथ शेष Opening Balance at the beginning of the year	65.24
(ii)	वर्ष के दौरान किए गए प्रावधान Provision made during the year	26.11
(iii)	वर्ष के दौरान डाले गए बट्टे खाते Write-off made during the year	0.00
(iv)	एच टी एम में अंतरित ए एफ एस / एच एफ टी के अंतर्गत निवेश का बही मूल्य घटाकर समायोजित मूल्यह्रास. Depreciation adjusted by reducing book value of Investment under AFS/ HFT category shifted to HTM	25.44
(v)	वर्ष के अंत में इति शेष Closing Balance as at the end of the year (i+ii-iii-iv)	65.91

5. ऋण जोखिम : स्टेंडर्डाइस्ड अप्रोच के अनुसार संविभाग का प्रकटन :

स्टेंडर्डाइस्ड अप्रोच के अंतर्गत बैंक, घरेलू ऋण देने के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा अनुमोदित ई.सी.ए.आई. (विदेशी ऋण निर्धारण संस्थान) जैसे सी.ए.आर. ई, सी.आर.आई.एस.आई.एल, फिट्च एवं आई.सी.आर.ए. की रेटिंग स्वीकार करता है. विदेशी ऋणों के लिए बैंक स्टेडर्ड एण्ड पुअर, मूडी एवं फिट्स की रेटिंग स्वीकार करता है.

बैंक बडे कॉर्पोरेट उधारकर्ताओं को ई.सी.ए.आई. से रेटिंग प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित करता है तथा जहां कहीं वे रेटिंग उपलब्ध हैं उनका उपयोग जोखिम वाली आस्तियों की रेटिंग के लिए करता है.

स्टेंडर्डाइस्ड अप्रोच के अनुसार जोखिम कम करने के बाद जोखिम धारित आस्तियां निम्नलिखित प्रमुख तीन जोखिम श्रेणियों में निम्न अनुसार हैं:

V. Credit risk: Disclosures for portfolios subject to the standardised Approach:

Under Standardized Approach, the bank accepts rating of all RBI recognised ECAIs (External Credit Assessment Institution) namely CARE, CRISIL, Fitch, and ICRA for domestic credit exposures. For overseas credit exposures the bank accepts rating of Standard and Poor, Moody's and Fitch.

The bank encourages large corporate borrowers to solicit ratings from ECAI and has used these ratings for calculating risk weighted assets wherever such ratings are available.

The risk weighted assets after risk mitigation subject to Standardized Approach (rated and unrated) in the following three major risk buckets are as under:

(i) निधि आधारित ऋण (रुपये करोड़ में) (i) Fund based exposures: (Rs. in crores)

	ऋण राशि Exposures	जोखिम वाली आस्तियां Risk weighted Assets
100% से कम At below 100%	22347.93	8628.21
100% की दर पर At 100%	11440.18	11440.18
100% से अधिक At more than 100%	1221.57	1731.44

बैसल - II प्रकटीकरण Basel-II Disclosures

(ii) गैर निधि आधारित ऋण जिसमें अनाहरित / अप्रयुक्त सीमाएं भी शामिल हैं: (रु. करोड़ में)
(ii) Non-fund based exposures including undrawn/unutilized limits: (Rs.in Crore)

	ऋण राशि Exposures	जोखिम वाली आस्तियां Risk weighted Assets
100% से कम At below 100%	6501.82	919.44
100% की दर पर At 100%	6565.16	1889
100% से अधिक At more than 100%	897.26	681.64

6. ऋण जोखिम घटाना :

बैंक अपने उधारकर्ताओं को दिए गए ऋणों (निधि आधारित एवं गैर-निधि आधारित) की सुरक्षा के लिए विभिन्न प्रकार की प्रतिभूतियां (जिसे संपार्श्विक प्रतिभूति भी कहा जा सकता है) प्राप्त करता है. सामान्यत: निम्नप्रकार की प्रतिभूतियां (चाहे वह प्राथमिक प्रतिभूति हो या सपार्श्विक प्रतिभूति) ली जाती हैं :

1. चल आस्तियां जैसे स्टॉक, चल मशीनरी आदि
2. अचल आस्तियां जैसे भूमि, भवन, प्लांट एवं मशीनरी
3. बैंक की अपनी जमा राशियां
4. एन.एस.सी, आई.वी.पी., के.वी.पी., सरकारी बांड, भारतीय रिजर्व बैंक के बांड, जीवन बीमा निगम की पॉलिसियां आदि
5. गैर निधि आधारित सुविधाओं पर नकद मार्जिन
6. स्वर्ण आभूषण
7. अनुमोदित सूची के अनुसार शेयर

बैंक को प्रभारित प्रतिभूतियों के मूल्यांकन के लिए बैंक के पास सुनिर्धारित पॉलिसी है.

ऋण जोखिम घटाने के लिए बैंक ने उपर्युक्त क्रम. सं. 3 से 6 में उल्लिखित प्रतिभूतियों का उपयोग किया है.

बैंक के ऋण जोखिम पर मुख्य प्रकार के गारंटर इस प्रकार हैं:

- व्यक्ति (व्यक्तिगत गारंटी)
- कॉर्पोरेट
- केंद्र सरकार
- राज्य सरकार
- ई.सी.जी.सी.
- सी.जी.एफ.टी.एस

सी.आर.एम. संपार्श्विक प्रतिभूतियां अधिकांशत: बैंक की अपनी जमाओं पर तथा सरकारी प्रतिभूतियों, जीवन बीमा निगम पॉलिसी पर ऋणों के लिए उपलब्ध हैं. सी.आर.एम प्रतिभूतियां गैर निधि आधारित सुविधाओं जैसे गारंटियों एवं साख पत्रों के लिए भी ली जाती हैं.

बैंक के ऋणों के लिए सी.आर.एम के रूप में पात्र गारंटीकर्ता (बेसल II) के अनुसार मुख्य रूप से केंद्र/राज्य सरकार, ई.सी.जी.सी., सी.जी.एफ.टी.एस हैं.

दिनांक 31.03.2010 को बकाया ऋणों में से कटौती के लिए पात्र कुल अस्थिरता समायोजित ऋण जोखिम मिटिगंट रू.2394.71 करोड हैं.

VI. Credit Risk Mitigation :

Bank obtains various types of securities (which may also be termed as collaterals) to secure the exposures (Fund based as well as non-fund based) on its borrowers. Generally following types of securities (whether as primary securities or collateral securities) are taken:

1. Movable assets like stocks, movable machinery etc.
2. Immoveable assets like land, building, plant and machinery
3. Bank's own deposits
4. NSCs, IVPs, KVPs, Govt. Bonds, RBI Bonds, LIC policies, etc.
5. Cash Margin against Non-fund based facilities
6. Gold Jewellery
7. Shares as per approved list

The Bank has well-laid out policy on valuation of securities charged to the bank.

The Bank has applied securities mentioned at Sr. No. 3 to 6 above as Credit Risk Mitigants.

The main types of guarantors against the credit risk of the bank are:

- Individuals (Personal guarantees)
- Corporate
- Central Government
- State Government
- ECGC
- CGFTS

CRM collaterals are mostly available in Loans Against Bank's Own Deposit and Loans against Government Securities, LIC Policies/. CRM securities are also taken in non fund based facilities like Guarantees and Letters of Credit.

Eligible guarantors (as per Basel II) available as CRM in respect of Bank's exposures are mainly Central/ State Government, ECGC, CGFTS.

The total volatility adjusted Credit Risk Mitigants eligible for deduction from the outstanding exposures as on 31.03.2010 are Rs. 2394.71 crores.

बैसल - II प्रकटीकरण

7. प्रतिभूतिकरण :

दिनांक 31 मार्च, 2010 को बैंक के पास अपनी आस्तियों के प्रतिभूतिकरण का कोई मामला नहीं है.

8. व्यापार बही में बाजार जोखिम

बैंक, बाजार जोखिम को बाजार कीमत में हो रही प्रतिकूल गतिविधियों से होनेवाली संभाव्य हानि के रूप में परिभाषित करता है. निम्नलिखित जोखिमों को बाजार जोखिम के रूप में निर्धारित किया गया है:

- ब्याज दर जोखिम
- मुद्रा जोखिम
- कीमत जोखिम

जोखिम प्रबंधन के लिए, बैंक के निदेशक मंडल ने विभिन्न सीमाएं जैसे कुल निपटान सीमाएं, हानि रोकने की सीमा तथा जोखिम मूल्य सीमाएं निर्धारित की हैं. जोखिम सीमाएं, खुले बाजार की स्थितियों के जोखिमों का नियंत्रण करता है. ऋण हानि रोकने की सीमा, हुई एवं होनेवाली हानियों को भी शामिल करता है. बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिदेशों के अनुसार ट्रेडिंग पोर्टफोलियो हेतु बाजार जोखिम पर पूंजी प्रभार के परिकलन के लिए स्टेंडर्डाइस्ड ड्यूरेशन अप्रोच नामक उचित प्रणाली अपनायी है. इस प्रकार परिकलित पूंजी प्रभार को जोखिम वाली आस्तियों में अंतरित किया जाता है. सी.आर.ए.आर. की गणना के लिए ऋण जोखिम के लिए कुल जोखिम वाली आस्तियों, बाजार जोखिम तथा परिचालन जोखिम पर विचार किया जाता है.

दिनांक 31 मार्च, 2010 को बाजार जोखिम (स्टेंडर्डाइस्ड ड्यूरेशन अप्रोच के अनुसार) पर पूंजी प्रभार निम्न प्रकार है :

Basel-II Disclosures

VII. Securitisation :

The Bank does not have any case of its assets securitised as on 31st March, 2010.

VIII. Market risk in trading book :

The Bank defines market risk as potential loss that the Bank may incur due to adverse developments in market prices. The following risks are identified as Market risk:

- Interest Rate Risk
- Currency Risk
- Price risk

To manage risk, Bank's Board of Directors have laid down various limits such as Aggregate Settlement limits, Stop loss limits and Value at Risk limits. The risk limits, control the risks arising from open market positions. The stop loss limit takes in to account realized and unrealized losses. Bank has put in place a proper system for calculating capital charge on Market Risk on Trading Portfolio as per RBI Guidelines, viz., Standardised Duration Approach. The capital charge thus calculated is converted into Risk Weighted Assets. The aggregated Risk Weighted Assets for credit risk, market risk and operational risk are taken into consideration for arriving at the CRAR.

Capital charge on Market Risk (as per Standardised Duration Approach) as on 31st March, 2010 is as under:

क्रम सं. Sl. No.	जोखिम श्रेणी Risk Category	रकम (रू. करोड़ में) Amount (Rs. in crores)
I.	**ब्याज दर (ए+बी) Interest Rate (a+b)**	
a)	**साधारण बाजार जोखिम General Market Risk**	**99.92**
(i)	निवल स्थिति Net Position	99.92
(ii)	हॉरिजोंटल अस्वीकृति Horizontal Disallowance	0.00
(iii)	वेर्टिकल अस्वीकृति Vertical Disallowance	0.00
(iv)	विकल्प Options	0.00
II.	**ईक्विटी जोखिम Equity Risk**	**21.06**
a)	साधारण बाजार जोखिम General Market Risk	10.53
b)	विशिष्ट जोखिम Specific Risk	10.53
III.	**विदेशी विनिमय जोखिम (स्वर्ण सहित) Foreign Exchange Risk (including Gold)**	**5.63**
IV.	**स्टेंडर्डाइस्ड ड्यूरेशन अप्रोच (I+II+III) के अंतर्गत बाजार जोखिम के लिए कुल पूंजी प्रभार** **Total capital charge for market risks under Standardised duration approach (I+II+III)**	**126.61**

9. परिचालन जोखिम

भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिदेशों के आधार पर, बैंक ने परिचालन जोखिम के लिए पूंजी की आवश्यकताओं के परिकलन के लिए बेसिक इंडिकेटर अप्रोच अपनाया है. दिनांक 31 मार्च, 2010 को परिचालन जोखिम के लिए जोखिम वाली आस्ति रू.2073.05 करोड़ थी.

IX. Operational Risk

In line with RBI guidelines, Bank has adopted the Basic Indicator Approach to compute the capital requirements for Operational Risk. Risk Weight Asset for the Operational Risk as at 31st March, 2010 was Rs. 2073.05 crore.

बैसल - II प्रकटीकरण

10. बैंकिंग बही में ब्याज दर जोखिम (आई.आर.आर.बी.बी.)

ब्याज दर जोखिम की दो दृष्टिकाणों से माप एवं निगरानी की जाती है.

जोखिम पर आय (पारंपरिक अंतराल विश्लेषण) (अल्पावधि) :

इस अप्रोच के अंतर्गत बैंक की निवल ब्याज आय पर ब्याज दर में परिवर्तन के तुरंत प्रभाव का विश्लेषण किया जाता है.

(i) विभिन्न वातावरणों में जोखिम में आय अर्जन का विश्लेषण निम्न प्रकार किया गया है :

1. आय कर्व जोखिम : आस्तियों तथा देयताओं के लिए नीचे की ओर 0.50% परिवर्तन माना जाता है. इस वातावरण में ब्याज दर में 50 आधार अंकों की गिरावट से अगले वर्ष के लिए निवल ब्याज आय पर रू. 13.41 करोड़ का प्रतिकूल प्रभाव पडेगा.

2, दूसरे वातावरण में आधार जोखिम शामिल किया जाता है जिसमें दरें निवेश और जमाओं के लिए, अग्रिम संविभाग के लिए नहीं, 50 आधार अंक कम की जाती हैं. इस वातावरण में यदि ब्याज दरों में 50 आधार अंकों की गिरावट आती है तो बैंक की निवल ब्याज आय पर रू. 34.35 करोड का सकारात्मक प्रभाव होगा.

(ii) ईक्विटी का आर्थिक मूल्य (अवधि अंतराल विश्लेषण) (दीर्घावधि)

क) ईक्विटी का आर्थिक मूल्य ज्ञात करने हेतु ईक्विटी की संशोधित अवधि प्राप्त करने के लिए आस्तियों तथा देयताओं की संशोधित अवधि की गणना की जाती है. ईक्विटी के आर्थिक मूल्य के असर के प्रभाव का विश्लेषण अवधि अंतराल पद्धति से घरेलू परिचालनों के लिए नियमित अंतरालों पर 100 आधार अंकों की दर पर कम करके किया जाता है.

ख) ब्याज दरों में 100 आधार अंक कम किए जाने के कारण बैंक की निवल संपत्ति पर कुल सकारात्मक असर घरेलू परिचालनों के लिए दिनांक 31.03.2010 को रू.910.04 करोड़ था.

बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी बेसल II दिशानिदेशों का अनुपालन किया है जिसमें न्यूनतम पूंजी आवश्यकता, प्रकटन आवश्यकता शामिल हैं. कारोबार के दौरान बैंक ने शामिल जोखिम को निर्धारित करने, उसके प्रभाव को मापने, उसे कम करने की तकनीक अपनाने/ऐसे जोखिमों को कम करने के लिए आवश्यक उपाय कम करने के लिए प्रणाली और प्रक्रिया तैयार की हैं. आगे ऐसे जोखिमों की निगरानी और उनको कम करने का कार्य निरंतर आधार पर जारी रहेगा.

Basel-II Disclosures

X. Interest rate risk in the banking book (IRRBB) :

The interest rate risk is measured and monitored through two approaches:

Earning at Risk (Traditional Gap Analysis) (Short Term) :

The immediate impact of the changes in the interest rates on net interest income of the bank is analyzed under this approach.

i. The Earning at Risk is analyzed under different scenarios as under :

1. Yield curve risk : A parallel downward shift of 0.50% is assumed for assets as well as liabilities. In this scenario, a fall in interest rates by 50 basis points will adversely impact NII for the next year by only Rs 13.41 crores.

2. Basis risk is included in the second scenario where the rates are shocked down by 50 bps for investments and deposits and not for advances portfolio. In this scenario, if interest rates fall by 50 basis points, the Bank's NII will be impacted favourably by Rs 34.35 crores.

ii. Economic Value of Equity (Duration Gap Analysis) (Long term):

a) Economic Value of Equity is done by calculating modified duration of assets and the liabilities to arrive at the modified duration of equity. Impact on the Economic Value of Equity is analyzed for a 100 bps rate shock at regular intervals for domestic operations through Duration Gap Method.

b) The net favourable impact on Net Worth of the bank against 100 bps downward movement in interest rates is Rs. 910.04 crores as on 31.03.2010 for domestic operations.

The Bank has thus complied with the Basel II guidelines issued by the Reserve Bank of India including maintenance of minimum capital requirements, disclosure requirements. In the course of its business, Bank has set in place systems and procedures to identify the risks involved, measure the impact thereof, adhere to mitigation techniques / take necessary steps to mitigate such risks. Further, monitoring of such risks and mitigation thereof is done on an on-going basis.

31 मार्च, 2010 की स्थिति के अनुसार तुलन पत्र BALANCE SHEET AS AT 31st MARCH, 2010

(रु.000 को छोड दिया है Rs.000s omitted)

	अनुसूची Schedule	31.03.2010 की स्थिति के अनुसार As at 31.03.2010 रु. Rs.	31.03.2009 की स्थिति के अनुसार As at 31.03.2009 रु. Rs.
पूंजी और देयताएं Capital and Liabilities			
पूंजी Capital	1	2868232	2868232
आरक्षितियां और अधिशेष Reserves and Surplus	2	23148657	18836725
जमाराशियाँ Deposits	3	513442759	430506141
उधार Borrowings	4	15619155	14431273
अन्य देयताएं तथा प्रावधान Other Liabilities and Provisions	5	20786961	17962695
जोड़ TOTAL		**575865764**	**484605066**
आस्तियां Assets			
भारतीय रिज़र्व बैंक में नकदी और अतिशेष Cash and Balances with Reserve Bank of India	6	43550318	49824094
बैंकों में अतिशेष और मांग पर तथा अल्प सूचना पर प्राप्य धन Balances With Banks and Money at Call & Short Notice	7	7594891	8747054
विनिधान Investments	8	156942274	124730819
अग्रिम Advances	9	354624428	288779570
स्थिर आस्तियां Fixed Assets	10	4072764	4051552
अन्य आस्तियां Other Assets	11	9081089	8471977
जोड़ TOTAL		**575865764**	**484605066**
आकस्मिक देयताएं **Contingent Liabilities**	12	131747082	115067985
संग्रहण के लिए बिल **Bills for Collection**		204817425	30274710
महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां Significant Accounting Policies	17		
लेखा भाग के रुप में टिप्पणियां Notes forming Part of Accounts	18		

उपर्युक्त फॉर्म में उल्लिखित अनुसूचियां तुलन-पत्र की अभिन्न अंग हैं.
Schedules referred to above form an integral part of Balance Sheet

डी. एल. रावल अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक	**ए.के.दत्त** कार्यपालक निदेशक	**डॉ .तरसेम चंद** निदेशक	**चंद्र किशोर** निदेशक	**डॉ. के.के. गोयल** निदेशक	**डॉ. प्रीतम सिंह** निदेशक
D.L. Rawal Chairman & Mg. Director	**A.K. Dutt** Executive Director	**Dr. Tarsem Chand** Director	**Chandra Kishore** Director	**Dr. K. K. Goel** Director	**Dr. Pritam Singh** Director
डॉ. सुनील गुप्ता निदेशक	**रोहित खन्ना** निदेशक	**आई एम अल्मेडा** निदेशक	**आर. एम. टिकू** मुख्य प्रबंधक	**जी.सी. गर्ग** उप महाप्रबंधक	**एस.के.जैन** महाप्रबंधक
Dr. Sunil Gupta Director	**Rohit Khanna** Director	**I. M. Almeida** Director	**R. M.Tiku** Chief Manager	**G. C. Garg** Dy. Gen. Manager	**S. K. Jain** General Manager

हमारी संलग्न समदिनांकित अलग रिपोर्ट के अनुसार As per our separate report of even date attached

कृते आर के दीपक एण्ड कं सनदी लेखाकार	**कृते बी. गुप्ता एण्ड कं.** सनदी लेखाकार	**कृते पी. पारिख एण्ड एसोसिएट्स** सनदी लेखाकार	**कृते जैन चौधरी एण्ड कं.** सनदी लेखाकार	**मे. गोखले एण्ड साठे** सनदी लेखाकार
For R. K. Deepak & Co. Chartered Accountants	**For B. Gupta & Co.** Chartered Accountants	**For P. Parikh & Associates** Chartered Accountants	**For Jain Chowdhary & Co.** Chartered Accountants	**M/s. Gokhale & Sathe** Chartered Accountants
अरविंद ओबरॉय **Arvind Uberoi** भागीदार Partner (एम.नं. M.No. 90479)	**एस. प्रसाद** **S. Prasad** भागीदार Partner (एम. नं. M.No. 80958)	**संदीप पारिख** **Sandeep Parikh** भागीदार Partner (एम.नं. M.No. 39713)	**सिद्धार्थ जैन** **Siddharth Jain** भागीदार Partner (एम. नं. M.No. 104709)	**उदय साठए** **Uday Sathaye** भागीदार Partner (एम नं. M.No. 35107)

स्थान: मुंबई, दिनांक: 27 अप्रैल, 2010
Place: Mumbai, Date: 27th April, 2010

31 मार्च, 2010 को समाप्त वर्ष के लिए लाभ एवं हानि लेखा PROFIT AND LOSS ACCOUNT FOR THE YEAR ENDED, 31st MARCH, 2010

रु.000 को छोड दिया Rs 000s omitted

	अनुसूची Schedule	31.03.2010 को समाप्त वर्ष के लिए Year ended 31.03.2010 रु. Rs.	31.03.2009 को समाप्त वर्ष के लिए Year ended 31.03.2009 रु. Rs.
I. आय Income			
अर्जित ब्याज Interest Earned	13	**40103560**	34474953
अन्य आय Other Income	14	**5886338**	4301255
जोड़ TOTAL		**45989898**	38776208
II. व्यय Expenditure			
व्यय किया गया ब्याज Interest Expended	15	**29103337**	23830709
परिचालन व्यय Operating Expenses	16	**8480782**	7681900
उपबंध और आकस्मिक देयताएं Provisions & Contingencies		**3293248**	3036977
जोड़ TOTAL		**40877367**	34549586
III. लाभ / हानि Profit/Loss			
वर्ष के लिए निवल लाभ Net Profit for the year		**5112531**	4226622
आगे लाया गया निवल लाभ / हानि Net Profit/Loss Brought Forward		**0**	0
जोड़ TOTAL		**5112531**	4226622
IV विनियोजन Appropriations			
सांविधिक आरक्षितियों में अंतरण Transfer to Statutory Reserve		**1533759**	1267987
विशेष आधारभूत आरक्षितियों में अंतरण Transfer to Special Infra Reserve		**150000**	200000
पूंजीगत आरक्षितियों में अंतरण Transfer to Capital Reserves		**164043**	261254
राजस्व आरक्षितियों में अंतरण Transfer to Revenue Reserve		**2593591**	2094699
प्रस्तावित लाभांश (लाभांश कर सहित) Proposed Dividend (Incl. Dividend Tax)		**671138**	402682
तुलन पत्र में आगे ले जाया गया अतिशेष Balance Carried over to Balance Sheet		**0**	0
जोड़ TOTAL		**5112531**	4226622
महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां Significant Accounting Policies	17		
लेखा भाग के रुप में टिप्पणी Notes forming Part of Accounts	18		

उपर्युक्त फॉर्म में उल्लिखित अनुसूचियां लाभ एवं हानि लेखे की अभिन्न अंग हैं.
Schedules referred to above form an integral part of Profit and Loss Account

डी. एल. रावल अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक	**ए.के.दत्त** कार्यपालक निदेशक	**डॉ .तरसेम चंद** निदेशक	**चंद्र किशोर** निदेशक	**डॉ. के.के. गोयल** निदेशक	**डॉ. प्रीतम सिंह** निदेशक
D.L. Rawal Chairman & Mg. Director	**A.K. Dutt** Executive Director	**Dr. Tarsem Chand** Director	**Chandra Kishore** Director	**Dr. K. K. Goel** Director	**Dr. Pritam Singh** Director
डॉ. सुनील गुप्ता निदेशक	**रोहित खन्ना** निदेशक	**आई एम अल्मेडा** निदेशक	**आर. एम. टिकू** मुख्य प्रबंधक	**जी.सी. गर्ग** उप महाप्रबंधक	**एस.के.जैन** महाप्रबंधक
Dr. Sunil Gupta Director	**Rohit Khanna** Director	**I. M. Almeida** Director	**R. M.Tiku** Chief Manager	**G. C. Garg** Dy. Gen. Manager	**S. K. Jain** General Manager

हमारी संलग्न समदिनांकित अलग रिपोर्ट के अनुसार As per our separate report of even date attached

कृते आर के दीपक एण्ड कं सनदी लेखाकार	**कृते बी. गुप्ता एण्ड कं.** सनदी लेखाकार	**कृते पी. पारिख एण्ड एसोसिएट्स** सनदी लेखाकार	**कृते जैन चौधरी एण्ड कं.** सनदी लेखाकार	**मे. गोखले एण्ड साठे** सनदी लेखाकार
For R. K. Deepak & Co. Chartered Accountants	**For B. Gupta & Co.** Chartered Accountants	**For P. Parikh & Associates** Chartered Accountants	**For Jain Chowdhary & Co.** Chartered Accountants	**M/s. Gokhale & Sathe** Chartered Accountants
अरविंद ओबरॉय **Arvind Uberoi** भागीदार Partner (एम.नं. M.No. 90479)	**एस. प्रसाद** **S. Prasad** भागीदार Partner (एम. नं. M.No. 80958)	**संदीप पारिख** **Sandeep Parikh** भागीदार Partner (एम.नं. M.No. 39713)	**सिद्धार्थ जैन** **Siddharth Jain** भागीदार Partner (एम. नं. M.No. 104709)	**उदय साठए** **Uday Sathaye** भागीदार Partner (एम नं. M.No. 35107)

स्थान: मुंबई, दिनांक: 27 अप्रैल, 2010
Place: Mumbai, Date: 27th April, 2010

अनुसूचियां SCHEDULES

31 मार्च, 2010 के तुलन पत्र के भाग के रुप में अनुसूचियां SCHEDULES FORMING PART OF BALANCE SHEET AS AT 31st MARCH, 2010

रु.000 को छोड दिया है Rs. '000s omitted

	31.03.2010 की स्थिति के अनुसार As at 31.03.2010 रु. Rs.	31.03.2009 की स्थिति के अनुसार As at 31.03.2009 रु. Rs.
अनुसूची - 1 पूंजी SCHEDULE-1 CAPITAL		
I. **प्राधिकृत Authorised**		
प्रत्येक रु. 10/- के मूल्य वाले 300,00,00,000 शेयर 300, 00, 00,000 Shares of Rs. 10/- each (पिछला वर्ष प्रत्येक रु. 10/- के मूल्य वाले 150,00,00,000 शेयर) (Previous year 150,00,00,000 Shares of Rs 10/- each)	30000000	15000000
जारी, अभिदत्त और प्रदत्त पूंजी Issued, Subscribed and Paid-Up	2868232	2868232
प्रत्येक रु. 10/- के मूल्य वाले 28,68,23,200 इक्विटी शेयरों की कुल चुकता पूंजी 28, 68, 23,200 Equity Shares of Rs. 10/- each fully paid up		
जिसमें से 14,68,20,000 शेयर भारत सरकार के स्वामित्व में हैं Of which, 14,68,20,000 shares are held by the Government of India		
जोड़ TOTAL	**2868232**	**2868232**
अनुसूची - 2 आरक्षितियां और अधिशेष SCHEDULE - 2 RESERVES AND SURPLUS		
I. **सांविधिक आरक्षितियां Statutory Reserve**		
अथशेष Opening Balance	5908360	4640373
वर्ष के दौरान परिवर्धन Addition during the Year	1533759	1267987
जोड़ TOTAL - I	**7442119**	**5908360**
II. **पूंजी आरक्षितियां Capital Reserve**		
अथशेष Opening Balance	941288	680034
वर्ष के दौरान परिवर्धन Addition during the Year	164043	261254
जोड़ TOTAL - II	**1105331**	**941288**
III. **पुनर्मूल्यांकन आरक्षितियां Revaluation Reserve**		
अथशेष Opening Balance	2215854	2341465
वर्ष के दौरान परिवर्धन Addition during the Year	0	15677
वर्ष के दौरान कटौतियां Deduction during the Year	-129461	-141288
जोड़ TOTAL - III	**2086393**	**2215854**
IV. **शेयर प्रीमियम SHARE PREMIUM**		
अथशेष Opening Balance	2560064	2560064
वर्ष के दौरान परिवर्धन Addition during the Year	0	0
जोड़ TOTAL - IV	**2560064**	**2560064**
V. **राजस्व आरक्षितियां Revenue Reserve**		
अथशेष Opening Balance	6761159	4666460
वर्ष के दौरान परिवर्धन Addition during the Year	2593591	2094699
जोड़ TOTAL - V	**9354750**	**6761159**
VI. **विशेष आधारभूत आरक्षितियां Special Infra Reserve**		
अथशेष Opening Balance	450000	250000
वर्ष के दौरान कटौतियां Deduction during the Year	0	-
वर्ष के दौरान परिवर्धन Addition during the Year	150000	200000
जोड़ TOTAL - VI	**600000**	**450000**
जोड़ TOTAL (I + II + III + IV + V +VI)	**23148657**	**18836725**

अनुसूचियां SCHEDULES

31 मार्च, 2010 के तुलन पत्र के भाग के रुप में अनुसूचियां SCHEDULES FORMING PART OF BALANCE SHEET AS AT 31st MARCH, 2010

रु.000 को छोड दिया है Rs. '000s omitted

			31.03.2010 की स्थिति के अनुसार As at 31.03.2010 रु. Rs.	31.03.2009 की स्थिति के अनुसार As at 31.03.2009 रु. Rs.
अनुसूची - 3 निक्षेप				
SCHEDULE - 3 DEPOSITS				
A	I.	**मांग निक्षेप Demand Deposits**		
		i. बैंकों से From Banks	1410687	786844
		ii. अन्य से From Others	45068298	34969708
	II.	**बचत बैंक निक्षेप Savings Bank Deposits**	138130847	113955789
	III.	**सावधि निक्षेप Term Deposits**		
		i. बैंकों से From Banks	15457688	15668049
		ii. अन्य से Rom Others	313375239	265125751
		जोड़ TOTAL	**513442759**	**430506141**
B	(i)	भारत में स्थित शाखाओं की जमाराशियां Deposits of Branches in India	513442759	430506141
	(ii)	भारत से बाहर स्थित शाखाओं की जमाराशियां Deposits of Branches outside India	0	0
		जोड़ TOTAL	**513442759**	**430506141**
अनुसूची - 4 उधार				
SCHEDULE - 4 BORROWINGS				
I.		भारत में उधार Borrowings in India		
	i.	भारतीय रिज़र्व बैंक Reserve Bank of India	0	0
	ii.	अन्य बैंक Other Banks	0	0
	iii.	अन्य संस्थाएं और अभिकरण Other Institutions and Agencies	10155	14073
	iv.	बांड Bonds	2500000	1250000
क	a)	नवोन्मेशी स्थायी ऋणलिखत (आईपीडीआई) Innovative Perpetual Debt Instrument (IPDI)	3000000	3000000
ख)	b)	ऊपरी टीयर II बांड Upper Tier II Bonds	0	0
ग)	c)	स्थायी संचयी अधिमान शेयर (पीसीपीएस) Perpetual Cumulative Preference Shares (PCPS)	0 9660000	0 9660000
घ)	d)	प्रतिदेय गैर - संचयी अधिमान शेयर (आर.एन.सी.पी.एस) Redeemable Non-Cumulative Preference Shares (RNCPS)		
ङ)	e)	प्रतिदेय संचयी अधिमान शेयर (आर.सी.पी.एस) Redeemable Cumulative Preference Shares (RCPS)		
च)	f)	अप्रतिभूत गौण ऋण Subordinated Debts Unsecured@		
II.		भारत के बाहर से उधार Borrowings Outside India	449000	507200
		जोड़ TOTAL	**15619155**	**14431273**
@जिसमें से टीयर II पूंजी का पात्र हिस्सा @ Out of which, eligible part of Tier II capital			8640000	8904871
अनुसूची - 5 अन्य देयताएं और प्रावधान				
SCHEDULE - 5 OTHER LIABILITIES & PROVISIONS				
I.		संदेय बिल Bills Payable	2248133	3423006
II.		अंतर कार्यालय समायोजन (निवल) Inter Office Adjustments (Net)	3825106	6329561
III.		प्रोद्भूत ब्याज Interest Accrued	2371535	1800329
IV.		मानक आस्तियों हेतु आकस्मिक प्रावधान Contingent Provisions Against Standard Assets	1555669	1891684
V.		अन्य (प्रावधान सहित) Others (Including Provisions)	10786518	4518115
		जोड़ TOTAL	**20786961**	**17962695**
अनुसूची - 6 भारतीय रिज़र्व बैंक में नकदी और अतिशेष				
SCHEDULE - 6 CASH AND BALANCES WITH RESERVE BANK OF INDIA				
I.		हाथ में नकदी (इसमें विदेशी करेंसी नोट सम्मिलित हैं) Cash in Hand (Including Foreign Currency Notes)	2306542	2201991
II.		भारतीय रिज़र्व बैंक में अतिशेष Balances With Reserve Bank of India		
	i.	चालू खातों में In Current Accounts	41243776	32622103
	ii.	अन्य खातों में (एलएएफ के तहत) In Other Accounts (Under LAF)	0	15000000
		जोड़ TOTAL	**43550318**	**49824094**

अनुसूचियां SCHEDULES

31 मार्च, 2010 के तुलन पत्र के भाग के रुप में अनुसूचियां SCHEDULES FORMING PART OF BALANCE SHEET AS AT 31st MARCH, 2010

रु.000 को छोड दिया है Rs. '000s omitted

			31.03.2010 की स्थिति के अनुसार As at 31.03.2010 रु. Rs.		31.03.2009 की स्थिति के अनुसार As at 31.03.2009 रु. Rs.	
अनुसूची - 7 बैंकों में अतिशेष तथा मांग एवं अल्प सूचना पर प्राप्य धन						
SCHEDULE - 7 BALANCES WITH BANKS AND MONEY AT CALL AND SHORT NOTICE						
I.	भारत में In India					
	i.	बैंकों में अतिशेष Balances with Banks				
		a) चालू खातों में In Current Accounts		1255117		1964197
		b) अन्य जमा खातों में In Other Deposit Accounts		7626		7626
	ii.	मांग और अल्प सूचना पर प्राप्य धन Money at Call and Short Notice		0		0
		a) बैंकों के पास With Banks		0		0
		b) अन्य संस्थाओं के पास With other Institutions		0		0
		जोड़ TOTAL - I		**1262743**		**1971823**
II.	भारत के बाहर Outside India					
	i.	चालू खातों में In Current Accounts		5434363		2137021
	ii.	अन्य जमा खातों में IN Other Deposit Accounts		897785		4638210
	iii.	मांग और अल्प सूचना पर प्राप्य धन Money at Call and Short Notice		0		0
		जोड़ TOTAL - II		**6332148**		**6775231**
		जोड़ TOTAL (I + II)		**7594891**		**8747054**
अनुसूची - 8 विनिधान						
SCHEDULE - 8 INVESTMENTS						
I	भारत में निम्न में विनिधान Investments in India in					
	i.	सरकारी प्रतिभूतियाँ Government Securities		133070786		99589107
	ii.	अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियाँ Other Approved Securities		441789		1005832
	iii.	शेयर Shares		1463488		1289271
	iv.	डिबेंचर और बंधपत्र Debentures and Bonds		5520461		12538777
	v.	समनुषंगी और/अथवा सह उद्यम Subsidiaries and/or Joint Ventures		217225		217225
	vi.	अन्य Others				
		a) उद्यम पूंजी Venture Capital	70472		70472	
		b) म्यूचुअल फंड की यूनिटें Units of Mutual Funds	55000		55000	
		c) आरआइडीएफ जमाराशि RIDF Deposit	10182797		8082563	
		d) वाणिज्यिक पत्र Commercial Paper	388567		1459486	
		e) एआरसी की प्रतिभूति पावती पत्र Security Receipts of ARCS	379399		423086	
		f) जमा प्रमाण पत्र Certificate of Deposit	2639415		0	
		g) एमएसएमई (जोखिम पूंजी) निधि MSME (Risk Capital) Fund	123675		0	
		h) एमएसएमई पुर्नवित्त MSME Refinance	1543600		0	
		i) आर.एच.डी.एफ RHDF	845600	16228525	0	10090607
		जोड़ TOTAL		**156942274**		**124730819**
II.	भारत के बाहर विनिधान Investments Outside India			0		0
		जोड़ TOTAL (I + II)		**156942274**		**124730819**
		सकल विनिधान Gross Investments		157601404		125383171
		घटाएं: अवक्षयण के लिए प्रावधान Less: Provision for depreciation		659130		652352
		निवल विनिधान Net investments		**156942274**		**124730819**
		*भारित प्रतिभूतियों सहित *Includes encumbered securities		140000		140000

अनुसूचियां SCHEDULES

31 मार्च, 2010 के तुलन पत्र के भाग के रुप में अनुसूचियां SCHEDULES FORMING PART OF BALANCE SHEET AS AT 31st MARCH, 2010

रु.000 को छोड दिया है Rs. '000s omitted

		31.03.2010 की स्थिति के अनुसार As at 31.03.2010 रु. Rs.	31.03.2009 की स्थिति के अनुसार As at 31.03.2009 रु. Rs.
अनुसूची - 9 अग्रिम SCHEDULE - 9 ADVANCES			
क. i.	खरीदे और भुनाए गए बिल A. Bills Purchased and Discounted	10049117	12856051
ii.	नकद उधार, ओवर ड्राप्ट और मांग पर प्रतिसंदेय ऋण Cash Credits, Overdrafts and Loans Repayable on Demand	160172594	137227042
iii.	सावधि ऋण Term Loans	184402717	138696477
	जोड़ TOTAL	**354624428**	**288779570**
ख.B. i.	मूर्त आस्तियों द्वारा प्रतिभूत* Secured by Tangible Assets*	249281761	219833249
ii.	बैंक / सरकारी प्रत्याभूतियों द्वारा संरक्षित Covered by Bank/Govt. Guarantees	33237356	16581164
iii.	अप्रतिभूत Unsecured	72105311	52365157
	जोड़ TOTAL	**354624428**	**288779570**
*बही ऋणों पर दिए गए अग्रिमों सहित * Includes advances against book-debts			
ग.C. I.	भारत में अग्रिम Advances in India		
i.	प्राथमिकता क्षेत्र Priority Sector	116034593	97439855
ii.	भारत सरकार से प्राप्य राशि (एडीडब्ल्यूडीआरएस - 2008 के अंतर्गत) Amount Receivable from GOI (Under ADWDRS - 2008)	697360	695509
iii.	सार्वजनिक क्षेत्र Public Sector	84444388	59328763
iv.	बैंक Banks	2004473	2068817
v.	अन्य Others	151443614	129246626
	जोड़ TOTAL	**354624428**	**288779570**
II.	भारत के बाहर अग्रिम Advances Outside India	0	0
	जोड़ TOTAL	**354624428**	**288779570**
अनुसूची - 10 स्थिर आस्तियां SCHEDULE - 10 FIXED ASSETS			
A.	**मूर्त आस्तियां TANGIBLE ASSETS**		
I.	**परिसर Premises**		
i.	पूर्ववर्ती वर्ष की 31 मार्च की स्थिति के अनुसार लागत पर (पूर्व वर्षो में कतिपय परिसरों के पुनर्मूल्यांकन के कारण मूल्य में वृद्धि सहित) At Cost as at 31st March of the Preceeding Year (Includes increase in the value on account of revaluation of certain premises in earlier years)	4253567	4231795
ii.	वर्ष के दौरान पुर्नमूल्यांकन के कारण परिवर्धन Addition on Account of Revaluation during the Year	0	15676
iii.	वर्ष के दौरान परिवर्धन Additions during the Year	79668	6096
iv.	वर्ष के दौरान कटौतियां Deductions during the Year	0	0
v.	अद्यतन अवक्षयण Depreciation to Date	-1404523	-1245014
vi.	निर्माणाधीन भवन Building Under Construction	2173	878
	जोड़ TOTAL I	**2930885**	**3009431**
II.	**अन्य स्थिर आस्तियां (फर्नीचर और फिक्सचर सहित) Other Fixed Assets (Including Furniture and Fixtures)**		
i.	पूर्ववर्ती वर्ष की 31 मार्च की स्थिति के अनुसार लागत पर At cost as on 31st March of the preceding year	3685415	3522104
ii.	वर्ष के दौरान परिवर्धन Additions during the year	375425	341284
iii.	वर्ष के दौरान कटौतियां Deductions during the year	-143962	-177973
iv.	अद्यतन अवक्षयण Depreciation to date	-2814350	-2687633
	जोड़ TOTAL II	**1102528**	**997782**
	जोड़ TOTAL (I + II)	**4033413**	**4007213**

अनुसूचियां SCHEDULES

31 मार्च, 2010 के तुलन पत्र के भाग के रुप में अनुसूचियां SCHEDULES FORMING PART OF BALANCE SHEET AS AT 31st MARCH, 2010

रु.000 को छोड दिया है Rs. '000s omitted

		31.03.2010 की स्थिति के अनुसार As at 31.03.2010 रु. Rs.	31.03.2009 की स्थिति के अनुसार As at 31.03.2009 रु. Rs.
B.	**अमूर्त आस्तियां INTANGIBLE ASSETS**		
	I. कम्प्यूटर सॉफ्टवेयर COMPUTER SOFTWARE		
	i. पूर्ववर्ती वर्ष की 31 मार्च की स्थिति के अनुसार लागत पर At cost as at 31st March of the preceeding year	355733	345578
	ii. वर्ष के दौरान परिवर्धन Addition During the year	19887	10155
	iii. वर्ष के दौरान कटौतियां Deduction during the curent year	0	0
	iv. अद्यतन परिशोधन Amortised to date	-336269	-311394
	जोड़ TOTAL	**39351**	**44339**
	कुल जोड़ GRAND TOTAL (A+B)	**4072764**	**4051552**
	अनुसूची - 11 अन्य आस्तियां SCHEDULE - 11 OTHER ASSETS		
I.	अंतर-कार्यालय समायोजन (शुद्ध) Inter-Office Adjustments (Net)	0	0
II.	प्रोद्भूत ब्याज Interest Accrued	3842981	3228251
III.	अग्रिम रुप में संदत्त कर/स्रोत पर काटा गया कर (शुद्ध प्रावधान) Tax Paid in Advance/Tax Deducted at Source (Net of Provision)	1894608	841924
IV.	आस्थगित कर आस्ति (शुद्ध) Deferred Tax Asset (Net)	1766110	2776410
V.	लेखन सामग्री और स्टाम्प Stationery and Stamps	35799	39939
VI.	दावों के निपटान स्वरुप प्राप्त गैर-बैंकिंग आस्तियां Non-Banking Assets Acquired in Satisfaction of Claims	98600	98600
VII.	अन्य Others	1442991	1486853
	जोड़ TOTAL	**9081089**	**8471977**
	अनुसूची - 12 आकस्मिक देयताएं SCHEDULE - 12 CONTINGENT LIABILITIES		
I.	बैंक के विरुद्ध ऐसे दावे जिन्हें ऋण के रुप में स्वीकार नहीं किया गया है Claims against the bank not acknowledged as debts	20929044	19186714
II.	अंशत: संदत्त शेयरों के कारण दायित्व Liability on account of partly paid shares	0	0
III.	बकाया अग्रिम विनिमय संविदाओं के कारण दायित्व Liability on account of outstanding Forward Exchange Contracts	65637517	53007615
IV.	ग्राहकों की ओर से दी गई प्रत्याभूतियाँ Guarantees given on behalf of constituents		
	क) भारत में a) In India	26737712	28000132
	ख) भारत से बाहर b) Outside India	0	0
V.	प्रतिग्रहण, पृष्ठांकन और अन्य बाध्यताएं Acceptances, Endorsements and other Obligations	18442624	14867404
VI.	अन्य ऐसी मदें जिनके लिए बैंक समाश्रित रुप से उत्तरदायी हैं Other Items for which the bank is contingently liable	185	6120
	जोड़ TOTAL	**131747082**	**115067985**
	संग्रहण के लिए बिल Bills for Collection	204817425	30274710

अनुसूचियां SCHEDULES

31 मार्च, 2010 को समाप्त वर्ष के लिए लाभ एवं हानि लेखा से संबंधित अनुसूचियां
SCHEDULES FORMING PART OF PROFIT AND LOSS ACCOUNT FOR THE YEAR ENDED 31st MARCH, 2010

रु.000 को छोड दिया Rs.000s omitted

		31.03.2010 को समाप्त वर्ष के लिए Year ended 31.03.2010		31.03.2009 को समाप्त वर्ष के लिए Year ended 31.03.2009	
अनुसूची - 13 अर्जित ब्याज **SCHEDULE - 13 INTEREST EARNED**					रु. Rs.
I.	अग्रिमों/बिलों पर ब्याज/बट्टा Interest/Discount on Advances/Bills		30093315		25659781
II.	विनिधानों पर आय Income on Investments		9598731		8281335
III.	भारतीय रिज़र्व बैंक के अतिशेषों और अन्य अंतर बैंक निधियों पर ब्याज Interest on Balances with Reserve Bank of India and other Inter Bank Funds		202240		171957
IV.	अन्य Others		209274		361880
	जोड़ TOTAL		**40103560**		**34474953**
अनुसूची - 14 अन्य आय **SCHEDULE - 14 OTHER INCOME**					
I.	कमीशन, विनिमय और दलाली Commission, Exchange and Brokerage		1275458		1323217
II.	विनिधानों के विक्रय पर लाभ Profit on Sale of Investments	1535140		1143470	
	घटाइए: विनिधानों के विक्रय पर हानि Less: Loss on Sale of Investments	0	1535140	600238	543232
III.	भूमि एवं भवन तथा अन्य आस्तियों के विक्रय पर लाभ (शुद्ध) Profit on Sale of Land, Buildings and other Assets (Net)		-5015		-7094
IV.	विदेशी विनिमय लेन-देन पर लाभ (शुद्ध) Profit on Foreign Exchange Transactions (Net)		332643		438634
V.	विदेशों/ भारत में स्थित अनुषंगियों/ कंपनियों/ संयुक्त उद्यमों से लाभांश आदि के रुप में अर्जित आय Income Earned by way of Dividends etc. from Subsidiaries / Companies and/or Joint Ventures Abroad/ in India		183269		11480
VI.	विविध आय Miscellaneous Income		2564843		1991786
	जोड़ TOTAL		**5886338**		**4301255**

अनुसूचियां SCHEDULES

31 मार्च, 2010 को समाप्त वर्ष के लिए लाभ एवं हानि लेखा से संबंधित अनुसूचियां
SCHEDULES FORMING PART OF PROFIT AND LOSS ACCOUNT FOR THE YEAR ENDED 31st MARCH, 2010

रु.000 को छोड दिया Rs.000s omitted

	31.03.2010 को समाप्त वर्ष के लिए Year ended 31.03.2010	31.03.2009 को समाप्त वर्ष के लिए Year ended 31.03.2009
अनुसूची - 15 व्यय किया गया ब्याज		
SCHEDULE - 15 INTEREST EXPENDED		
I. निक्षेपों पर ब्याज		
Interest On Deposits	27611989	22558997
II. भारतीय रिज़र्व बैंक/अंतर-बैंक उधारों पर ब्याज		
Interest on Reserve Bank of India/Inter Bank Borrowings	5006	168906
III. अन्य Others	1486342	1102806
जोड़ TOTAL	**29103337**	**23830709**
अनुसूची - 16 परिचालनगत व्यय		
SCHEDULE - 16 OPERATING EXPENSES		
I. कर्मचारियों को भुगतान और उनके लिए व्यवस्था		
Payments to and Provisions for Employees	5115855	4678897
II. किराया, कर और बिजली		
Rent, Taxes and Lighting	730010	688552
III. मुद्रण और लेखन-सामग्री		
Printing and Stationery	105269	99360
IV. विज्ञापन और प्रचार		
Advertisement and Publicity	108044	112057
V. बैंक की सम्पति पर अवक्षयण		
Depreciation on Banks Property	276088	268413
VI. निदेशकों की फीस, भत्ते और व्यय		
Directors Fees, Allowances and Expenses	13295	13967
VII. लेखा परीक्षकों की फीस और व्यय (शाखा के लेखा-परीक्षकों सहित)		
Auditors Fees and Expenses (Including Branch Auditors)	82426	74470
VIII. विधि प्रभार		
Law Charges	51718	44386
IX. डाक खर्च, तार और टेलीफोन आदि		
Postage, Telegrams, Telephones etc.	241058	128805
X. मरम्मत और अनुरक्षण		
Repairs and Maintenance	180358	193145
XI. बीमा		
Insurance	480566	384687
XII. अन्य व्यय		
Other Expenditure	1096095	995161
जोड़ TOTAL	**8480782**	**7681900**

अनुसूचियां SCHEDULES

वर्ष 2009-2010 के लेखों के भाग के रूप में अनुसूचियां
SCHEDULES FORMING PART OF THE ACCOUNT FOR 2009-2010

अनुसूचियां - 17

महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां

17.1 लेखांकन का आधार

ये लेखे लाभकारी कारोबार वाले संस्थान की संकल्पना का अनुगमन करते हुए ऐतिहासिक लागत के आधार पर सामंजस्य रखते हुए तैयार किए गए हैं तथा जहां कहीं भी अन्यथा उल्लेख हो, उसे बनाए रखते हुए सांविधिक प्रावधानों एवं स्वीकृत मानक लेखांकन परंपराओं के अनुरूप हैं.

17.2 विनिधान

क) वर्गीकरण:

भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार समस्त विनिधानों को तीन श्रेणियों में अर्थात i) परिपक्वता तक धारित ii) विक्रय हेतु उपलब्ध और iii) व्यापार हेतु धारित में वर्गीकृत किया गया है तथा लेखों में उन्हें छः श्रेणियों में मूल्यह्रास प्रावधान के बाद निवल मूल्य पर प्रकट किया गया है.

ख) मूल्य-निर्धारण:

विनिधानों का मूल्य-निर्धारण भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार निम्नलिखित रुप में किया जाता है:

i. आधार:

'परिपक्वता तक धारित'

इस श्रेणी के अंतर्गत धारित विनिधानों को बहियों में उनकी अर्जन लागत पर आगे ले जाया गया है. यदि कोई प्रीमियम अर्जन पर अदा किया गया है तो उसे शेष परिपक्वता अवधि पर निरंतर आय प्राप्ति की प्रणाली का इस्तेमाल करते हुए परिशोधित किया गया है.

बिक्री के लिए उपलब्ध तथा `व्यापार के लिए धारित

इन विनिधानों को बाजार के लिए पहचान करके अलग रखा जाता है. प्रत्येक छः श्रेणियों के लिए मूल्यह्रास/परिवर्धन को मिला लिया गया है. प्रत्येक श्रेणी के लिए निवल मूल्यह्रास यदि कोई हो, का प्रावधान किया गया है, किन्तु निवल अधिमूल्यन को छोड़ दिया गया है.

ii. कार्यविधि:

बैंक के सभी निवेशों का मूल्यांकन नियमित रुप में औसत लागत विधि से किया जाता है. निवेश के मामले में उचित प्रतिभूतियों के बाजार मूल्य, बिक्री के लिए उपलब्ध और व्यापार के लिए धारित श्रेणियों सहित को मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेन्ज के बाजार भाव दरों अथवा भारतीय रिज़र्व बैंक की मूल्य-सूची के आधार पर लिया गया है.

जहाँ बाजार भाव उपलब्ध न हो और गैर सूचित प्रतिभूतियों के मामले में मूल्य का निर्धारण भारतीय प्राथमिकता विकेता संघ द्वारा नियत आय-मुद्रा बाजार और भारतीय प्रयुत्पन्नी संघ के साथ संयुक्त रुप से घोषित मूल्य/परिपक्वता आय पर तथा एआरसी /एससी की म्युचूअल फंड की यूनिटों/एसआर के निवल आस्ति मूल्य एवं कंपनियों के शेयरों के निवल बही मूल्य के आधार पर किया जाता है.

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों में शेयर पूंजी, जमाराशियों सहित विनिधान और खजाना बिल, वाणिज्य पत्र पर ग्रामीण इफ्रास्ट्रक्चर विकास बॉण्ड का मूल्यन चलित लागत पर किया गया है.

ग) आय निर्धारण एवं विवेकपूर्ण मानदन्ड:

बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा समय-समय पर आस्ति वर्गीकरण, आय निर्धारण एवं विनिधानों के प्रावधान के संबंध में निर्मित किए गए विवेकपूर्ण मानदंडों का अनुपालन किया है.

SCHEDULE – 17

SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES

1.1. BASIS OF ACCOUNTING

The accounts have been prepared by following the going concern concept on historical cost basis, consistently, and are in conformity with the applicable statutory provisions for the time being in force and generally accepted accounting principles, save as otherwise stated.

1.2. INVESTMENTS

a) CLASSIFICATION:

Investments have been categorized as per guidelines of Reserve Bank of India (i) Held to Maturity, (ii) Available for Sale (iii) Held for Trading and are disclosed in the accounts under six classifications at the value net of depreciation provision thereon.

b) VALUATION:

Investments are valued as per Reserve Bank of India guidelines in the following manner:

i. BASIS:

'Held to Maturity'

Investments held under this category are carried in books at their acquisition cost. Premium, if any, paid on acquisition is amortized using constant yield method over the remaining period of maturity.

'Available for Sale' and 'Held for Trading'

These Investments are marked to market scrip wise. Depreciation/ Appreciation for each of six classifications is aggregated; net depreciation, if any, for each classification is provided for, but net appreciation is ignored.

ii. METHODOLOGY:

All investments of bank are valued consistently on Average Cost Method. Market value of quoted securities in case of Investments included in the 'Available for Sale' and 'Held for Trading' categories is taken based on market quotations of recognized stock exchange/s or price list of Reserve Bank of India.

The value in case of unquoted securities and securities where market quotes are not available, is determined based on Prices / Yield to Maturity declared by Primary Dealers Association of India jointly with Fixed Income Money Market and Derivatives Association of India and Net Asset Value in case of units of Mutual Funds/ SRs of ARCs/ SCs and Net Book Value in case of Shares of Companies.

Treasury Bills, Commercial Papers, Rural Infrastructure Development Funds and Investments including Share Capital Deposits in Regional Rural Banks are valued at carrying cost.

c) INCOME RECOGNITION AND PRUDENTIAL NORMS:

Bank follows the prudential norms formulated by Reserve Bank of India, from time to time, as to Asset Classification of all Investments, Income Recognition and Provisioning on such Investments.

अनुसूचियां SCHEDULES

विनिधान लेनदेनों पर कमीशन, दलाली, खंडित अवधि के ब्याज आदि को लेने-देने के वर्ष में लाभ हानि लेखे में नामे/ जमा किया गया है.

परिपक्वता तक धारित श्रेणी के तहत विनिधानों में से विनिधानों की बिक्री से हुए लाभ को हानि लेखे में लिया जाता है और उसके बाद आरक्षित पूंजी खाते में विनियोजित किया जाता है, जबकि बिक्री पर हानि को लाभ एवं हानि खाते में समाहित किया जाता है.

17.3 अग्रिम

क) बैंक ने आस्ति वर्गीकरण आय निर्धारण और अग्रिम के लिए प्रावधानीकरण के संबंध में भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा समय - समय पर निर्धारित विवेकसम्मत मानदंडों का अनुसरण किया है तथा तदनुसार सभी अग्रिमों को मानक उपमानक, संदिग्ध एवं अशोध्य आस्ति के रुप में वर्गीकृत किया जाता है.

ख) एन.पी.ए. खातों के संबंध में पुर्नगठित खातों के उचित मूल्य में गिरावट के बदले में प्रावधान, विविध खाते में शेष (ब्याज पूंजीकरण - पुनर्गठित खाते), प्राप्त डी.आई.सी.जी.सी दावे/ ई.सी.जी.सी दावे और समायोजन होने तक अनिर्णित रखे गए, आंशिक भुगतान प्राप्त और उचंत खाते में रखा गया.

ग) मानक आस्तियों पर विवेकसम्मत प्रावधान और एन.पी.ए खातों की बिकी में अतिरिक्त प्रावधान तुलन पत्र की अनुसूची सं. 5 में अन्य देयताएं तथा प्रावधान-अन्य में शामिल किए जाते हैं.

घ) एनपीए खातों में की गई वसूली सर्वप्रथम बकाया मूलधन में समायोजित की जाती है एवं अधिशेष राशि यदि कोई हो, तो उसे आय माना जाता है.

ङ) आस्ति पुर्ननिर्माण कंपनी (ए.आर.सी.) /प्रतिभूतिकरण कंपनी (एस.सी.) को बेची गई वित्तीय संपत्तियों के मामलों में यदि बिक्री मूल्य निवल बही मूल्य (एन.बी.वी.) अर्थात बही मूल्य-प्रावधान से कम है तो उसे लाभ एवं हानि खाते में डेबिट किया गया है. यदि बिक्री मूल्य निवल बही मूल्य से अधिक है तो प्रावधान की अधिक राशि को प्रत्यावर्तित करने के बजाय उसका उपयोग आस्ति पु. कं./प्रति. कं. को बेची गई अन्य वित्तीय आस्तियों में होने वाली हानि की भरपाई हेतु किया जाएगा.

च) बैंकों/वित्तीय संस्थाओं/गै. बै. वि. कं. को बेची गई वित्तीय आस्तियों के मामलों में यदि बिक्री मूल्य निवल बही मूल्य (एन.बी.वी.) से कम है तो उसे लाभ हानि खाते में डेबिट किया गया है और यदि बिक्री मूल्य निवल बही मूल्य से अधिक है तो प्रावधान की अधिक राशि को प्रत्यावर्तित करने के बजाय उसका उपयोग बेची गई अन्य वित्तीय आस्तियों में होने वाली हानि की भरपाई हेतु किया जाएगा.

17.4 अचल आस्तियां और मूल्यह्रास

क) परिसर (कुछेक परिसरों को छोड़कर जिन्हें पुनर्मूल्यांकित रकम पर दर्शाया गया है) एवं स्थिर आस्तियों का उल्लेख ऐतिहासिक लागत पर किया जाता है.

ख) परिसर में कतिपय संपत्तियों से संबंधित भूमि की ऐसी लागत शामिल है जिसे अलग नही किया जा सकता है.

ग) कम्प्यूटर हार्डवेयर जो 01.04.2000 से पहले खरीदे गये हैं, पर 25%प्रतिवर्ष की दर से डब्ल्यू. डी. वी. विधि से मूल्यह्रास लगाया जाता है जबकि कम्प्यूटर हार्डवेयर जिनको 01.04.2000 को या उसके बाद खरीदा गया है उन पर मूल्यह्रास की सीधी रेखा विधि से 33.33% प्रतिवर्ष की दर से मूल्यह्रास लगाया जाता है। शेष पर आयकर नियम 1962 के अंतर्गत निर्धारित दर पर घटे हुए मूल्य (डब्ल्यू.डी.वी.) विधि से मूल्यह्रास लगाया जाता है.

घ) पट्टाधारित भूमि की लागत का परिशोधन, पट्टे की अवधि हेतु किया गया है.

ङ) पुनर्मूल्यांकित हिस्से पर लगाया गया अवक्षयण पुनर्मूल्यांकन आरक्षिति लेखा पर प्रभारित किया गया है.

Commission, brokerage, broken period interest on investment transactions are debited and/or credited to Profit and Loss Account in the year of transaction.

Profit on sale of investments under the category "Held to Maturity" is taken to Profit and Loss Account and thereafter appropriated to "Capital Reserve Account" whereas loss on sale of Investments is recognized in the Profit & Loss Account.

17.1 ADVANCES

a. Bank follows the prudential norms formulated by Reserve Bank of India, from time to time, as to Asset Classification of Advances, Income Recognition and provisioning thereon. Accordingly all advances are being classified into Standard, Sub-standard, Doubtful and Loss Assets.

b) Advances are net of Provision for Non Performing Assets. Provision in lieu of diminution in the fair value of restructured accounts, balance in Sundries Account [interest capitalization – restructured accounts] in respect of NPA accounts, DICGC Claims/ECGC claims received and held pending adjustment; part payment received and kept in Suspense Account.

c) Prudential provision on Standard Assets and excess provision on sale of NPA accounts are included in 'Other Liabilities and Provisions – Others' in Schedule 5 to the Balance Sheet.

d) Recoveries in Non-Performing Advances are first appropriated towards principal outstanding and surplus, if any, is recognized as income.

e) In case of sale of financial assets to the Asset Reconstruction Company (ARC) / Securitisation Company (SC) at a price below the net book value (NBV), i.e. Book Value Less Provision held, the shortfall is debited to the profit and loss account and in case of sale at a value higher than the NBV, the excess provision is not being reversed but is kept for utilization to meet the shortfall/ loss on account of sale of other financial assets to ARC/SC.

f) The shortfall, in case of financial assets sold to the Banks, FIs and/ or, NBFCs, where the sale is at a price below the net book value (NBV), is debited to the profit and loss account, but in the case where the sale value is higher than the NBV, the excess provision is not reversed but being retained to meet the shortfall/ loss on account of sale of other non-performing financial asset.

1.1. FIXED ASSETS AND DEPRECIATION

a) Premises (except certain premises which have been stated at revalued amount) and other fixed assets are stated at historical cost.

b) Premises also include cost of land in some of the properties where the same could not be segregated.

c) Depreciation is charged on Written Down Value (W.D.V.) method at the rates prescribed under the Income Tax Rules, 1962 except that the computer hardware purchased before 01.04.2000 are depreciated @ 25% p.a. on W.D.V. method and those purchased on or after 01.04.2000 are depreciated @ 33.33% on Straight Line Method.

d) Cost of leasehold land is amortized over the period of lease.

e) Depreciation attributable to revalued portion is charged to the Revaluation Reserve Account.

अनुसूचियां SCHEDULES

च) स्थिर आस्तियों में प्रगतिशील कार्य से संबंधित पूँजी शामिल है.

छ) कंप्यूटर सॉफ्टवेयर खर्चों को अमूर्त आस्तियां माना गया है तथा उन्हें पांच वर्षो के बाद परिशोधित किया गया है, जिसे उन आस्तियों का समुचित आर्थिक जीवन माना जाता है.

17.5 गैर-बैंकिंग आस्तियां

गैर-बैंकिंग आस्तियों का उल्लेख लागत पर किया जाता है.

17.6 राजस्व निर्धारण

क) बैंक सामान्य तौर पर लेखांकन की वाणिज्यिक प्रणाली अपना रहा है.

ख) साख पत्र/ बैंक गारंटियों/ सरकारी कारोबार/ तीसरे पक्ष के उत्पादों के वितरण पर कमीशन, लॉकर किराया, कर की वापसी पर ब्याज, लाभांश, म्यूचुअल फंडों की इकाइयों पर आय तथा किराया आय को वसूली के आधार पर लिया जाता है .

ग) गैर-निष्पादक ऋणों एवं अग्रिमों पर ब्याज/ छूट/ निवेश का निर्धारण भारतीय रिजर्व बैंक के विवेकपूर्ण दिशा निदेशों के अनुसार वसूली की सीमा तक किया जाता है

घ) बट्टे खाते डाले गये अग्रिमों/ विनिधानों में हुई वसूली को विविध आय के रुप में लेखांकित किया जा रहा है.

ङ) 22 अगस्त, 2008 को और उसके बाद परिपक्व अदत्त/ अदावी जमा राशियों के मामले में परिपक्वता अवधि के बाद के लिए ब्याज का हिसाब बचत बैंक दर पर किया जाता है.

च) शेयरों, बांडों आदि के निर्गम के व्यय को जिस वर्ष में व्यय किया गया उस वर्ष में हिसाब में लिया जाता है.

छ) उचंत प्राप्तियों में 5 वर्षों से अधिक की अवधि तक पडे गैर दावाकृत जमा शेषों को "विविध आय" के रुप में माना जा रहा है. इसके पश्चात् के दावे, यदि पार्टी को कुछ अदा किए गए हैं तो उसे भुगतान वर्ष में व्यय के रुप में प्रभारित किया जाता है.

ज) वाद दायर खातों के मामलों में विधिक व्ययों को लाभ एवं हानि लेखे में डाला जाता है.

17.7 स्वैच्छिक सेवानिवृत्त योजना खर्च का निर्धारण

स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना पर खर्च रकम को भुगतान वाले वर्ष में शामिल किया जाता है.

17.8 विदेशी विनिमय

क) बकाया वायदा विदेशी मुद्रा संविदाओं सहित सभी प्रकार की विदेशी मुद्रा आस्तियों एवं देयताओं का पुर्नमूल्यांकन फेडाई द्वारा वर्षान्त में जारी दरों पर किया जाता है तथा इस प्रकार के पुर्नमूल्यांकन के फल स्वरुप होने वाले लाभ एवं हानि को लाभ एवं हानि लेखों में दर्शाया गया है।

ख) गारंटियों, साख पत्रों, स्वीकृतियों, परांकनों और विदेशी मुद्रा की अन्य बाध्यताओं को तुलन पत्र में दर्शाने हेतु वर्षान्त में फेडाई द्वारा जारी दरों पर पुर्नमूल्यांकित किया गया है.

ग) आय एवं व्यय से संबंधित मदों को लेन-देन की तिथि को प्रचलित विनिमय दरों पर निर्धारित किया गया है.

17.9 कर्मचारी सुविधा

ग्रेज्युटी, पेंशन एवं सेवानिवृत्ति होने पर देय अवकाश नकदीकरण के लिए प्रावधान आई सी ए आई द्वारा जारी लेखा मानकों की अपेक्षा अनुसार बीमांकित मूल्यांकन के अनुसार उपचित आधार पर किए जाते हैं।

17.10 आय पर कर

क) वर्तमान कर के लिए प्रावधान लागू कर कानून , न्यायिक घोषणाओं/ विधिक मतों तथा पूर्व निर्धारणों के आधार पर गणना की गई राशि पर लागू कर की दर का उपयोग करते हुए किया गया है.

f) Fixed Assets include Capital Work-in-Progress.

g) Computer software expenses are considered as intangible assets and are amortized over a period of five years, which is considered as useful economic life of such assets.

17.5 NON-BANKING ASSETS

Non-Banking Assets are stated at cost.

17.6 REVENUE RECOGNITION

a) The Bank generally follows mercantile system of accounting.

b) Commission on letters of credit/ bank guarantees/ Government Business/distribution of third party products, locker rent, interest on refund of taxes, dividend, income on units of mutual funds and rental income are recognized on realization basis.

c) Interest/discount on non-performing loans advances/ investments is recognized to the extent realized as per the prudential guidelines of RBI.

d) Recoveries in written off advances/investments are being accounted for as 'Miscellaneous Income'.

e) Interest on term deposits matured on or after 22nd August, 2008 but remained unpaid has been provided /accounted for at saving bank rate.

f) Expenses on the issue of shares, bonds etc. are recognized in the year of incurrence.

g) Unclaimed credit balances lying in Suspense Receipts for more than five years are being considered as 'Miscellaneous Income'. Subsequent claims, if any paid to the parties are charged to expenses in the year of payment.

h) Legal expenses in case of suit filed accounts are charged to Profit and Loss account.

17.7 TREATMENT OF VRS EXPENDITURE

Expenditure on VRS is recognized in the year of payment.

17.8 FOREIGN EXCHANGE

a) All foreign currency assets and liabilities including outstanding forward exchange contracts in foreign currency are valued at the year-end on the rates issued by FEDAI and the resultant profit/loss arising out of such revaluation is accounted for in the Profit and Loss Account.

b) Guarantees, letters of credit, acceptances, endorsements and other obligations in foreign currency are also revalued at the year-end on the rates issued by FEDAI for the purpose of Balance Sheet exposure.

c) Income and Expenditure items are recognized at the exchange rates prevailing on the date of transaction.

17.9 STAFF BENEFITS

Gratuity, Pension and Leave Encashment payable on retirement; and other employee benefits are provided for as per actuarial valuation as required by AS 15 issued by ICAI.

17.10 TAXES ON INCOME

a) Current tax is provided using applicable tax rates on the amount worked out on the basis of applicable tax laws, judicial pronouncements / legal opinions and the past assessments.

अनुसूचियां SCHEDULES

ख) आस्थगित कर, जिसमें उक्त अवधि के लिए कर योग्य एवं लेखांकन आय के बीच के समय अंतराल का कर प्रभाव शामिल है, की पहचान आस्थगित कर आस्तियों से संबंधित नीति प्रतिफल को ध्यान में रखकर की जाती है।

अनुसूची - 18

लेखा भाग के रुप में टिप्पणियाँ

18.1 क) मार्च 2010 तक अंतर शाखा लेखों में बकाया प्रविष्टियों का पता लगा लिया गया है और उनके समायोजन की परिणामी प्रक्रिया प्रगति पर है.

ख) कुछ शाखाओं में सहायक बहियों/रजिस्टरों के संतुलन एवं उनके प्रधान खाताबही से समाधान का कार्य प्रगति पर है. देय मांग ड्राफ्टों, बिना सूचना भुगतान किए गए ड्राफ्टों, उचंत खातों, भुगतान किए गए लाभांश/ब्याज अधिपत्रों, समाशोधन समायोजनों तथा सेवा शाखाओं और समायोजन में भाग लेने वाली शाखाओं के बीच समाधान सहित कुछेक लेखा शीर्षों में ऐसी बकाया प्रविष्टियां हैं जिनके समायोजन/समाधान की प्रक्रिया जारी है.

ग) भारतीय रिज़र्व बैंक सहित विभिन्न बैंकों के कुछेक मामलों में अपर्याप्त सूचना के कारण बकाया प्रविष्टियाँ समायोजित नहीं की गई हैं.

घ) ऊपर वर्णित (क, ख एवं ग में) लंबित समाधान/ संतुलन/ समायोजन का खातों पर परिणामी प्रभाव का इस समय पता लगाना संभव नहीं है.

18.2 भारतीय रिज़र्व बैंक के संशोधित दिशानिर्देशों के अनुसार, खातों में मानक आस्तियों पर निम्न अनुसार प्रावधान किए गए हैं ।

क) कृषि तथा लघु एवं मध्यम उद्यम क्षेत्र के प्रत्यक्ष अग्रिमों पर बकाया ऋण का 0.25%.

ख) वाणिज्यिक स्थायी संपदा (सीआरई) क्षेत्र को बकाया ऋण का 1.00%

ग) अन्य सभी मानक अग्रिमों पर बकाया ऋण का 0.40% (अर्थात् ऊपर उल्लिखित (क) एवं (ख) को छोडकर).

18.3 मानक आस्तियों के अलावा अन्य सभी आस्तियों के लिए लेखों में प्रावधान भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी आई.आर.ए.सी मानदंडों के अनुसार किया गया है.

18.4 शाखा प्रबंधकों द्वारा दिए गए प्रमाण पत्रों के अनुसार 261 गैर लेखा परीक्षित शाखाओं के अग्रिमों के वर्गीकरण को प्रावधानों सहित सम्मिलित किया गया है।

18.5 बैंक ने इस वर्ष के लाभ रु.511.25 करोड़ (गत वर्ष रु. 422.66 करोड़) में से 153.38 करोड़ (गत वर्ष रु. 126.80 करोड़) की राशि को सांविधिक आरक्षितियों में एचटीएम श्रेणी में रखे गये विनिधानों की बिक्री में से रु. 16.40 करोड़ (गत वर्ष रु. 26.13 करोड़) को पूंजी आरक्षितियों में (सांविधिक आरक्षितियों में कर और अंतरण को घटाकर) अंतरित किया है. बैंक ने आयकर अधिनियम 1961 की धारा 36 (i) (viii) के अधीन सृजित विशेष आरक्षितियों में रु. 15 करोड (पिछले वर्ष 20 करोड) अंतरित किया है. बैंक ने चालू वर्ष हेतु प्रस्तावित लाभांश (लाभांश कर सहित) रु. 67.11 करोड़ (गत वर्ष रु.40.27 करोड) के पश्चात रु. 259.36 करोड़ (गत वर्ष रु. 209.47 करोड़) को भी राजस्व आरक्षितियों में अंतरित किया है.

18.6 रु. 9.86 करोड़ (गत वर्ष रु.9.86 करोड) के दावों के प्रतिफल में अधिगृहीत गैर बैंकिंग आस्तियां (भूमि) पंजीकरण हेतु लम्बित हैं.

b) Deferred tax, comprising of tax effect due to time difference between taxable and as per accounts income for the period, is recognized keeping in view the consideration of prudence in respect of deferred tax assets read with Accounting Standard 22 issued by ICAI.

SCHEDULE – 18

NOTES FORMING PART OF THE ACCOUNTS

18.1 a) Initial matching of entries in respect of Inter Branch transactions has been done up to March 2010 for the purpose of reconciliation, which is an ongoing process.

b. Balancing of subsidiary ledgers/registers and reconciliation with general ledgers are in progress at some branches. Outstanding entries in some heads of account including demand drafts payable, drafts paid ex-advice, suspense accounts, dividend/ interest warrants, refund orders paid and clearing adjustments between service branches and participating branches in clearing are in the process of reconciliation/ adjustments.

c) Balances with Reserve Bank of India/ other banks have been reconciled except certain entries under process of reconciliation.

d) The consequential impact on the accounts of all as stated above [in a, b & c.] is not ascertainable pending reconciliation / balancing / adjustment.

18.2 Provision on standard assets has been given effect in the accounts according to revised RBI guidelines as under:

a) 0.25% of the outstanding in the direct advances to Agriculture and SME Sector

b) 1.00% of the outstanding in Commercial Real Estate (CRE) Sector

c) 0.40% of the outstanding in all other advances [i.e. except a. and b. above.]

18.3 Provision on all assets other than standard assets has also been given effect in the accounts in accordance with the IRAC norms issued by RBI.

18.4 The classification of advances and provisioning there-against in case of 261 Un-audited branches have been incorporated as certified by the branch mangers.

18.5 The Bank has transferred Rs. 153.38 crores (Previous year Rs. 126.80 crores) to Statutory Reserve out of profit of Rs. 511.25 crores for the year (Previous year Rs. 422.66 crores) & Rs. 16.40 crores (Previous year Rs. 26.13 crores) to Capital Reserve (Net of taxes and Transfer to Statutory Reserve) from the profit on sale of investments held under HTM Category. The Bank has transferred Rs. 15 crores in Special Reserve created u/s 36 (1) (viii) of the Income Tax Act, 1961 (Previous Year Rs. 20.00 crores). The Bank has also transferred Rs. 259.36 Crores to Revenue Reserve (Previous Year Rs. 209.47 crores) after proposed dividend (inclusive of dividend tax) of Rs. 67.11 crores (Previous Year Rs. 40.27 crores).

18.6 Non-banking asset (land) acquired in satisfaction of claim amounting to Rs. 9.86 crores (Previous Year. Rs. 9.86 crores) is pending for registration.

अनुसूचियां SCHEDULES

18.7 भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार प्रकटन इस प्रकार है:
Disclosures in terms of RBI guidelines are as under:

क) पूंजी a) Capital:

मदें Items	दिनांक 31.03.2010 के अनुसार As on 31.03.2010	दिनांक 31.03.2009 के अनुसार As on 31.03.2009
	बेसल - II Basel II	बेसल - II Basel II
i. सी आर ए आर (%) CRAR (%)	12.77	12.07
ii. सी आर ए आर - टीयर I पूंजी (%) CRAR - Tier I capital (%)	8.16	6.76
iii. सी आर ए आर - टीयर II पूंजी (%) CRAR- Tier II capital (%)	4.61	5.31
भारत सरकार की शेयरधारिता का प्रतिशत Percentage of the shareholding of the Government of India	51.19%	51.19%
मदें Items	**वित्त वर्ष F Y 2009-10**	**वित्त वर्ष F Y 2008-09**
टीयर II पूंजी के रुप में जुटाई गई गौण ऋण की राशि (रु.करोड में) Amount of subordinated debt raised as Tier II Capital (Rs. in crores)	0.00	500.00
उच्च टीयर II बांड के रुप में जुटाई गई राशि (रु करोड में) Amount of Upper Tier II Bonds raised (Rs. in crores)	0.00	0.00
नवोन्मेशी स्थायी ऋण लिखत की राशि – टीयर I पूंजी के रुप में जुटाई गई राशि (रु. करोड में) Amount of Innovative Perpetual Debt Instruments – Tier I raised (Rs. in crores)	125.00	0.00

ख) विनिधान b) Investments:

i. 'विनिधान संविभाग' धारिता की श्रेणीवार स्थिति इस प्रकार है.
The category wise position of holding of "Investment Portfolio" is as under:

(रु. करोडों में) (Rs. in crores)

श्रेणियां Categories	31.03.2010	31.03.2009
विनिधान का सकल मूल्य Gross Value of Investment		
क. A. परिपक्वता तक धारित Held to Maturity	13097.80	9944.62
ख. B. बिक्री के लिए उपलब्ध Available for Sale	2662.34	2489.27
ग. C. व्यापार के लिए धारित Held for Trading	0.00	104.43
कुल Total	**15760.14**	**12538.32**
घटाएं: मूल्यह्रास Less: Depreciation	65.91	65.24
विनिधान का निवल मूल्य Net value of Investment	**15694.23**	**12473.08**

बैंक ने भारत से बाहर कोई विनिधान नहीं किया है. Bank does not have any investment outside India.

ii. विनिधान पर मूल्यहास हेतु प्रावधानों का घट -बढ Movement of Provision for Depreciation on Investments:

(रु. करोडों में) (Rs. in crores)

विवरण Particulars	2009-10	2008-09
अथ शेष Opening Balance	65.24	52.00
जोडें : वर्ष के दौरान किया गया प्रावधान Add: Provision made during the year	26.11	21.05
उप-योग Sub-Total	91.35	73.05
घटाएं : वर्ष के दौरान डाले गए बट्टे खाते Less: Write off during the year	0.00	0.00
घटाएं : एचटीएम में अंतरित एएफएस / एचएफटी श्रेणी के तहत विनिधान के अंकित मूल्य को कम कर के समायोजित मूल्यह्रास Less: Depreciation adjusted by reducing book value of Investment under AFS/HFT category shifted to HTM	25.44	7.81
इति शेष Closing Balance	**65.91**	**65.24**

अनुसूचियां SCHEDULES

iii. रेपो / प्रत्यावर्तित रेपो लेनदेन REPO/Reverse REPO Transactions:

क) चल निधि - समायोजन सुविधा (एलएएफ) (रु. करोडों में)

a) Liquidity Adjustment Facility (LAF) (Rs. in crores)

	वर्ष के दौरान न्यूनतम शेष Minimum outstanding during the year	वर्ष के दौरान अधिकतम शेष Maximum outstanding during the year	वर्ष के दौरान दैनिक औसत शेष Daily average outstanding during the year	31.3.10 को बकाया शेष. Balance as on 31.03.10
रेपो के अंतर्गत बेची गई प्रतिभूतियां Securities sold under repos	0.00	0.00	0.00	0.00
प्रत्यावर्तित रेपो के अंतर्गत खरीदी गई प्रतिभूतियां. Securities purchased under reverse repos	0.00	2850.00	431.12	0.00

ख) अन्य - शून्य b) Others - NIL

iv. गैर-सांविधिक चलनिधि अनुपात निवेश संविभाग Non-SLR Investment Portfolio:

क. गैर सांविधिक चलनिधि अनुपात निवेशों की जारीकर्ता संरचना. (रु. करोडों में)

a. Issuer Composition of Non-SLR Investment: (Rs. in crores)

क्रम सं. Sl. No.	जारी कर्ता Issuer	रकम Amount	निजी नियोजन का स्तर Extent of private placement	निवेश श्रेणी से कम वाली प्रतिभूतियों का स्तर Extent of 'below investment grade' securities	गैर रेटिंग वाली प्रतिभूतियों का स्तर Extent of 'unrated' securities	गैर सूचीबद्ध प्रतिभूतियों का स्तर Extent of 'unlisted' securities
1	सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम PSUs	224.68	219.67	10.00	0.00	14.00
2	वित्तीय संस्थाएं FIs	1292.57	1292.57	0.00	0.00	0.00
3	बैंक Banks	385.89	382.07	0.00	0.00	8.00
4	निजी कॉर्पोरेट Private Corporate	432.12	381.62	0.00	90.90	90.90
5	सहायक कंपनियां / संयुक्त उद्यम Subsidiaries/ Joint Ventures	21.72	21.72	0.00	20.32	20.32
6	अन्य Others	31.97	18.08	13.89	4.13	18.02
	योग Total	**2388.95**	**2315.73**	**23.89**	**115.35**	**151.24**
7	मूल्यह्रास हेतु किया गया प्रावधान Provision held towards depreciation	45.99				
	बहियों के अनुसार बकाया शेष Balance as per books	2342.96				

ख) गैर कार्य-निष्पादक गैर -एसएलआर विनिधान (रु. करोडों में)

b) Non-performing Non-SLR Investments: (Rs. in crores)

ब्यौरा Particulars	राशि Amount
अथशेष Opening balance	24.50
वर्ष के दौरान 1 अप्रैल, 2009 से परिवर्धन Additions during the year since 1st April, 2009	0.00
उपर्युक्त अवधि के दौरान कटौतियां Reductions during the above period	13.36
इति शेष Closing Balance	11.39
किया गया कुल प्रावधान Total provisions held	11.39

v. बैंक ने वर्ष के दौरान परिपक्वता पर धारित श्रेणी के तहत वर्गीकृत प्रतिभूतियों के लिए रु. 33.35 करोड़ (पिछले वर्ष रु.30.26 करोड़) का लेखांकन नीति 17.2 के अनुसार परिशोधन किया है. उक्त रकम को लाभ एवं हानि खाते में प्रभारित किया गया है तथा संबंधित प्रतिभूतियों के मूल्य को उस सीमा तक कम कर दिया गया है.

vi. भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुसार बैंक ने वर्ष के दौरान प्रतिभूतियों की श्रेणियों में फेरबदल किया है. प्रतिभूतियों को बिक्री के लिए उपलब्ध श्रेणी से परिपक्वता तक धारित श्रेणी में परिवर्तन के कारण रु. 25.44 करोड़ (पिछले वर्ष रु. 7.81 करोड़) तक की राशि के ऐसे अंतरण परवर्ती अवक्षयण को इन प्रतिभूतियों के अंकित मूल्य में कमी करते हुए लाभ एवं हानि खाते में प्रभारित किया गया है.

v. The Bank has amortized Rs. 33.35 crores during the year (Previous Year Rs. 30.26 crores) for securities classified under "Held to Maturity" category, in terms of accounting policy 17.2 and the amount has been charged to Profit and Loss Account by reducing value of the respective securities to that extent.

vi. In accordance with the guidelines issued by RBI, the bank has shifted securities within the categories during the year. The consequential depreciation amounting to Rs. 25.44 crores (previous Year Rs. 7.81 crores) on account of shifting securities from "Available for Sale" category to "Held to Maturity" category has been charged to Profit and Loss Account by reducing book value of these securities.

अनुसूचियां SCHEDULES

vii. बैंक ने उसके द्वारा प्रायोजित दो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों में रु. 21.72 करोड़ (पिछले वर्ष रु. 21.72 करोड़) का निवेश किया हैं. जिसमें से रु. 20.32 करोड़ (पिछले वर्ष रु. 20.32 करोड़) का निवेश क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के पुनर्पूंजीकरण हेतु शेयर पूंजी जमाराशियों के रुप में है. क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों में किए गए निवेश में से एक के मूल्य में हुई कमी का निर्धारण नहीं किया गया है क्योंकि इस निवेश को भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार लागत पर मूल्यांकित किया गया है.

vii. The Bank has investment of Rs 21.72 crores (Previous year Rs 21.72 crores) in two Regional Rural Banks (RRBs) sponsored by the Bank. This includes Investment of Rs. 20.32 crores (Previous Year Rs 20.32 crores) by way of Share Capital deposits, towards recapitalisation of the RRBs. Diminution in value of Investment in one of the RRB has not been recognized as the said investment has been valued at cost in accordance with the RBI guidelines.

8.8 व्युत्पन्न Derivatives:

क) वायदा दर करार / ब्याज दर स्वैप (रु. करोडों में)

a) Forward Rate Agreement/ Interest Rate Swap (Rs. in crores)

	मदें Items	**2009-10**	**2008-09**
i.	स्वैप करार का कल्पित मूलधन The notional principal of swap agreements	शून्य NIL	शून्य NIL
ii.	यदि प्रति पक्ष करार के तहत अपने दायित्व पूर्ण करने में असफल होते हैं तो होने वाली संभावित हानि Losses which would be incurred if counter parties failed to fulfill their obligations under the agreements	शून्य NIL	शून्य NIL
iii.	स्वैप में दर्ज होने पर बैंक द्वारा अपेक्षित संपार्श्विक Collateral required by the bank upon entering into swaps	शून्य NIL	शून्य NIL
iv.	स्वैप से उत्पन्न ऋण जोखिम का संकेद्रण Concentration of credit risk arising from the swaps	शून्य NIL	शून्य NIL
v.	स्वैप बही का उचित मूल्य The fair value of the swap book	शून्य NIL	शून्य NIL

ख) विनिमय व्यापारित ब्याज पर व्युत्पन्न

b) Exchange Traded Interest Rate Derivatives:

बैंक ने वर्ष के दौरान विनिमय व्यापारित ब्याज दर व्युत्पन्न लेनदेन नहीं किए हैं.

The bank has not undertaken exchange traded interest rate derivative transactions during the year.

ग) व्युत्पन्न में जोखिम सीमा का प्रकटन

c) Disclosures on risk exposure in derivatives:

i. गुणात्मक प्रकटन Qualitative disclosure

बैंक ने वर्ष के दौरान कोई एक दिवसीय स्वेप (ओ.आई.एस) लेनदेन नहीं किया.

Bank has not undertaken any overnight interest rate swap (OIS) transaction during the year.

ii. परिमाणात्मक प्रकटन Quantitative Disclosure (रु. करोड़ में) (Rs. in crores)

क्रम सं. Sr. No	**विवरण Particulars**	**मुद्रा व्युत्पन्न Currency Derivatives**	**ब्याज दर व्युत्पन्न Interest rate derivatives**
(i)	व्युत्पन्न कल्पित मूल रकम Derivatives (Notional Principal Amount)		
	क) a) वित्तीय हानि से बचाव के लिए For hedging	शून्य NIL	शून्य NIL
	ख) b) व्यापार के लिए For trading	शून्य NIL	शून्य NIL
(ii)	बाजार स्थिति का बही में अंकन [1] Marked to Market Positions [1]		
	क) a) आस्ति Asset (+)	शून्य NIL	शून्य NIL
	ख) b) देयताLiability (-)	शून्य NIL	शून्य NIL
(iii)	ऋण जोखिम Credit Exposure [2]	शून्य NIL	शून्य NIL
(iv)	ब्याज दर में एक प्रतिशत परिवर्तन का संभावित प्रभाव (100* पी.वी.01) Likely impact of one percentage change in interest rate (100*PV01)	शून्य NIL	शून्य NIL
	क) a) हेजिंग डेरीवेटिव पर on hedging derivatives	शून्य NIL	शून्य NIL
	ख) b) व्यापार व्युत्पन्न पर on trading derivatives	शून्य NIL	शून्य NIL
(v)	वर्ष के दौरान पाया गया 100* पी वी 01 का अधिकतम और न्यूनतम Maximum and Minimum of 100*PV01 observed during the year		
	क) a) हेजिंग पर on hedging	शून्य NIL	शून्य NIL
	ख) b) व्यापार पर on trading	शून्य NIL	शून्य NIL

अनुसूचियां SCHEDULES

18.9 आस्ति गुणवत्ता Asset Quality:

क. गैर-निष्पादक आस्तियां (रु. करोड़ में)

a. Non Performing Assets: (Rs. in crores)

विवरण Particulars	2009-10	2008-09
i. निवल अग्रिमों की तुलना में निवल गैर निष्पादक आस्तियां (%) Net NPA to Net Advances (%)	1.21%	1.09%
ii. सकल गैर-निष्पादक आस्तियों में घट-बढ़ Movement of Gross NPAs		
अथ शेष Opening Balance	620.77	572.60
वर्ष के दौरान परिवर्धन Additions during the year	629.93	675.71
वर्ष के दौरान कमी Reductions during the year	608.71	627.54
इति शेष Closing Balance *	641.99	620.77
iii. निवल गैर-निष्पादक आस्तियों में घट-बढ़ Movement of Net NPAs		
अथ शेष Opening Balance	313.38	215.43
वर्ष के दौरान परिवर्धन Additions during the year	300.26	234.64
वर्ष के दौरान कमी Reductions during the year	186.11	136.69
इति शेष Closing Balance	427.53	313.38
iv. गैर-निष्पादक आस्तियों के लिए प्रावधान में घट-बढ़ Movement of Provision for NPAs		
अथ शेष Opening Balance	292.26	347.62
ज़ोड़ें वर्ष के दौरान किया गया प्रावधान Add: Provisions made during the year	97.79	199.44
घटाएं: वर्ष के दौरान अतिरिक्त प्रावधानों को बट्टे डालना/पुनरांकन करना Less: Write off / write back of excess provisions during the year	184.86	247.41
इति शेष Closing balance	205.18#	299.65*

* रु. 7.40 करोड रकम की एन.पी.ए की बिक्री पर धारित प्रावधान को अब टीयर II पूंजी में शामिल किया गया है.

* Retained provision on amount of sale of NPA amounting to Rs. 7.40 crores included has since being taken to TIER II capital.

इसमें एफ.आई.टी.एल (एन.पी.ए) के प्रावधान के लिए रु. 4.12 करोड भी शामिल हैं जोकि एफ.आई.टी.एल पर प्रावधान के अंतर्गत अलग से रखे गए हैं.

Includes Rs. 4.12 crores towards Provision of FITL (NPA) which is separately maintained under Provision on FITL.

ख) पुनर्गठन की शर्तों पर ऋण आस्तियों का विवरण

b) Details of Loan Assets subjected to Restructuring: (रु. करोड़ में) (Rs. in crores)

		सीडीआर व्यवस्था CDR Mechanism	एस एम ई ऋण का पुन: निर्धारण SME debt Restructuring	अन्य Others
मानक अग्रिमों का पुन:निर्माण Standard advances restructured	उधारकर्ताओं की संख्या No. of borrowers	9	780	6413
	बकाया राशि Amount outstanding	621.06	79.53	581.72
	हानि (मूल्य में कमि) Sacrifice [diminution in the fair value]	14.82	1.70	27.99
अवमानक अग्रिमों का पुन: निर्धारण Sub-Standard advances restructured	उधारकर्ताओं की संख्या No. of borrowers	0	174	725
	बकाया राशि Amount outstanding	0	5.99	31.74
	हानि (मूल्य में कमि) Sacrifice [diminution in the fair value]	0	0.27	0.91
संदिग्ध अग्रिमों का पुन: निर्धारण Doubtful advances restructured	उधारकर्ताओं की संख्या No. of borrowers	5	20	105
	बकाया राशि Amount outstanding	9.86	0.70	31.51
	हानि (मूल्य में कमि) Sacrifice [diminution in the fair value]	0	0.02	0.04
कुल TOTAL	उधारकर्ताओं की संख्या No. of borrowers	14	974	7243
	बकाया राशि Amount outstanding	630.92	86.22	644.97
	हानि (मूल्य में कमि) Sacrifice [diminution in the fair value]	14.82	1.99	28.94

अनुसूचियां SCHEDULES

ग) आस्ति पुनर्निर्माण के लिए प्रतिभूतिकरण/पुनर्निर्माण कंपनी को बेची गई वित्तीय आस्तियों का विवरण

c) Details of Financial assets sold to Securitisation /Reconstruction Company for Asset Reconstruction:

(रु. करोड़ में) (Rs. in crores)

	मदें Item	2009-10	2008-09
i.	खातों की संख्या No. of accounts	1	1
ii.	एस.सी./आर.सी. को बेचे गए खातों का कुल मूल्य (प्रावधान को घटाकर) Aggregate value (net of provisions) of accounts sold to SC/RC	8.29	8.93
iii.	कुल प्रतिफल Aggregate consideration	20.35	10.28
iv.	पिछले वर्षों में अन्तरित खातों के संबंध में प्राप्त अतिरिक्त प्रतिफल Additional consideration realized in respect of accounts transferred in earlier years	शून्य Nil	शून्य Nil
v.	निवल बही मूल्य पर कुल लाभ Aggregate gain over net book value.	12.06	1.33

घ) खरीदी /बेची गई गैर-निष्पादक वित्तीय आस्तियों का विवरण

d) Details of non-performing financial assets purchased/sold

खरीदी गई गैर-निष्पादक वित्तीय आस्तियों का विवरण

Details of non-performing financial assets purchased: (रु. करोड़ में) (Rs. in crores)

विवरण Particulars	2009-10	2008-09
वर्ष के दौरान खरीदे गए खातों की संख्या No. of accounts purchased during the year	शून्य Nil	शून्य Nil
कुल बकाया Aggregate outstanding	शून्य Nil	शून्य Nil
इनमें से, वर्ष के दौरान पुनर्गठित खातों की संख्या Of these, number of accounts restructured during the year	शून्य Nil	शून्य Nil
कुल बकाया Aggregate outstanding	शून्य Nil	शून्य Nil

बेची गई गैर-निष्पादक वित्तीय आस्तियों का विवरण

Details of non-performing financial assets sold: (रु. करोड़ में) (Rs. in crores)

विवरण Particulars	2009-10	2008-09
बेचे गए खातों की संख्या No. of accounts sold	शून्य Nil	शून्य Nil
कुल बकाया Aggregate outstanding	शून्य Nil	शून्य Nil
प्राप्त कुल प्रतिफल Aggregate consideration received	शून्य Nil	शून्य Nil

ङ) प्रावधान कवरेज अनुपात (पी.सी.आर)

तुलन पत्र की तारीख को प्रावधान कवरेज अनुपात 78.61% है जिसकी गणना भारतीय रिज़र्व बैंक के परिपत्र सं. RBI2009-10/240 DBOD.No.BP. BC.64/21.4.048/2009-10 दिनांक 01.12.2009 के अनुसार की गई है.

e) Provision Coverage Ratio (PCR)

As on Balance Sheet Date Provision Coverage Ratio is 78.61% calculated as per RBI Circular No. RBI2009-10/240 DBOD.No.BP BC.64/21.4.048/2009-10 dated 01.12.2009.

18.10 मानक आस्तियों के लिए प्रावधान Provision for Standard Assets:

(रु. करोड़ में) (Rs. in crores)

मदें Item	2009-10	2008-09
मानक आस्तियों के लिए प्रावधान Provision for Standard Assets	16.72	4.17

18.11 कारोबार का अनुप्ात Business Ratios:

विवरण Particulars	2009-10	2008-09
i. कार्यकारी निधियों के प्रतिशत के रुप में ब्याज की आय Interest Income as a percentage to Working funds	7.96%	8.33%
ii. कार्यकारी निधियों के प्रतिशत के रुप में गैर ब्याज आय Non-Interest Income as a percentage to Working funds	1.17%	1.04%
iii. कार्यकारी निधियों के प्रतिशत के रुप में परिचालन गत लाभ Operating Profit as a percentage to Working Funds	1.67%	1.75%
iv. आस्तियों पर प्रतिफल Return on Assets	1.01%	1.02%
v. प्रति कर्मचारी कारोबार (जमा तथा अग्रिम)(रु. करोड़ में) Business (Deposits plus advances) per employee (Rs. in crores)	8.27	7.14
vi. प्रति कर्मचारी लाभ (रुपये लाखों में) Profit per employee (Rupees in lacs)	4.86	4.28

अनुसूचियां SCHEDULES

18.12 आस्ति देयता प्रबंधन Asset Liability Management:

आस्ति एवं देयताओं की निश्चित मदों की परिपक्वता का स्वरुप:

Maturity pattern of certain items of assets and liabilities: (रु. करोड़ में) (Rs in crores)

विवरण Particular	दिन Day 1	2से 7 दिन 2 to 7days	8 से 14 दिन 8 to 14 days	15 से 28 दिन 15 to 28 Days	29 दिन से 3 माह तक 29 Days to 3 Months	3 माह से अधिक 6 माह तक Over 3 Months to 6 Months	6 माह से अधिक 12 माह तक Over 6 Months to 12 Months	1 वर्ष से अधिक3 वर्ष तक Over 1 Year to 3 Years	3 वर्ष से अधिक 5 वर्ष तक Over 3 Year to 5 Years	5 वर्ष से अधिक Over 5 Year	जोड़ Total
जमाराशि Deposits	71.48	815.65	1227.09	947.87	5280.98	7384.01	10439.70	24115.58	613.38	448.49	51344.27
अग्रिम Advances	75.14	458.30	671.24	742.68	2040.46	3202.11	3158.97	12258.71	2672.87	10181.94	35462.44
विनिधान Investments	0	146.11	189.03	5.01	306.07	104.20	10.71	1396.23	1517.71	12019.16	15694.23
उधार Borrowings	0.07	0.44	0.51	0	0	4.49	0	0	360.00	1156.00	1561.92
विदेशी मुद्रा आस्तियां Foreign Currency Assets	543.44	81.55	28.04	219.31	230.71	393.58	0.50	0.85	0	0.08	1498.05
विदेशी मुद्रा देयताएं Foreign Currency Liabilities	569.82	0.0051	10.92	11.81	39.34	113.55	178.74	134.19	15.98	0	1074.37

18.13 अस्थिर क्षेत्रों को उधार Lending to Sensitive sector:

क) भूसंपदा क्षेत्र को ऋण निवेश (रु. करोड़ में)

a) Exposure to Real Estate Sector: (Rs. in crores)

श्रेणी Category	2009-10	2008-09
क) प्रत्यक्ष ऋण निवेश		
a. Direct Exposure		
i. आवासीय बंधक Residential Mortgages		
- प्राथमिकता क्षेत्र के अंतर्गत शामिल करने हेतु पात्र वैयक्ति आवास ऋण Individual Housing Loans eligible for inclusion in priority sector	1784.06	1578.88
- अन्य Others	950.68	803.53
जोड़ Total	2734.51	2382.41
ii. वाणिज्यिक भूसंपदा [एफ बी+एन एफ बी] Commercial Real Estate [FB+NFB]	442.51	674.75
iii. समर्थित बंधक में विनिधान प्रतिभूति (एमबीडी) और अन्य प्रतिभूतिकृत निवेश Investment in Mortgage Backed Securities (MBS) and other securitised exposure		
क) a) आवासीय Residential	0.00	0.00
ख) b) वाणिज्यिक भूसंपदा Commercial real estate	0.00	0.00
ख) अप्रत्यक्ष ऋण निवेश राष्ट्रीय आवास बैंक और अन्य आवासीय वित्तीय कम्पनियों पर निवेश		
b) Indirect Exposure Exposure on National Housing Bank and other Housing Finance Companies	1554.67	1077.30
जमीन जायदाद क्षेत्र के कुल ऋण Total Exposure to Real Estate Sector	**4731.92**	**4134.46**

अनुसूचियां SCHEDULES

ख. पूंजी बाजार में निवेश

b. Exposure to Capital Market:

(रु. करोड़ में) (Rs. in crores)

		2009-10	2008-09
1	इक्विटी शेयरों, परिवर्तनीय बंध पत्रों, परिवर्तनीय डिबेंचरों और इक्विटी उन्मुख पारस्परिक निधियों की यूनिटों में प्रत्यक्ष निवेश जिसकी मूल निधि कार्पोरेट ऋण में निवेश नहीं की गई है. Direct investment in equity shares, convertible bonds, convertible debentures and units of equity-oriented mutual funds the corpus of which is not exclusively invested in corporate debt.	73.85	58.48
2	इक्विटी शेयरों (आईपीओ/ईएसओपीएस सहित) बांडों और डिबेंचरों, इक्विटी उन्मुख पारस्परिक निधियों की यूनिटों में विनिधान के लिए व्यक्तियों को शेयरों पर या निर्बन्ध आधार पर अग्रिम. Advances against shares or on clean basis to individuals for investment in equity shares (including IPOs/ ESOPS), bonds and debentures, units of equity oriented mutual funds.	0.00	0.00
3	अन्य किसी प्रयोजन के लिए अग्रिम जहां शेयरों या परिवर्तनीय बाँडों या परिवर्तनीय डिबेंचरों या इक्विटी उन्मुख पारस्परिक निधियों की यूनिटों को प्राथमिक प्रतिभूति के रुप में लिया गया है. Advances for any other purposes where shares or convertible bonds or convertible debentures or units of equity oriented mutual funds are taken as primary security.	1.90	1.82
4	शेयरों की संपार्श्विक प्रतिभूति या परिवर्तनीय बांडों या परिवर्तनीय डिबेंचरों या इक्विटी उन्मुख पारस्परिक निधियों की यूनिटों द्वारा प्रतिभूत सीमा तक अन्य किसी प्रयोजन के लिए अग्रिम अर्थात् जहां शेयरों/परिवर्तनीय बांडों/परिवर्तनीय डिबेंचरों/इक्विटी उन्मुख पारस्परिक निधियों की प्राथमिक प्रतिभूति अग्रिमों को पूरी सुरक्षा प्रदान नहीं करती है. Advances for any other purposes to the extent secured by the collateral security of shares or convertible bonds or convertible debentures or units of equity oriented mutual funds i.e. where the primary security other than shares/convertible bonds/convertible debentures/units of equity oriented mutual funds `does not fully cover the advances.	0.00	0.00
5	शेयर दलालों को प्रतिभूत तथा अप्रतिभूत अग्रिम एवं शेयर दलालों तथा शेयर संतुलनकर्ताओं की ओर से जारी की गई गारंटियां. Secured and unsecured advances to stockbrokers and guarantees issued on behalf of stockbrokers and market makers.	132.12	171.10
6	संसाधनों के प्राप्त होने की प्रत्याशा में नई कंपनियों की इक्विटी में प्रवर्तक के अंशदान को पूरा करने के लिए शेयरों/ बांडों/ डिबेंचरों की प्रतिभूतियों पर या अन्य निर्बन्ध आधार पर कंपनी को स्वीकृत ऋण. Loans sanctioned to corporate against the security of shares/ bonds/ debentures or other securities or on clean basis for meeting promoters contribution to the equity of new companies in anticipation of raising resources.	0.00	0.00
7	अपेक्षित इक्विटी प्रवाह/ निर्गमों पर कंपनियों को पूरक ऋण. Bridge loans to companies against expected equity flows/issues.	0.00	0.00
8	शेयरों के प्राथमिक निर्गम या परिवर्तनीय बांडों या परिवर्तनीय डिबेंचरों या इक्विटी उन्मुख पारस्परिक निधियों की यूनिटों के संबंध में बैंकों द्वारा की गई हामीदारी प्रतिबद्धता. Underwriting commitments taken up by the banks in respect of primary issue of shares or convertible bonds or convertible debentures or units of equity oriented mutual funds.	0.00	0.00
9	मार्जिन व्यापार के लिए शेयर दलालों को वित्तपोषण. Financing to stockbrokers for margin trading.	0.00	0.00
10	उद्यम पूंजी निधियों (पंजीकृत और गैर पंजीकृत दोनों) को दिए गए सभी ऋणों को इक्विटी के बराबर समझा जाएगा. और इसलिए पूंजी बाजार ऋण सीमाओं (प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों) के अनुपालन के लिए गणना की जाएगी. All exposures to Venture Capital Funds (both registered and unregistered) will be deemed to be on par with equity and hence will be reckoned for compliance with the capital market exposure ceilings (both direct and indirect).	7.05	7.05
	जोड Total	**214.92**	**238.45**

अनुसूचियां SCHEDULES

18.13 जोखिम श्रेणी वार देश वित्त

क) विदेशी मुद्रा लेन देनों के संबंध में, जहां भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार, प्रत्येक देश के लिए परिकलित निधि आधारित जोखिम बैंक की कुल आस्तियों के 1%से अधिक हैं, अपेक्षित प्रावधान. किसी भी देश में बैंक के निवल निधिक ऋण कुल आस्तियों के 1% से अधिक नहीं हैं, कोई भी प्रावधान (पिछले वर्ष शून्य) नहीं किया गया है.

Risk Category wise country exposure:

a) In respect of Foreign Exchange transactions, where the Bank's net funded exposure computed as per the guidelines of the RBI with each country exceeded 1% of the total assets of the Bank, the Bank is required to make the provision. Since, Banks net funded exposure in any country does not exceed 1% of total assets, no provision (Previous year Nil) is made.

ख) बैंक द्वारा एकल उधारकर्ता सीमा (एसजीएल), समूह उधारकर्ता सीमा (जीबीएल) से अधिक ऋण दिया जाना.
वर्ष के दौरान बैंक ने किसी समूह खाता/एकल उधारकर्ता को विवेकसम्मत ऋण सीमा से अधिक ऋण नहीं दिया है.

b) Single Borrower Limit (SGL), Group Borrower Limit (GBL) exceeded by the Bank.
During the year the Bank has not exceeded the prudential credit exposure limit in respect of any Group account / single borrower.

18.14 अरक्षित ऋण Unsecured Loans (रु. करोड़ में) (Rs. in crores)

विवरण Particulars	31.03.2010
1. दिनांक 31.03.10 को कुल अरक्षित ऋण Total Unsecured Loans as of 31.03.10	7210.53
2. (क) जिनमें से अमूर्त प्रतिभूतियों द्वारा प्राप्त (a) Out of which secured by intangible securities	466.72
(ख) ऐसे संपार्श्विक का अनुमानित मूल्य (b) Estimated Value of such collateral	466.72
(ग) बैंक / सरकारी गारंटी द्वारा प्राप्त (c) Secured by Bank / Govt. Guarantee	3323.73
3. अन्य अरक्षित ऋण Other Unsecured Loans [1 - (2a + 2c)]	3420.08

18.15 वर्ष के दौरान भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंक पर कोई दंड नहीं लगाया.
Reserve Bank of India did not subject the Bank to any penalty during the year.

18.16 वर्ष के दौरान लाभ एवं हानि लेखे में नामे डाले गए प्रावधानों एवं आकस्मिकताओं का विवरण.
Details of Provisions and Contingencies debited to the Profit and Loss Account during the year: (रु. करोड़ में) (Rs. in crores)

	ब्यौरा Particulars	2009-10	2008-09
(i)	गैर-निष्पादक आस्तियों के लिए प्रावधान Provision for Non-Performing Assets	96.71	199.44
(ii)	आयकर के लिए प्रावधान Provision for Income Tax	74.51	243.91
(iii)	आस्थगित कर देयताएं (निवल) Deferred Tax Liability (Net)	101.03	*(-) 127.92
(iv)	अनुषंगी लाभ कर के लिए प्रावधान Provision for Fringe Benefit Tax	0.00	2.78
(v)	ब्याज अधित्याग सहित मानक आस्तियों के लिए प्रावधान Provision for Standard Assets	13.99	(-) 54.78
	पुनर्गठित खातों पर एन.पी.वी में अधित्याग के लिए प्रावधान Provision for Sacrifice in NPV on restructured accounts	10.77	0.00
	एडीडब्ल्यूडीआरएस 2008 योजना के अंतर्गत प्रावधान Provision under ADWARD 2008 Scheme	(-) 7.27	0.00
(vi)	विनिधानों पर अवक्षयण के लिए प्रावधान Provision for Depreciation on Investments	26.12	21.05
(vii)	आकस्मिक देयताएं Contingent liabilities	0.00	18.84
(viii)	अन्य Others	13.46	0.38
	जोड़ Total	**329.32**	**303.70**

* रु. 3.21 करोड पिछले वर्षों के लिए हैं. Rs. 3. 21 crores pertains to previous years.

18.17 आयकर के लिए प्रावधान:

Provision for Income Tax:

क) वर्ष के दौरान पिछले वर्षों से संबंधित आयकर के लिए किए गए विविध मूल्यांकनों/ अपीलों/ संशोधन आदेशों/ अतिरिक्त प्रावधानों के अनुसरण में, जिनकी आगे आवश्यकता नहीं है, रु. 10.75 करोड़ (पिछले वर्ष रु. 38.53 करोड़) की राशि को वापस लिया गया है तथा इसे निवल लाभ में समाहित कर लिया गया है.

a) During the year, pursuant to various assessments/ appellate/ rectification orders, excess provision for Income Tax pertaining to earlier years, no longer required, has been written back to the tune of Rs. 10.75 crores (Previous Year Rs. 38.53 crores) and included in the net profit for the year.

अनुसूचियां SCHEDULES

ख) वर्ष के दौरान आयकर हेतु किए गए प्रावधान की राशि

b) Amount of provision made for Income-tax during the year; (रु. करोड़ में) (Rs. in crores)

	वर्तमान वर्ष Current Year	पिछला वर्ष Previous Year
वर्ष के आयकर के लिए प्रावधान Provision for Income-tax for the year	74.28	282.44
घटाएं: पिछले वर्षों हेतु संचित वापसी Less: Written back for earlier years	(-)10.75	(-) 38.53
कुल रकम Net Amount	**63.53**	**243.91**

18.18 परिसर में एक संपत्ति में 1/3 अंश भी शामिल है जिसमें जोकि दूसरे बैंक के साथ संयुक्त स्वामित्व में है, विवरण निम्न प्रकार है.

Premises include 1/ 3rd share in a property jointly owned by the bank with another Bank, as under: (रु. करोड़ में) (Rs. in crores)

बैंक के शेयर Bank's share	**31.03.2010**	**31.03.2009**
लागत Cost	2.34	2.34
संचित **मूल्यह्रास** Accumulated Depreciation	0.86	0.62
घटाए गए मूल्य Written Down Value	1.48	1.72

संपत्ति का पुनर्मूल्यांकन वर्ष 2005-06 के दौरान किया गया था और पुनर्मूल्यांकित संपत्ति का घटा हुआ मूल्य रुपए 15.23 करोड (पिछले वर्ष में 15.57 करोड) है.
The property was revalued during the year 2005-06 and the Written down Value of the revalued property is Rs. 15.23 crores (Previous Year Rs. 15.57 crores).

18.19 i) ग्राहकों की शिकायतें Customer complaints:

क) a)	वर्ष के आरंभ में लम्बित शिकायतों की संख्या No. of complaints pending at the beginning of the year	38
ख) b)	वर्ष के दौरान प्राप्त शिकायतों की संख्या No. of complaints received during the year	1439
ग) c)	वर्ष के दौरान दूर की गई शिकायतों की संख्या No. of complaints redressed during the year	1467
ङ) d)	वर्ष के अन्त में लम्बित शिकायतों की संख्या No. of complaints pending at the end of the year	10

ii) बैंकिंग लोकपाल द्वारा पारित किए गए अवार्ड Awards passed by the Banking Ombudsmen:

क) a)	वर्ष के आरंभ में गैर कार्यान्वित अवार्डों की संख्या No. of unimplemented awards at the beginning of the year	0
ख) b)	वर्ष के दौरान बैंकिंग लोकपाल द्वारा पारित अवार्डों की संख्या No. of awards passed by Banking Ombudsmen during the year	3
ग) c)	वर्ष के दौरान कार्यान्वित अवार्डों की संख्या No. of awards implemented during the year	3
घ) d)	वर्ष के अन्त में गैर कार्यान्वित अवार्डों की संख्या No. of unimplemented awards at the end of the year	0

18.20 बैंक / सरकारी गारंटियों द्वारा सुरक्षित अग्रिमों (अनुसूची-9 पैरा बी (ii) में दर्शाए गए हैं) में विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा गारंटीकृत रु. 2686.16 करोड़ (पिछले वर्ष रु. 2362.56 करोड) शामिल हैं.

18.20 The advances covered by Bank/ Govt. Guarantee [shown in Schedule – 9 Para B (ii)] include Rs. 2686.16 crores [Previous Year Rs. 2362.56 crores] guaranteed by various State Governments.

18.21 गांधीधाम में भूमि के दो प्लॉट, जो काफी समय से बैंक के कब्जे में थे, लेकिन उनके बारे में पंजीकरण की विधिक औपचारिकताएं पूर्ण नहीं हुई थी, को वर्तमान बाजार भाव (प्राप्त मूल्यांकन रिपोर्ट के आधार पर) परिसर के मूल्य में शामिल किया गया है. परिसर में शामिल की गई निवल रकम रु.1.57 करोड को पूंजीगत आरक्षित (पुन: मूल्यांकन आरक्षित) में जमा किया गया है. दिनांक 1 अप्रैल 2009 से पहले ही यह कार्य किया गया. वर्तमान वर्ष 2009-10 के दौरान इस ब्लॉक में किसी भी अन्य आस्ति का पुर्नमूल्यांकन नहीं किया गया.

18.21 Two plots of land at Gandhidham, which were in the possession of the bank since long but in regard to which legal formalities for registration were not complete, have been included in the value of premises at their present market value (based on valuation reports obtained). The net amount added to the premises Rs. 1.57 crores has been credited to Capital Reserves (Revaluation Reserve). The same was done prior to 1st April, 2009. No assets in this block have been revalued during the current year 2009-10.

18.22 लेखांकन मानको (ए.एस) के अनुसार प्रकटन :

क) लेखांकन मानक - एएस 5 के अनुसार प्रकटन :
वर्ष के दौरान लेखांकन नीति में कोई परिवर्तन नहीं.

ख) लेखांकन मानक - एएस 10 के अनुसार प्रकटन :
वर्ष के दौरान बैंक ने अपनी किसी भी अचल आस्ति का पुर्नमूल्यांकन नहीं किया.

ग) लेखांकन मानक - एएस 11 के अनुसार प्रकटन:
वर्ष के लिए विनिमय अंतर से हुई निवल आय रु.33.26 करोड (पिछले वर्ष रु.43.86 करोड) लाभ हानि लेखों में जमा की गई है.

18.22 DISCLOSURE AS PER ACCOUNTING STANDARDS (AS):

a) Disclosure as per AS 5:
There is no change in any accounting policy during the year.

b) Disclosure as per AS 10:
The Bank has not revalued any of its fixed assets during the year.

c) Disclosure as per AS 11:
Net income on account of exchange differences credited in the Profit and Loss account for the year is Rs. 33.26 crores (Previous Year: Rs. 43.86 crores).

अनुसूचियां SCHEDULES

घ) लेखांकन मानक एएस 15 (संशोधित) के अनुसार प्रकटन - कर्मचारी लाभ:

d) Disclosure as per AS 15 (revised) - Employee Benefits:

इन्सटिट्यूट ऑफ चार्टड अकाउन्टेंट्स ऑफ इंडिया द्वारा जारी लेखांकन मानकों के अनुसार निम्नलिखित सूचनाएं प्रकट की गई हैं.

The following information is disclosed in terms of Accounting Standards issued by the Institute of Chartered Accountants of India.

(Rs. in Crores)

		ग्रेच्यूटी Gratuity	पेंशन Pension
(i)	**मूल बीमांकिक अनुमान उपयोग में लाए गए हैं. Principal Actuarial Assumptions used:**		
	पूर्व डिस्काउंट दर Discount Rate Prev	8.00%	8.00%
	पूर्व नियोजन आस्तियों पर प्रतिफल की दर Rate of Return on Plan assets Prev	8.00%	8.00%
	पूर्व वेतन वृद्धि Salary Escalation Prev	5.00%	5.00%
	वर्तमान डिस्काउंट दर.Discount Rate Current	8.00%	2.00%
	वर्तमान नियोजन आस्तियों पर प्रतिफल की दर Rate of Return on Plan assets Current	8.00%	8.00%
	वर्तमान वेतन वृद्धि Salary escalation Current	4.00%	4.00%
(ii)	**लाभ दायित्व में परिवर्तन दर्शाने वाली तालिका Table showing change in Benefit Obligation:**		
	वर्ष के आरंभ में देयताएं Liability at the beginning of the year	235.15	794.90
	ब्याज लागत Interest Cost	18.82	61.34
	वर्तमान सेवा लागत Current Service Cost	8.82	8.88
	पूर्व सेवा लागत (गैर निहित लाभ) Past Service Cost (Non-Vested Benefit)	-	-
	पूर्व सेवा लागत (निहित लाभ) Past Service Cost (Vested Benefit)	-	-
	अंदरं अंतरित देयता Liability Transfer in	-	-
	बाहर अंतरित देयता Liability Transfer out	-	-
	प्रदत्त लाभ Benefit paid	(17.40)	(74.14)
	बीमांकिक (लाभ) / दायित्व पर हानि Actuarial (gain)/ loss on obligation	(22.80)	69.55
	वर्ष के अंत में देयताएं Liability at the end of the year	222.59	860.53
(iii)	**नियोजन आस्तियों के उचित मूल्य की तालिका Table of Fair value of plan Assets:**		
	वर्ष के आरंभ में नियोजन आस्तियों का उचित मूल्य Fair value of Plan Assets at the beginning of the year	215.13	782.29
	नियोजन आस्तियों पर अपेक्षित प्रतिफल Expected return on Plan Assets	16.58	61.86
	अंशदान Contributions	0.87	28.00
	अन्य कंपनी से अंतरण Transfer from other Company	-	-
	अन्य कंपनी को अंतरण Transfer to other Company	-	-
	प्रदत्त लाभ Benefit Paid	(17.40)	(74.14)
	नियोजन आस्तियों पर बीमांकिक लाभ / (हानि) Actuarial Gain / (Loss) on plan assets	7.41	4.25
	वर्ष के अंत में नियोजित आस्तियों का उचित मूल्य Fair Value of Plan Assets at the end of the year	222.59	802.26
	निर्धारित किया जानेवाला कुल बीमांकिक लाभ/(हानि) Total Actuarial Gain/ (Loss) To br recognised	30.21	(65.30)
(iv)	**परिवर्ती देयता का निर्धारण Recognition of Transitional Liability:**		
	आरंभ में परिवर्ती देयता Transitional Liability at start	14.59	12.61
	वर्ष के दौरान निर्धारित परिवर्ती देयता Transitional Liability recognized during the year	4.86	4.20
	अंत में परिवर्ती देयता Transitional Liability at end	9.73	8.41
(v)	**नियोजन आस्तियों पर वास्तविक प्रतिफल Actual return on Plan Assets:**		
	नियोजन आस्तियों पर अपेक्षित प्रतिफल Expected Return on Plan Assets	16.58	61.86
	नियोजन आस्तियों पर बीमांकिक लाभ / (हानि) Actuarial gain/(loss) on Plan Assets	7.41	4.25
	नियोजन आस्तियों पर वास्तविक प्रतिफल Actual return on Plan Assets	23.99	66.11

अनुसूचियां SCHEDULES

(Rs. in Crores)

		ग्रेच्यूटी Gratuity	पेंशन Pension
(vi)	**तुलन पत्र में शामिल रकम Amount recognised in the Balance Sheet:**		
	वर्ष के अंत में देयता Liability at the end of the year	222.59	860.53
	वर्ष के अंत में नियोजन आस्तियों का उचित मूल्य. Fair value of Plan Assets at the end of the year	222.59	802.26
	अंतर Difference	-	(58.27)
	अनिर्धारित पूर्व सेवा लागत. Unrecognized Past Service Cost	-	-
	अनिर्धारित परिवर्ती देयता. Unrecognized Transition Liability	9.73	8.41
	तुलन पत्र में निर्धारित रकम Amount Recognized in the Balance Sheet	9.73	(49.86)
(vii)	**आय विवरण में निर्धारित व्यय Expenses recognized in the Income Statement:**		
	वर्तमान सेवा लागत Current Service Cost	8.82	8.88
	ब्याज लागत Interest Cost	18.82	61.34
	नियोजन आस्तियों पर अपेक्षित प्रतिफल Expected Return on Plan assets	(16.58)	(61.86)
	निर्धारित पूर्व सेवा लागत (गैर निहित लाभ) Past Service Cost (Non Vested Benefit) recognized	-	-
	निर्धारित पूर्व सेवा लागत (निहित लाभ) Past Service Cost (Vested Benefit) recognized	-	-
	परिवर्ती देयताओं का निर्धारण Recognition of Transition Liability	4.86	4.20
	बीमांकिक लाभ या हानि Actuarial Gain or Loss	(30.21)	65.30
	लाभ एवं हानि लेखे में शामिल व्यय Expenses Recognized in P&L	(14.29)	77.86
(viii)	**तुलन पत्र का मिलान Balance Sheet reconciliation:**		
	आरंभिक निवल देयता Opening Net Liability	5.43	0.00
	व्यय उपर्युक्त अनुसार Expenses as above	(14.29)	77.86
	नियोजक का अंशदान Employers Contribution	(0.87)	(28.00)
	तुलन पत्र में शामिल रकम Amount recognized in Balance Sheet	(9.73)	49.86
(ix)	**अन्य विवरण Other Details:**		
	ग्रेच्यूटी प्रत्येक सेवा वर्ष के लिए 15 दिन के वेतन की दर पर भुगतान की जाती है बशर्ते कि अधिकतम रकम रु.3 ,50,000 या बैंक की योजना के अनुसार हो Gratuity is payable at the rate of 15 days salary for each year of service subject to maximum of 3,50,000 or as banks scheme		
	पेंशन प्रत्येक सेवा वर्ष के लिए वेतन के 1/66 की दर पर भुगतान की जाती है बशर्ते कि अधिकतम 50% हो Pension is payable at the rate of 1/66 salary for each year of service subject to maximum of 50%		
	वेतन वृद्धि कंपनी द्वारा दी गई सूचना के अनुसार होती है जोकि कर्मचारियों की पदोन्नति एवं मांग एवं आपूर्ति को ध्यान में रखते हुए उद्योग में प्रचलित प्रक्रिया के अनुसार होती है. Salary escalation is considered as advised by the Company, which is in line with the industry practice considering promotion and demand and supply of the employees		
	सदस्यों की संख्या. No. of Members	10525	10525
	वेतन प्रतिमाह. Salary per Month	24.15	24.15
	अगले वर्ष के लिए अंशदान Contribution for next year		
(x)	**आस्तियों की श्रेणी Category of Assets:**		
	भारत सरकार आस्तियां Government of India Assets.	-	-
	कॉर्पोरेट बांड Corporate bonds.	-	-
	विशेष जमा योजना Special Deposits Scheme	-	-
	राज्य सरकार State Govt.	-	-
	संपत्ति Property	-	-
	अन्य Other	222.59	802.26
	बीमाकर्ता द्वारा संचालित निधियां Insurer Managed Funds	-	-
	कुल Total	**222.59**	**802.26**

अनुसूचियां SCHEDULES

वर्ष के दौरान विभिन्न दीर्घावधि कर्मचारी लाभ के लिए किए गए प्रावधानों (परिवर्ती देयता के 1/5वीं सहित) के विवरण निम्नानुसार है:
Details of Provisions (including 1/5th of transitional liability) made for various long-term employee benefits during the year are as follows:

(रु. करोड़ में) (Rs. in crores)

क्रम सं. Sr. No.	अन्य दीर्घावधि लाभ Other long-term benefits	राशि Amount
1	पेंशन Pension	77.88
2	अवकाश नकदीकरण Leave encashment	9.73
3	ग्रेच्यूटी Gratuity	(-)8.85
4	सिल्वर जूबिली Silver Jubilee	(-)0.02
5	पुनर्वास Resettlement	0.28
6	अवकाश यात्रा रियायत Leave Travel Concession	2.10
7	बीमारी अवकाश Sick Leave	3.83
	कुल Total	**84.95**

बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर कर्मचारी लाभों अर्थात् पेंशन, ग्रेच्यूटी, अवकाश नकदीकरण और लेखांकन मानक एएस 15 (संशोधित) के अनुसार कर्मचारियों के अन्य लाभों के लिए प्रावधान किया गया है. इसके अतिरिक्त, भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा अधिसूचित कर्मचारी लाभों पर लेखांकन मानक-15 (संशोधित) के अनुपालन के लिए 31 मार्च 2007 को संक्रमणकालीन देयताओं के 1/5 होने के कारण रु. 21.58 करोड (पिछले वर्ष-21.58 करोड) की राशि को वर्ष के दौरान लाभ एवं हानि खाते में प्रभारित किया गया है. अमान्य संक्रमणकालीन देयताओं की राशि रु. 43.15 करोड है.

Provision has been made for Employees Benefits viz.; Pension, Gratuity, Leave Encashment and other Employees benefits in accordance with AS-15 (revised)on the basis of actuarial valuation. In addition, a sum of Rs. 21.58 crores (Previous Yeear: 21.58 crore) has been changed to Profit and Loss account during the year, being 1/5th of transitional Liability as on 31st March, 2007, in compliance with AS-15 (revised) on Employees Benefits notified by the ICAI. The amount of unrecognized transitional liability is Rs. 43.15 crores.

ङ) लेखांकन मानक 17 के तहत खंड रिपोर्टिंग:

भारतीय रिज़र्व बैंक के संशोधित दिशानिर्देशों के अनुसार लेखांकन मानक -17 पर, बैंक के परिचालनों को प्राथमिक खण्ड अर्थात् "राजकोष" "कार्पेरेट" / "संपूर्ण बैंकिंग", "रिटेल बैंकिंग" को शामिल करके कारोबार खण्ड और "अन्य बैंकिंग परिचालन" में निम्नानुसार वर्गीकृत किया गया है.

c) Segment Reporting under Accounting Standard 17:

As per the Reserve Bank of India revised guidelines on Accounting Standard -17, the Bank's Operations are classified into Primary Segment, i.e., the business segment comprising of Treasury, Corporate/Wholesale Banking, Retail Banking and Other Banking Operations, as follows:

कारोबार खण्ड Business Segment ·	राजकोष Treasury		कॉर्पोरेट/ संपूर्ण बैंकिंग Corporate/ wholesale Banking		रिटेल बैंकिंग Retail Banking		अन्य बैंकिंग परिचालन Other Banking Operations		कुल Total	
विवरण Particulars ·	वर्तमान वर्ष Current year	पिछले वर्ष Previous year	वर्तमान वर्ष Current year	पिछले वर्ष Previous year	वर्तमान वर्ष Current year	पिछले वर्ष Previous year	वर्तमान वर्ष Current year	पिछले वर्ष Previous year	वर्तमान वर्ष Current year	पिछले वर्ष Previous year
राजस्व Revenue	1217.01	948.11	2261.41	1844.48	999.34	935.79	121.23	149.23	4598.99	3877.61
परिणाम Result	5.55	15.04	683.94	517.98	272.98	193.26	105.63	111.93	1068.10	838.21
गैर आंबटित व्यय Unallocated Expenses									381.56	296.78
परिचालनगत लाभ Operating Profit									686.54	541.43
आयकर Income Taxes									175.29	118.77
असाधारण लाभ/हानि Extraordinary Profit/Loss									0	0
निवल लाभ Net Profit									511.25	422.66
खण्ड आस्तियां Segment Assets	19566.35	17052.08	27553.42	22119.35	9555.13	8545.81	141.29	0	56816.19	47717.24
गैर आंबटित आस्तियां Unallocated Assets									770.39	742.27
कुल आस्तियां Total Assets									57586.58	48468.34
खण्ड देयताएं Segment Liabilities	19566.35	17052.08	25105.46	19907.34	9210.34	8057.14	867.70	1113.33	54749.85	46129.89
गैर आंबटित देयताएं Unallocated Liabilities									2836.73	2329.62
कुल देयताएं Total Liabilities									**57586.58**	**48468.34**

बैंक में कोई गौण (भौगोलिक) खण्ड नहीं है. The Bank does not have any secondary (geographical) segment.

अनुसूचियां SCHEDULES

टिप्पणी:

1) अन्तर खण्ड लागत के कारण खण्ड परिणाम समायोजन के बाद ही निकलते हैं, जिन्हें बैंक द्वारा निर्धारित की जाने वाली अन्तरण मूल्य व्यवस्था के आधार पर मान लिया गया है.
Segment Results are after adjustment on account of Inter Segment Cost, which has been considered on the basis of Transfer Price mechanism decided by the Bank.

2) कल्पित अन्तर वर्ग आस्तियों, देयताओं और राजस्व को छोड़ दिया गया है.
Assumed Inter Segment Assets, Liabilities and Revenue have been ignored.

3) राजकोष परिचालन में बैंक के संपूर्ण राजकोष विनिधान पोर्टफोलियो का समावेश है.
Treasury Operations consist of entire treasury investment portfolio of the Bank.

4) गैर आबंटित देयताओं में पूंजी एवं आरक्षतियां शामिल हैं.
Unallocated liabilities include Capital and Reserves.

च) आईसीएआई द्वारा जारी लेखांकन मानक 18 और भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुपालन में संबंधित पार्टी के लेन-देनों से संबंधित ब्यौरे निम्नानुसार प्रस्तुत किए गए हैं.

f) In compliance with Accounting Standard 18 issued by ICAI and RBI guidelines, details pertaining to Related Party Transactions are as under:

महत्वपूर्ण प्रबन्धन वर्ग Key Management Personnel

नाम Name	पदनाम Designation	मदें Item	अवधि Period	राशि (रुपयों में) Amount (in Rs.)	ऋण की राशि (रुपयों में) Loan Amount (in Rs.)
श्री डी.एल. रावल Shri D.L.Rawal	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक CMD	संवेतन एवं परिलब्धियां Salary Emoluments & Incentives	01.04.2009 से 31.03.2010 तक 01.04.2009 to 31.03.2010	22,06,029	शून्य Nil
श्री भास्कर सेन Shri Bhasker Sen	पूर्व कार्यपालक निदेशक Ex-ED	संवेतन एवं परिलब्धियां Salary Emoluments & Incentives	01.04.2009 से 28.02.2010 तक 01.04.2009 to 28.02.2010	16,37,801	शून्य Nil
श्री ए.के.दत्त Shri A.K.Dutt	कार्यपालक निदेशक ED	संवेतन एवं परिलब्धियां Salary & Emoluments	01.03.2010 से 31.03.2010 तक 01.03.2010 to 31.03.2010	82,550	शून्य Nil

छ) प्रति शेयर अर्जन - लेखांकन मानक

g) Earning per Share - Accounting Standard 20:

प्रति शेयर अर्जन Earning Per Share	**31.03.2010**	**31.03.2009**
प्रति शेयर अर्जन मूल एवं ह्रासित* (रु.) EPS Basic & Diluted* (Rs.)	17.83	14.74
निर्देशांक रुप में (रुपये करोड़ में) मान्य लाभ व हानि लेखे के अनुसार निवल लाभ Net Profit as per Profit and Loss Account Considered as numerator (Rs. in crores)	511.25	422.66
मूल्य वर्ग के रुप में इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या Weighted average number of Equity share considered as denominator	28,68,23,200	28,68,23,200
शेयर का अंकित मूल्य (रु.) Nominal value of share (Rs.)	10/-	10/-

*इसमें कोई ह्रासित संभाव्य शेयर नहीं हैं. *There are no diluted potential equity shares.

ज) समेकित वित्तीय विवरणियां - लेखांकन मानक 21:

बैंक की कोई सहायक कंपनी नहीं है, अत: यह लेखांकन मानक लागू नहीं होते हैं.

झ) आय पर कर - लेखांकन मानक 22:

बैंक ने भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी किए गए `आय पर लेखांकन मानक 22 ' की अपेक्षाओं का अनुपालन किया है, और तदनुसार आस्थगित कर आस्तियों एवं देयताओं की पहचान की गई हैं.

31 मार्च, 2010 को रु. 176.61 करोड़ (पिछले वर्ष रु. 277.64 करोड़) की रकम की आस्थगित कर आस्तियों के निवल शेष में निम्नलिखित समाविष्ट है:

h) Consolidated Financial Statements-Accounting Standard 1:

The Bank is not having any subsidiaries, therefore, this accounting Standard does not apply.

i) Taxes on Income - Accounting Standard 22:

The Bank has complied with requirements of "AS 22 on Accounting for Taxes on Income" issued by ICAI and accordingly, deferred tax assets and liabilities are recognized.

The net balance of Deferred Tax Asset as on 31st March, 2010 amounting to Rs. 176.61 crores (Previous Year Rs 277.64 crores) consists of the following:

अनुसूचियां SCHEDULES

(रु. करोड़ में) (Rs. in crores)

	2009-10	2008-09
आस्थगित कर आस्तियां Deferred Tax Assets		
गैर-निष्पादक आस्तियों / अशोध्य ऋणों के लिए प्रावधान Provision for NPAs / Bad Debts	69.74	101.84
अवकाश नकदीकरण Leave Encashment	25.67	22.38
एच.टी.एम. प्रतिभूतियों से संबंधित परिशोधित प्रीमियम Amortized premium on HTM securities	44.59	40.01
निवेश पर मूल्यह्रास के लिए प्रावधान Provision for depreciation on investments	-24.46	*73.88
धारा 40 (ए) (आईए) के अंतर्गत अस्वीकार्य व्यय Expenditure disallowable under Section 40(a)(ia)	2.05	2.05
वेतन संशोधन प्रावधान Wage revision provision	47.59	23.79
परिपक्व वायदा विदेशी मुद्रा संविधान पर हानि / लाभ (-) Loss/ Profit (-) on unmatured Forward Forex contract	4.83	15.32
परिपक्व सावधि जमा राशियों पर तदर्थ प्रावधान Adhoc provision on matured Term Deposits	3.29	2.60
एडीडब्ल्यूडीआरएस के लिए प्रावधान Provision for ADWARDS	1.82	0.00
एफ.आई.टी.एल के लिए प्रावधान Provision for FITL	3.98	0.00
कुल आस्थगित कर आस्तियां Total Deferred Tax Assets	**179.10**	**281.87**
घटाएं: आस्थगित कर देयताएं Less: Deferred Tax Liabilities		
साफ्टवेयर सहित स्थिर आस्तियों पर मूल्यह्रास Depreciation on Fixed Assets including software	2.49	4.23
कुल आस्थगित कर दायित्व Total Deferred Tax Liabilities	2.49	4.23
अनुसूची 11 (अन्य आस्तियों) में दर्शायी गयी आस्थगित कर आस्तियों का निवल शेष Net balance of DTA shown in the Schedule 11 (Other Assets)	176.61	277.64

* रु. 3.21 करोड पिछले वर्षों के अनुकूल. *Rs. 3.21 crore pertains to previous years.

ज्ञ) समेकित वित्तीय विवरणियों में सहयोगी कंपनियों में निवेश का लेखांकन - लेखांकन मानक - 23

तुलन पत्र की तिथि को बैंक की कोई सहयोगी कंपनी नहीं है

ट) बंद किए गए क्रिया कलाप - लेखांकन मानक 24: वर्ष के दौरान बैंक ने कोई क्रियाकलाप बंद नहीं किया.

ठ) लेखांकन मानक - 28: प्रबंधन की राय में उनकी आस्तियों में कोई अपसामान्य बात नहीं है जिन पर लेखांकन मानक एएस 28 लागू नहीं है.

ड) प्रावधानों, आकस्मिक देयताओं तथा आकस्मिक आस्तियों पर लेखांकन मानक - 29 के अनुसार प्रकटन.

वर्ष के दौरान बैंक ने अनुमानित आधार पर प्रस्तावित वेतन संशोधन के लिए रु. 70 करोड का तदर्थ प्रावधान किया जिसका वास्तविक निर्धारण भारतीय बैंक संघ एवं कर्मचारी यूनियन के बीच करारनामा पर हस्ताक्षर के बाद होगा.

i) देयताओं के लिए प्रावधानों में घट-बढ

j. Accounting for Investments in Associates in Consolidated Financial Statements - Accounting Standard - 23

As on the Balance Sheet Date there is no such associate of the Bank.

k. Discontinuing Activities - Accounting Standard - 24: No activity has been discontinued in the Bank during the year.

l. Accounting Standard - 28: In the opinion of the Management, there is no impairment to its assets, to which Accounting Standard - 28 is applicable.

m. Disclosure in terms of Accounting Standard - 29: on provisions, contingent liabilities and contingent assets.

During the year, Bank has made adhoc provision of Rs. 70 crores for proposed wage revision on estimated basis, which will be crystallized on signing the agreement between IBA and employee unions.

i) Movement of Provisions for Liabilities

(रु. करोड़ में) (Rs. in crores)

विवरण Particulars	कानूनी मामले/आकस्मिकताएं Legal Cases / Contingencies
1 अप्रैल 2009 का शेष Balance as at 1st April, 2009	21.38
वर्ष के दौरान प्रावधान Provided during the year	0.15
वर्ष के दौरान प्रयुक्त राशि Amounts used during the year	-
वर्ष के दौरान प्रत्यावर्तित Reversed during the year	0.15
31 मार्च, 2010 को शेष Balance as at 31st March, 2010	21.38
बाह्यगमन / अनिश्चितताओं का काल Timing of Outflow/Uncertainties	अनिश्चित Not ascertainable
अपेक्षित प्रतिपूर्ति Reimbursement Expected	अनिश्चित Not ascertainable

अनुसूचियां SCHEDULES

ii) आकस्मिक देयताओं के संबंध में तुलन पत्र की अनुसूची-12 की मद संख्या (i) से (v) अपने स्वरुप के अनुसार वर्गीकृत विभिन्न प्रकार की आकस्मिक देयताओं को दर्शाती हैं. ये राशियां की गई मूल संविदा अथवा दावों से संबंधित कागजातों के आधार पर प्राक्कलित की गई हैं. इन आकस्मिक देयताओं के कारण बहिर्गमन न्यायिक प्राधिकरणों द्वारा मुकदमों के निपटारे के परिणाम, संविदाओं के निष्पादन, गारंटी मांगने, साख पत्रों के हस्तांतरण, दावों के निपटान आदि पर निर्भर करेगा. ऐसे मामलों में किसी भी प्रतिपूर्ति की संभावना का पता लगाना इस स्तर पर संभव नहीं है.

18.23 चल प्रावधान

बैंक के पास कोई चल प्रावधान नहीं है.

18.24 आरक्षितियों से आहरण

वर्ष के दौरान बैंक ने (पहले मूल्यांकित परिसर की बिक्री से पुनर्मूल्यांकन आरक्षितियों पर प्रभाव को छोडकर) आरक्षितिशें से कोई रकम आहरित नहीं की है.

18.25 बैंक द्वारा जारी चुकौती आश्वासनों (एल.ओ.सी) का प्रकटन

चूंकि बैंक की विदेश में कोई सहायक कंपनी / शाखा नहीं है, इसलिए बैंक ने विदेशी नियामक की शर्तों को पूरा करने के लिए कोई चुकौती आश्वासन पत्र जारी नहीं किया है.

18.26 बैंक को बैंक बीमा कारोबार से रु. 8.33 करोड शुल्क / कमीशन के रुप में प्राप्त हुए.

18.27 कारोबार प्रतिनिधि (बीसी) मॉडल के माध्यम से बैंकिंग सेवाएं प्रदान करने के बारे में प्रगति के संबंध में प्रकटन तथा इस संबंध में बैंक द्वारा किए गए प्रयास. परिपत्र सं डी.बी.ओ.डी सं. बी.एल.बीसी.63/22.01.009/2009-10 के अनुसार.

18.28 जमा राशियों का केंद्रीकरण

ii) Item Nos. (I) to (V) of the Schedule 12 of the balance sheet on contingent liabilities, reflect the various types of contingent liabilities categorized according to their nature. These amounts are estimated on the basis of documents related to the basic contracts or claims made. Outflow on account of these contingent liabilities would depend upon the outcome of disposal of litigations by the respective judicial authorities, execution of contracts, invocation of guarantees, devolvement of LCs, settlement of claims etc. The possibility of any reimbursement in such cases is not ascertainable at this stage.

18.23 Floating Provisions

Bank does not have any floating provisions.

18.24 Draw Down from Reserves

Bank has not drawn any amount from the Reserves (except effect on Revaluation Reserve due to sale of premises earlier revalued) during the year.

18.25 Disclosure of Letter of Comforts (LOCs) issued by banks

Since the Bank does not have any subsidiary/branch in overseas, Bank has not issued any Letter of Comfort [LOC] to meet the requirement of foreign regulator.

18.26 Bank has received Rs.8.33 crores as fees/commission from bancassurance business.

18.27 Disclosure regarding progress in respect of extending banking services through the Business Correspondents (BC) model and the initiatives taken by banks in this regard. As per circular no DBOD.No.BL.BC.63/22.01.009/2009-10

18.28 Concentration of Deposits.

(रु. करोड़ में) (Rs. in crore)

विवरण Particulars	**रकम Amount**
बीस बडे जमाकर्ताओं की कुल जमाएं Total Deposits of twenty largest depositors	8524.03
बैंक की कुल जमाओं में बीस बडी जमाओं का प्रतिशत Percentage of Deposits of twenty largest deposits to total deposits of the Bank	16.60%

18.29 अग्रिमों का केंद्रीकरण Concentration of Advances

(रु. करोड़ में) (Rs. in crore)

विवरण Particulars	**रकम Amount**
बीस बडे अग्रिमों के कुल अग्रिम Total Advances of twenty largest Advances	7215.88
बैंक के कुल अग्रिमों में बीस बडे अग्रिमों के अग्रिमों का प्रतिशत Percentage of Advances of twenty largest Advances to total Advance of the Bank	14.72

18.30 ऋण का केंद्रीकरण Concentration of Exposure

(रु. करोड़ में) (Rs. in crore)

विवरण Particulars	**रकम Amount**
बीस बडे उधारकर्ताओं / ग्राहकों के कुल ऋण Total Exposure of twenty largest borrowers/ customers	7221.53
उधाकर्ताओं / ग्राहकों को बैंक के कुल ऋणों में बीस बडे उधारकर्ताओं / ग्राहकों के ऋणों का प्रतिशत Percentage of Exposure to twenty largest borrowers/ customers to total Exposure of the Bank on borrowers/ customers	11.15

18.31 एन.पी.ए का केंद्रीकरण Concentration of NPA

(रु. करोड़ में) (Rs. in crore)

विवरण Particulars	**रकम Amount**
शीर्ष चार एन.पी.ए खातों के कुल ऋण Total Exposure to top four NPA Accounts	108.39

अनुसूचियां SCHEDULES

18.32 क्षेत्रवार एन.पी.ए Sector wise NPA

विवरण Particulars	उस क्षेत्र में कुल अग्रिमों में एन.पी.ए का प्रतिशत Percentage of NPAs to Total Advances in that sector
कृषि एवं सम्बद्ध क्रिया कलाप Agriculture & Allied activities	1.68%
उद्योग (सूक्ष्म एवं लघु, मध्यम एवं बडे उद्यम Industry (Micro and Small, Medium & large)	1.74%
सेवाएं Services	5.90%
व्यक्तिगत ऋण Personal Loans	1.24%

18.33 एन.पी.ए में घटबढ Movement of NPAs (रु. करोड़ में) (Rs. in crore)

विवरण Particulars	रकम Amount
सकल एन.पी.ए (01 अप्रैल 2009 के अनुसार अथशेष) Gross NPA (Opening Balance as on 1st April, 2009)	620.77
वर्ष के दौरान जोडे गए (नए एन.पी.ए) Additions (Fresh NPA) during the year	629.93
उप-योग Sub-Total - A	1250.70
घटाएं Less:	
(i) उन्नयन Upgradations	228.40
(ii) वसूली (उन्नयन किए गए खातों में की गई वसूली को छोडकर) Recoveries (excluding recoveries made from upgraded accounts)	195.43
(iii) बट्टे खाते लिखे गए Write Offs	184.88
उप - योग Sub Total - B	608.71
सकल एन.पी.ए (31 मार्च, 2010 को इतिशेष) Gross NPA (Closing Balance as on 31st March, 2010)	641.99

18.34 विदेशी आस्तियां एन.पी.ए एवं राजस्व Overseas Assets NPA & Revenue (रु. करोड़ में) (Rs. in crore)

विवरण Particulars	रकम Amount
कुल आस्तियां Total Assets	शून्य Nil
कुल एन.पी.ए Total NPAs	शून्य Nil
कुल राजस्व Total Revenue	शून्य Nil

18.35 बैंक ने किसी एस.पी.वी का प्रायोजन नहीं किया है.

18.36 बैंक ने गुजरात राज्य में भुज तथा बनासकांठा जिलों तथा दादरा एवं नगर हवेली केंद्र शासित प्रदेश में बैंकिंग सेवाएं प्रदान करने के लिए कारोबार प्रतिनिधि के रुप में मेसर्स जीरो माइक्रो फाइनेन्स सेविंग्स सर्पोट फाउंडेशन तथा प्रौद्योगिकी प्रदाता के रुप में मेसर्स ए लिटिल वर्ल्ड की सेवाएं ली हैं. बैंक ने छत्तीसगढ राज्य के दुर्ग जिले में वित्तीय समावेशन की प्रथम परियोजना के लिए कारोबार प्रतिनिधि के रुप में मेसर्स फिनो फिनटैक फाउंडेशन तथा प्रौद्योगिकी प्रदाता के रुप में मेसर्स फाइनेन्शियल इन्फोंमेशन नेटवर्क एवं ऑपरेशन्स लिमिटेड के साथ समझौता ज्ञापन किया है.

18.37 पिछले वर्ष के आंकडों को चालू वर्ष के आंकड़ों के साथ तुलनीय बनाने के लिए आवश्यकतानुसार उन्हें पुनर्समूहित / पुनर्वर्गीकृत / पुनर्व्यवस्थित किया गया है.

18.35 Bank has not sponsored any SPVs.

18.36 Bank has engaged M/s Zero Micro Finance Savings Support Foundation as Business Correspondent with M/s A Little World as technology provider for extending Banking Services in Bhuj and Banaskantha districts of Gujarat State and Union Territory of Dadra and Nagar Haveli. Bank has also entered into MOU with M/s FINO Fintech Foundation as Business Correspondent and with M/s Financial Information Network & Operations Ltd. as technology provider for Financial Inclusion Pilot Project in Durg District of Chattisgarh State.

18.37 Previous years figures have been regrouped / reclassified/ re-arranged, wherever necessary, to make them comparable with the current year's figures.

भारत के राष्ट्रपति की सेवा में लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट REPORT OF THE AUDITORS TO THE PRESIDENT OF INDIA

1. हमने देना बैंक के 31 मार्च, 2010 के संलग्न तुलन-पत्र तथा उसके साथ संलग्न उसी तारीख को समाप्त अवधि के लाभ-हानि लेखों का लेखा-परीक्षण किया है, जिसमें हमारे द्वारा लेखा परीक्षित 20 शाखाएं तथा 21 क्षेत्रीय कार्यालयों की विवरणियां भी शामिल हैं, अन्य लेखा परीक्षकों द्वारा लेखा परीक्षित 846 शाखाएं हैं तथा 261 शाखाओं की लेखा परीक्षा नहीं हुई है. हमारे द्वारा तथा अन्य लेखा परीक्षकों द्वारा लेखा-परीक्षित शाखाओं का चयन भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा बैंक को दिए गए दिशा निर्देशों के अनुसार किया गया है. गैर लेखा परीक्षित शाखाओं के अग्रिम कुल अग्रिमों के 2.61%, जमाराशियों के 8.87%, ब्याजगत आय कुल ब्याजगत आय के 0.72% और ब्याजगत व्यय कुल ब्याजगत व्यय के 4.03% होते हैं. हमने तुलन पत्र के साथ उसी तारीख को समाप्त वर्ष के लिए नकदी प्रवाह विवरण की भी लेखा परीक्षा की है. इन वित्तीय विवरणों के लिए बैंक प्रबंधन जिम्मेदार है. हमारा दायित्व अपनी लेखा परीक्षा के आधार पर इन वित्तीय विवरणों पर अपना मत व्यक्त करना है.

2. हमने अपनी लेखापरीक्षा भारत में सामान्यत: स्वीकृत लेखापरीक्षा मानदंडों के अनुसार की है. इन मानदंडो की अपेक्षा है कि हम लेखापरीक्षा की योजना एवं उसका कार्यान्वयन इस प्रकार करें कि उसे ऐसा युक्तियुक्त आश्वासन प्राप्त हो कि ये वित्तीय विवरण किसी सारयुक्त सूचना से रहित नही हैं. लेखापरीक्षा में नमूना आधार पर धनराशियों और वित्तीय विवरणों के प्रकटन के समर्थन में साक्ष्यों का परीक्षण शामिल होता है. लेखा परीक्षा में प्रयुक्त लेखांकन सिद्धांतों और प्रबंधन द्वारा किए गये महत्वपूर्ण अनुमानों के आकलन के साथ-साथ समग्र रुप से वित्तीय विवरणों के प्रस्तुतन का मूल्यांकन भी शामिल होता है. हमें विश्वास है कि हमारी लेखा परीक्षा हमारे इस मत का युक्तियुक्त आधार उपलब्ध कराती है.

3. तुलन पत्र और लाभ व हानि लेखा बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की तीसरी अनुसूची के क्रमश फॉर्म "क" और "ख" में तैयार किए गए हैं.

4. ऊपर पैरा 1 और 2 में निर्दिष्ट लेखापरीक्षा की सीमाओं के अधीन और बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970 / 1980 द्वारा अपेक्षित और उसमें यथा प्रकटन की सीमाओं की अपेक्षा के अधीन हम रिपोर्ट करते हैं कि लेखा की टिप्पणियों की अनुसूची 18 की टिप्पणी संख्या 18.1 में किए गए उल्लेख के अनुसार :-

   क) अन्तर शाखा लेखों की प्रविष्टियों का प्रारंभिक मिलान 31 मार्च 2010 तक कर लिया गया है और उनके समायोजन की प्रक्रिया जारी है.

   ख) अनुषंगी बहियों/रजिस्टरों के संतुलन तथा उनके प्रधान बही से समाधान का कार्य कुछेक शाखाओं में जारी है.

   ग) भुगतान के लिए देय मांग ड्राफ्टों, बिना सूचना अदा किए गए ड्राफ्टों, उचंत खातों, लाभांश ब्याज वारंटों, अदा किये गए वापसी आदेशों, समाशोधन समायोजन, सेवा शाखा एवं समाशोधन में भाग लेने वाली शाखाओं के बीच समाधान तथा भारतीय रिज़र्व बैंक तथा अन्य बैंकों की जमाराशियों के खातों में बकाया प्रविष्टियां हैं, जिनका समाधान/ समायोजन कार्य जारी है.

   उपर्युक्त तथा अन्य प्रकटनों/अनुपातों पर भी इनके प्रभाव का पता नहीं लगाया गया है.

1. We have audited the attached Balance Sheet of Dena Bank as at 31st March, 2010 and the Profit and Loss Account annexed thereto for the year ended on that date, in which are incorporated the returns of 20 branches and 21 Regional Offices audited by us, 846 branches audited by other auditors and 261 branches which were not subject to audit. The branches audited by us and those audited by other auditors have been selected by the bank in accordance with the guidelines issued by the Reserve Bank of India. The unaudited branches account for 2.61% of advances, 8.87% of deposits, 0.72% of interest income and 4.03% of interest expenses. We have also audited the cash flow statement annexed to the balance sheet for the year ended on that date. These financial statements are the responsibility of the bank's management. Our responsibility is to express our opinion on these financial statements based on our audit.

2. We conducted our audit in accordance with the auditing standards generally accepted in India. These standards require that we plan and perform the audit to obtain reasonable assurance as to whether the financial statements are free of material mis-statements. An audit includes examining on a test basis, evidence supporting the amounts and disclosure in the financial statements. An audit also includes assessing the accounting principles used and significant estimates made by the management, as well as evaluating the overall financial statements presentation. We believe that our audit provides a reasonable basis for our opinion.

3. The Balance Sheet and the Profit and Loss Account have been drawn up in Forms "A" and "B" respectively, of the Third Schedule to the Banking Regulation Act, 1949.

4. Subject to the limitations of the audit indicated in paragraphs 1 & 2 above, and as required by the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 / 1980 and subject to the limitation of disclosures required therein, we report that: as referred to in Note No.18.1 of Schedule 18 of Notes to Accounts: -

   (a) Initial matching of entries in Inter-Branch Accounts has been done up to 31st March, 2010 and the process of reconciliation is in progress.

   (b) Balancing of subsidiary ledgers / registers and reconciliation with general ledgers is in progress at some branches.

   (c) There are outstanding entries in the accounts of demand drafts payable, drafts paid ex-advice, suspense accounts, dividend / interest warrants, refund orders paid, clearing adjustments, reconciliation between the service branches and participating branches in respect of clearing, balances with Reserve Bank of India and other banks which are in the process of reconciliation / balancing / adjustments.

   Impact of the above, as also on the other disclosures / ratios is not ascertained.

भारत के राष्ट्रपति की सेवा में लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट REPORT OF THE AUDITORS TO THE PRESIDENT OF INDIA

5. हम आगे रिपोर्ट करते हैं कि:

(i) लेखा टिप्पणियों एवं उसमें उल्लिखित अनुसूचियों के साथ पठित उपरोक्त 4 में दी गई हमारी टिप्पणियों की शर्त पर तथा हमारी राय में और हमारी सर्वोत्तम सूचना के आधार पर तथा हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार एवं बैंक की बहियों में यथा प्रदर्शित:

(क) महत्वपूर्ण लेखा नीतियों और उन पर दी गई टिप्पणियों के साथ पठित तुलन पत्र अपने आवश्यक ब्यौरों के साथ पूर्ण और सही हैं तथा इसे ऐसे उचित रुप से तैयार किया गया है कि उससे 31 मार्च, 2010 को बैंक के कार्यकलापों का सही और स्पष्ट चित्र उपस्थित हो सके.

(ख) महत्वपूर्ण लेखा नीतियों और उनसे संबंधित टिप्पणियों के साथ पठित लाभ हानि लेखा 31 मार्च, 2010 को समाप्त वर्ष के लाभ के वास्तविक अतिशेष को दर्शाता है.

(ग) नकदी प्रवाह विवरण 31 मार्च, 2010 को समाप्त वर्ष की नकदी प्रवाह की वास्तविक स्थिति दर्शाता है.

(ii) हमारी सर्वोत्तम जानकारी एवं विश्वास के अनुसार हमारी लेखा परीक्षा के प्रयोजन हेतु हमने सभी आवश्यक सूचनाएं एवं स्पष्टीकरण प्राप्त किए हैं और उन्हें संतोषजनक पाया है.

(iii) बैंक के संव्यवहार, जो हमारी जानकारी में आए हैं, बैंक के अधिकार क्षेत्र में हैं.

5. We further report that:

(i) Subject to our comments in paragraphs 4 above, read with the Notes to Accounts and Schedules mentioned therein, in our opinion and to the best of our information and according to the explanations given to us and as shown by the books of the bank:

(a) The Balance Sheet read with the Significant Accounting Policies and the Notes thereon is a full and fair Balance Sheet containing the necessary particulars and it is properly drawn up so as to exhibit a true and fair view of the affairs of the Bank as at 31st March, 2010.

(b) The Profit and Loss Account read with the Significant Accounting Policies and the Notes thereon shows a true balance of profit for the year ended 31st March, 2010.

(c) The Cash Flow Statement gives the true and fair view of the cash flows for the year ended 31st March, 2010.

(ii) We have obtained all the information and explanations, which to the best of our knowledge and belief were necessary for the purpose of our audit and have found them to be satisfactory.

(iii) The transactions of the bank, which have come to our notice, have been within the powers of the bank.

कृते आर.के.दीपक एण्ड कं.	कृते पी पारिख एण्ड एसोसिएट्स	कृते बी गुप्ता एण्ड कं.	कृते जैन चौधरी एण्ड कं.	कृते गोखले एण्ड साठे
सनदी लेखाकार	सनदी लेखाकार	सनदी लेखाकार	सनदी लेखाकार	सनदी लेखाकार
एफआर नं. 003145N	एफआर नं. 107564W	एफआर नं. 000933C	एफआर नं. 113267W	एफआर नं. 103264W
For R.K.Deepak & Co.	For P.Parikh & Associate	For B Gupta & Co	For Jain Chowdhary & Co.	For Gokhale & Sathe
Chartered Accountants	Chartered Accountants	Chartered Accountants	Chartered Accountants	Chartered Accountants
FRN No. 003145N	FRN NO. 107564W	FRN NO. 000933C	FRN NO. 113267W	FRN NO. 103264W
(अरविंद ओबरॉय)	(संदीप पारिख)	(एस.प्रसाद)	(सिद्धार्थ जैन)	(उदय साठ्ए)
(Arvind Uberoi)	(Sandeep Parikh)	(S Prasad)	(Siddharth Jain)	(Uday Sathaye)
एम.नं. M.No. 90479	एम.नं. M.No. 39713	एम.नं. M.No. 80958	एम.नं. M.No. 104709	एम.नं. M.No. 35107
भागीदार Partner	भागीदार Partner	भागीदार Partner	भागीदार Partner	भागीदार Partner

31 मार्च, 2010 को समाप्त वर्ष का नकदी प्रवाह विवरण CASH FLOW STATEMENT FOR THE YEAR ENDED 31ST MARCH, 2010

(000 को छोड़ दिया है '000s omitted)

		31.03.2010 की स्थिति के अनुसार As on 31.03.2010		31.03.2009 की स्थिति के अनुसार As at 31.03.2009	
		रु.Rs.	रु.Rs.	रु.Rs	रु.Rs
भाग - I परिचालन संबंधी गतिविधियाँ से नकदी प्रवाह					
Part - I Cash flow from operating activities					
कर के पश्चात् निवल लाभ Net profit after tax			5112531		4226622
ज़ोड़ें / (घटाएं) - गैर-नकदी मदें और अन्यत्र विचारित मदें					
Add / (Less) - Non-cash items and items considered seperately					
(1)	स्थिर आस्थियों पर अवक्षयण Depreciation on fixed assets	276088		268413	
(2)	स्थिर आस्तियों की बिक्री से लाभ + / हानि (-) Profit (-) / Loss (+) on sale of fixed assets	(5015)		7094	
(3)	विनिधानों पर अदा किये गये प्रीमियम का परिशोधन Amortisation of premium paid on Investments	333526		302615	
(4)	साफ्टवेयर व्ययों का परिशोधन Amortisation of software expenses	24875		28369	
(5)	दीर्घावधि ऋणों पर अदा ब्याज Interest paid on long-term loans	1486396		1101193	
(6)	प्रावधान और आकस्मिकताएं Provision & Contingencies	1537826		1849343	
(7)	आयकर एवं डी.टी.एल. के लिए प्रावधान Provision for Income Tax & DTL	1752900		1159850	
(8)	संपत्ति कर प्रावधान Provision for Wealth tax	2500		0	
(9)	अनुषंगी लाभ कर हेतु प्रावधान Provision for Fringe Benefit Tax	22		27784	
(10)	अवकाश नकदीकरण बीमांकित मूल्यन Leave Encashment Actuarial valuation	97300		129000	
(11)	बीमारी अवकाश के लिए प्रावधान Provision for Sick Leave	38300		28700	
(12)	सिल्वर जुबिली माइल स्टोन अवार्ड के लिए प्रावधान Provision For Silver Jubilee Milestone Award	(200)		7300	
(13)	अवकाश किराया रियायत के लिए प्रावधान Provision for LFC	21000		32000	
(14)	पुनर्वास सेवा के लिए प्रावधान Provision for Resettlement Service	2800		11700	
(15)	वेतन संशोधन के लिए प्रावधान Provision for Wage Revision	700000		700000	
			6268318		**5653361**
कार्यशील पूंजी में परिवर्तनों से पूर्व परिचालन लाभ Operating profit before Working capital changes			**11380849**		**9879983**
कार्यशील पूंजी परिवर्तन के लिए समायोजन: Adjustments for working capital changes :					
(1)	विनिधानों में (वृद्धि)/कमी(Increase)/Decrease in Investments	(32806190)		(22414080)	
(2)	अग्रिमों में (वृद्धि)/कमी (Increase)/Decrease in Advances	(66919720)		(60534144)	
(3)	अन्य आस्तियों में (वृद्धि)/कमी (Increase)/Decrease in Other Assets	(567384)		(386945)	
(4)	जमाराशियों में वृद्धि/(कमी) Increase/(Decrease) in Deposits	82936618		91074332	
(5)	उधार राशियों में वृद्धि/(कमी)(वित्तीय क्रिया कलापों के सिवाय) Increase/(Decrease) in Borrowings (Excluding Financing Activities)	(62118)		(3424882)	
(6)	अन्य देयताओं में वृद्धि/(कमी) Increase/(Decrease) in Other Liabilities	1492786		2970078	
			(15926008)		**7284359**
परिचालन जनित नकदी Cash Generated from operations			**(4545159)**		**17164342**
आयकर वापसी/(भुगतान किया गया प्रत्यक्ष कर) Income tax refund / (Direct tax Paid)			**(1785050)**		**(422093)**
परिचालन गतिविधियों से निवल नकदी प्रवाह Net Cash flow from operating activities			**(6330209)**		**16742249**

31 मार्च, 2010 को समाप्त वर्ष का नकदी प्रवाह विवरण CASH FLOW STATEMENT FOR THE YEAR ENDED 31ST MARCH, 2010

(000 को छोड़ दिया है '000s omitted)

	31.03.2010 की स्थिति के अनुसार As on 31.03.2010		31.03.2009 की स्थिति के अनुसार As at 31.03.2009	
	रु.Rs.	रु.Rs.	रु.Rs	रु.Rs
भाग II - विनिधान गतिविधियों से नकदी प्रवाह				
Part II - Cash flow from investing activities				
अचल संपत्तियों का क्रय (अमूर्त संपत्ति भी शामिल)	(474980)		(421130)	
Purchase of fixed assets (Incl. intangible)				
अचल संपत्तियों का विक्रय Sale of fixed assets	19624		60276	
निर्माण के तहत भवन Building under construction	(1295)		(10)	
विनिधान गतिविधियों में विनियोजित निवल नकदी		**(456651)**		**(360864)**
Net Cash used in Investment activities				
परिचालन और विनिधान गतिविधियों से नकदी प्रवाह		**(6786860)**		**16381385**
Cash flow from operating and Investing activities				
भाग III - वित्तीय गतिविधियों से नकदी प्रवाह				
Part III - Cash flow from financing activities				
लिया गया आईपीडीआई/ गौण ऋण IPDI/ Sub ordinated debts raised	1250000		3250000	
भुगतान किया गया लाभांश Dividend Paid	(402683)		(335569)	
दीर्घावधि ऋण पर भुगतान किया गया ब्याज Interest paid on long-term loan	(1486396)		(1101193)	
वित्तीय गतिविधियों में विनियोजित निवल नकदी		**(639079)**		**1813238**
Net Cash used in Financing activities				
नकदी और नकदी सममूल्य में निवल वृद्धि/कमी		**(7425939)**		**18194623**
Net increase/decrease in cash and cash equivalents				
नकदी और नकदी सममूल्य (अथ शेष)	58571148		40376525	
Cash and Cash equivalents (Opening)				
नकदी और नकदी सममूल्य (इति शेष)	51145209		58571148	
Cash and Cash equivalents (Closing)				
नकदी एवं नकदी सममूल्य के अथ शेष एवं इति शेष में अंतर		**(7425939)**		**18194623**
Difference in opening and closing cash and cash equivalents				

(डी.एल.रावल)
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
(D.L. Rawal)
Chairman & Managing Director

(ए.के. दत्त)
कार्यपालक निदेशक
(A. K. Dutt)
Executive Director

(एस.के. जैन)
महा प्रबंधक
(S.K. Jain)
General Manager

लेखा-परीक्षकों का प्रमाणपत्र AUDITOR'S CERTIFICATE

हमने देना बैंक, मुम्बई के 31.03. 2010 को समाप्त वर्ष के नकदी प्रवाह विवरण की जाँच की है. बैंक द्वारा तैयार किया गया यह विवरण स्टॉक एक्सचेंज के साथ हुए सूचीबद्धता करार (खंड-32) की अपेक्षाओं के अनुरुप तैयार किया गया है तथा भारत के राष्ट्रपति को प्रस्तुत हमारी समसंख्यक दिनांक की रिपोर्ट में समाविष्ट बैंक के तदनुरुपी लाभ एवं हानि लेखे तथा तुलन पत्र पर आधारित है और उसके अनुरुप है.

We have examined the above Cash Flow Statement of Dena Bank for the year ended 31.03.2010. The statement has been prepared by the bank in accordance with requirements of the Listing Agreements (Clause 32) with Stock Exchanges & is based on and in agreement with the corresponding Profit & Loss account and Balance Sheet of the Bank covered by our Audit Report of even date to the President of India.

कृते आर.के.दीपक एण्ड कं.
सनदी लेखाकार
For R.K.Deepak & Co.
Chartered Accountants
एफआरएन नं. FRN No. 003145N
(अरविंद ओबरॉय)
(Arvind Uberoi)
एम.नं. M. No. 90479
भागीदार Partner

कृते पी. पारिख एण्ड एसोसिएट्स
सनदी लेखाकार
For P. Parikh & Associate
Chartered Accountants
एफआरएन नं. FRN NO. 107564W
(संदीप पारिख)
(Sandeep Parikh)
एम.नं. M. No. 39713
भागीदार Partner

कृते बी. गुप्ता एण्ड कं.
सनदी लेखाकार
For B. Gupta & Co.
Chartered Accountants
एफआरएन नं. FRN NO. 000933C
(एस. प्रसाद)
(S Prasad)
एम.नं. M. No. 80958
भागीदार Partner

कृते जैन चौधरी एण्ड कं.
सनदी लेखाकार
For Jain Chowdhary & Co.
Chartered Accountants
एफआरएन नं. FRN NO. 113267W
(सिद्धार्थ जैन)
(Siddharth Jain)
एम.नं. M. No. 104709
भागीदार Partner

कृते गोखले एण्ड साठे
सनदी लेखाकार
For Gokhale & Sathe
Chartered Accountants
एफआरएन नं. FRN NO. 103264W
(उदय साठ्ए)
(Uday Sathaye)
एम.नं. M. No. 35107
भागीदार Partner

स्थान: मुम्बई दिनांक : 27 अप्रैल, 2010
Place: Mumbai, Date: 27th April, 2010

देना बैंक
DENA BANK

प्रधान कार्यालय : देना कार्पोरेट सेंटर, सी-10, जी ब्लॉक, बांद्रा-कुर्ला कॉम्प्लेक्स, बांद्रा (पूर्व), मुंबई - 400 051.

रजि. फोलियो नं ----------
(यदि बेकागजीकृत नहीं है)
डीपी आईडी नं. ----------
ग्राहक आई डी नं. ----------
(यदि बेकागजीकृत है)

फार्म बी
मुख्तारी(प्रॉक्सी) फार्म
(शेयर धारक द्वारा भरा व हस्ताक्षर किया जाना है)

मैं / हम ----------राज्य के ---------- जिले में स्थित ---------- का / के निवासी देना बैंक का / के शेयरधारक / शेयरधारकों के रूप में एतद्द्वारा ----------जिले में स्थित----------का / के निवासी श्री/श्रीमती ---------- को अथवा उसकी अनुपस्थिति में ---------- राज्य के ---------- जिले में स्थित ---------- का /के निवासी श्री / श्रीमती ---------- को **देना बैंक** की 16 जुलाई, 2010 को दोपहर 3.00 बजे सभागृह, सर सोराबजी पोचखानावाला बैंकर्स ट्रेनिंग कॉलेज, जे.वी.पी.डी. स्कीम, कूपर अस्पातल के पास, विलेपार्ले (पश्चिम), मुंबई - 400 056 में आयोजित होने वाली शेयरधारकों की चौदहवीं वार्षिक सामान्य सभा और उसके किसी स्थगन के उपरान्त आयोजित सभा में मेरे / हमारे लिए तथा मेरी / हमारी ओर से मतदान करने के लिए अपना मुख्तारी नियुक्त करता हूं / करते हैं.

इस पर ---------- 2010 के ---------- दिन हस्ताक्षर किए.

कृपया
रुपया 1/-
का राजस्व
टिकट लगाएं

_____
प्रथम नामित / एकल शेयरधारक के हस्ताक्षर

_____
मुख्तारी के हस्ताक्षर

नाम (स्पष्ट अक्षरों में) _____
पता _____
_____
_____

मुख्तारी (प्रॉक्सी) फार्म पर हस्ताक्षर करने और प्रस्तुति करने हेतु अनुदेश :

1. मुख्तारी लिखत तभी वैध होगा जब,
   (क) व्यक्तिगत शेयरधारक के मामले में वह उसके द्वारा या उसके / उसकी अटर्नी द्वारा लिखित रुप में विधिवत् हस्ताक्षरित किया हो,
   (ख) संयुक्त धारकों के मामले में वह सदस्यता रजिस्टर में प्रथम नामित द्वारा अथवा लिखित रुप में विधिवत् प्राधिकृत उसके / उसकी अटर्नी द्वारा हस्ताक्षरित हो,
   (ग) किसी कंपनी निकाय के मामले में वह उसके अधिकारी द्वारा अथवा लिखित रुप में विधिवत् प्राधिकृत अर्टनी द्वारा हस्ताक्षरित हो.
2. ऐसे मुख्तारी लिखत, जिनपर शेयरधारकों के हस्ताक्षरों की छाप है, तभी वैध होंगे जब वे किसी न्यायाधीश, मजिस्ट्रेट, एश्यूरेंस के रजिस्ट्रार या उप-रजिस्ट्रार या किसी सरकारी राजपत्रित अधिकारी या देना बैंक के अधिकारी द्वारा सत्यापित हो.
3. मुख्तारी के साथ
   (क) मुख्तारनामा या अन्य प्राधिकार (यदि कोई है) जिसके तहत उस पर हस्ताक्षर किए गए हों,
   (ख) नोटरी पब्लिक अथवा मजिस्ट्रेट द्वारा सत्यापित मुख्तारनामा अथवा अन्य प्राधिकार की एक प्रति चौदहवीं वार्षिक सामान्य बैठक की तारीख से चार दिन पहले अर्थात् 10 जुलाई, 2010 को कार्य समय के दौरान या उससे पहले कंपनी सचिव, निवेशक संपर्क केंद्र, देना बैंक, प्रधान कार्यालय, देना कॉर्पोरेट सेंटर, सी-10, जी-ब्लॉक, बांद्रा-कुर्ला कॉम्प्लेक्स, बांद्रा (पूर्व), मुंबई - 400 051 में जमा की जानी चाहिए.
4. यदि संबद्ध मुख्तारनामा देना बैंक अथवा उसके शेयर अंतरण एजेंट के पास पहले ही पंजीकृत किया जा चुका है तो मुख्तारनामों की पंजीकरण संख्या और ऐसे पंजीकरण की तारीख का उल्लेख किया जाए.
5. कोई भी मुख्तारी लिखत तब तक वैध नहीं होगी जब तक वह विधिवत् स्टाम्पित न हो.
6. बैठक में जमा की गई मुख्तारी लिखत अंतिम तथा अप्रतिसंहरणीय होगी.
7. दो अनुदान - ग्राहियों के पक्ष में वैकल्पिक रुप से प्रदत्त मुख्तारी लिखत के मामले में एक से अधिक फार्म का निष्पादन नहीं होगा.
8. जिस शेयरधारक ने मुख्तारी लिखत निष्पादित की है वह उस लिखत से संबंधित बैठक में व्यक्तिगत रुप से मतदान करने का हकदार नहीं होगा जिससे वह लिखत संबंधित हो.
9. देना बैंक के किसी कर्मचारी या अधिकारी को विधिवत् प्रतिनिधि या मुख्तारी के रुप में नियुक्त नहीं किया जाएगा.

Head Office: Dena Corporate Centre, C-10, G Block, Bandra Kurla Complex, Bandra (East), Mumbai - 400 051.

Regd. Folio No. _____
(If not dematerialised)
D.P. ID No. _____
Client ID No. _____
(If dematerialised)

FORM B
PROXY FORM
(to be filled in and signed by the Shareholder)

I/We _____ resident/s

of _____ in the district

of _____ in the state of_____ being a shareholder/shareholder(s)

of DENA BANK, Mumbai hereby appoint Shri/Smt._____

resident of _____ in the district of _____

_____ in the state of _____or failing him /her, Shri/Smt. _____

_____ resident of _____

in the district of _____ in the state of _____ as my/our proxy to vote for me/us and on my/our behalf at the Fourteenth Annual General Meeting of the shareholders of **DENA BANK** to be held on Friday, 16th July, 2010 at 3.00 P.M. at Auditorium, Sir Sorabji Pochkhanawala Bankers' Training College, J.V.P.D. Scheme, Near Cooper Hospital, Vile Parle (West), Mumbai - 400 056, and at any adjournment thereof.

Please Affix Re. 1/- Revenue Stamp

Signed this _____ day of _____ 2010.

_____
Signature of first named/sole shareholder

_____
Signature of the Proxy

NAME (IN BLOCK LETTERS) _____

ADDRESS _____

_____

_____

INSTRUCTIONS FOR SIGNING AND LODGING THE PROXY FORM

1. No instrument of proxy shall be valid unless,
   (a) in the case of an individual shareholder, it is signed by him/her attorney duly authorised in writing,
   (b) in the case of joint holders, it is signed by the shareholder first named in the Register or his/her attorney duly authorised in writing,
   (c) in the case of a body corporate signed by its officer or an attorney duly authorized in writing.
2. An instrument of Proxy shall be sufficiently signed by any shareholder, who is, for any reason, unable to write his/her name, if his/her mark is affixed thereto and attested by a Judge, Magistrate, Registrar or Sub-Registrar of Assurances or other Government Gazetted Officer or an Officer of Dena Bank.
3. The Proxy together with
   (a) the power of attorney or other authority (if any) under which it is signed, or
   (b) a copy of the power of attorney or authority, certified by a Notary Public or a Magistrate, should be deposited with the Company Secretary, Dena Bank, Investor Relations Centre, Dena Corporate Centre, C-10, G Block, Bandra-Kurla Complex, Bandra (East), Mumbai - 400 051 Not later than FOUR DAYS before the date of the Fourteenth Annual General Meeting i.e. on or before the close of office hours on 10th July, 2010.
4. In case the relevant power of attorney is already registered with Dena Bank or its Share Transfer Agents, the registration number of the power of attorney and the date of registration may be mentioned.
5. No instrument of Proxy shall be valid unless it is duly stamped.
6. An instrument of Proxy deposited with the Bank shall be irrevocable and final.
7. In the case of an instrument of proxy granted in favour of two grantees in the alternative, not more than one form shall be executed.
8. The shareholder, who has executed an instrument of proxy, shall not be entitled to vote in person at the Annual General Meeting to which such instrument relates.
9. No person shall be appointed as duly authorised representative or a proxy who is an officer or an employee of Dena Bank.

देना बैंक DENA BANK

प्रधान कार्यालय: देना कॉर्पोरेट सेंटर, सी-10, जी ब्लॉक, बांद्रा-कुर्ला कॉम्प्लेक्स, बांद्रा (पूर्व), मुंबई - 400 051

Head Office: Dena Corporate Centre, C-10, G Block, Bandra-Kurla Complex, Bandra (East), Mumbai - 400 051

चौदहवीं वार्षिक सामान्य सभा 2010 के लिए उपस्थिति पर्ची

ATTENDANCE SLIP FOR FOURTEENTH ANNUAL GENERAL MEETING 2010

(सभा स्थल पर प्रस्तुत की जानी है)

(to be surrendered at the venue of the meeting)

मैं प्रमाणित करता हूं / करती हूं कि मैं देना बैंक का पंजीकृत शेयरधारक (धारकों) के लिए पंजीकृत शेयरधारक / प्रॉक्सी / प्रतिनिधि हूं.

I certify that I am a registered shareholder/ proxy/ representative for the registered shareholder(s) of DENA BANK.

मैं एतद्द्वारा, शुक्रवार 16 जुलाई, 2010 को अपरान्ह 3.00 बजे सर सोराबजी पोचखानावाला बैंकर्स ट्रेनिंग कॉलेज, जे.वी.पी.डी. स्कीम, कूपर अस्पताल के पास, विलेपार्ले (पश्चिम), मुंबई - 400 056 में देना बैंक के शेयरधारकों की चौदहवीं सामान्य सभा में अपनी उपस्थिति दर्ज करता / करती हूं.

I hereby record my presence at the Fourteenth Annual General Meeting of the shareholders of Dena Bank at Auditorium, Sir Sorabji Pochkhanawala Bankers Training College, J.V.P.D Scheme, Near Cooper Hospital, Vile Parle (West), Mumbai - 400 056 on Friday, 16th July, 2010 at 3.00 P.M.

शेयरधारक का नाम और पता
Name and Address of the Shareholder

रजि. फोलियो नं . _____
(यदि बेकागजीकृत न हो)
Regd. Folio No.
(if not dematerilised)

डीपी आईडी नं. _____
DP I D No.

ग्राहक आई डी नं.
(यदि बेकागजीकृत हो) _____
Client I D No.
(if dematerilised)

सभा में उपस्थित शेयरधारक/ प्रॉक्सी/ प्रतिनिधि के हस्ताक्षर
Signature of the Shareholder/ Proxy/ Representative attending the meeting

यदि शेयरधारक हैं तो कृपया यहां हस्ताक्षर करें	यदि प्रॉक्सी/प्रतिनिधि हैं तो कृपया यहां हस्ताक्षर करें
If, Shareholder, please sign here	If Proxy/ Representative, please sign here

देना बैंक DENA BANK

प्रधान कार्यालय: देना कॉर्पोरेट सेंटर, सी-10, जी ब्लॉक, बांद्रा-कुर्ला कॉम्प्लेक्स, बांद्रा (पूर्व), मुंबई - 400 051

Head Office: Dena Corporate Centre, C-10, G Block, Bandra-Kurla Complex, Bandra (East), Mumbai - 400 051

चौदहवीं वार्षिक सामान्य सभा 2010 के लिए प्रवेश पत्र

ENTRY PASS FOR FOURTEENTH ANNUAL GENERAL MEETING 2010

(सभा में पूरे वक्त साथ रखा जाए)/(to be retained throughout the meeting)

शेयरधारक का नाम और पता
Name and Address of the Shareholder

रजि. फोलियो नं . _____
(यदि बेकागजीकृत न हो)
Regd. Folio No.
(if not dematerilised)

डीपी आईडी नं. _____
DP I D No.

ग्राहक आई डी नं.
(यदि बेकागजीकृत हो) _____
Client I D No.
(if dematerilised)

शेयरधारकों / प्रॉक्सी अथवा शेयरधारक / कों के प्रतिनिधियों से अनुरोध किया जाता है कि सभागृह में प्रवेश के लिए प्रवेश पत्र के साथ बैंक में पंजीकृत अपने नमूना हस्ताक्षरों के अनुरुप उपर्युक्त उपस्थिति पर्ची विधिवत हस्ताक्षर करें. हालांकि, सभागृह में प्रवेश सत्यापन / जांच, जो भी आवश्यक हो, की शर्त पर करने दिया जाएगा, किन्तु किसी भी हालत में सभागृह में प्रवेश के लिए कोई डुप्लीकेट उपस्थिति पर्ची जारी नहीं की जाएगी.

Shareholders/proxy or representative of shareholder(s) are requested to produce the above attendance slip duly signed in accordance with their specimen signatures registered with the Bank, along with the entry pass for admission to the meeting hall. The admission will however be subject to verification/checks as may be deemed necessary, under no circumstances any duplicate attendance slip will be issued at the entrance to the meeting hall.

इस पृष्ठ को रिक्त रखा गया है THIS PAGE IS KEPT BLANK

देना बैंक
DENA BANK

प्रिय शेयरधारक,

डिपॉजिटरी सेवाएं:

आपका बैंक अपने ग्राहकों को 23.12.1997 से डिपॉजिटरी सेवाओं की पूरी श्रृंखला प्रदान करते हुए **राष्ट्रीय प्रतिभूति डिपॉजिटरी लिमिटेड (एन एस डी एल)** के डिपॉजिटरी सहभागी (डीपी) के रूप में भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (एसईबीआई) में पंजीकृत है.

पूंजी बाजार शाखा, मुंबई डीपी शाखा है जो एनएसडीएल से इलेक्ट्रानिकली रूप से जुडा हुआ है. बैंक ने अपने ग्राहकों को डीपॉजिटरी सेवाएं प्रदान करने हेतु प्रमुख पहल के भाग के रूप में विभिन्न केंद्रों पर निम्नलिखित निर्धारित शाखाओं में डिपॉजिटरी सेवाएं प्रदान की हैं:

मुंबई		
क) भाट बाजार शाखा	च) कांदिवली पश्चिम शाखा	ट) पेडर रोड शाखा
ख) भायंदर पश्चिम शाखा	छ) खारघर शाखा	ठ) शेयर बाजार शाखा
ग) जेवीपीडी विले पार्ले शाखा	ज) मुलुंड पूर्व शाखा	ड) ठाणे शाखा
घ) कल्याण शाखा	झ) मुलुंड पश्चिम शाखा	ढ) योगीनगर शाखा
अहमदाबाद		
क) आश्रम रोड शाखा	ख) अंबावाडी शाखा	ग) नवरंगपुरा शाखा
सूरत		
क) नानपुरा शाखा	ख) रामनगर शाखा	
दिल्ली		
क) कनाट प्लेस शाखा	ख) करोलबाग शाखा	ग) नेहरू प्लेस शाखा
घ) स्कोप कांप्लेक्स शाखा		
जयपुर		
क) एम आई रोड, जयपुर शाखा	ख) हल्दियों का रास्ता शाखा	
चेन्नै		
क) माउंट रोड शाखा	ख) अलवारपेट शाखा	ग) नुंगमबाक्कम शाखा
कोलकाता		
क) ब्राबोर्नरोड शाखा	ख) पार्क स्ट्रीट शाखा	

शेयरधारक, जो डिपॉजिटरी प्रणाली में प्रवेश लेकर इलेक्ट्रानिक फॉर्म में अपनी शेयरधारिता रखना चाहते हैं, बैंक की उपर्युक्त किसी भी निर्धारित शाखा में खाता खोल सकते हैं.

बैंक अपनी निर्धारित शाखाओं के माध्यम से डिपॉजिटरी सेवाओं की पूरी श्रृंखला प्रदान करता है जिसमें सीधा आईडीईएस (इंटरनेट आधारित डीमेट खाता विवरणी) शामिल है जो ऐसे खाताधारकों के लिए एक सुविधा है जो बैंक में अपना खाता खोलते हैं और खाता खोलने के फॉर्म में अपना ई मेल पता का उल्लेख करते हैं. एनएसडीएल, खाताधारक को उसके द्वारा दिये गये ई मेल पते पर प्रत्यक्ष आईडीईएस हेतु लिंक के साथ ई मेल भेजेगा. इससे खाता धारक को इंटरनेट के माध्यम से अपने अद्यतन जमा शेष एवं उनके डिपॉजिटरी खातों में पिछले 5 दिन में हुए लेनदेन जानने की सुविधा मिलेगी.

शेयरधारकों से निवेदन है कि वे यह नोट करें कि सेबी ने अपने परिपत्र संख्या एसएसडीएल/पॉलिसी/2006/0007 दिनांक 3 मार्च, 2006 द्वारा सभी वर्गों के डीमेट खाताधारकों के लिए जिनमें नाबालिग, न्यास, विदेशी निगमित निकाय, बैंकों, कार्पोरेट, विदेशी संस्थागत निवेशकों, अनिवासी भारतीय शामिल हैं, के लिए 1 अप्रैल, 2006 से पीएएन (PAN) अनिवार्य किया है. किसी भी शेयरधारक जो निर्धारित शाखाओं के माध्यम से बैंक में डीमेट खाता खोलना चाहता है, के पास खाता खोलने हेतु पीएएन होना चाहिए.

शेयरधारकों जो और सूचना / स्पष्टीकरण जानने के लिए इच्छुक हैं, शाखा प्रबंधक, देना बैंक, पूंजी बाजार शाखा, 17-बी, हार्निमन सर्कल, फोर्ट. मुंबई 400 023 से दूरभाष संख्या: 022-22661206, टेलीफेक्स: 022-22694426 पर या किसी निर्धारित शाखा के शाखा प्रबंधक से संपर्क कर सकते हैं.

ii. अन्य महत्वपूर्ण सूचना:

1. शेयरधारकों जिन्होंने वित्तीयवर्षों 1996-97, 1997-98, 1998-99, 1999-2000, 2006-07, 2007-08 तथा 2008-09 के लाभांश वारंटों का नकदीकरण नहीं किया है, से निवेदन है कि वे अदत्त लिखतों को पुनर्वैधीकरण के लिए मेसर्स शेयरप्रो सर्विसेस (इंडिया) प्रा. लि., यूनिट: देना बैंक, 13 ए/बी संहिता कांप्लेक्स, गाला संख्या 52 से 56, साकी नाका टेलीफोन एक्सेंज के पास, अंधेरी-कुर्ला रोड, साकी नाका, मुंबई 400 072 को भेजें.
2. कोई भी शेयरधारक, जिनको हमारे 2रा सार्वजनिक निर्गम के वापसी आदेश या आबंटित शेयर प्राप्त नहीं हुए हैं, पावती रसीद की प्रतिलिपि एवं आवेदन के पूरे विवरण के साथ बैंक या उसके पंजीकार को लिखें.
3. भौतिक रूप में शेयर रखनेवाले शेयरधारक, अनिवार्य विवरण में हुए कोई परिवर्तन जैसे कि पता, बैंक खाता संख्या, बैंक का नाम एवं शाखा आदि में परिवर्तन के लिए हमारे पंजीकार मेसर्स शेयरप्रो सर्विसेस (इंडिया) प्रा. लि. को लिखें और वे शेयरधारक जो इलेक्ट्रानिक रूप में शेयर रखते हैं, बैंक या उसके पंजीकार को नहीं लिखें, बल्कि अपने डिपॉजिटरी सहभागी को लिखें.

Dear Shareholder,

Depository Services:

Your Bank is registered with Securities & Exchange Board of India (SEBI) as a Depository Participant (DP) of **National Securities Depository Limited (NSDL)** offering full range of depository services since 23/12/1997 to its customers.

Capital Market Branch Mumbai is the DP Branch which is electronically connected to NSDL. As a part of major initiative to provide the Depository services to its customers, Bank has extended the Depository services at the following 28 identified Branches at various centers:

MUMBAI		
a) Bhat Bazar Branch	b) Bhayander West Branch	c) JVPD Vile Parle Branch
d) Kalyan Branch	e) Kandivali West Branch	f) Kharghar Branch
g) Mulund East Branch	h) Mulund West Branch	i) Peddar Road Branch
j) Share Bazar Branch	k) Thane Branch	l) Yoginagar Branch
AHMEDABAD		
a) Ashram Road Branch	b) Ambawadi Branch	c) Navrangpura Branch
SURAT		
a) Nanpura Branch	b) Ramnagar Branch	
DELHI		
a) Connaught Place Branch	b) Karol Baug Branch	c) Nehru Place Branch
d) Scope Complex Branch		
JAIPUR		
a) M I Road Jaipur Branch	b) Haldio ka Rasta Branch	
CHENNAI		
a) Mount Road Branch	b) Alwarpet Branch	c) Nuganbakum Branch
KOLKATA		
a) Brabourne Road Branch	b) Park Street Branch	

Shareholders who wish to maintain their shareholding in the electronic form by joining the depository system, may open an account with the Bank at any of the above identified Branches.

Bank through the identified Branches is offering the full range of depository services including Direct IDeAS (Internet based demat account statement) a facility available to the account holders who open the account with the Bank and mention their E-mail Address in the account opening form. NSDL will send an E-mail to the account holder on the e-mail address provided with a link for registration under Direct IDeAS. This facilitates the account holder to know through Internet the latest balances and transaction that have taken place in last 5 days in their depository accounts.

The Shareholders are requested to note that the SEBI vide its circular No. NSDL/POLICY/2006/0007 dated 3rd March, 2006 has made PAN a mandatory requirement w.e.f. 1st April, 2006 for all categories of demat account holders including minor,Trust, Foreign Corporate Body, Banks, Corporate, FIIs and NRIs. Any Shareholder who wish to open Demat account with the Bank through the identified Branches should have PAN number for opening the Account.

Shareholders interested in any further information /clarification, may contact the Branch Manager, Dena Bank, Capital Market Branch, 17-B, Horniman Circle, Fort, Mumbai- 400 023. Tel: 022- 22661206 Telefax: 022- 22694426 or Branch Manager of any of the identified Branches.

II. Other Important Information

1. Shareholders who have not encashed Dividend Warrants for the financial years 1996-97, 1997-98, 1998-99 ,1999-2000, 2006-2007, 2007-2008 and 2008-2009 are requested to send the unpaid instruments for revalidation to M/s. Sharepro Services (India) Private Limited Unit: Dena Bank, 13 A/B Samhita Complex, Gala No. 52 to 56, Near Saki Naka Telephone Exchange, Andheri-Kurla Road, Saki Naka, Mumbai - 400 072.
2. Any shareholders, who has not received Refund Order or allotted shares of our 2nd public offer may write to Bank or its Registrar with copy of acknowledgement receipt and full details of the application.
3. For any change in mandated particulars like change of address, bank account no., name of bank and branch etc. shareholders holding shares in physical forms are to write to our Registrar M/s. Sharepro Services (India) Pvt. Ltd. and those Shareholders who hold shares in electronic form should write to their depositary participants and not to the bank or its registrar.

NOTES

NOTES

वित्त पोषित परियोजनाएं PROJECTS FINANCED

वित्त पोषित परियोजनाएं PROJECTS FINANCED

"नर्मदा हाइड्रोइलेक्ट्रिक डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लि.", भोपाल में देना बैंक द्वारा वित्त पोषित एक संरचनात्मक परियोजना.

"Narmada Hydroelectric Development Corporation Ltd.", an infrastructure Project at Bhopal financed by Dena Bank.

मुंबई में देना बैंक द्वारा वित्त पोषित एक एस.एम. ई. इकाई

An SME Unit Financed by Dena Bank in Mumbai

राणाकंडोरणा शाखा द्वारा आयोजित सखी मंडल एवं लिंकेज कैंप के दौरान लाभार्थी को ट्रैक्टर की चाबी देते हुए निदेशक, डी. आर. डी. ए., पोरबंदर.

Director DRDA, Porbandar handing over the Tractor key to a beneficiary during the Sakhi Mandal and Linkage Camp organised by Ranakandorna Branch.

सलाया शाखा द्वारा आयोजित डी.आर.आई. ऋण एवं महिला लाभार्थी ऋण वितरण कार्यक्रम में लिज्जत पापड़ की को-ऑर्डीनेटर का अभिनंदन करते हुए श्री जी. के. पानेरी, उप क्षेत्रीय प्रबंधक, राजकोट क्षेत्र.

Co-ordinator of Lijjat Papad being felicitated by Shri G. K. Paneri, DRM, Rajkot during the D.R.I. Loan and women beneficiary Loan disbursement programme organised by Salaya Branch.

शाखा उद्घाटन पल - BRANCH INAUGURAL MOMENTS

शाखा उद्घाटन पल - BRANCH INAUGURAL MOMENTS

श्री. डी.एल. रावल, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, नई दिल्ली में मयूर विहार शाखा का उद्घाटन करते हुए.

Shri D. L. Rawal, CMD, inaugurating Mayur Vihar Branch at New Delhi.

श्री. डी.एल. रावल, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, के करकमलों द्वारा चेन्नई में कॉर्पोरेट बिज़नेस शाखा का उद्घाटन.

Shri D. L. Rawal, CMD, inaugurating Corporate Business Branch at Chennai.

श्री. डी.एल. रावल, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, नई दिल्ली में पटपड़गंज शाखा का उद्घाटन करते हुए.

Shri D. L. Rawal, CMD, inaugurating Patpadganj Branch at New Delhi.

डॉ. तरसेम चंद, निदेशक, देना बैंक के करकमलों द्वारा नई दिल्ली में किशनगढ़ शाखा का उद्घाटन.

Dr. Tarsem Chand, Director, Dena Bank, inaugurating Kishangadh Branch at New Delhi.

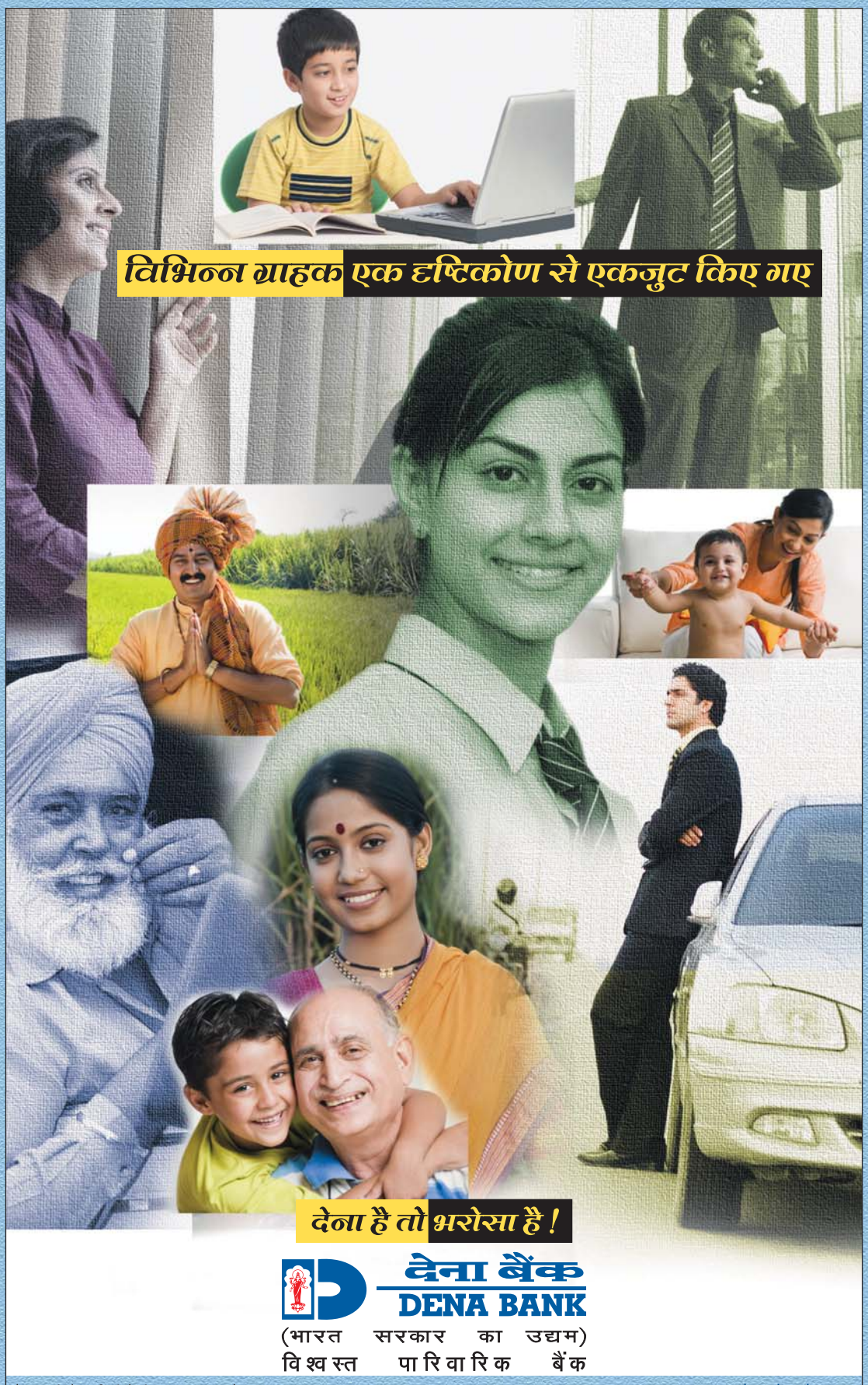

विभिन्न ग्राहक एक दृष्टिकोण से एकजुट किए गए
देना है तो भरोसा है !
देना बैंक
DENA BANK
(भारत सरकार का उद्यम)
विश्वस्त पारिवारिक बैंक
बैंक अपनी सेवाएं हिन्दी में भी उपलब्ध कराता है.
www.denabank.com
डिपॉज़िट प्रॉडक्ट्स
रीटेल लोन प्रॉडक्ट्स
इंश्योरेंस लिंक्ड प्रॉडक्ट्स
ई- प्रॉडक्ट्स

कोर बैंकिंग समाधान		Core Banking Solution
मल्टी-सिटी चैक सुविधा		Multi-city Cheque Facility
इंटरनेट बैंकिंग		Internet Banking
देना एटीएम		Dena ATM
देना विल पे		Dena Bill Pay
देना आरटीजीएस / देना एनईएफटी		Dena RTGS / Dena NEFT
मोबाईल बैंकिंग		Mobile Banking
देना इंटरनेशनल गोल्ड कार्ड		Dena International Gold Card
देना ई - टैक्स		Dena e-Tax
देना अल्प बचत खाता		Dena Alpa Bachat Khata

वितरण न होने पर कृपया निम्नलिखित को वापस करें:

If undelivered please return to:

देना बैंक
DENA BANK

देना कार्पोरेट सेंटर, सी-10, जी ब्लॉक,
बांद्रा-कुर्ला कॉम्प्लेक्स, बांद्रा (पूर्व), मुंबई-400 051.

Dena Corporate Center, C-10, G Block,
Bandra Kurla Complex, Bandra (E), Mumbai-400 051.

www.denabank.com